खण्ड-171, अंक-6
शुक्रवार, 7 वैशाख, शक संवत् 1878
(27 अप्रैल, 1956 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 171 में 6 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)

१९५६

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

शुक्रवार, २७ अप्रैल, १९५६

विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप, लखनऊ, में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर, की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्यों की सूची (२८९)

अतहर हुसैन ख्वाजा, श्री
अब्दुल रऊफ खा, श्री
अमरेशचन्द्र पांडेय, श्री
अमृतलाल मिश्र , श्री
अवधेश प्रताप सिंह, श्री
अशरफ़ अली खां, श्री
आशालता व्यास, श्रीमती
इरतजा हुसैन, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उमाशंकर मिश्र , श्री
उम्मेदसिंह, श्री
उल्फतसिंह चौहान निर्भय, श्री
ऐजाज रसूल, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
करणसिंह यादव, श्री
करनसिंह, श्री
कल्याणराय, श्री
कामताप्रसाद विद्यार्थी, श्री
कालीचरण टंडन, श्री
किन्दरलाल, श्री
किशनस्वरूप भटनागर, श्री
कृष्णचन्द्र गुप्त, श्री
कृष्णचन्द्र शर्मा, श्री
केवलसिंह, श्री
केशव गुप्त, श्री
केशव पाण्डेय, श्री
केशवराम, श्री
कैलाशप्रकाश, श्री
खयालीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाधर मैठाणी, श्री
गंगाधर शर्मा, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गणेशप्रसाद जायसवाल, श्री
गणेशप्रसाद पाण्डेय, श्री
गिरजारमण शुक्ल, श्री
गिरधारीलाल, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गुरुप्रसाद पाण्डेय, श्री
गुरुप्रसाद सिंह, श्री
गुलजार, श्री
गेंदासिंह, श्री
गोपीनाथ दीक्षित, श्री
गोवर्धन तिवारी, श्री
घनश्यामदास, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रवती, श्रीमती
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चन्द्रहास, श्री
चित्तरसिंह निरंजन, श्री
चिरंजीलाल पालीवाल, श्री
चुन्नीलाल, सगर, श्री
छेदालाल श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जगतनारायण, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री
जगदीशसरन, श्री
जगदीशसरन रस्तोगी, श्री
जगन्नाथप्रसाद, श्री
जगन्नाथ मल्ल, श्री

जगन्नाथसिंह, श्री
जगपतिसिंह, श्री
जयमोहनसिंह नेगी, श्री
जगपालसिंह, श्री
जयरामवर्मा, श्री
जयेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
जवाहरलाल, श्री
जुगलकिशोर, आचार्य
जोरावर वर्मा, श्री
ज्वालाप्रसाद सिन्हा, श्री
टीकाराम, श्री (बदायूं)
टीकाँराम, श्री (हरदोई)
डल्लाराम, श्री
डालचन्द, श्री
ताराचन्द माहेश्वरी, श्री
तिरमलसिंह, श्री
तुलाराम, श्री
तुलाराम रावत, श्री
तेजप्रतापसिंह, श्री
तेजासिंह, श्री
त्रिलोकीनाथ कौल, श्री
दयालदास भगत, श्री
दर्शनराम, श्री
दलबहादुर सिंह, श्री
दाऊदयाल खन्ना, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री
देवकीनन्दन विभव, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवदत्त शर्मा, श्री
देवनन्दन शुक्ल, श्री
द्वारकाप्रसाद मित्तल, श्री
द्वारकाप्रसाद मौर्य, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नरदेव शास्त्री, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नरोत्तम सिंह, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वर द्विवेदी, श्री
नारायणदास, श्री
नारायणदीन वाल्मीकि, श्री
निरंजनसिंह, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नेत्रपाल सिंह, श्री
नौरंगलाल, श्री

पद्मनाथसिंह, श्री
परमानन्द सिन्हा, श्री
परमेश्वरी दयाल, श्री
परिपूर्णानन्द वर्मा, श्री
पहलवान सिंह चौधरी, श्री
पुत्तूलाल, श्री
पुद्दनराम, श्री
पुलिनबिहारी बनर्जी, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रतिपाल सिंह, श्री
प्रेमकिशन खन्ना, श्री
फ़ज़लुल हक, श्री
फतेहसिंह राणा, श्री
फूलसिंह, श्री
बद्रीनारायण मिश्र, श्री
बलदेवसिंह, श्री (गोंडा)
बलदेवसिंह, श्री (बनारस)
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बलभद्रप्रसाद शुक्ल, श्री
बलवन्तसिंह, श्री
बशीर अहमद हकीम, श्री
बसन्तलाल, श्री
बाबूनन्दन, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बालेन्दुशाह, महाराजकुमार
बिशम्बरसिंह, श्री
बेचनराम, श्री
बेंचनराम गुप्त, श्री
बेनीसिंह, श्री
बैजूराम, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवतीदीन तिवारी, श्री
भगवतीप्रसाद शुक्ल, श्री
भगवानदीन वाल्मीकि, श्री
भगवान सहाय, श्री
भीमसेन, श्री
मक़सूद आलम खां, श्री
मंगलाप्रसाद, श्री
मदनमोहन उपाध्याय, श्री
मन्नीलाल गुरुदेव, श्री
मलखान सिंह, श्री
महमूद अली खां, श्री (रामपुर)
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महाराजसिंह, श्री
महावीरप्रसाद शुक्ल, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री

महावीरसिंह, श्री
महीलाल, श्री
मिजाजीलाल, श्री
मिहरबानसिंह, श्री
मुज़फ्फ़र हसन, श्री
मुन्नूलाल, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुश्ताक़ अली खां, श्री
मुहम्मद अब्दुल लतीफ़, श्री
मुहम्मद तकी हादी, श्री
मुहम्मद नसीर, श्री
मुहम्मद मंजूरुल नवी, श्री
मुहम्मद रऊफ़ जाफ़री, श्री
मुहम्मद शाहिद फ़ाख़री, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल गौतम, श्री
मोहनसिंह, श्री
यमुनासिंह, श्री
रघुनाथप्रसाद, श्री
रघुराज सिंह, श्री
रघुवीर सिंह, श्री
रणंजय सिंह, श्री
रतनलाल जैन, श्री
रमेश वर्मा, श्री
राजकिशोर राव, श्री
राजनारायण सिंह, श्री
राजवंशी, श्री
राजाराम, श्री
राजाराम किसान, श्री
राजेन्द्रदत्त, श्री
राधामोहनसिंह, श्री
रामअधार तिवारी, श्री
रामअधीनसिंह यादव, श्री
रामअनन्त पाण्डेय, श्री
रामआसरे वर्मा, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामदास रविदास, श्री
रामदुलारे मिश्र, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामप्रसाद सिंह, श्री
रामबली मिश्र, श्री
रामभजन, श्री
रामरतनप्रसाद, श्री
रामलखन मिश्र, श्री
रामलाल, श्री
रामवचन यादव, श्री
रामशंकर द्विवेदी, श्री
रामसहाय शर्मा, श्री
रामसुन्दर पाण्डेय, श्री
रामसुभग वर्मा, श्री
रामसुमेर, श्री
रामसेवक यादव, श्री
रामस्वरूप, श्री
रामस्वरूप मिश्र विशारद, श्री
रामहरख यादव, श्री
रामहेतसिंह, श्री
रामेश्वर प्रसाद, श्री
रामेश्वरलाल, श्री
लक्ष्मणदत्त भट्ट, श्री
लक्ष्मणराव क़दम, श्री
लक्ष्मीदेवी, श्रीमती
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लताफ़त हुसैन, श्री
लालबहादुरसिंह कश्यप, श्री
लुत्फ़अली खां, श्री
लेखराजसिंह, श्री
वंशीदास धनगर, श्री
वंशीधर मिश्र, श्री
वासुदेवप्रसाद मिश्र, श्री
विजयशंकर प्रसाद, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विश्वनाथसिंह गौतम, श्री
विष्णुशरण दुब्लिश, श्री
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्रपति यादव, श्री
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
वीरेन्द्रशाह, राजा
व्रजभूषण मिश्र, श्री
व्रजरानी मिश्र, श्रीमती
व्रजवासी लाल, श्री
व्रजबिहारी मिश्र, श्री
व्रजबिहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शम्भूनाथ चतुर्वेदी, श्री
शिवकुमार मिश्र, श्री
शिवकुमार शर्मा, श्री
शिवदानसिंह, श्री
शिवनारायण, श्री

शिवपूजनराय, श्री
शिवमंगलसिंह कपूर, श्री
शिवराजबलीसिंह, श्री
शिवराम पाण्डेय, श्री
शिवरामराय, श्री
शिववक्षसिंह राठौर, श्री
शिववचनराव, श्री
शिवस्वरूपसिंह, श्री
शुगनचन्द, श्री
श्यामलाल, श्री
श्रीकृष्णदत्त पालीवाल, श्री
श्रीचन्द्र, श्री
श्रीनाथराम, श्री
श्रीपतिसहाय, श्री
सईदजहां मख़फी शेरवानी, श्रीमती
संग्रामसिंह, श्री
सच्चिदानन्द नाथ त्रिपाठी, श्री
सज्जनदेवी महनोत, श्रीमती
सत्यसिंह राणा, श्री
सावित्रीदेवी, श्रीमती
सियाराम गंगवार, श्री
सीताराम शुक्ल, श्री
सुन्दरदास, श्री दीवान
सुन्दरलाल, श्री
सुरुजूराम, श्री
सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी, श्री
सुरेशप्रकाश सिंह, श्री
सूर्य्यप्रसाद अवस्थी, श्री
सूर्य्यबली पाण्डेय, श्री
सेवाराम, श्री
हबीबुर्रहमान अंसारी, श्री
हबीबुर्रहमान ख़ां हकीम, श्री
हमीद खां, श्री
हरगोविन्द पन्त, श्री
हरगोविन्द सिंह, श्री
हरदेव सिंह, श्री
हरिश्चन्द्र अष्ठाना, श्री
हरिसिंह, श्री
हुकुम सिंह, श्री
हेमवतीनन्दन बहुगुणा, श्री

प्रश्नोत्तर

शुक्रवार, २७ अप्रैल, १९५६

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

आयुर्वेदिक कालेज, लखनऊ, के विद्यार्थियों का स्वास्थ्य मन्त्री के निवास स्थान पर धरना

१--श्री गेंदा सिंह** (जिला देवरिया)---क्या यह सही है कि राजकीय आयुर्वेदिक कालेज, लखनऊ, के विद्यार्थी पिछले तीन दिनों से स्वास्थ्य मंत्री के निवास स्थान पर धरना दे रहे हैं ? यदि हां, तो इसका क्या कारण है ?

नियोजन मन्त्री के सभा-सचिव (श्री बलदेव सिंह आर्य)---जी हां, बास्तव में तो कोई कारण नहीं होना चाहिये । हो सकता है कि विद्यार्थियों की हठ तथा उनको गलत मार्ग पर चलने की अनुचित सलाह जो उन्हें किसी प्रकार मिल गई हो, इसका कारण बन गई है ।

२--श्री गेंदा सिंह**---क्या यह सही है कि इन विद्यार्थियों की भर्ती के समय जो प्रास्पेक्टस था उसको बदल दिया गया है और जो दूसरा प्रास्पेक्टस तैयार किया गया है उसके अनुसार विद्यार्थी परीक्षा देने के लिये तैयार नहीं हैं ?

श्री बलदेव सिंह आर्य---जी, नहीं प्रास्पेक्टस बदला नहीं गया है। परन्तु विद्यार्थी परीक्षा नहीं दे रहे हैं ।

श्री गेंदा सिंह---क्या यह सही नहीं है कि पिछले वर्ष जब परीक्षा में वह कम्पिटीशन के लिये बैठे थे उस वक्त जो प्रास्पैक्टस उनके सामने था उस प्रास्पैक्टस पर पढ़ाई नहीं हो रही है और उसी पर इम्तहान नहीं लिया जा रहा है ?

नियोजन मन्त्री (श्री चन्द्रभानु गुप्त)---पिछले वर्ष जब वह दाखिल हुये तो उसके सात रोज पहले नया प्रास्पेक्टस छप गया था और उस प्रास्पेक्टस के छपने के बाद उनकी पढ़ाई का कार्य आरम्भ हुआ था। इन विद्यार्थियों ने पिछले वर्ष भी विश्वविद्यालय के एकडेमिक अथारिटीज से यह निवेदन किया था कि जैसे इससे पूर्व वाले विद्यार्थियों को एम० बी० बी० एस० में मर्ज कर लिया गया उसी प्रकार से इन विद्यार्थियों को भी मर्ज किया जाय। विश्वविद्यालय की कार्यकारिणी ने जो एकेडेमिक बाडी है उन्होंने इस मांग को अस्वीकृत कर दिया और उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि यह विद्यार्थी तो जानबूझ कर इस कोर्स में आये हैं और ये उसके इम्तहान में बैठे थे इसलिये जो ५३-५४ और ५५ के विद्यार्थियों के लिये कुछ सहूलियतें दी गयीं वह इन विद्यार्थियों को नहीं दी जायंगी। उसका मुख्य कारण यह रहा कि आयुर्वेद कालेज को यदि चलाना है तो उसमें आयुर्वेद के विद्यार्थी पढ़ें न कि परोक्ष रूप से विद्यार्थी आयुर्वेद की संस्था में आकर सम्मिलित हो और एक साल वहां रह कर चोर दरवाजे से एम० बी० बी० एस० की शिक्षा प्राप्त करने के लिये वहां दाखिल होने की चेष्टा करें।

श्री गेंदा सिंह---मैं यह प्रश्न करना चाहता हूं कि जिस प्रास्पेक्टस पर उनका कम्पटीशन हुआ और जिसके मुताबिक वह भर्ती हुये उस प्रास्पेक्टस पर इस वक्त इम्तहान नहीं लिया जाता है बल्कि दूसरा प्रास्पेक्टस उस कम्पिटीशन के बाद उनके सामने आ गया?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---जी नहीं, ऐसी बात नहीं है।

श्री गेंदा सिंह---यह विद्यार्थी कितने दिनों से धरना दे रहे हैं?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---शायद ८-१० रोज हो गये होंगे।

श्री गेंदा सिंह---क्या माननीय स्वास्थ्य मंत्री की उन विद्यार्थियों से बातचीत हुई और स्वास्थ्य मंत्री जी ने उन विद्यार्थियों को समझाने की कोशिश की?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---उनसे ३, ४ दफा बातचीत हुई और तीनों दफा मैंने उनसे यह कहा कि भाई जिस कोर्स को तुमने लिया था उसी को पढ़ने के लिये तुम दाखिल हुये थे। और तुमने प्री मेडिकल टेस्ट में भी हिस्सा लिया था तो उसी कोर्स को तुमको पढ़ना चाहिये और उसमें जाकर पढ़ो। इस तरह से अपना समय व्यर्थ की बातों में आकर बरबाद न करो। जहां तक मर्जर का विषय है और उनका एम० बी० बी० एस० में मर्जर का विषय है वह सरकार से सम्बन्ध रखने वाली चीज नहीं है। उसका सम्बन्ध विश्वविद्यालय से है और एकेडेमिक बाडी से है और एकेडेमिक बाडी पर सरकार का कोई अधिकार नहीं है और न सरकार अपने विचार किसी एकेडेमिक बाडी पर थोपने का अधिकार रखती है।

श्री बलवन्त सिंह (जिला मुजफ्फरनगर)---क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि यह विद्यार्थी खाना भी खाते हैं या नहीं?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---वह खाना भी खाते हैं और बाकायदा रहते हैं और मैं यह भी कह सकता हूं कि अभी तक उन्होंने कोई भी ऐसी बात नहीं की है जो अनुचित हो जैसे कि अक्सर विद्यार्थी आवेश में आकर गाली बकते हैं, या शरारत करते हैं, ऐसी कोई बात उन्होंने नहीं की है।

श्री रामकुमार शास्त्री (जिला बस्ती)---क्या माननीय मंत्री महोदय बतायेंगे कि धरना देने वाले विद्यार्थियों की क्या संख्या है?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--उनकी संख्या तो मैंने नहीं गिनी है, वह तो ऐसा है कि कुछ विद्यार्थी तो वाइस चांसलर के यहां जाते हैं और उसे मैं धरना कहूं या क्या वह मेरे मकान के सामने रास्ते में रात को सो जाते हैं और दिन में उन्होंने बैठने के लिए एक तम्बू सा लगा लिया है वहीं रहते हैं और कुछ विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर के यहां जाते हैं और इस तरह से अपना समय व्यतीत करते हैं।

श्री जगन्नाथ मल्ल (जिला देवरिया)--क्या मंत्री महोदय कृपया बतायेंगे कि मंत्री जी की विद्यार्थियों से जो बात हुई वह धरना देने से पहले हुई या जब से धरना दे रहे हैं उस समय में ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--वह तो दो तीन बार धरने के बीच में हुई है और परसों ही बातचीत हुई है और इस विषय पर विश्वविद्यालय की कार्यकारिणी और अधिकारियों ने भी विचार किया और उन्होंने वाइस चांसलर से भी बातचीत की थी, जस्टिस अग्रवाल कार्यकारिणी के सदस्य हैं उनसे भी बातचीत हुई और उनको समझाया गया कि यह एम० बी० बी० एस० में लिए जाने की तुम्हारी अनधिकार चेष्टा है। मैं यह भी बता दूं कि उनमें से कुछ विद्यार्थी प्रि मेडिकल टेस्ट में बैठे थे जो एम० बी० बी० एस० कोर्स के लिए हुआ था, उसमें किसी की ८००वें, किसी की ९००वें और किसी की १२००वें नम्बर पर जगह थी और उनमें से केवल ऊपर के १२५ विद्यार्थी लिए गए थे। यह तो बहुत ही गलत बात होगी कि जो ८००वें या ९००वें नम्बर पर थे उनको लिया जाय, छलांग मारकर और एम० बी० बी० एस० की परीक्षा में शामिल किया जाय। यह निन्दनीय, गलत और अशोभनीय बात होगी। जब वह एक चीज में जानबूझकर सम्मिलित हुए तो उसी में उनको शिक्षा प्राप्त करनी चाहिये और समय देना चाहिए और यदि कुछ दिक्कत भी उसके पढ़ने में हो तो उसको सहन करना चाहिए।

श्री रतनलाल जैन (जिला बिजनौर)--क्या माननीय मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि इसमें आयुर्वेदिक कालेज के सब विद्यार्थी शामिल हैं या थोड़े से ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--मैंने उनकी संख्या तो नहीं गिनी, एक तो उनमें महिला है और २७-२८ लड़के आयुर्वेदिक कालेज के हैं, मैंने महिला को तो कभी नहीं देखा और लड़कों की संख्या भी मुझे नहीं मालूम लेकिन मालूम यह हुआ है कि वह लोग कोई परीक्षा में नहीं बैठे हैं इससे मैं अनुमान लगाता हूं कि वे एम० बी० बी० एस० के कोर्स में शामिल होना चाहते हैं और वे इसीलिए परीक्षा में नहीं बैठे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि जैसे पहले सालों में विद्यार्थी एम० बी० बी० एस० में मर्ज कर लिए गए थे वैसे ही अब भी उनको मर्ज कर लिया जायगा।

श्री गेंदा सिंह--क्या स्वास्थ्य मंत्री जी बताने की मेहरबानी करेंगे कि विद्यार्थियों ने जो अपनी मुख्य कठिनाइयां मंत्री जी के सामने रखीं वह क्या हैं ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--उनकी मुख्य कठिनाई तो जहां तक मैं समझता हूं यह है कि वे संस्कृत नहीं पढ़ना चाहते हैं और आयुर्वेदिक की पढ़ाई की पुस्तकें थोड़ी बहुत संस्कृत में हैं, हालांकि वहां की पढ़ाई तो हिन्दी में होती है लेकिन कुछ संस्कृत पुस्तकों का भी अध्ययन करने की जरूरत होती है और चूंकि वह सब शायद साइन्स के विद्यार्थी हैं इसलिए वे संस्कृत पढ़ना नहीं चाहते हैं और उसके अध्ययन से दूर रहना चाहते हैं और जब वह अपने इंटरमीडिएट पास कुछ साथियों को एम० बी० बी० एस० में पढ़ते देखते हैं तो उनका भी लालच बढ़ जाता है कि हम भी और लोगों की तरह एम० बी० बी० एस० में ही क्यों न पढ़ें, यह लोग थर्ड डिवीजनर्स हैं और उनकी पोजीशन के बारे में भी मैंने बता दिया कि वह बहुत नीचे थी, कोई भी जो इतने नीचे हो उनको इस तरह से मर्ज करने की बात अनुचित होगी और चूंकि हमें साथ में आयुर्वेदिक कालेज भी चलाना है और जो सम्मिलित हुए हैं उनको उसी में रखना है।

श्री गंगाधर मैठाणी (जिला गढ़वाल)---क्या माननीय मंत्री उन कारणों पर प्रकाश डालने की कृपा करेंगे कि जो छात्र एम० बी० बी० एस० की परीक्षा में रिजेक्ट कर दिये गये थे उन छात्रों को बी० एम० बी० एस० की परीक्षा के लिये क्यों ले लिया गया ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---दोनों के लिये प्री मेडीकल टेस्ट्स हुये थे। जो बढ़िया छात्र थे वे एम० बी० बी० एस० में चले गये। उसके कुछ छात्र बी० एम० बी० एस० के प्री मेडीकल टैस्ट में भी बैठे और उसमें आ गये। इसलिये उनको ले लिया गया।

श्री रामेश्वरलाल (जिला देवरिया)---आयुर्वेदिक कालेज के विद्यार्थियों का चुनाव करते समय क्या यह ध्यान रक्खा गया था कि उसमें वही विद्यार्थी आयें जो संस्कृत जानते हों ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---यह तो प्रासपेक्ट्स में भी है कि इम्तहान में संस्कृत का विषय भी हो सकता है। आखिर संस्कृत का अध्ययन भी किया जा सकता है और उसके लिये जितने ज्ञान की आवश्यकता होती है वह ८-१० महीनों में आ सकता है तथा उसकी पढ़ाई का प्रबन्ध भी किया गया है।

श्री गेंदासिंह---क्या यह सही है कि जितने विद्यार्थी प्री मेडीकल टैस्ट में बैठे थे उसमें से किसी को संस्कृत का ज्ञान न था ? सभी आई० एस-सी० और बी० एस० सी० के स्टुडेंट्स थे तथा अब जो नया प्रोस्पेक्टस दिया गया है उसमें अधिकांश संस्कृत का अंश है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---यह सूचना तो मुझे नहीं है कि उसमें कितना अंश संस्कृत का है लेकिन ये छात्र यह जानकर ही प्री मेडीकल की परीक्षा में सम्मिलित हुये थे कि थोड़ा सा संस्कृत का ज्ञान अवश्य उनको करना पड़ेगा। हो सकता है उसमें कुछ विद्यार्थी ऐसे भी आ गये हों जिनको संस्कृत का ज्ञान न हो। लेकिन उनको संस्कृत का ज्ञान प्राप्त कराने का प्रबन्ध किया गया है।

[६ अप्रैल, १९५६ के स्थगित प्रश्न]

तारांकित प्रश्न

× × × ×

लेबर इन्क्वायरी कमेटी की सिफारिशें

*९—**श्री सूर्य्यप्रसाद अवस्थी** (जिला कानपुर)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उस लेबर इंक्वारी कमेटी की रिपोर्ट प्रकाशित हो गई या नहीं, जिसके चेयरमैन आचार्य युगुल किशोर जी थे ?

श्रम मन्त्री (आचार्य जुगल किशोर)---जी नहीं।

*१०—**श्री सूर्य्यप्रसाद अवस्थी**—क्या सरकार उस रिपोर्ट की मुख्य मुख्य सिफारिशों को बताने की कृपा करेगी ?

आचार्य जुगल किशोर---इस संबंध में आवश्यक सूचना मेज पर रखी है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ४८८-४८९ पर)

*११---**श्री सूर्य्यप्रसाद अवस्थी**---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उस रिपोर्ट की किन किन सिफारिशों को सरकार ने कार्यरूप में परिणित किया है ?

आचार्य जुगल किशोर---इनमें से अधिकतर सिफारिशों को सरकार ने कार्यरूप में परिणित कर दिया है।

श्री सूर्यप्रसाद अवस्थी—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि यह रिपोर्ट किस सन् में सरकार को सबमिट की गयी ?

आचार्य जुगल किशोर---१९५१ में।

श्री सूर्य्य प्रसाद अवस्थी---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि इसमें कितना धन और कितना समय लगा ?

आचार्य जुगल किशोर---इसके लिये सूचना की आवश्यकता होगी।

श्री सूर्य्य प्रसाद अवस्थी---क्या सरकार बतायेगी कि इस रिपोर्ट के प्रकाशित करने में सरकार को क्या दिक्कत है ?

आचार्य जुगल किशोर---कठिनाई तो मुझे नहीं मालूम क्या हो सकती है। उस वक्त, जहां तक मुझे मालूम है सभी सिफारिशों के ऊपर कार्यवाही की गयी लेकिन उसका प्रकाशन नहीं किया गया। अब इतनी देर हो गयी है कि उसका प्रकाशन करने की कोई आवश्यकता मालूम नहीं पड़ती।

श्री रामदुलारे मिश्र (जिला कानपुर)---क्या माननीय मंत्री जी उसकी मुख्य बातों पर प्रकाश डालने की कृपा करेंगे ?

आचार्य जुगल किशोर---यह सूचना मेज पर रख दी गई है। दो सिफारिशों को छोड़ कर सभी कार्यान्वित की गयी हैं। नंबर ५ और ८ को छोड़ कर करीबन सभी सिफारिशों के ऊपर सरकार की तरफ से कार्यवाही की गयी है।

श्री जगन्नाथ मल्ल---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि वे कौन सी मुख्य मुख्य सिफारिशें हैं जो कार्यरूप में परिणित की गयीं थीं ?

श्री अध्यक्ष---वे सब उत्तर में दे दी गयी हैं। काफी बड़ी लिस्ट है। उन्होंने बता भी दिया कि दो को छोड़कर बाकी सभी पर कार्यवाही की गयी है।

श्री सूर्य्यप्रसाद अवस्थी---क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि यह सत्य है कि केवल दो ही सिफारिशों को कार्य रूप में परिणित किया गया, १३ को नहीं ?

आचार्य जुगल किशोर---जहां तक मेरी सूचना है उसके मुताबिक तो सबको कर दिया गया है सिवा दो के। संभव है किसी और के बारे में पूरे तौर से काम नहीं किया गया हो।

श्री सूर्य्यप्रसाद अवस्थी---क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि इन सिफारिशों में सिफारिश नं० १० कार्य रूप में परिणित कर दी गई है ?

आचार्य जुगल किशोर---जी हां, इसके संबंध में एक विधेयक सदन के सामने है और उसके जरिये से इस बात की कोशिश की जायगी कि जितनी वेलफेयर एक्टिविटीज की जा सकती हैं बोर्ड के जरिये से की जायं।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)---क्या श्रम मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि वे दो मुख्य सिफारिशें कौन हैं जो कार्यान्वित नहीं की गई हैं और क्यों नहीं की गई हैं ?

आचार्य जुगल किशोर---वह सिफारिश यह थीं कि चीफ इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर आफ ब्वायलर्स श्रमायुक्त के अधीन न रह कर स्वतंत्र रूप से कार्य करें इसको गवर्नमेंट ने मुनासिब नहीं समझा कि उनको अलग कर दिया जाय और उनको स्वतंत्र रूप से कार्य करने दिया जाय।

× × × ×

आजमगढ़ जिले के महिला मंगल केन्द्र

*२६—श्री ब्रजविहारी मिश्र (जिला आजमगढ़)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि आजमगढ़ जिले में कहां कहां महिला मंगल केंद्र खोले गये हैं ?

आचार्य जुगल किशोर—आजमगढ़ जिले में निम्नलिखित स्थानों पर महिला मंगल केन्द्र खोले गये हैं :—

(१) मनारबोझ
(२) हाजीपुर
(३) कुचई
(४) खुनखुनवा
(५) कसारा
(६) फैजुल्लापुर
(७) शाहपुर
(८) बुधवल
(९) नदवल।

श्री ब्रजविहारी मिश्र—क्या माननीय मंत्री को ज्ञात है कि ये सब स्थान जहां पर महिला मंगल केंद्र स्थापित किये गये हैं केवल एक ही तहसील में स्थित हैं ?

आचार्य जुगल किशोर—हमारी नीति के मुताबिक ये केंद्र एक्सटेंशन ब्लाक्स के एरियाज में खोले जाते हैं। इस समय यह तो मैं नहीं कह सकता कि एक ही तहसील में हैं या नहीं लेकिन यह नीति हमारी रही है।

श्री ब्रजबिहारी मिश्र—क्या माननीय मंत्री जिले के नये भागों में महिला मंगल केंद्र खोलने के प्रश्न पर विचार करने को प्रस्तुत हैं ?

आचार्य जुगलकिशोर—समाज कल्याण बोर्ड जो कि सेंट्रल वेलफेयर बोर्ड के अन्तर्गत काम करता है उनकी तरफ से जिलों में दो दो प्रोजेक्ट्स और खोले जायेंगे और अब मैं समझता हूं कि आजमगढ़ में भी दो इस तरह के प्रोजेक्ट्स जिसमें १० केंद्र शामिल होंगे खोले जायेंगे।

श्री गंगाप्रसाद (जिला गोंडा)—क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि सरकार की यह नीति है कि जहां पर एन० ई० एस० ब्लाक्स हैं वहीं महिला मंगल केंद्र खोले जाते हैं या पिछड़े हुये क्षेत्रों में भी खोले जाते हैं ?

आचार्य जुगल किशोर—ज्यादातर तो यही है कि जहां पर इन० ई० एस० ब्लाक्स हैं वहीं खोले जायं और उनको खोलने के समय इस बात का विचार अवश्य किया जाता है कि कौन सा पिछड़ा हुआ वर्ग है और कौन सा नहीं।

भिक्षा वृत्ति निवारण के लिए प्रयास

*२७—श्री जगदीश सरन (जिला बरेली)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उन्होंने भिखारियों की वृद्धि रोकने की समस्या के अध्ययन के लिये और उसके उपचार के लिये कोई अनुभवी अधिकारी नियुक्त किये हैं ?

आचार्य जुगल किशोर—सरकार ने तेरह जिलों में असिस्टेंट सोशल वेलफेयर अफसर नियुक्त किये हैं जो अन्य समाज कल्याण विषयों के अतिरिक्त भिक्षा वृत्ति निवारण का भी काम करेंगे। इस समय वे भिखारियों की गणना कर रहे हैं।

श्री जगदीश सरन—क्या माननीय मंत्री बतलाने की कृपा करेंगें कि इन एसिस्टेंट सोशल वेलफेयर आफिसर्स के अतिरिक्त सरकार ने ७ और अधिकारी नियुक्त किये हैं जो भिखारियों की वृद्धि को रोकने और उनके उपचार की समस्या का अध्ययन करके उस जानकारी के आधार पर कुछ कार्य कर रहे हैं ?

आचार्य जुगल किशोर--जी हां, पांच बड़े बड़े शहरों में जो कबाल टाउन्स कहलाते हैं वहां के कारपोरेशस को यह अनुदान दिया है जिसके जरिये से भिक्षा वृत्ति के संबंध में जानकारी हासिल करें कि कितने भिक्षुक वहां रहते हैं और उनकी समस्याओं को हल करने के लिये क्या उपाय बताते है । इसके अलावा मेरठ में भी इस तरह का अनुदान दिया गया है एक संस्था को ।

श्री जगदीश सरन--क्या माननीय मंत्री जी कृपा करके बतलायेंगे कि इन १३ असिस्टेंट सोशल वेलफेयर अफसरों में कोई एक भी भिक्षा वृत्ति के विषय में कोई अध्ययन कर चुका है या जानकारी रखता है ?

आचार्य जुगल किशोर--वह सब ट्रेंड अफसर हैं जिन्होंने काशी विद्यापीठ, लखनऊ विश्वविद्यालय या टाटा इंस्टीट्युट से इस तरह की स्पेशल ट्रेनिंग प्राप्त की है जिसमें भिक्षा वृत्ति की भी जानकारी हासिल करना एक विषय रहा है ।

श्री धर्मदत्त वैद्य (जिला बरेली)--क्या सरकार उत्तर प्रदेश के भिखारियों की संख्या बताने का कष्ट करेगी ?

आचार्य जुगल किशोर--यह इससे उठता नहीं है ।

श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि वह १३ जिले कौन कौन से हैं जहां भिखारियों के संबंध में सरकार जांच करा रही है?

आचार्य जुगल किशोर--१३ जिलों में दस जिले तो डिवीजनल हैडक्वाटर्स हैं । इनके अलावा कानपुर, मथुरा और हरिद्वार डिवीजनल हेडक्वार्टर न होते हुये भी विशेष महत्व रखते हैं, इसलिये वहां पर भी सोशल वेलफेयर आफिसर नियुक्त किये गये हैं वे वहां पर भिखारियों की समस्याओं के बारे में और अन्य समस्याओं के बारे में पूरी जानकारी हासिल कर रहे है ।

श्री सूर्य्यप्रसाद अवस्थी--क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि कानपुर में इस संबंध में अब तक क्या कार्यवाही हुई ?

श्री अध्यक्ष--मैं समझता हूं कि एक एक केंद्र के बारे में पूछने का सवाल उठता नहीं है ।

बस्ती जिले में महिला मंगल केन्द्र

*३८--**श्री रामसुन्दर राम** (जिला बस्ती) (अनुपस्थित)--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला बस्ती में समाज कल्याण विभाग की तरफ से कोई केंद्र खोलने पर सरकार विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?

आचार्य जुगल किशोर--जिला बस्ती में समाज कल्याण विभाग की महिला मंगल योजना क अन्तर्गत पांच महिला मंगल केंद्र पहले से ही चल रहे हैं और केंद्र खोलने का प्रश्न विचाराधीन है ।

*३९--**श्री रामसुन्दर राम** (अनुपस्थित)--क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि जो शिक्षा बालिकाओं को गृह उद्योग के लिये अन्य जिलों में दी जा रही है वह बस्ती जिले में कहां कहां दी जा रही है ?

श्री आचार्य जुगल किशोर--बस्ती जिले में बालिकाओं को गृह उद्योग की शिक्षा निम्नलिखित महिला मंगल केंद्रों में दी जा रही है:--

१--कमसार, २--बुढ़ऊ ३--शाहपुर ४--जीवां ५--सोहना ।

[२७ अप्रैल, १९५६ के लिये रखे गये प्रश्न]

तारांकित प्रश्न

***१-२—श्री झारखंडे राय** (जिला आजमगढ़)—[हटा दिये गये।]

स्वायत्त शिक्षा संस्थाओं से संबंधित जे० टी सी० अध्यापकों का वेतन क्रम

***३—श्री रामसुन्दर पांडेय**—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि स्वायत्त शिक्षा संस्थाओं में काम करने वाले जे० टी० सी० अध्यापकों को कोई वेतन क्रम जनवरी सन् १९५६ में सरकारी आदेश से निश्चित किया गया है? यदि हां, तो क्या?

शिक्षा मन्त्री (श्री हरगोविन्द सिंह)—जी हां।

६०-३-९० द० रो० ४-११० रु० प्रतिमास। पर इस मामले पर सरकारी आदेश दिसम्बर १९५५ में निर्गत हुये।

***४—श्री रामसुन्दर पांडेय**—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि संशोधित वेतन क्रम को देने के लिये वह प्रदेश के किन-किन जिलों को कितना कितना धन देने जा रही है?

श्री हरगोविन्द सिंह—

जिले का नाम	जिला परिषद् तथा नगर-पालिकाओं को इस हेतु वित्तीय वर्ष में स्वीकृत अनुदान।
	रु०
१—देहरादून	१,८८९
२—सहारनपुर	९०८
३—मुजफ्फरनगर	७,०४५
४—मेरठ	२,७ ७
५—बुलन्दशहर	१,५ १
६—अलीगढ़	५,८३३
७—मथुरा	२,०२१
८—आगरा	२,०३८
९—मैनपुरी	३,६७२
१०—एटा	४,००१
११—बरेली	२,७६४
१२—बिजनौर	२,३७७
१३—बदायूं	४,७१९
१४—मुरादाबाद	४,६८६
१५—शाहजहांपुर	१,७९९
१६—पीलीभीत	१,७५८
१७—फर्रुखाबाद	४,७५३
१८—इटावा	२,६४०
१९—कानपुर	२,४३३
२०—फतेहपुर	१,८८१
२१—इलाहाबाद	१,०४०
२२—बांदा	१,६७५
२३—हमीरपुर	१,९३९
२४—झांसी	३,०८५

नोट—ताराँकित प्रश्न ४ का उत्तर सदन में नहीं पढ़ा गया।

जिले का नाम		जिला परिषद् तथा नगर-पालिकाओं को इस हेतु वित्तीय वर्ष में स्वीकृत अनुदान।
२५—जालौन ..	..	.. १,१७१
२६—बनारस ..	..	.. ६,११६
२७—मिर्जापुर ..	..	.. १,४३५
२८—जौनपुर ..	..	.. ५,५७८
२९—गाजीपुर ..	..	.. २,३६८
३०—बलिया ..	..	.. ४,९८४
३१—गोरखपुर ..	..	.. २,२२८
३२—देवरिया ..	..	.. ३,५८९
३३—बस्ती ..	..	.. ६,१३०
३४—आजमगढ़ ..	..	.. ४,१७४
३५—नैनीताल ..	..	.. ३,१६१
३६—अल्मोड़ा ..	..	.. २,७०६
३७—गढ़वाल (पौड़ी)	..	.. १,७४१
३८—लखनऊ ..	..	.. ९१६
३९—उन्नाव ..	..	.. ५,०५७
४०—रायबरेली ..	..	.. १,८४८
४१—सीतापुर ..	..	.. ९१६
४२—हरदोई ..	..	.. ५,१३१
४३—खेरी ..	..	.. १,२८७
४४—फैजाबाद ..	..	.. ४,४५५
४५—गोंडा ..	..	.. ३,०९५
४६—बहराइच ..	..	.. २,६४८
४७—सुल्तानपुर ..	..	.. ४,०५९
४८—प्रतापगढ़ ..	..	.. ४९५
४९—बाराबंकी ..	..	.. २,८३८

श्री हरगोविन्द सिंह—(प्रश्न ४ का उत्तर पढ़ने के संबंध में) अध्यक्ष महोदय, क्या उसको पढ़ूं ? यह बहुत लम्बी सूची है।

श्री अध्यक्ष—अगर आपने उत्तर इस तरह दिया होता कि सूची संलग्न है तो मैं कह देता कि पढ़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन आपने उत्तर में ही उसे दे दिया है। अगर माननीय सदस्य इसको आवश्यक न समझें तो मैं कह देता हूं कि व्योरा आप न पढ़ें।

श्री हरगोविन्द सिंह—सब ५२ जिले हैं और ४९ जिले तो इसमें हैं ही। बाकी जो जिले नहीं हैं उनको छोड़ कर समझ लें।

श्री अध्यक्ष—तो किसी को कोई आपत्ति नहीं है ?

(कोई आपत्ति नहीं की गयी है।)

श्री अध्यक्ष—तो पढ़ने की आवश्यकता नहीं है।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि तीन जिले जो छूट गये हैं उनके क्या-क्या नाम हैं और उन्हें सहायता क्यों नहीं दी गयी है ?

श्री हरगोविन्द सिंह--सूची को पढ़ लीजिये और उसमें जो तीन जिले नहीं है वही तीन जिले उससे बचते हैं और इसलिये कि वहां जे० टी० सी० न होंगे।

*५--**श्री गज्जूराम** (जिला झांसी) (अनुपस्थित)--[९ अप्रैल, १९५६ को प्रश्न ५६ के अन्तर्गत उत्तर दिया गया।]

बुन्देलखण्ड डिग्री कालेज, झांसी, को अनुदान

*६--**श्री गज्जूराम** (अनुपस्थित)---क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि बुन्देलखंड डिगरी कालेज, झांसी, की इमारत फर्नीचर तथा अन्य सहायता में सरकार कितना रुपया व्यय करने जा रही है ?

श्री हरगोविन्द सिंह--गत वित्तीय वर्ष में सरकार ने बुन्देलखंड डिग्री कालेज, झांसी, को निम्नलिखित अनावर्त्तक अनुदान दिया है ।

	रु०
(१) भवन निर्माण	२०,०००
(२) फर्नीचर	२,०००
(३) पुस्तकें	१,०००

*७-८--**श्री रामसुभग वर्मा** (जिला देवरिया)--[२५ मई, १९५६ के लिये स्थगित किये गये।]

अल्मोड़ा जिले के सरकारी सहायता प्राप्त वाचनालय व पुस्तकालय

*९--**श्री नरेन्द्रसिंह विष्ठ** (जिला अल्मोड़ा)--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जिला अल्मोड़ा में उत्तम, मध्यम व निम्न श्रेणी के कितने पुस्तकालय एवं वाचनालय हैं जिन्हें सरकारी अनुदान दिया जाता है ?

श्री हरगोविन्द सिंह--निम्न श्रेणी में केवल १५ पुस्तकालयों को सरकारी अनुदान मिलता है ।

श्री नरेन्द्र सिंह विष्ट--क्या सरकार जिला अल्मोड़ा में उत्तम व मध्यम श्रेणी के कोई पुस्तकालय व वाचनालय को सुविधा प्रदान करने के प्रश्न पर विचार करेगी ?

श्री हरगोविन्द सिंह--यह सब जितने पुस्तकालय ह सब श्रेणी बद्ध नहीं होते हैं । सिर्फ रूरल एरिया में जो होते हैं और एजूकेशन एक्सपेंशन डिपार्टमेंट से उनका सम्बन्ध होता है उन्हीं की श्रेणी होती है । जो अरबन एरिया शहरी क्षेत्रों में पुस्तकालय हैं उनकी कोई श्रेणी नहीं होती। यह पुस्तकालय सब रूरल एरिया के हैं, इनकी सूची आपको दे दी गई है ।

श्री नरेन्द्र सिंह विष्ट--क्या सरकार को विदित है कि इंडो-तिब्बतन एरिया में निम्न श्रेणी के कोई वाचनालय नहीं हैं ?

श्री हरगोविन्द सिंह--जी हां, न होंगे ऐसा संभव है ।

श्री नरेन्द्र सिंह विष्ट--क्या सरकार बतायेगी कि इन इलाकों में पुस्तकालय या वाचनालय खोलने के लिये अनुदान प्राप्त करने की क्या व्यवस्था है ?

श्री हरगोविन्द सिंह--पहले किसी सज्जन को व्यक्तिगत तरीके से पुस्तकालय खोलना चाहिये और उसको रजिस्टर कराना चाहिये । फिर वह दरख्वास्त दे तो उस अवसर पर आवश्यक समझा गया तो उसको अनुदान दिया जा सकता है ।

श्री नरेन्द्र सिंह विष्ट--क्या माननीय मंत्री महोदय सरकार के ही द्वारा कुछ पुस्तकालय खोलने की व्यवस्था करने की कृपा करेंगे ?

श्री हरगोविन्द सिंह--जी नहीं, ऐसी प्रथा नहीं है ।

राज्य में सूती तथा कपड़े की बन्द मिलें

*१०--**श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ** (जिला अलीगढ़)--क्या मन्त्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि इस प्रदेश में कौन-कौन सूती मिल तथा कपड़े की मिलें तीन महीने से अधिक दिनों से बन्द पड़ी है और क्यों ?

आचार्य जुगल किशोर--

(१) जौन्स मिल, आगरा (स्पिनिंग मिल नं० ३ व ४) ।

(२) लल्लामल हरदेवदास काटन, स्पिनिंग एण्ड वीविंग मिल्स, हाथरस ।

(३) श्री विक्रम काटन मिल्स लि०, लखनऊ ।

(४) मैसर्स बनारस काटन व सिल्क मिल्स, लि०, बनारस; तथा

(५) कानपुर काटन मिल्स लि०, जूही (ब्रांच) कानपुर ।

जौन्स मिल्स आगरा, साझीदारों की मुकदमे बाजी तथा माननीय हाईकोर्ट, इलाहाबाद, द्वारा अथराइज्ड कंट्रोलर की सरकार द्वारा की गई नियुक्ति को अवैधानिक ठहरा देने के कारण बन्द है ।

लल्लामल हरदेवदास काटन स्पिनिंग एण्ड वीविंग मिल्स, हाथरस; साझीदारों; के पारस्परिक झगड़े, संगठित प्रबन्ध एवं लगातार हानि होने के कारण बन्द है ।

श्री विक्रम काटन मिल्स लि०, लखनऊ; व्यापारिक कारणों से बन्द है ।

मैसर्स बनारस काटन व सिल्क मिल्स लि०, बनारस; आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण बन्द पड़ी है और

कानपुर काटन मिल्स लि०, जूही (ब्रांच), कानपुर, पुराने फ्रेमों में आधुनिक फ्रेमों की अपेक्षा कम कार्य क्षमता होने तथा सूत का मूल्य गिर जाने के कारण बन्द है ।

श्री जगन्नाथ मल्ल--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि इन मिलों के बन्द होने से कितने मजदूर बेकार पड़े हैं ?

आचार्य जुगल किशोर--इस समय तो मैं यह संख्या नहीं दे सकता । काफी मजदूर इससे बेकार हो गये थे ।

श्री नन्दकुमार देव वाशिष्ठ--मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि लल्ला मल हरदेवदास काटन स्पीनिंग और वीविंग मिल, हाथरस, को सरकार ने अपने हाथ में कब से लिया और कब से बन्द है ?

आचार्य जुगल किशोर--जहां तक मुझे सूचना इस समय प्राप्त होती है इस फाइल से, १९५२ से बन्द है ।

श्री नन्दकुमार देव वाशिष्ठ--यह सूचना तो कुछ ठीक नहीं मालूम होती है । कई वर्ष हो गये । लेकिन यह मिल कब से बन्द है ?

आचार्य जुगल किशोर--इसके लिये मुझे सूचना चाहिये ।

श्री जगन्नाथ मल्ल--क्या सरकार इन मिलों के चलवाने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट से इस बात के लिये सिफारिश करेगी कि वह इस पर एथराइज्ड कंट्रोलर मुकर्रर करके इन मिलों को चलवायें ?

आचार्य जुगल किशोर--सरकार की तरफ से जो कुछ भी कोशिश हो सकती थी इन मिलों को चलवाने के लिए वह कोशिश की गई और कामयाबी नहीं हुई । इसी कारण वह अभी तक बन्द हैं ।

श्री जगन्नाथ मल्ल--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि यू० पी० सरकार ने सेंट्रल गवर्नमेंट को कब लिखा कि एथराइज्ड कंट्रोलर इस पर मुकर्रर कर दिया जाय ?

आचार्य जुगल किशोर--अब इसकी ठीक सूचना देने के लिये तो मुझे समय चाहिए मैं आशा करता हूं कि आप मुझे दुबारा मौका देंगे ।

श्री देवकीनन्दन विभव (जिला आगरा)--क्या माननीय मंत्री जी यह बतलायेंगे कि वह इन मिलों को चलाने के लिए इन्हें अपने हाथ में लेने के लिए कोई विधेयक प्रस्तुत करने पर विचार कर रहे हैं ?

आचार्य जुगल किशोर--ऐसा तो कोई विधेयक लाने की बात मुझे मालूम नहीं है ।

श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ--माननीय मंत्री जी ने बताया कि साझीदारों के पारिस्परिक झगड़ों, कुसंगठित प्रबन्ध और लगातार हानि के कारण यह मिल बन्द हैं, तो यह साझीदारों का झगड़ा कहां से आता है जब कि कंट्रोलर के हाथ में यह है ?

आचार्य जुगल किशोर--इसके लिए मुझे थोड़ा समय चाहिए ।

श्री अध्यक्ष--आप सूचना चाहते हैं ?

आचार्य जुगल किशोर--जी हां, थोड़ा समय चाहता हूं ।

मिर्जापुर में विद्यार्थियों द्वारा उपद्रव

*११--**श्री रामस्वरूप** (जिला मिर्जापुर)--क्या यह सही है कि १७-८-५५ को मिर्जापुर में विद्यार्थियों द्वारा किये गये उपद्रव की सूचना जिला विद्यालय निरीक्षक को बहुत पहले ही ज्ञात हो चुकी थी ? यदि हां, तो उक्त उपद्रव के रोकने के सम्बन्ध में निरीक्षक महोदय ने क्या प्रयत्न किये ?

श्री हरगोविन्द सिंह--जी नहीं, दूसरे भाग का प्रश्न नहीं उठता ।

श्री रामकृष्ण जैसवार (जिला मिर्जापुर)--क्या माननीय मंत्री जी इस बात का पता लगाने की कृपा करेंगे कि यह बात सही है कि उपद्रव होने के पहले जिला विद्यालय निरीक्षक दो घंटे पहले डी० ए० वी० कालेज पहुच गये थे और उन्होंने मास्टरों द्वारा उपद्रव को रोकने का प्रयत्न किया ?

श्री हरगोविन्द सिंह--जो मेरे पास सूचना है उससे यह प्रकट जरूर होता है कि डी० एम० के यहां जिला विद्यालय निरीक्षक भी मौजूद थे और वहां सर्व प्रथम यह मालूम हुआ कि स्ट्राइक हो गया और उसके बाद डी० आई० ओ० ने अपना प्रयत्न अवश्य शुरु किया ।

*१२--**श्री रामहेत सिंह** (जिला मथुरा)--[२ मई, १९५६ के लिये प्रश्न ३३ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया ।]

श्रम कल्याण केन्द्रों के अन्तर्गत शिशु-गृह खोलने का विचार

*१३--**श्री रामहेत सिंह**---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि श्रम कल्याण केन्द्रों में शिशु-ग्रह, जिसमें अनाथ बच्चों की परवरिश व रोजगार तक लगाने की जिम्मेदारी सरकार को हो, खोलने की उसकी योजना है ? यदि हां, तो किस जिले में ?

आचार्य जुगलकिशोर---जी हां, कुछ श्रम कल्याण केन्द्रों में क्रेश (creche) (एक प्रकार का शिशु-गृह) खोलने की योजना है जिसमें काम पर जाते समय कारखानों कार्य करने वाली स्त्रियां अपने बच्चों को देखभाल के लिये छोड़ जायेंगी और काम से लौट कर उन्हें ले लेंगी। इनमें अनाथ बच्चों की परवरिश आदि का प्रबन्ध नहीं होगा।

ये क्रेश कानपुर में स्थित केन्द्रों में खोले जायेंगे।

श्री रामहेत सिंह---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जहां तीर्थ स्थान हैं वह भीख मांगने वाले अनाथ बच्चे काफी तादाद में पाये जाते हैं तो क्या ऐसा अनाथालय खोलने का विचार है कि जहां परवरिश से और काम दिलाने तक सरकार की जिम्मेदारी हो ?

आचार्य जुगलकिशोर---जी हां, इस तरह के कई अन्य स्थानों पर अनाथालय खोलने का प्रश्न विचाराधीन है।

*१४-१५--**श्री मिहरबान सिंह** (जिला इटावा)---[२५, मई १९५६ के लिये स्थगित किये गये।]

वोकेशनल शिक्षा वर्ग को अनिवार्य करने की मांग

*१६---**श्री नन्दकुमार देव वाशिष्ट**---क्या शिक्षा मत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वह इस प्रदेश के प्रत्येक जूनियर हाई स्कूल तथा इन्टर कालिज में वोकेशनल (vocational) शिक्षा वर्ग को अनिवार्य करने पर विचार कर रहे हैं ?

श्री हरगोविन्द सिंह---जी नहीं।

श्री नन्दकुमार देव वाशिष्ठ---माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि किन कारणों से सरकार ने ऐसा निर्णय किया जबकि औद्योगिक प्रगति का हमारा यह मुख्य कार्यक्रम है ?

श्री हरगोविन्द सिंह---आपने वोकेशनल ट्रेनिंग के लिये पूंछा है तो वह तो किसी खास क्रैफ्ट में दी जाती है और हमारे यहां क्रैफ्ट सिखलाया जाता है। क्रैफ्ट का एक बाएस है जो हमारी शिक्षा संस्थाओं में होगा, लेकिन वोकेशनल ट्रेनिंग हमारे इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट में एक खास सनद की शिक्षा होती है।

मुरादाबाद जिले में संस्कृत पाठशालाओं को सहायता

*१७---**श्री खयालीराम** (जिला मुरादाबाद) (अनुपस्थित)---क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जिला मुरादाबाद में किन-किन संस्कृत पाठशालाओं को कितनी-कितनी आर्थिक सहायता दी जाती है ?

श्री हरगोविन्द सिंह---सदस्य महोदय की मेज पर एक सूची रख दी गई है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ४९० पर)

*१८--श्री खयाली राम---क्या सरकार जिले में किसी संस्कृत पाठशाला को पूर्ण रूप से अपने प्रबन्ध में लेने जा रही है? यदि हां, तो किस पाठशाला को?

श्री हरगोविन्द सिंह--किसी को नहीं।

*१९-२०--श्री रामेश्वर लाल---[२ मई, १९५६ के लिये प्रश्न ३१-३२ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल, बिजनौर, को बिजली देने की मांग

*२१--श्रीमती चन्द्रवती (जिला बिजनौर)---क्या शिक्षा मंत्री बतायेंगे कि जिला बिजनौर के सरकारी गर्ल्स स्कूल में अब तक बिजली की व्यवस्था क्यों नहीं की गई?

श्री हरगोविन्द सिंह---धनाभाव के कारण।

*२२---श्रीमती चन्द्रवती---क्या मन्त्री जी बिजली की व्यवस्था उक्त संस्था में शीघ्र ही हो सके इसकी कोई अनुज्ञा प्रदान करने की कृपा करेंगे?

श्री हरगोविन्द सिंह---जी हां, दूसरी पंचवर्षीय योजना में विचार किया जायगा।

श्रीमती चन्द्रवती---क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि उक्त संस्था की तरफ से हैडमिस्ट्रेस ने इस सम्बन्ध में लिखा पढ़ी की थी?

श्री हरगोविन्द सिंह---उत्तर दे दिया गया कि धनाभाव के कारण यह सम्भव नहीं हो सका।

श्रीमती चन्द्रवती---मैंने लिखा पढ़ी के बारे में पूछा था, धनाभाव की बात जो जान ली। यह जो दूसरी पंच-वर्षीय योजना में विचार करने की बात है उस लिखा-पढ़ी की बात है या इस प्रश्न पर बाद में विचार किया जायगा?

श्री हरगोविन्द सिंह---यह सूचना तो मेरे पास नहीं है कि किस रोज उनका पत्र आया था, लेकिन उस पर विचार हुआ, तो किसी आधार पर ही हुआ होगा।

श्रीमती चन्द्रवती---क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि इसको द्वितीय पंचवर्षीय योजना में पूरा करने में कितना समय लगेगा। प्रथम चरण में पूरा हो जायगा या दूसरे चरण में?

श्री हरगोविन्द सिंह---इस प्रकार का उत्तर दिया गया कि विचार किया जायगा। अगर यह निश्चय होता तो बता देता कि प्रथम वर्ष में होगा या द्वितीय वर्ष में। उत्तर यह है कि विचार किया जायगा, इसलिए यह निश्चय रूप से नहीं कहा जा सकता।

गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल, बिजनौर, में इण्टरमीडियेट श्रेणियां खोलने की मांग

*२३---श्रीमती चन्द्रवती---क्या शिक्षा मंत्री यह सूचित करेंगे कि अगामी पंचवर्षीय योजना में जिला बिजनौर में सरकारी गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल में इन्टरमीडियेट श्रेणियां खोलने की व्यवस्था की गई है या नहीं? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री हरगोविन्द सिंह---मामला विचाराधीन है।

श्रीमती चन्द्रवती---क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि बिजनौर के कितने डेपुटेशन इस विषय में मिले हैं और जबकि बहुत दिनों से यह प्रश्न चल रहा है और अब भी यह विचाराधीन होने की बात कही गयी है, इसका क्या कारण है?

श्री हरगोविन्द सिंह--इसके लिए प्रान्त में शायद ही कोई जिला ऐसा हो जो उत्सुक न हो, इसलिए सभी प्रार्थनापत्र भी भेज रहे हैं और उस सम्बन्ध में मिल भी रहे हैं और कितने स्कूल पंच वर्षीय योजना के अन्तर्गत खोले जायेंगे यह तो आपको मालूम होगा।

श्रीमती चन्द्रवती--क्या माननीय मंत्री जी यह बतलायेंगे कि जैसा उन्होंने अपनी बजट स्पीच के वक्त आश्वासन दिया था इसकी व्यवस्था जुलाई से हो जायगी ?

श्री हरगोविन्द सिंह--मैं प्रयत्न तो कर रहा हूं कि अगली जुलाई से खुले लेकिन सबसे बड़ी कठिनाई जगह और भवन की है।

श्री गेंदासिंह--क्या माननीय शिक्षा मंत्री जी इस पर विचार करेंगे कि पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों के जहां स्कूल खोले जायं उनमें कुछ शर्तों को ढीला कर दिया जाय ?

श्री हरगोविन्द सिंह--वह शर्तें तो कुछ ऐसी नहीं हैं जिनको ढीला करने का प्रश्न हो। भवन की शर्त तो सबके लिये है चाहे वह गर्ल्स एजूकेशन हो चाहे ब्वायज एजूकेशन हो।

श्रीमती चन्द्रवती--क्या माननीय मंत्री जी को ज्ञात है कि जब मैंने उनसे व्यक्तिगत तौर से बातें की थीं तो भवन और जगह की समस्या के लिये कहा था कि हमें परेशानी नहीं है, हम तो केवल स्टाफ चाहते हैं ?

श्री अध्यक्ष--यह तो आप सूचना दे रही हैं, यह प्रश्न नहीं है।

कन्सीलियेशन बोर्ड, गोरखपुर, द्वारा लेबर कमिश्नर, कानपुर, को भेजे गये विवाद

*२४--**श्री धनुषधारी पांडेय** (जिल बस्ती) (अनुपस्थित)--क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कन्सीलियेशन बोर्ड, गोरखपुर, से कितने केसेज किन-किन मिलों के सन् १९५५ के लेबर कमिश्नर, कानपुर, के पास निर्णय के लिये भेजे गये और उनमें से कितने मुकदमें लेबर कमिश्नर नें ऐडजुडीकेशन के लिये लौटाये ?

आचार्य जुगल किशोर--सन् १९५५ में कन्सीलियेशन बोर्ड, गोरखपुर, ने ४६ मिलों के १६९ विवाद श्रमायुक्त के पास भेजे, जिनमें से ६३ विवाद पंच निर्णय के लिये भेजे गये। मिलों के नाम तथा विवादों की संख्या संलग्न तालिका में दी गई है।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ४९१-४९२ पर)

नेशनल इण्टर कालेज, मौदहा के कृषि विद्यार्थियों का परीक्षाफल रोकना

*२५--**श्री तेजप्रताप सिंह** (जिला हमीरपुर) (अनुपस्थित)--क्या सरकार बतलायेगी कि सन् १९५५ में १२ वीं ऐग्रीकल्चर कक्षा के इम्तिहान में बैठने वाले नेशनल इन्टर कालेज, मौदहा के १४ विद्यार्थियों का परीक्षाफल बोर्ड द्वारा क्यों रोका गया ?

श्री हरगोविन्द सिंह--इन्टरमीडियेट परीक्षा के भौतिक विज्ञान (कृषि) के संबंधित परीक्षक को संदेह था कि नेशनल इंटरमीडियेट कालेज, मौदहा के कृषि के १४ विद्यार्थियों ने उक्त प्रश्नपत्र पर उत्तर देने में अनुचित साधन का प्रयोग किया है। अतः परीक्षा समिति के अन्तिम निर्णय प्राप्त होने तक इन विद्यार्थियों का परीक्षाफल उक्त समिति के निर्णयानुसार रोका गया।

उन्नाव जिले में जूनियर स्कूलों को हायर सेकेण्डरी स्कूलों की मान्यता

*२६--**श्री देवदत्त मिश्र**--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि १९५५-५६ में उन्नाव जिले में कितने जूनियर स्कूलों को हायर सेकेन्डरी स्कूल की स्थायी और अस्थायी मान्यता दी गयी और इस प्रकार मान्यता प्राप्त स्कूलों के क्या नाम हैं ?

श्री हरगोविन्द सिंह--१९५५-५६ में उन्नाव जिले के किसी भी जूनियर हाई स्कूल को हायर सेकेन्डरी स्कूल के रूप में स्थायी और अस्थायी मान्यता नहीं दी गई। प्रश्न के दूसरे भाग का प्रश्न नहीं उठता।

श्री देवदत्त मिश्र--क्या माननीय मन्त्री जी को पाटन के महात्मा गांधी जूनियर हाई स्कूल की तरफ से मान्यता के लिये कोई प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुआ है ?

श्री हरगोविन्द सिंह--मान्यता के लिये मेरे पास कोई पत्र नहीं आता, वह इंटरमीडियेट बोर्ड के दफ्तर में जाता होगा।

*२७-२८--**श्री रामसुन्दर राम**--[१८ मई, १९५६ के लिये स्थगित किये गये।]

जौनपुर जिले की मछलीशहर तहसील में राजकीय पाठशालाओं को भवन निर्माणार्थ सहायता

*२९--**श्री नागेश्वर द्विवेदी** (जिला जौनपुर)--क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि जौनपुर जिले की मछली शहर तहसील की किस-किस राजकीय पाठशाला को भवन बनवाने हेतु † दो हजार का अनुदान १ मार्च, १९५६ तक दिया जा चुका है ?

श्री हरगोविन्द सिंह--२ निम्नांकित पाठशालाएं--

(१) राजकीय प्राइमरी पाठशाला, इटहा।
(२) राजकीय प्राइमरी पाठशाला, ढेमा।

*३०--**श्री नागेश्वर द्विवेदी**--उपर्युक्त क्षेत्र की किन-किन पाठशालाओं को भवन बनवाने के हेतु अब तक कुछ भी नहीं दिया गया है ?

श्री हरगोविन्द सिंह--सूची संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ ४९३ पर)

*३१--**श्री नागेश्वर द्विवेदी**--कितनी राजकीय पाठशालायें उस क्षेत्र में ऐसी हैं जिनकी बनती हुई इमारतें राजकीय सहायता के अभाव में गिर गई अथवा गिर रही हैं ?

श्री हरगोविन्द सिंह--क्रमशः ११ व ५।

श्री नागेश्वर द्विवेदी--क्या माननीय मन्त्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि संलग्न सूची वाली पाठशालाओं में अथवा अन्य किसी पाठशाला में किसी प्रकार का भवन बनवाने के हेतु सहायता दी गयी ?

श्री हरगोविन्द सिंह--यह प्रश्न तो आपका प्रश्न तीस से सम्बन्धित है। जो सूची आपको दी गयी है उसमें जिनको दिया गया है वह तो दर्ज है ही।

श्री अध्यक्ष--प्रश्न तीस में तो जिनको अभी सहायता नहीं दी गयी उनके बारे में प्रश्न है। आप चाहते हैं कि किसको दी गयी। श्री नागेश्वर द्विवेदी, आप क्या चाहते हैं ?

श्री नागेश्वर द्विवेदी--मेरा प्रश्न कुछ गलत छप गया है। मैं चाहता था कि एक हजार तक सहायता किसको दी गयी। उत्तर देते हुये जो स्कूल बतलाये गये हैं उनसे मुझे भ्रम है कि शायद जिनको दो हजार तक की सहायता दी गई है उनका जिक्र है। मैं यह जानना चाहता हूं कि २ हजार से कम किसी को सहायता दी गयी है या नहीं ?

---

† कार्यसूची में 'दो हजार' गलत छप गया था। शुद्ध 'एक हजार' है।

श्री अध्यक्ष--अब यह गलतफहमी तो हो ही चुकी है । जो प्रश्न सामने है उसी का उत्तर दिया गया । मैं समझता हूं कि आपके लिखने में ऐसा होगा कि अंक एक और दो पढ़े जा सकते होंगे । इस लिये वैसा छप गया है । अब आप यदि कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो यह मान कर के पूंछिए कि जो छपा है वह सही है ।

श्री नागेश्वर द्विवेदी---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि दान कोतांव, करनौली, न्योरहा, अरुआ, प्यारेपुर, ठेगहा, और बगौझर, सीढ़ भटौली की जो पाठशालायें हैं वे राजकीय हैं या डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की हैं ?

श्री हरगोविन्द सिंह---इस समय राजकीय पाठशालायें कोई नहीं है । जितनी थीं वे सब डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को दे दी गयीं । लेकिन मैं स्पष्ट कर दूं कि दो पाठशालायें, जिनका नाम मैं पहले बता चुका हूं, उनको एक-एक हजार रुपये दिये गये हैं और कई पाठशालायें ऐसी हैं जिनको एक हजार या एक हजार से कम अनुदान दिया गया है ।

श्री अध्यक्ष--२९ वें प्रश्न में था कि दो हजार का अनुदान दिया जा चुका है । तो सही उत्तर जो आपने दिया कि एक-एक हजार दिया वह मैं समझता हूं कि सुधार कर मेरे पास आ जाना चाहिये जिसमें वह कार्यवाही में रहे ।

श्री हरगोविन्द सिंह---श्रीमन्, एक-एक हजार वाला प्रश्न पूछा गया था । तो मैंने बताया कि दो स्कूल ऐसे हैं, इटहा और हेसा, जिनको एक-एक हजार रुपया दिया गया है और बाकी को एक हजार से कम दिया गया है ।

श्री अध्यक्ष---यह मुझे अभी सूचना मिली है कि एक-एक हजार का आपके सामने प्रश्न गया था । यह दो हजार की गलती छपाई में हो गयी है । लिहाजा एक-एक हजार की दुरुस्ती हमारे दफ्तर में कर ली जायगी । माननीय नागेश्वर द्विवेदी, अब आप एक-एक हजार का प्रश्न मान कर प्रश्न पूंछ सकते हैं ।

श्री नागेश्वर द्विवेदी--क्या माननीय मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि संलग्न सूची की पाठशालाओं में से किसी पाठशाला को भवन बनवाने के हेतु एक हजार से भी कम सहायता दी गयी ? यदि हां, तो वे कौन-कौन सी पाठशालायें हैं ?

श्री हरगोविन्द सिंह--जो सूची आपसे पास है इनको तो १-३-५६ तक कोई अनुदान भवन निर्माण के हेतु नहीं मिला है । लेकिन इतनी पाठशालायें हैं जिनको १ हजार से कम का अनुदान मिला है । अगर आपकी आज्ञा हो तो पढ़ दूं ?

श्री अध्यक्ष--पढ़ दीजिये ।

श्री हरगोविन्द सिंह--अमारा ८००), अरुआ ६००), ब्राह्मनपुर ७२८), बट्टनहित ३००), चौंकी कलां ८००), दान सकरा ९००), जमुहर १५०), कोतांव ७००), कसेरवा ५००), बामी ५००), करनौली २१०), न्योरहा १७८), प्यारेपुर ९००), रामगढ़ (कन्या) ९००), नरार ६००), भटहर (कन्या) ७००), भट्टौली ९५०), मयन्दीपुर ९००), सराय दुर्गादास ८००) और जमालपुर (घिसुआ) २००)।

श्री जगन्नाथ मल्ल---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह जो रकम बांटी गयी वह किस आधार पर बांटी गयी ?

श्री हरगोविन्द सिंह---पहले यह था कि अगर प्राइमरी स्कूल गांव वाले बनायेंगे तो उनको एक हजार रुपया सरकार की ओर से दिया जायगा । उसी स्कीम के अन्तर्गत यह रुपया बांटा गया ।

श्री नागेश्वर द्विवेदी--जैसा सरकार ने वादा किया था कि भवन बनवाने पर एक हजार रुपये की सरकार सहायता देगी तो जो सहायता देने में उसमें कमी की गयी इसका क्या कारण है ?

श्री हरगोविन्द सिंह--इस लिये कि उसमें आशा यह की जाती थी कि एक हजार सरकार देगी और बकिया वहां की जनता देगी। तो उसी अनुपात में उनको सहायता दी गयी जितना कि जनता ने अपना लगाया ।

श्री गंगाधर मैटाणी--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जहां भवन बन चुके हैं उनको एक-एक हजार रुपया प्रान्त की पाठशालाओं को दे दिया गया है ?

श्री हरगोविन्द सिंह--अभी तक नहीं दिया जा सका है ।

स्वस्थ भिखारियों को काम में लगाने का सुझाव

*३२--**श्री रामदुलारे मिश्र**--क्या श्रम मंत्री जी कृपया बतायेंगे कि विभिन्न शहरों, कस्बों, गांवों और भजरों में सार्वजनिक स्थानों में गीत गा कर, हस्तरेखा देख कर अथवा घाव बना कर, घाव दिखा कर, भीख मांगने के अन्य तरीकों पर प्रतिबन्ध लगाने पर वे विचार कर रहे हैं ?

आचार्य जुगल किशोर--जी हां, भीख मांगने पर प्रतिबन्ध लगाने पर विचार हो रहा है ?

*३३--**श्री रामदुलारे मिश्र**--क्या यह सही है कि बहुत से वेषधारी साधू और अन्य व्यक्ति जो शारीरिक परिश्रम कर सकते हैं, जो बिना कोई काम किये केवल भीख मांगते हैं, उन्हें किसी काम में लगाने की योजना पर सरकार विचार कर रही है ?

आचार्य जुगल किशोर--सरकार अभी तो केवल अपाहिज भिखारियों को काम में लगाने की योजना पर विचार कर रही है ।

श्री रामदुलारे मिश्र--क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि कथित विचार दिसम्बर सन् १९५६ तक कार्य रूप में परिणित हो सकेगा या नहीं ?

आचार्य जुगल किशोर--यह मैं निश्चित रूप से नहीं कह सकता हूं ।

श्री रामदुलारे मिश्र--क्या मंत्री जी प्रदेश की निरतंर बढ़ने वाली बेकारी को ध्यान में रख कर शारीरिक श्रम करने वाले भिखारियों को इस पेशे से हटाने का विचार रखते हैं ?

आचार्य जुगल किशोर--समस्या ऐसी है लेकिन इसको हल करने के लिये जैसा कि उत्तर दिया गया है कुछ कानून बनाने का विचार किया जा रहा है या म्युनिसिपल ऐक्ट में संशोधन करके उसको अधिकार दिये जाने पर भी विचार किया जा रहा है ।

श्री पद्मनाथ सिंह (जिला आजमगढ़)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि साधुओं और भिखमंगों की संख्या को निर्धारित करने के लिये कोई सर्वे हुआ है ?

आचार्य जुगल किशोर--कोई इस तरह का सर्वे व्यापक रूप से नहीं हुआ है ।

श्री गेंदा सिंह--क्या सरकार कोई ऐसा वक्त मुकर्रर करेगी कि जिसके बाद भीख मांगना सूबे में संभव न हो ?

आचार्य जुगल किशोर--गवर्नमेंट के लिये यह करना मुश्किल है कि इसके बाद भीख मांगना अनुचित या अनियमित हो जायगा ।

बुलन्दशहर जिले की स्त्री-शिक्षा संस्थाओं को सहायता

*३४--श्री रामचन्द्र विकल--क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि बुलन्दशहर जिले में लड़कियों के प्राइमरी जूनियर व हायर सेकेन्डरी स्कूल कहां हैं और सरकार इनमें से प्रत्येक को क्या-क्या सरकारी सहायता देती है ?

श्री हरगोविन्द सिंह--तालिका 'क' तथा 'ख' सदस्य महोदय की मेज पर रख दी गई है।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ ४९४-४९५ पर)

*३५--श्री रामचन्द्र विकल--क्या सरकार यह बतायेगी कि बुलन्दशहर जिले के देहाती क्षेत्रों में लड़कियों की शिक्षा बढ़ोत्तरी के लिये उसकी क्या योजना है ?

श्री हरगोविन्द सिंह--द्वितीय पंच वर्षीय योजनान्तर्गत जिला बुलन्दशहर में ५ बालिकाओं के प्राइमरी स्कूल खोलने की तथा १६० बालक एवं बालिकाओं के मिश्रित प्राइमरी स्कूलों के भवनों के सुधार की योजना है।

श्री रामचन्द्र विकल--क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि कटिनगर कन्या विद्यालय गुलावटी तथा कबाड़ी कन्या विद्यालय सिकन्दराबाद को सरकारी सहायता क्यों नहीं दी जा सकी ?

श्री हरगोविन्द सिंह--इन स्कूलों के नाम मेरे पास नहीं हैं।

श्री रामेश्वर लाल--क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि बुलन्दशहर जिले में देहाती क्षेत्रों में स्त्रियों की शिक्षा का प्रतिशत क्या है ?

श्री हरगोविन्द सिंह--मुझे नहीं मालूम है।

श्री रामेश्वर लाल--क्या मंत्री जी के पास इस तरह की योजना है या बनाने की कृपा करेंगे जिससे हर जिले की स्त्री शिक्षा का प्रतिशत ज्ञात हो सके ?

श्री हरगोविन्द सिंह--वह आंकड़े इकट्ठे किये जाते हैं और किताबों में दर्ज होते हैं लेकिन उन्हीं के आंकड़े इकट्ठा करते हैं जितनी लड़कियां स्कूलों में आती हैं लेकिन जन गणना में कितनी स्त्रियां हैं या उनका शिक्षा का प्रतिशत क्या है यह तो एकत्रित नहीं किया जाता है।

श्री रामचन्द्र विकल--क्या माननीय मंत्री जी बुलन्दशहर जिले की जनसंख्या और गांवों में स्त्रियों की जन संख्या को देखते हुए जो पांच कन्या पाठशालायें खोली जा रही हैं उनकी तादाद बढ़ाने पर विचार करेंगे ?

श्री हरगोविन्द सिंह--यह तो संभव नहीं होगा क्योंकि पंचवर्षीय योजना में जितना निश्चित कर दिया है उसको घटाना या बढ़ाना शायद संभव नहीं हो सकेगा।

श्री श्रीचन्द्र (जिला मुजफ्फरनगर)--क्या माननीय मंत्री जी बुलन्दशहर में कन्याओं के हायर सेकेन्डरी स्कूलों की संख्या बताने की कृपा करेंगे ?

श्री अध्यक्ष--यह स्वतंत्र सवाल है।

शुगर मिल, बुलन्दशहर के मजदूरों को वेतन न मिलने की शिकायत

*३६--श्री रामचन्द्र विकल--क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि शुगरमिल बुलन्दशहर में मजदूरों का वेतन कितने दिनों का शेष है और क्या मजदूरों ने कोई प्रदर्शन व हड़ताल भी मिल के मालिक के खिलाफ की है ?

आचार्य जुगलकिशोर---शुगर मिल बुलन्दशहर में मजदूरों का न तो कोई बेतन शेष है और न मजदूरों ने वेतन के सम्बन्ध में कोई प्रदर्शन अथवा हड़ताल ही की है।

श्री रामचन्द्र विकल---क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि बुलन्दशहर शुगर मिल में बेतन मजदूरों को किस माह तक का मिल चुका है ?

आचार्य जुगलकिशोर---कोई वेतन शेष नहीं है। जिस समय तक प्रश्न हमारे सामने आया था उस समय की यह बात है। आज की बात में नहीं कह सकता।

श्री रामचन्द्र विकल---क्या यह सही है कि मार्च के अन्तिम सप्ताह में एक प्रदर्शन हजारों मजदूरों ने श्री धर्मसिंह जी, सभा सचिव के मकान पर किया और उसमें उनकी मांग वेतन की थी ?

आचार्य जुगलकिशोर---इस की कोई सूचना इस समय मेरे पास नहीं है।

श्री रामचन्द्र विकल---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह जांच उन्होंने किस अधिकारी के द्वारा कराई कि उन्हें यह रिपोर्ट मिली की कोई बेतन वहां शेष नहीं है ?

आचार्य जुगलकिशोर---वहां के लेबर आफिसर जो हैं उनके द्वारा जांच कराई जाती है और उन्हीं के द्वारा जांच कराई होगी।

लखनऊ विश्वविद्यालय के एन्थ्रोपोलोजी विभाग द्वारा शिक्षित लोगों में बढ़ती बेकारी के लिए सर्वे

*३७---**श्री सुरेंद्रदत्त वाजपेयी** (जिला हमीरपुर)---क्या सरकार को ज्ञात है कि लखनऊ विद्यालय के एन्थ्रोपोलोजी विभाग ने पढ़े लिखे नवयुवकों में बढ़ती हुई बेकारी का पता लगाने के लिये एक सर्वे किया था ?

श्री हरगोविन्द सिंह---जी हां।

*३८---**श्री सुरेंद्रदत्त वाजपेयी**---क्या सरकार इस सर्वे में जिन बातों का पता चला है उसकी मुख्य-मुख्य बातें बताने की कृपा करेगी ?

श्री हरगोविन्द सिंह---यह सर्वे प्रारम्भिक प्रकार का है और इसका नमूना विश्वसनीय निष्कर्षों के आधारित करने के लिये पर्याप्त नहीं है। शिक्षित वर्ग की बेकारी के पूरे चित्रण के लिये यह आवश्यक है कि विस्तृत क्षेत्र में अधिक समय तक जांच पड़ताल की जाय।

*३९---**श्री सुरेंद्रदत्त वाजपेयी**---क्या सरकार ने स्वयं भी इस मामले की जांच कराने के लिये कोई ज्ञानोपार्जन मंडल (स्टेडी ग्रुप) नियुक्त किया है ?

श्री हरगोविन्द सिंह---जी हां।

श्री सुरेंद्रदत्त वाजपेयी---क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि इस सर्वे का क्या नतीजा निकला ?

श्री हरगोविन्द सिंह---यह सर्वे तो इतना ही था कि लखनऊ यूनिवर्सिटी के ऐसे कितने छात्र हैं कि जो अनइम्प्लायड हैं। तो उससे निकला कि अनइम्प्लायड हैं।

श्री सुरेंद्रदत्त वाजपेयी---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस स्टेडी ग्रुप के संगठन का क्या आधार है और यह कब कायम किया गया था ?

श्री हरगोविन्द सिंह---यह गवर्नमेंट आफ इंडिया के तत्वावधान में किया जा रहा है और उनके जो आंकड़े एकत्रित होंगे उनको भेज दिये जायेंगे। उनको बता भी दिया गया है कि यह-यह योजनायें इसमें चलाई जा सकती हैं उनको काम देने के लिये और उस के बाद जब गवर्नमेंट आफ इंडिया से कुछ आयेगा तभी बता सकता हूं।

श्री रतनलाल जैन---क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि इस बेकारी को दूर करने के लिये क्या कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ?

श्री हरगोविंद सिंह---यह उत्तर तो मैंने दिया कि इस स्टडी ग्रुप ने यह मांग की थी कि आपके क्या सुझाव हैं। तो उनको ४०, ५० सुझाव भेजे गये थे, उनके सामने रक्खे गये थे कि इस प्रकार से प्रयत्न करने पर कुछ बेकारी दूर हो सकती है।

*४०-४१---**श्री रामसनेही भारतीय** (जिला बांदा)---[१८ मई, १९५६ के लिये स्थगित किये गये।]

केदारनाथ में स्वामी शंकराचार्य की समाधि के जीर्णोद्धार के लिए प्रार्थना

*४२---**श्री गंगाधर मैठाणी**---क्या सरकार को विदित है कि केदारनाथ (गढ़वाल) में स्वामी शंकराचार्य जो की समाधि जीर्ण अवस्था में है ?

आचार्य जुगलकिशोर---जी हां।

*४३---**श्री गंगाधर मैठाणी**---क्या सरकार ने इस समाधि के जीर्णोद्धार के लिये कोई योजना बनाई है ? यदि हां, तो क्या ?

आचार्य जुगल किशोर---सरकार ने इस समाधि के जीर्णोद्धार के लिये अभी तक कोई योजना नहीं बनाई है।

बद्रीनाथ टैम्पिल कमेटी का ध्यान इस ओर आकर्षित किया जा रहा है।

माडर्न इंडस्ट्रीज सहिबाबाद, जिला मेरठ के श्रमिकों को 'प्ले आफ' का वेतन दिलाने की प्रार्थना

*४४---**श्री तेजासिंह** (जिला मेरठ)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि मौडर्न इन्डस्ट्रीज सहिबाबाद (गाजियाबाद) जिला मेरठ ने १९५३-५४ में कितनी बार "प्ले आफ" (Play off) किया तथा श्रमिकों को "प्ले आफ" समय का वेतन किस हिसाब से दिया ? यदि नहीं, तो क्या सरकार उस समय का वेतन श्रमिकों को शीघ्र दिलाने की कृपा करेगी ?

आचार्य जुगल किशोर---२९ बार।

मालिकों ने श्रमिकों को इस समय का कुछ भी वेतन नहीं दिया है। सरकार इस विषय में उचित कार्यवाही कर रही है।

*४५---**श्री कल्याणचन्द मोहिले** (जिला इलाहाबाद)---[४ मई, १९५६ के लिये स्थगित किया गया।]

गीता प्रेस गोरखपुर की मजदूर यूनियन की शिकायतें

*४६---**श्री व्रजभूषण मिश्र** (जिला मिर्जापुर)---क्या गीता प्रेस गोरखपुर की मजदूर यूनियन की ओर से सरकार से शिकायत की गई है कि गीता प्रेस के अधिकारी प्रेस के श्रमिकों तथा कर्मचारियों के वेतन इंक्रीमेंट तथा अन्य अधिकारों तथा सुविधाओं के प्रति अत्यन्त उपेक्षा की नीति बर्तते हैं ?

नोट---तारांकितप्रश्न ३१ के पश्चात् प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

आचार्य जुगल किशोर--जी हां।

*४७--**श्री व्रजभूषण मिश्र**--क्या यूनियन द्वारा की गई मुख्य-मुख्य शिकायतों की तालिका मेज पर रखने की कृपा की जायेगी ?

आचार्य जुगल किशोर--मुख्य-मुख्य शिकायतों की तालिका सदन की मेज पर रख दी गई है।

(देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ ४६६ पर)

*४८--**श्री व्रजभूषण मिश्र**--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उक्त शिकायतों के संबंध में सरकार की ओर से क्या कार्यवाही की गई है या की जाने वाली है ?

आचार्य जुगलकिशोर--इस संबंध में आवश्यक चांज कराई गई और शिकायतें निर्मूल पाई गईं।

झांसी जिले में सहरियों की संख्या

*४९--**श्री गज्जू राम**--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि झांसी जिले में सहरिया आदिवासियों की कितनी जन संख्या है, और किन-किन तहसीलों में कितनी ?

श्री हरगोविन्द सिंह--झांसी जिले में सहरियों की कुल जन-संख्या २८,४४८ है जिसका तहसीलवार विवरण निम्नलिखित है :--

	रु०
तहसील झांसी	३,६१२
,, मोठ	९७४
,, ललितपुर	१५,१५१
,, महरौनी	५,४३९
,, मऊरानीपुर	२,८७१
,, गरौठा	४०१
योग ..	२८,४४८

*५०--**श्री गज्जूराम**--क्या यह सच है कि सहरिया आदिवासी जाति अब भी जंगलों में भीलों की तरह रहती है और उसके पास कोई घर मकान नहीं हैं ?

श्री हरगोविन्द सिंह--सहरियों के कुछ कुटुम्बों को छोड़कर जो अब भी जंगलों में भीलों का तरह रहते हैं अन्य सहरिया गांवों में झोपड़े डाल कर रहते हैं व खेती करते हैं।

*५१--**श्री गज्जूराम**--क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि उक्त जाति को बसाने के लिये वह कितनी सहायता दे चुकी है और कितनी सहायता देने जा रही है और उनको किन-किन तहसीलों के कितने-कितने गांवों में बसा रही है ?

श्री हरगोविन्द सिंह--सहरिया जाति के लोगों को बसाने के लिये सरकार ने अब तक कुल ९०,००० रु० दिया है। आगे सहायता देने का प्रश्न भी सरकार के विचाराधीन है। इनको मोठ तहसील के बमरौली और जौरा ग्रामों में बसाया जा रहा है। इसके अतिरिक्त किशन नगर (खितबंस) शरणार्थी कालोनी तहसील ललितपुर में भी इनको बसाने की योजना विचाराधीन है।

असरकारी दिन में सरकारी कार्य करने के कारण दिये जाने वाले असरकारी दिनों के विषय में पूछ-ताछ

श्री रणंजय सिंह (जिला सुल्तानपुर)--श्रीमन्, मैं यह जानना चाहता था कि बजट सेशन में जो गैरसरकारी दिन सरकारी दिन कर दिये गये थे उनके लिये आगे गैरसरकारी दिन देने के लिये कहा गया था तो कब वह गैरसरकारी दिन दिये जायेंगे ?

कृषि मंत्री (श्री हुकुम सिंह)--वह दिन जो गैरसरकारी थे और जिनको सरकारी काम में सर्फ किया गया उनको एवज में दिन देना निश्चित है वह कब दिये जायेंगे इसका ठीक जवाब कल दिया जा सकता है।

श्री जोरावर वर्मा (जिला हमीरपुर)--कल तो शनिवार है।

श्री अध्यक्ष--अगले कार्यवाही के दिन से उनका मतलब है।

असरकारी सदस्यों के विधेयकों की प्राथमिकता के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण

श्री जयपाल सिंह (जिला सहारनपुर)--मैं एक प्वाइन्ट आफ आर्डर उठाना चाहता हूं। वह यह है कि हमारे जो असेम्बली के रूल्स हैं उसकी धारा ९२ (२) (इ) के मातहत जो बिल है यहां पर उनको प्रायोरिटी मिलनी चाहिये। उसमें यह स्पष्ट है कि "Bills which have been circulated for the purpose of eliciting opinions ;" इसके पहले जो प्रायोरिटी के बिल आये हैं तो उन बिलों का यहां पर प्रायोरिटी मिलनी चाहिये।

दूसरी बात यह है कि .....

श्री अध्यक्ष--आप जरा नियम २० का जो प्रोविजो है उसको पढ़ने की कृपा करें। उसमें यह लिखा हुआ है कि "provided that any business which is under discussion at the end of that day shall be set down for the next day alloted to business of that class, and shall have precedence over all other business set down for that day."

तो चूंकि यह प्रस्ताव उस दिन चालू हो गया था। तो उनके बाद ही विधेयक रख दिया गया है। चालू प्रस्ताव के बाद उक्त बिल आवेगा।

श्री जयपाल सिंह--"that class" शब्द इस्तेमाल किया गया है तो वह उसी क्लास के लिए है बिल को जो प्रायोरिटी की गयी है वह पिछली दफा यहां पर डिस्कस नहीं हुआ है। तो इस समय बिल को प्रायोरिटी मिलनी चाहिये।

श्री अध्यक्ष--इसमें उसको साफ कर दिया गया है कि उस दिन का जो बिजनेस शेष रहेगा तो अगले दिन उसी बिजनेस को अन्य कार्यों के ऊपर प्रिसिडेंस मिलेगा।

प्रत्येक जिले में एक डिग्री कालेज तथा प्रत्येक तहसील में एक हायर सेकेंडरी स्कूल खोलने के सम्बन्ध में संकल्प

(क्रमागत)*

श्री रणंजय सिंह (जिला सुल्तानपुर)--श्रीमन् जी, मैं उस दिन निवेदन कर चुका हूं कि हमारी प्रदेश में शिक्षा के संबंध में जहां इतना प्रयत्न किया जा रहा है उसमें इस बात की बहुत आवश्यकता है कि विद्यार्थियों की संख्या जो बहुत बढ़ रही है उससे जो अनेक कठिनाइयां हो रही हैं उनको दृष्टि में रखते हुये प्रत्येक जिले में कम से कम एक डिगरी कालेज हो और प्रत्येक तहसील में कम से कम एक हायर सेकेंड्री स्कूल खोल दिया जाय। इसके अलावा मैंने उस दिन प्रार्थना की थी कि बहुत से सज्जनों का ऐसा विचार हो रहा है कि देश में बेकारी बहुत बढ़ रही है। दूसरी बात यह देखने की है कि शिक्षा प्रणाली में क्या सुधार किया

---

* १३ जनवरी, १९५६ की कार्यवाही से।

जा सकता है लेकिन जब शिक्षा प्रणाली जारी है और उसका सब कार्य किया जा रहा है और बेकारी केवल शिक्षा के कारण ही नहीं है अपितु अशिक्षा के कारण भी है, अशिक्षित लोग भी बेकार हैं, और श्रीमन् जी यदि जो आज्ञा दें तो मेरा चौथे नम्बर पर संशोधन है उसे भी मैं उपस्थित कर दूं।

श्री अध्यक्ष--आप तो अपना प्रस्ताव या संकल्प उपस्थित कर चुके हैं और आपका भाषण जारी है। आप किसी दूसरे से नया संशोधन रखवा दें तो मैं उसे ले लूंगा।

श्री रणंजय सिंह--बहुत अच्छा, तो सरकार को अगर मेरे संकल्प को कार्यान्वित करने में कोई कठिनाई हो तो वह २,३ जिलों के मध्य में एक एक डिग्री कालेज खोलदे चूंकि आर्थिक अवस्था का प्रश्न इसमें बाधक हो सकता है कि हर जिले में एक डिग्री कालेज खोला जाय। इसकी आवश्यकता सभी लोग अनुभव करते हैं। परीक्षा के बाद विद्यार्थी इधर-उधर मारे-मारे फिरेंगे और उन्हें स्थान की कठिनाई पड़ेगी। जहां हमारे प्रदेश में दो विश्व-विद्यालय बढ़ाये जा रहे हैं तो डिग्री कालज खोलने में अधिक कठिनाई नहीं होनी चाहिये। शिक्षा में सुधार करने से लोग अच्छे मार्ग पर चल सकते हैं। एक बार, वर्षों की बात है, माननीय शिक्षा मंत्री ने कहा था कि बहुत से जमींदार हैं जिनकी इमारतें बेकार पड़ी हैं और यदि उन्हें शिक्षा के काम में लगा दें तो बड़ा लाभ होगा। मैंने अपने यहां कई इमारतें सार्वजनिक कार्य में लगा दी हैं और डिग्री कालेज के लिये भी मैंने जिले के इन्सपेक्टर साहब से बात की है और उन्होंने स्वीकार किया है कि हमारे यहां डिग्री कालेज के लिये उपयुक्त स्थान है और उसके लिये भूमि भी देने के लिये तैयार हूं। नकद रुपये के लिये भी मैंने मान लिया है तो कोई कठिनाई नहीं होना चाहिये। इसी प्रकार अन्यत्र भी यदि कोई अच्छी इमारत मिल सकती है तो उनका पता लगा लिया जाय तो कठिनाई में बहुत कुछ कमी हो जायगी और डिग्री कालेज का खोलना सुगम हो जायगा।

पंचवर्षीय योजना में बहुत सी सुधार की बातें हैं। धीरे-धीरे आगे चल कर सर्वत्र सुधार की बातें की जा रही हैं तो शिक्षा के लिये भी मैं समझता हूं कि सरकार को कोई संकोच नहीं होना चाहिये और जहां तक संभव हो शिक्षा के प्रसार के लिये भटकते हुये विद्यार्थियों को कार्य से लगाने के लिये मार्ग खोलने चाहिये जिससे वे हायर सेकेंड्री स्कूल से निकल कर इधर-उधर न भटकें और अधिक पढ़कर ज्ञान की वृद्धि करें और उसके द्वारा वे देश और जाति की सेवा कर सकें। हर जिले में डिग्री कालेज खोलने से विद्यार्थियों को सुगमता होगी और वे स्थान पा जावेंगे और अपने जिले में ही उन्हें कई वर्ष व्यतीत करने का साधन प्राप्त हो जायगा और फिर उनके लिये सरकार कोई न कोई उपाय खोजेगी कि वे बेकार न रहें। इस प्रकार से कालेजों की आवश्यकता पर प्रकाश डालते हुये मैं सरकार से यह प्रार्थना करूंगा कि शिक्षा के प्रसार में और शिक्षा के सुधार में सरकार को सबसे अधिक ध्यान देना चाहिये। आजकल यदि कोई बुराई आती है तो इसलिये आती है कि लोगों के विचार परिपक्व नहीं हैं। यह अधूरी शिक्षा के कारण होता है और अगर किसी ने पूरी शिक्षा प्राप्त कर ली है तो उसके विचार परिपक्व हो सकते है। जहां हमारे प्रदेश में विश्व-विद्यालयों की संख्या ६ से बढ़ाकर ८ की जा रही है, जहां प्रारम्भिक स्कूलों की संख्या बढ़ाई जा रही है, वहां सरकार को इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिये कि डिग्री कालेज भी बढ़ाये जावें। जहां ऊंचा स्थान हो और वहां जाने के लिये सीढ़ियां हों, परन्तु ऊपर जाने वालों की संख्या के लिये सीढ़ियाँ कम हो तो सीढ़ियों पर भीड़ हो जायगी और वे टूट सकती हैं या एक दूसरे से भिड़ कर लोग आगे नहीं बढ़ पायेंगे। हमारे प्रांत में जहां ६६ डिग्री कालेज हैं और ५१ जिले हैं वहां कम से कम इतना तो होना चाहिये कि हर जिले में एक डिग्री कालेज अवश्य हो। वहां कितने ही विद्यार्थियों और अध्यापकों को बड़ा अच्छा अवसर मिल जायगा। इस प्रकार से शिक्षा के प्रसार से बहुत सी समस्यायें हल हो जावेंगी। कम से कम २,३ वर्ष और छात्रावस्था में रहकर विद्यार्थी अपना बौद्धिक और शारीरिक विकास कर सकेंगे और वे सोने में सुगन्ध

[श्री रणंजय सिंह]

हो सकेंगे। वे सदाचारी बनेंगे, उनका ज्ञान विकसित होगा और इससे मैं समझता हूं कि जनता को और देश को लाभ ही होगा। हमारे विद्यालयों को ब्रह्मचर्य का पालन करने की इच्छा बढ़ेगी और उसके लिए नियम बनाये जा सकते हैं। इसलिए मैं सरकार से प्रार्थना करूंगा कि डिग्री कालेज खोलने के प्रश्न पर गम्भीरतापूर्वक विचार करे। यह समस्या बहुत व्यापक है। मेरा ऐसा विश्वास है कि शिक्षा प्रणाली में सुधार किया जाय और उसका विकास किया जाय। उच्च शिक्षा के लिये और भी बहुत सी बातें है ब्रह्मचर्य के अलावा, जिनके लिये भी नियम बनाये जा सकते हैं। जो लोग अच्छी शिक्षा नहीं पा सके हैं उनके बच्चों के लिये तो अवश्य अच्छी और ऊंची शिक्षा पाने का प्रबन्ध होना चाहिये ताकि अपने उच्च विचारों को लेकर व आगे चलें और हमारे देश और राष्ट्र का कल्याण कर सकें।

इन शब्दों के साथ मैं अपना संकल्प यहां रखता हूं।

श्री रामलखन मिश्र (जिला बस्ती)--आदरणीय अध्यक्ष महोदय, वक्ता महोदय के हृदय में शिक्षा के प्रति जो सच्ची लगन है उसकी मैं प्रशंसा करता हूं। शिक्षा के संबंध में जितना भी कहा जाय वह थोड़ा ही है। प्राचीन भारतवर्ष में, प्राचीन आर्यन कल्चर से आज तक शिक्षा के संबंध में जितना सोच और विचार हुआ है उसके संबंध में लाखों श्लोक हैं। यदि शासन के अर्थ को ही देखा जाय तो उसका अर्थ ही शिक्षा होता है। शासन शब्द शिक्षा के शिक्षण का पर्यायवाची माना जाता है। शासन जो स्थापित होता है वह केवल विद्या मंदिरों की शिक्षा को लेकर ही नहीं होता अपितु शासन का प्रत्येक अंग शिक्षण का कार्य करता है, चाहे वह कोई भी अंग क्यों न हो। समाज सेवा में जो शासन कार्य करता है वह शिक्षा की आधारशिला पर कार्य करता है अतः शिक्षा के संबंध में जो कुछ कहा जाय वह न्यून ही होगा। प्रस्तावक महोदय ने यह प्रस्तावना की है कि प्रत्येक तहसील में उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की स्थापना की जाय और मंडल स्थानों पर अथवा जिला स्थानों पर डिग्री कालेज हो जिसका अनुवाद मैं विश्वविद्यालय के रूप में करता हूं क्योंकि यूनिवर्सिटी का अनुवाद होगा विद्यापीठ। जैसा कि मैं पहले ही इस सदन में निवेदन कर चुका हूं कि शिक्षा का व्यापक अंग शासन से है और अगर इसमें यह पूरक हो जाय तो सरकार के लिये यह एक सुन्दर कार्य होगा। परन्तु इस स्थल पर हमें व्यावहारिक दृष्टि से देखना होगा कि आया यह संभव है या नहीं।

श्री अध्यक्ष--मैं समझता हूं कि आपके भाषण में वही शब्द आने चाहिये जो इस सदन में समझे जाते हैं। विश्वविद्यालय शब्द डिग्री कालेज के लिये उपयोग में नहीं आता। अभी एक गोरखपुर विश्वविद्यालय विधेयक इस सदन में आने वाला है। इससे उस समय बहुत गड़बड़ी हो सकती है।

श्री रामलखन मिश्र--आदरणीय अध्यक्ष महोदय, प्रस्तावक महोदय ने डिग्री कालेज को विश्वविद्यालय करके संबोधित किया था, उसी को बोधगम्य बनाने के लिये मैं ऐसा कर रहा हूं।

श्री रणंजय सिंह--अध्यक्ष महोदय, मैंने कहा था कि विश्वविद्यालय बनने चाहिये। मैंने विश्वविद्यालय शब्द यूनिवर्सिटी के लिये प्रयोग किया था न कि डिग्री कालेज के लिये।

श्री रामसुभग वर्मा (जिला देवरिया)--अध्यक्ष महोदय, सदन में कोरम नहीं है।

(कोरम के लिये घंटी बजायी गयी और गणपूर्ति होने पर कार्य पुनः आरम्भ हुआ।)

श्री रामलखन मिश्र--आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस सदन में यह निवेदन कर रहा था कि प्रस्तावक महोदय ने कहा है कि प्रत्येक जिले में महाविद्यालय और प्रत्येक तहसील में उच्चतर माध्यमिक विद्यालय होने चाहिये। यदि ऐसा हो सके तो कौन ऐसा प्राणी है, कौन ऐसा व्यक्ति है जिसे आनन्द न होगा। परन्तु हमें देखना होगा कि आया यह संभव भी है अथवा नहीं? कहीं सामग्री के अभाव में उपयुक्त वातावरण के अभाव में महाविद्यालयों

में महाविद्या का लोप न हो जाय। हम विचलित नहीं होते और यदि उपयुक्त वातावरण हो तो माध्यमिक स्कूलों के संबंध में हम एक ही विचार कर सकते हैं। हमारी द्वितीय पंचवर्षीय योजना में बहुत विचार कर के सारी बातें रखी गई हैं पर एक बात मुझे और याद आती है और वह संभवतः हमारे प्रस्तावक महोदय को संतुष्ट कर देगी अगर उनको वह बात याद आ जाय कि खंड प्रसार योजना की जो रूपरेखा बनाई गई है उसको विशेषकर तहसीलों के प्रधान स्थानों में रखकर प्रमुखता दी गई है। मैं माननीय प्रस्तावक महोदय का उस ओर विशेषकर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं जिससे उनके मानस मंडल में आ जाय, वह इस समय दूसरी ओर संलग्न हैं पर मैं उनका ध्यान, अध्यक्ष महोदय, आप के द्वारा आकर्षित करना चाहता हूं वह दूसरी ओर संलग्न हैं और मुझे भय है कि मेरे बोलने का उन पर कोई प्रभाव न पड़े। इसलिए मैं पुनः प्रस्तावक महोदय का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं, वह अध्यक्ष महोदय, बहुत ही संलग्न हैं।

श्री अध्यक्ष--माननीय रणंजय सिंह जरा इस तरफ भी मुखातिब हो जायं।

श्री रामलखन मिश्र--मैं अध्यक्ष महोदय के द्वारा माननीय प्रस्तावक महोदय से कहना चाहता हूं कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में तहसीलों के हेडक्वार्टर्स पर ही खंड प्रसार योजना को प्राथमिकता दी गई है और पहले ही खंड प्रसार योजना को तहसीलों में खोलने का विचार किया गया है। इस समय तो वहां वह जूनियर स्कूलों के नाम से ही खोले जायेंगे, लेकिन यदि प्रस्तावक महोदय कुछ आर्थिक सहायता की दृष्टि से प्रयास करें और लोगों को प्रोत्साहित करें तो वह उच्चतर माध्यमिक स्कूल भी सिद्ध हो सकते हैं और इसके अतिरिक्त मेरा विचार है कि कदाचित ही कोई ऐसी तहसील होगी जहां पर वह न होंगे। यदि हम अपने यहां सर्वे करायें तो कदाचित् ही हमारे यहां कोई तहसील होगी जहां वह अब तक स्थापित न हो चुके होंगे लेकिन द्वितीय पंचवर्षीय योजना के नये कार्यक्रम के अनुसार जब कि यहां खंड प्रसार योजना कार्यान्वित होने जा रही है और तहसीलों का टाउनशिप बढ़ाया जा रहा है और जब कि हाकिम परगना तहसीलों में रहेंगे और वहां विस्तार होने जा रहा है तो वहां पर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय भी जनता की सहायता से आसानी से खोले जा सकते हैं यदि कहीं नहीं है, क्योंकि जूनियर स्कूलों की स्थापना तो खंड प्रसार योजना के अन्तर्गत हो ही जायगी और प्रस्तावक महोदय को यह जानकर हर्ष होगा कि उनके प्रस्ताव का अधिक भाग तो उसके अन्तर्गत ही सिद्ध हो जायगा।

अब रही डिग्री कालेज की बात। जैसा कि मैंने पहले निवेदन किया कि डिग्री कालेज की योजना को सफल बनाने के लिये पहले हमें अपने यहां एक वातावरण बनाना होगा। "डिग्री" एक आकर्षक शब्द है और उसमें अंग्रेजी शासन काल की एक छाया है, वह डिग्री कालेज बी० ए० तक के हैं मानो वह सारे अनर्थ के बीए हैं। परन्तु वह चीज अब लागू नहीं होती है। हमारे यहां इन कालेजों में किस प्रकार का शिक्षण होता है, कौन-कौन सी शाखायें हैं, हम किस प्रकार की शिक्षा दें और क्या विषय पढ़ाकर हम अपने स्नातकों को वहां तैयार करें और उपाधि दें यह विचारणीय है टेक्निकल साइड में हमें क्या शिक्षा देनी है, वहां ऐसा न हो कि केवल आर्ट्स की शिक्षा देकर इतने क्लर्क निकालने का सामान पैदा कर दें जिस से देश में और बेचैनी पैदा हो जाय। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, समय अब बदला हुआ है, इस समय सफलता के अर्थ ही दूसरे हैं और जहां अभाव है उन्हीं की पूर्ति के अर्थ लगाये जा रहे हैं। शिक्षा का वह अर्थ जिस अर्थ में प्रस्तावक महोदय यह प्रस्ताव लाये हैं संभवतः वह पूर्ण न होगा जब तक उपयुक्त वातावरण न हो। डिग्री कालेज किस प्रकार की व्यवस्था किस अर्थ में कर रहे हैं, देश के आज के वातावरण में किस प्रकार की शिक्षा दी जाय जिससे लोग काम में लग सकें और जीविकोपार्जन कर सकें। डिग्री कालेज के लिये प्रत्येक जिले में शिक्षण देने के लिए जो व्यय की आवश्यकता है मैं ऐसा मानता हूं कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना के साथ हम उसे पूर्ण नहीं कर सकते क्योंकि इस समय तो

[श्री रामलखन मिश्र]

पहले पेट का प्रश्न है । इस समय पहला प्रश्न यह है कि हमारी गरीब जनता के नर कंकाल के उदर में कैसे अन्न पहुंचे । प्रथम पंचवर्षीय योजना मे भी इसी ओर ध्यान दिलाया गया था और द्वितीय पंचवर्षीय योजना में भी इसकी छाया है । सिंचाई की व्यवस्था, उद्योग धंधों को खोलने की व्यवस्था इसका सार जो है उदर पूर्ति ही है ।

तो जैसा निवेदन कर चुका हूं शिक्षा के संबंध में दो मत नहीं हैं । आवश्यकता है और अधिक शिक्षा की किन्तु उसके साथ-साथ व्यय का प्रश्न भी हमारे सामने खड़ा हो जाता है । यह बात इस सदन से छिपी नहीं है । आस्ट्रेलिया से, अमेरिका से और दूसरे देशों से यह प्रतिवाद आ रहे हैं कि भारतीय विद्यालयों के जो ग्रेजुएट्स हैं जो यहां आते हैं वे मार्क्स पर नहीं है वे पीछे हैं । उन देशों की यह सिफारिश हमारी केंद्रीय सरकार के सामने विचाराधीन है और उसी नीति की छाया में हमारी इस प्रदेश की सरकार ने डिग्री कालेजेज को मान्यता देने की जो नीति थी उसमें उसने परिवर्तन कर लिया है और परिवर्तन के स्वरूप वह यह चाहते हैं कि डिग्री कालेज का वातावरण ऐसा हो जाय कि वे डिग्री कालेज होने के लायक हो जायं, जिससे कि कालेज से स्नातक निकल कर दूसरे देशों में जायं तो यहां का, भारत का मान बढ़ायें । इससे संबंधित ऐसे अनेक प्रश्न हैं जिनका संबंध व्यय भार से है । द्वितीय पंचवर्षीय योजना देश में चल रही है। जब कि समाज विचारकों ने देश के प्रत्येक उन्नति के पहलू पर विचार कर लिया है तो उस संबंध में हमें कोई अड़ंगा नहीं लगाना चाहिये । एक शुभ कामना मात्र है और हम उसको कार्यान्वित करना चाहते हैं । प्रत्येक जिले में डिग्री कालेज खोलना इस समय पूर्णरूप से संभव नहीं है, ऐसा मेरा विश्वास है । इस पर थोड़ा ध्यान देने के बाद थोड़ा सा चिन्तन करने के बाद हमारे प्रस्तावक महोदय इसी परिणाम पर पहुंचेंगे कि व्यय की दृष्टि से यह बात असंभव है । यह केवल एक शुभकामना मात्र ही हो सकती है और उसके आगे कोई आशा नहीं है कि प्रत्येक जिले में डिग्री कालेज हो । यदि राजतंत्र शासन में यह भावना फैल रही थी, राजतंत्र शासन में नीतिज्ञों की यह धारणा थी कि किसी सरकार से यदि कुछ काम कराना हो तो सरकार को इतना गरम करना चाहिये एक भट्टी में, उसको इतना जला कर उष्ण करना चाहिये और उसको घन से पीटना चाहिये, मैं अलंकारिक भाषा में कह रहा हूं, कुछ न कुछ गर्मी रहेगी तो संभव है उस समय तक कोई स्वरूप बन जाय । ठंडा होते ही वह उस जगह पर पहुंच जाती है जहां पर पहले से गर्म करना प्रारम्भ किया था। यह बात प्रजातांत्रिक प्रणाली में लागू नहीं हुआ करती । प्रजातांत्रिक प्रणाली में सरकार जनता की सरकार होती है । सारी बातें जनता को मालूम रहती हैं । जनता के परामर्श से ही सारा शासन चलता है । तो सरकार के सामने कोई कठिनाई उपस्थित करना या एक असंभव सी बात कहना यह शोभनीय बात नहीं है, यह अशोभनीय सी बात होती है । मैं अपनी बात नहीं कह रहा हूं । हमारे देश के आदर्श और चिरस्मरणीय बापू जी के शब्द हैं कि जो विचार व्यवहार में न आ सकें वे विकार मात्र हैं । गांधी जी के शब्द हैं कि जो प्रस्ताव व्यवहार रूप में न आ सकें उन्हें हम एक व्यभिचार कह सकते हैं, हम उन्हें विकार कह सकते हैं । वे मस्तिष्क से नहीं आते हैं । उन पर हमको विचार नहीं करना चाहिये ।

आदरणीय अध्यक्ष महोदय, बड़े ही विनम्र शब्दों में मैं प्रस्तावक महोदय से इस्तदुआ करता हूं कि उनकी शुभ कामना की प्रशंसा करते हुये और व्यवहारिकता के दृष्टिकोण से यह कठिनाई देखते हुये मैं इसका विरोध करता हूं और मैं उनसे नम्र निवेदन करना चाहता हूं कि यह जो युग है उसमें व्यवहारिकता का प्रेम, व्यवहारिकता का मापदंड पहले होना चाहिये और उसके पीछे-पीछे चलना चाहिये । ऐसा न हो तो उसे विकार का रूप कहा जाय । मैं इन शब्दों के साथ अपने भाषण को समाप्त करता हूं ।

*श्री रामेश्वर लाल (जिला देवरिया)––मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से श्री रणंजय सिंह जी के प्रस्ताव में यह संशोधन प्रस्तुत करता हूं कि संकल्प की पंक्ति ३ के शब्द "तहसील" और शब्द "में" के बीच में शब्द "के उपेक्षित ग्रामीण क्षेत्रों" रख दिये जायं ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्रीमन्, इस प्रस्ताव को यदि देखा जाय जो माननीय रणंजय सिंह जी ने प्रस्तुत किया है तो इसका साफ मतलब यह है कि माननीय रणंजय सिंह जी यह चाहते हैं कि इस प्रांत, हर जिले में सरकार एक डिग्री कालेज खोल दे और हर तहसील में एक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय हो। यह माननीय रणंजय सिंह जी की मंशा है। इसमें मैं यह जोड़ना चाहता हूं कि डिग्री कालेज तो हर जिले में खुलें किन्तु हायर सेकेंड्री स्कूल जो हैं वह तहसील में उन क्षेत्रों में खुलें जो नेगलेक्टेड हैं। यदि माननीय रणंजय सिंह जी के इस प्रस्ताव को हूबहू ही बिना हमारे संशोधन के मान लिया जाय तो आज के युग में कानून के जानने वाले जैसा कि इंटरप्रिटेशन किया करते हैं बड़ा गलत अर्थ हो जायगा। इसका यह भी अर्थ हो सकता है कि तहसीलों के हेडक्वार्टर पर जहां पर पहले से उच्च माध्यमिक स्कूल हो वहीं पर स्कूल खुल जायं। मैं यह चाहता हूं कि उन क्षेत्रों में खुलें जो नेगलेक्टेड हों। हमारे नेगलेक्टेड का मतलब, श्रीमन्, यह है कि आज हम देखते हैं कि हमारे प्रांत में आवागमन के साधन से दूर वे इलाके जहां सड़कें नहीं हैं, जहां बड़े कस्बे नहीं हैं, और जो अपने जिले के हेडक्वार्टर से दूर पड़ते हैं वह वहां पर शिक्षा की बड़ी कठिनाई है। श्रीमन्, आप किसी जिले को देखें, तो वहां पर डिग्री कालेज यह उच्चतर माध्यमिक विद्यालय या मिडिल विद्यालय जो भी खुलते हैं या जो भी सरकार की शिक्षा संबंधी योजनायें चालू होती हैं वह सब केंद्रीय मुकामों पर होते हैं चाहे वह सबडिवीजनल केंद्र हो या जिले का केंद्रीय मुकाम हो। इसका लाभ शहर में रहने वाले लोगों या उसके आसपास के ग्रामों को ही प्राप्त हो पाता है। किन्तु गांवों में फैले हुये दूर अपने जिलों के हेडक्वर्टर से, रहने वाले लोगों को यह सुविधा प्राप्त नहीं हो सकती। विशेषकर उन लोगों को जो गरीब हैं और गरीबी के कारण शहरों में अपने बच्चों को ठहरा कर और उनकी पढ़ाई का व्यय संवहन करके वहां रख सकें, उनको असुविधा होती है। उसका लाजमी नतीजा होता है कि गरीब लोग अपने बच्चों को जब कि यदि पढ़ाई का सुचारु रूप से प्रबन्ध होता तो वह अच्छे नागरिक इस देश के होते। उन्हीं को अवसर प्राप्त नहीं होता। इसलिये श्रीमन्, मैंने यह संशोधन प्रस्तुत किया है। मैं जानता हूं और इस सदन का हर एक सदस्य हमारे इस विचार से सहमत होगा।

मान्यवर, हम यह जानते हैं कि शिक्षा में बड़ी प्रगति हुई है। १९४७ से लेकर आजतक बजट के अवसर पर भी और कई एक अवसरों पर इसकी बड़ी काफी चर्चा हुई है कि हमारा बहुत विकास हुआ है, विद्यार्थियों की संख्या बढ़ी है, कालेजों की संख्या बढ़ी है और अब युनिवर्सिटी की भी संख्या बढ़ने जा रही है। यह सब कुछ हो रहा है। लेकिन श्रीमन्, जो कुछ यह बढ़ोत्तरी हो रही है कम से कम मैं यह कहने को तैयार नहीं हूं कि सरकार के उद्योगों और सरकार के प्रयत्नों के कारण यह बढ़ोत्तरी है। आज इस प्रांत में ही नहीं सारे देश में शिक्षा की आवश्यकता को लोग महसूस कर रहे हैं और इस देश का हरएक नागरिक यह महसूस करता है कि आज शिक्षा मनुष्य को मनुष्य बनाने के लिये ही नहीं, आज शिक्षा मनुष्य को उसके कर्त्तव्यों का ज्ञान कराने के लिये ही नहीं बल्कि आज तो शिक्षा को लोग अपनी जीवकोपार्जन का एक साधन मानने लगे हैं और श्रीमन्, यह निश्चित है कि आने वाले जमाने में जैसी की सोशलिस्टिक स्टेट की कल्पना हम करते है, एक राष्ट्र की कल्पना हम करते हैं यह निश्चित है कि पढ़े लिखे लोगों की आवश्यकता इस देश को विशेष होगी और जब इस देश में पढ़े लिखे लोगों की आवश्यकता विशेष होगी चाहे वह शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे टेक्नीकल हो, लिट्रेरी हो, वैज्ञानिक हो, जिस तरह की भी शिक्षा क्यों न हो आने वाले जमाने में हमारे देश में शिक्षितों का एक स्तर विशेष होने जा रहा है और होता ही रहा है। तो फिर आज शिक्षा को लोग एक पूंजी मानने लगे हैं। पूंजी की बहुत सी ऐसी परिभाषा अर्थशास्त्रियों ने दी है लेकिन आज अपने लड़कों को लोग पूंजी का रूप देने जा रहे हैं। यह समझते हैं कि आज की कमाई हुई पूंजीसमाजवादी ढांचा विभिन्न प्रयोगों से अगर स्थापित हुआ तो हो सकता हैं कि पूंजी वितरित हो जाय लेकिन एक शिक्षित परिवार, व्यक्ति, उसकी शिक्षा और उस शिक्षण द्वारा एकत्रित पूंजी का वितरण नहीं होगा। तो पूंजी के रूप में आज शिक्षा को भी लोग देखने लगे हैं। इसलिये आवश्यक हो गया है कि लोग अपने बच्चों

[श्री रामेश्वर लाल]

को शिक्षित बनायें और ऐसे प्रयत्न जारी हैं। इस प्रयत्न में दौड़ लगी हुई हैं। सामाजिक कार्यकर्त्ता राजनीतिक कार्यकर्त्ता बहुत से लोग जो पार्टी पालिटिक्स से उठ गये हैं, गांवों में आज शिक्षण संस्थायें खोल कर बच्चों को पढ़ाई की तरफ रुचि दिलाने का ही प्रयत्न कर रहे हैं और उन प्रयत्नों के ही कारण आज शिक्षा संस्थाओं में काफी बढ़ोत्तरी हुई है।

श्रीमन्, उसकी डींग सरकार हांक ले लेकिन मैं कह सकता हूं कि सरकार शिक्षा संस्थाओं के रास्ते में रोड़ा बन कर इस तरह खड़ी होती है कि मैं आपसे क्या कहूं ? ५० प्रतिशत से अधिक ऐसी शिक्षण संस्थायें हैं जिनको मान्यता केवल एक-एक साल की दी जाती है। तुम्हारे पास खेलने को मैदान नहीं है, साइंस का सामान नहीं है, लाइब्रेरी में जितनी आवश्यक पुस्तकें होनी चाहिये वह नहीं हैं, तुम्हारे पास ऐग्रीकल्चर के लिये भूमि नहीं है, तुम्हारे पास साफ सुथरा चिकना मकान नहीं है और या तुम्हारे सभापति कांग्रेस विरोधी महोदय हैं, इसलिये तुम्हारे स्कूल को मान्यता नहीं दी जाती है। एक नहीं मैं पचासों केस रख सकता हूं और मैं तो स्वयं भुक्त भोगी हूं। मेरे द्वारा चलाया हुआ एक हाई स्कूल खुलने के पहले वहां की जनता ने पक्का मकान बना दिया। लेकिन जब, अभी हाई स्कूल तो हाई स्कूल है, मिडिल क्लास की मान्यता के लिये जाता हूं तो एक साल की मिलती है और इसलिये कि मैं सोशलिस्ट हूं और मेरा हाथ है। तो श्रीमन्, यह सरकार रास्ते में रोड़ा बन कर आती है। मैं श्रीमन्, कहना चाहता हूं अभी माननीय रामलखन मिश्र बोल रहे थे, मैंने आज पहले पहल अनुभव किया कि इस सदन में ऐसे भी माननीय सदस्य हैं जो अपनी भाषाविधि का ज्ञान और शब्द आडंबर के हेर फेर में एक अच्छे और उचित प्रस्ताव को ढकेल देना चाहेंगे और चाहेंगे कि पास न हो और लोग हमारी तरफ आकर्षित हो जायं। वे कहते हैं कि यह साफ नहीं है कि माननीय रणंजय सिंह किस तरह की शिक्षा देना चाहते हैं अब हम क्या कहें, आप जानते हैं कि आपकी सरकार किस तरह की शिक्षा देती है.....

श्री अध्यक्ष—आप वैयक्तिक न हों।

श्री रामेश्वर लाल—मैं वापस लेता हूं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं आपसे, आपने सुना होगा। कहते हैं किस तरह की शिक्षा देना चाहते हैं। अरे, कैसी शिक्षा प्रांत में दे रहे हैं। हम तो जिस तरह की शिक्षा चाहते हैं वह एक विशेष तरह की शिक्षा चाहते हैं जिसको उन्होंने सदन में व्यक्त किया है। उनके अनुसार जैसा कि मैंने उनके भाषणों को सुना है, आलीशान बिल्डिग की जरूरत नहीं है शिक्षण संस्थाओं के लिये। वह तो यह समझते हैं और मानते हैं कि हमारे वह अतीतकाल में शिक्षण संस्थायें चलाने वाले महर्षि जो जंगलों में पेड़ों के नीचे बैठकर लोगों में ऐसा मनुजत्व, ऐसी बुद्धि और ऐसा विवेक पैदा करते थे जिसके मुकाबिले में आज के डिग्री कालेजों की शिक्षा कोई स्थान नहीं रखती, वह तो उसके हामी हैं। तो उनकी बात छोड़िये। लेकिन समय समय पर यहां व्यक्त किया गया है कि शिक्षण संस्थायें कैसी हों। उनको आप छोड़िये, आपकी पार्टी जो पावर में है और जो शिक्षा व्यवस्था प्रचारित किये हुये हैं उसी तरह का मंशा आज माननीय रणंजय सिंह का है। उसी तरह की मंशा आज हमारी भी हो सकती है क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे इच्छानुरूप आप कोई कदम उठाने वाले तो हैं नहीं। जैसा आपने सोच लिया वैसा ही आप करेंगे। तो जो आप कर रहे हैं वही आप कीजिये, उसी तरह के डिग्री कालेज खोलिये, उसी तरह के माध्यमिक स्कूल खोलिये, उसी तरह की प्राइमरी पाठशालायें खोलिये, जैसी आप चाहते हैं। तो यह माननीय रामलखन जी का कहना है कि यह निश्चय ही नहीं है कि कैसा विद्यालय हो इसलिये यह मानने के लायक नहीं है, यह उचित नहीं है। तो श्रीमन्, मैं निवेदन करूंगा कि यदि माननीय शिक्षा मंत्री जी का ध्यान और विशेषत: माननीय रामलखन जी का ध्यान मैं आकर्षित कराऊं और माननीय रामलखन जी जिन्होंने इसका विरोध किया है यदि माननीय श्री हाफिज मोहम्मद इब्राहीम का १९५६–५७ का बजट भाषण पढ़ें तो पेज १४ पर दूसरे पैराग्राफ में एक सेंटेंस है कि दूसरी पंचवर्षीय योजना में देहाती रकबे में ५ हजार प्रारम्भिक स्कूल नये खोले जायेंगे और दस हजार स्कूलों की इमारतें ठीक की जायेंगी पांच सौ जूनियर स्कूल नये खुलेंगे और १,११३ स्कूलों में दस्तकारियां सिखाने

का प्रबन्ध होगा। तो यह तो आप खोलने जा रहे हैं। अब माननीय रणंजय सिंह जी अगर चाहते हैं कि खोलें कहां, भय है माननीय रणंजय सिंह जी को और हमको भी भय है कि कहीं ऐसा न हो कि शिक्षा मंत्री जी के गांव में खुल जाय, हमारे गांव में खुल जाय, शहर में जहां तीन-तीन चार-चार पहले से डिग्री कालेज हैं, वहीं खुल जाय या यह भी न हो, सीधी बात इतनी है कि गलतफहमी से या आसानी से निरीक्षण कार्यों की सुचारुता, सफलता या सुगमता के लिये उन क्षेत्रों में ही स्कूल खोल दिये जायं जहां कि मोटर पहुंच सके और इंस्पेक्टर आसानी से पहुंच सकें, या शिक्षा मंत्री जी या पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी महोदय आसानी से कार में बैठकर पहुंच सकें, और एक दिन में काम खत्म कर, घूम-घाम कर मोटर से फिर वापस चले आयें, आज यह मेंटलिटी श्रीमन्, है, हर विभाग में यह मेंटलिटी बन गई है कि साधन नहीं है कैसे निरीक्षण होगा। कैसे सामान पहुंचेगा, इसलिये सड़क पर करो, और सड़क पर करने का मतलब नगरों में करो, कस्बों में करो, तो यह भय है और इस भय को दूर करने के लिये श्रीमन्, मैंने यह अपना संशोधन रखा है कि त्याज्य क्षेत्रों, नेगलेक्टेड क्षेत्रों में यह स्कूल खोले जायं। सरकार की मंशा के बिलकुल मुताबिक माननीय रणंजय सिंह का यह प्रस्ताव है और इस छोटे से संशोधन से हम यह चाहते हैं कि यह स्कूल खुलें तो उन इलाकों में खुलें जो शहरों से दूर हैं, त्याज्य हैं। जो त्याज्य गांव हैं और गांवों का वह हिस्सा है जहां आसानी से मोटर नहीं पहुंचती, मिनिस्टर नहीं पहुंचते या नेता नहीं पहुंचते तो उन जगहों में यह स्कूल खोले जायं। माननीय रामलखन जी मिश्र को श्रीमन्, भ्रम नहीं होना चाहिये।

श्रीमन्, जहां तक इस सूबे का प्रश्न है आज प्रांत में १४०७ हायर सेकेंड्री स्कूल चल रहे हैं। अगर श्रीमन्, देखा जाय तो ५० हजार व्यक्तियों पर एक सेकेंड्री स्कूल पड़ता है और साढ़े सात लाख व्यक्तियों पर एक डिग्री कालेज पड़ता है। अगर सही माने में माननीय मंत्री जी द्वारा प्रकाशित यह पुस्तिका सही है तो उसके अनुसार ९६ डिग्री कालेज इस प्रदेश में हैं। लेकिन हाफिज मुहम्मद इब्राहीम साहब का जो बजट भाषण है उसको देखें तो उसमें ६६ डिग्री कालेज लिखे हुये हैं। यह उनका ५६–५७ का बजट भाषण है। उसमें लिखा हुआ है कि ६६ डिग्री कालेज प्रांत में हैं। तो माननीय शिक्षा मंत्री जी कहते हैं कि ९६ डिग्री कालेज प्रांत में हैं और माननीय हाफिज मुहम्मद इब्राहीम साहब कहते हैं कि ६६ हैं तो मैं नहीं समझता कि वास्तव में कितने हैं। मैंने जगह-जगह जाकर देखा तो है नहीं। लेकिन इन दोनों में अन्तर है। तो श्रीमन्, मैं यह कहूंगा कि प्रांत में साढ़े सात लाख आदमियों के डिग्री कालेज हैं। ५० हजार आदमियों पर एक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय है। आवश्यकता इस बात की है कि इसकी संख्या में बढ़ोत्तरी और वह बढ़ोत्तरी अगर हो तो ग्रामीण क्षेत्रों में, नेगलेक्टेड इलाकों में हो। मैं समझता हूं कि हर एक सदस्य इससे सहमत होगा और मेरे संशोधन के साथ माननीय रणंजयसिंह जी के प्रस्ताव को यह सदन सर्वसम्मति से स्वीकार करेगा।

श्री बलवन्त सिंह (जिला मुजफ्फरनगर)—अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से माननीय रणंजयसिंह जी के संकल्प में मैं यह संशोधन प्रस्तुत करता हूं कि संकल्प की पंक्ति ३ में शब्द "स्कूल" तथा शब्द "अवश्यमेव" के बीच में निम्नलिखित शब्द जोड़ दिये जायं:—

> "तथा प्रत्येक निकट की मिली हुई तीन अदालती पंचायतों के क्षेत्र के बीच में कम से कम एक जूनियर हाई स्कूल तथा प्रत्येक गांव सभा क्षेत्र में एक प्राइमरी स्कूल।"

तथा संकल्प के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय :—

> "इस सदन का यह भी निश्चित मत है कि आगामी पंचवर्षीय योजना की अवधि में स्त्री जाति की उन्नति के लिये स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिये राज्य के प्रत्येक जिले में कम से कम एक हायर सेकेंडरी स्कूल सुसज्जित छात्रावास सहित तथा प्रत्येक तहसील में एक जूनियर हाई स्कूल सुसज्जित छात्रावास सहित अवश्य खोल दिये जायं।"

[श्री बलवन्त सिंह]

मान्यवर, यह आज का युग नियोजन का युग है। अब तक हमारे यहां शिक्षा की उन्नति अवश्य हुई मगर वह ऐसे ढंग से हुई जिसको हम नियोजित उन्नति नहीं कह सकते। उसको हम शिक्षा की एक नियोजित व्यवस्था नहीं कह सकते। मैं यह समझता हूं कि हमारे प्रान्त में ऐसे बहुत से स्थान मिलेंगे जहां पर एक हाई स्कूल की आवश्यकता है तो वहां पर दो नहीं, तीन नहीं बल्कि कई हाई स्कूल्स मौजूद हैं और ऐसे स्थान भी यहां पर मिलेंगे कि जहां पर आवश्यकता से अधिक बहुत से छोटे-छोटे प्राइमरी स्कूल भी हैं और ऐसे भी स्थान इस प्रदेश में मिलेंगे जहां आवश्यकता होने पर भी प्राइमरी स्कूल नहीं, जूनियर हाई स्कूल नहीं, डिग्री कालज नहीं।

श्री अध्यक्ष---माननीय सदस्य श्री जयपाल सिंह, जरा कृपा करके अपना स्थान ग्रहण करें। इस तरह से खड़े होकर बातें करना उचित नहीं है।

श्री बलवन्त सिंह---जो आज यह प्रस्ताव सदन के सम्मुख है उसका मुख्य उद्देश्य यह है कि हम अपने प्रान्त में ऐसी योजना बनायें जिससे हमारे यहां कोई इलाका ऐसा न रह जाय जहां पर ऊंची से ऊंची शिक्षा से लेकर छोटे-छोटे प्राइमरी स्कूल तक पर्याप्त मात्रा में संस्थायें हमारे बच्चों के लिये हो जायं और इसके साथ साथ हमारी यह भी कामना है कि हमारे प्रान्त में लड़कों की ही शिक्षा की उन्नति न हो बल्कि लड़कियों की शिक्षा भी उसके साथ-साथ बढ़ती रहे। मन यह प्रस्ताव इसीलिये रखा है कि यदि लड़कों की ही शिक्षा की उन्नति हुई और लड़कियों की शिक्षा जैसी कि आज तक पिछड़ती जा रही है उसी प्रकार से पिछड़ती गई तो एक बहुत बड़ी परेशानी में हमारी सोशल लाइफ पड़ जायगी। क्योंकि हम इस बात को जानते हैं कि हमारे जो लड़के पढ़ जाते हैं उनकी इस बात की बड़ी इच्छा होती है कि लड़की जो उनको विवाह में मिले वह भी पढ़ी-लिखी हो। शहरों में तो यह दिक्कत नहीं है लेकिन देहातों में आजकल यह दिक्कत अवश्य आती जा रही है कि लड़कियों के लिए स्कूल कम उपलब्ध हैं और जिसके कारण बड़ी परेशानी हो रही है कि लड़कियां अच्छे प्रकार से शिक्षा नहीं प्राप्त कर पा रही हैं। इसलिए मैंने जो यह प्रस्ताव रखा है उसका मुख्य उद्देश्य यह है कि हमारे प्रान्त में शिक्षा संस्थाओं की एक प्लानिंग हो और उनको गवर्नमेंट ऐसे रूप में रखे कि जहां-जहां आवश्यकता हो वहां पर शिक्षा संस्थाएं हों। माननीय रणंजय सिंह ने यह रखा है कि कम से कम जिले में एक डिग्री कालिज हो और हर तहसील में एक हायर सेकेंडरी स्कूल हो। मैं इतना आगे न जाकर कम से कम यह चाहता हूं कि एक या दो या तीन अदालती पंचायतों में एक जूनियर हाई स्कूल हो और हर ग्राम सभा में एक प्राइमरी स्कूल हो। हम इस बात को रात दिन कहते हैं कि हमने सब लोगों को नौकरियों और दूसरे कामों में समान उन्नति करने का मौका दिया, मगर जब कि हम उनके सामने साधन उपलब्ध नहीं करते, और मौका इस बात का नहीं देते कि हर एक बच्चा पढ़ सके और यह तभी हो सकता है जब कि उसके लिए शिक्षा संस्थाएं हों तभी समाजिक उन्नति हो सकती है। मैं इस बात को जानता हूं कि आज कल कुछ ऐसा वातावरण चल रहा है कि जो लोग पढ़े लिखे हैं उनके बच्चे पढ़-लिख जाते हैं और जो बे-पढ़े हैं उनके बच्चे बे-पढ़े रह जाते हैं। यह बात मुख्यतया देहाती क्षेत्रों में देखने को मिलती है जहां पर हमारे लोग काफी बे-पढ़े हैं और उनकी संतानें भी शिक्षा संस्थाओं के अभाव में बेपढ़ी रह जाती हैं। मुझे खेद है कि जिनको यह बात मेरी सुननी चाहिए वह इसमें पूरी तवज्जह नहीं दे रहे हैं और यही कारण है कि हमारे यहां शिक्षा का मामला ऐसा पिछड़ रहा है कि रुपया खर्च होने के बावजूद भी हमारे प्रान्त में शिक्षा की जो अच्छे प्रकार से उन्नति होनी चाहिये वह नहीं हो रही है।

अभी हम यह देखते हैं कि हमारे यहां शहरों में अच्छे-अच्छे स्कूल हैं, कालेज हैं, मांटेशरी स्कूल भी हैं, मगर क्या आप यह समझते हैं कि उन देहात के लोगों के लिये जिनका

अपनी राज्य सरकार पर उतना ही हक है जितना कि किसी शहर के बच्चे का हो सकता है क्या उनके लिये भी पढ़ाई के पर्याप्त साधन मौजूद हैं ? क्या आप कह सकते हैं कि एक देहात का बच्चा भी अगर सरकारी नौकरी में आना चाहे तो उसके लिये बराबर के साधन उपलब्ध हैं कि वह शिक्षा प्राप्त कर के सरकारी नौकरी में जा सके ? मैं तो यह कहूंगा कि आजकल का वातावरण तो कुछ ऐसा होता जाता है कि सरकारी सर्विसेज कुछ लोगों के हाथ में आती जा रही हैं, क्योंकि उनके बच्चे ही आज अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, इसलिये वही कम्पेटीटिव एक्जामिनेशन (मुकाबिले की परीक्षाओं) में कामयाब होते हैं और जो लोग देहातों में रहते हैं, चूंकि उनके लिये सरकार की ओर से कोई साधन उपलब्ध नहीं किये गये इसलिये वह पिछड़ जाते हैं और उसका नतीजा यह होता है कि वह आज भी पीछे हैं और कल भी पीछे रह जायेंगे । जैसा कि मैंने पहले कहा, इस बात का अभाव नहीं है कि अपने यहां शिक्षा संस्थाएं नहीं हैं । शिक्षा संस्थाएं भी हैं और पैसा भी काफी लग रहा है, मगर उसका प्लानिंग नहीं है और मैं समझता हूं कि यदि सबसे ज्यादा किसी चीज में प्लानिंग की आवश्यकता है तो वह शिक्षा में आवश्यकता है ।

मैं शिक्षा की प्लानिंग के तीन रूप समझता हूं । सब से पहला रूप यह कि शिक्षा का क्या ढंग होना चाहिये और हमारे देश में किस प्रकार की शिक्षा हमारे बच्चे पायें । मैं समझता हूं कि इसके ऊपर हमारी गवर्नमेंट को खास तौर से ध्यान देना चाहिये । हम चाहते हैं कि हमारे यहां के बच्चों का जीवन ऐसा बन जाय जिससे कि वह देश के और प्रान्त के एक सुव्यवस्थित और नियंत्रित नागरिक बनें । आजकल सब कोई इस बात को देखता और जानता है कि हमारे यहां की शिक्षा संस्थाओं में पढ़े लिखे हमारे बच्चे उस तरह के नहीं हैं जो कि शिक्षित कहे जाने वाले बच्चे होने चाहिये । आजकल हमारे यहां हमारी शिक्षा संस्थाओं से निकले हुये बच्चों का जो डिसिप्लिन है वह बहुत खराब है उसकी ओर हमारी राज्य सरकार को अवश्य ध्यान देना चाहिये और उनको अपनी शिक्षा संस्थाओं में ऐसे साधन उपलब्ध करने चाहिये, ऐसी टेक्स्ट बुक्स होनी चाहिये, उनके कोर्स के अन्दर ऐसी बातें होनी चाहिये जिससे हर एक बच्चे को मजबूर होकर एक डिसिप्लिन्ड लाइफ व्यतीत करनी पड़े । मैं इस बात को जानता हूं और रात दिन देखता हूं कि हमारे यहां की शिक्षा प्रणाली निकम्मे किस्म की है और उसके ऊपर जो रुपया खर्च किया जा रहा है वह बिलकुल बेकार जा रहा है । सभी देशों में और सभी काल में इस बात को माना गया है कि रेजीडेन्शल टाइप्स आफ स्कूल्स, जिसको हम सीधी सादी भाषा में गुरुकुल शिक्षा प्रणाली कह सकते हैं वही एक अच्छे प्रकार की शिक्षा प्रणाली है । हमारी गवर्नमेंट ने कभी इस बात की ओर ध्यान नहीं दिया कि हमारे यहां रेजीडेन्शल टाइप्स आफ स्कूल्स होने चाहिये और जो संस्थाएं इस प्रकार की शिक्षा देना चाहती हैं उनको वह क्या प्रोत्साहन देगी और किस प्रकार से उनकी सहायता करेगी ।

मुझे यह भी अफसोस है कि आज ८ वर्ष के करीब हमारी स्वतंत्रता को हो गये मगर मैं बहुत थोड़ी ही संस्थायें ऐसी देखता हूं कि जहां पर बच्चों की वेषभूषा की ओर ध्यान दिया जा रहा है । अगर आप के बच्चों के पहनने के कपड़े यकसां नहीं हैं, अगर आप ड्रेस का ख्याल नहीं रखते हैं तो आगे चल कर उनके जीवन में नियंत्रण कैसे पैदा हो सकेगा । अगर आप इस पर भी ध्यान दें कि आपके बच्चों की ड्रेस कम से कम एकसां हों तो मैं समझता हूं कि डिसिप्लिन की तरफ आपका अपना एक कदम होगा । हमारे पुराने काल में ऋषिमुनि थे उन्होंने बड़े तजुर्बे के बाद गुरुकुल की शिक्षा प्रणाली निकाली थी जहां पर कि एक राजा का बच्चा और रंक का बालक आकर यकसां खाते थे, यकसां कपड़े पहनते थे और यकसां ही रहते थे । वह एक तरीका था जीवन का और मैं समझता हूं कि आज अगर अपने देश की शिक्षा को हमें उन्नति करना है तो हमें उस पद्धति को अपनाना पड़ेगा । हर एक कोई जिन्होंने शिक्षा के सम्बन्ध में थोड़ा बहुत ही अन्वेषण किया है

[श्री बलवन्त सिंह]

वे इस बात को जानते हैं कि आज भी इंग्लैंड में ऐटन और हेरो पब्लिक स्कूल सब से अच्छे माने जाते हैं। क्या बात है ? उनके अन्दर सिर्फ बात इतनी है कि जैसे गुरुकुल के अन्दर हुआ करती है, वहीं पर बच्चे रहते हैं और वहीं पर शिक्षा प्राप्त करते हैं। आज हमारी मुसीबत यह है कि हमारे बच्चे गुरु के पास केवल ५ या ६ घंटे के लिये रहते हैं और इन ५ या ६ घंटों में वे कोर्स की किताबों से इतने दबे होते हैं कि जो और अच्छी बातें बच्चों के अन्दर होनी चाहिये वे गुरु उन बच्चों को बतला नहीं सकते। इसलिये मैं समझता हूं कि सबसे बड़ी आवश्यकता इस बात की है कि हमारे यहां रेज़ीडेन्शल टाइप आफ स्कूल्स होने चाहिये। यह मैं जानता हूं कि इसमें खर्चा कुछ ज्यादा होगा, मगर मैं इस बात को मानने के लिये तैयार हूं कि और बातों के लिये जहां आप टैक्सेज़ लगाते हैं अगर वहां शिक्षा के लिये आप टैक्स लगायें और अपने बच्चों को अच्छे प्रकार की शिक्षा दें तो कोई भी पेरेन्ट इस बात के लिये नाराज़ नहीं होंगे।

आप इस बात को भी भली प्रकार से जानते हैं कि देहाती शिक्षा संस्थाओं की कितनी बुरी हालत आज है। अफसोस के साथ मैं यह कहूंगा कि उनकी तरफ सरकार की पूरी तवज्जह और यह न होने की वजह से वहां का इन्तजाम कुछ ऐसा खराब हो गया है कि जिसकी वजह से वे शिक्षा संस्थायें देहाती क्षेत्रों के लिये एक मुसीबत और पार्टीबन्दी के अड्डे बन गयी हैं। तो मैं माननीय मंत्री जी का इस ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं कि आप अपने यहां के प्रबन्ध को और शिक्षा संस्थाओं के मामले को इस प्रकार से बदलें कि जिससे उनके प्रबन्ध की सुव्यवस्था हो जाय और अगर ऐसा नहीं होता, तो मैं समझता हूं कि जितना रुपया पैसा हम लोगों ने अपनी शिक्षा संस्थाओं में लगाया है वह बिल्कुल बेकार चला जाता है। मुझे खेद है कि मेरा समय समाप्त हो रहा है, मुझे जो और बातें इस सम्बन्ध में कहनी थीं अवसर मिला तो फिर कहूंगा।

*श्री चन्द्रसिंह रावत (जिला गढ़वाल)--माननीय अध्यक्ष महोदय, जो संकल्प सदन में प्रस्तुत है, मैं इस पर अपने विचार पेश करना चाहता हूं। मैंने देखा कि आज हमारे प्रदेश में शिक्षा संस्थाओं को आगे बढ़ाने में, कालेजेज़ और यूनिवर्सिटीज़ खोलने के लिये एक दौड़ लगी हुई है। मुझे खेद होता है जब हम इस सदन में बैठते हैं और अपने मुल्क के उत्थान की बात करते हैं तो मुल्क की व्यवस्था का ख्याल हमारे दिमाग़ से ग़ायब हो जाता है। हम भूल जाते हैं कि हमारी जनता के पास द्रव्य कितना है ? हमारे साधन क्या हैं हमारे मुल्क के विकास का स्तर क्या है ? और हमारे पास कितने लोग इस प्रान्त के अन्दर हैं जो बेलिखे पढ़े हैं। हम भूल जाते हैं कि इस प्रान्त की जनता जो देहात में दूर दूर गांवों में बसी हुई है जिन लोगों को अभी तक अ, आ, इ, ई, भी पढ़ना लिखना नहीं आता है और सदियों से बिलकुल अज्ञान में रहते चले आ रहे हैं।

मैं समझता हूं कि आठ साल का अर्सा जो स्वतंत्रता का प्रदेश में हुआ है, वह एक बहुत बड़ा समय था जब कि हमारे इस उत्तर प्रदेश के अन्दर गरीबों की झोपड़ी के अन्दर प्रायमरी शिक्षा क पहुंच जाना चाहिये था, जब कि उनके बच्चे स्कूलों के दूर होने के कारण नहीं पढ़ पाते हैं बल्कि इन स्कूलों के पास होते हुये भी अपने बच्चों को गरीबी के कारण नहीं पढ़ा सकते हैं। यह बड़े खेद की बात है कि जब हम अपने देश के अन्दर डेमोक्रेसी चलाना चाहते हैं तो उसकी जड़ों को मजबूत करने के लिये यह नितांत आवश्यक है .....

श्री अध्यक्ष--मैं समझता हूं कि गणपूर्ति नहीं हो रही है। आप कृपा करके अपना स्थान ग्रहण करें, कोरम नहीं है।

(घंटी बजाई गई और कोरम होने पर कार्य पुनः आरम्भ हुआ।)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री चन्द्रसिंह रावत--डेमोक्रेसी की जड़ों को मजबूत करने के लिये यह नितांत आवश्यक है कि हमारे प्रान्त के हर एक बालक और बालिका को प्रायमरी शिक्षा सरकार की ओर से मिलनी चाहिये। जब तक हम इस व्यवस्था को नहीं कर लेते, मैं समझता हूं कि जो व्यक्ति उच्च शिक्षा की बातें इस देश में करते हैं, जब कि हमारे लाखों, करोड़ों भाई, बहिन और नवजात बच्चे जो हजारों की तादाद में रोजाना पैदा होते चले जा रहे हैं उनको अज्ञान में रखकर चन्द व्यक्तियों के लिये प्रांत में उच्च शिक्षा की व्यवस्था करना चाहते हैं और फिर आप अपने देश में समृद्धिशाली होने का दावा पेश करते हैं। मैं समझता हूं कि यह दावा कहां तक ठीक है आप को मालूम होना चाहिये कि आप ऊंची-ऊंची बातें करके, अपने मुल्क की आंखों पर पट्टी बांधकर देश को विकास के चौराहे पर खड़ा किये हुये हैं। हमें मालूम है कि हमारे रुपये पैसे की क्या व्यवस्था है, हमारे विकास का क्या स्तर है, फिर भी हम अपने मुल्क के अन्दर व्यवस्था करने के लिये, बल्कि एक प्रकार की अव्यवस्था फैलाने के लिये शिक्षा की एक दौड़ लगा रहे हैं। आज आप यूनिवर्सिटी खोलने का दावा करते हैं, कहीं संस्कृत यूनिवर्सिटी खोलने का दावा करते हैं जब कि हमारी यूनिवर्सिटी में संस्कृत विभाग है। अगर संस्कृत के माने वही हैं कि जो संस्कृत यूनिवर्सिटी में पढ़ाई जाती है तो मैं कहता हूं कि क्या जरूरत है एक नयी यूनिवर्सिटी खोलने की। कौन इजाजत देता है पब्लिक का रुपया इस तरह से खर्च करने को? हम यूनिवर्सिटी के एक विभाग को विस्तृत बनाने के लिये एक एक यूनिवर्सिटी खोल दें जब कि आज गांव में हजारों भाई शिक्षा के विषय में बिलकुल अज्ञान हैं और जब कि हर बालक और बालिका को प्राइमरी शिक्षा स्टेट को प्रदान करनी चाहिये। मैं समझता हूं कि वह लोग जो कि अपने को जनता का प्रतिनिधि समझते हैं और मुल्क की व्यवस्था करने के लिये इस सदन में दाखिल हुये हैं, उनको अपनी जिम्मेदारी से दूर नहीं हटना चाहिये। हमें अपने प्रान्त में सबसे पहले प्राइमरी शिक्षा को हमें टाप प्रायरिटी देनी चाहिये और इस जिम्मेदारी से हम कदापि नहीं भाग सकते और जो अपनी जिम्मेदारी से भागता है वह अपने उत्तरदायित्व को भुलाता है, अपने एलेक्शन के मेन्डेट को भुलाता है और उसने जो प्रतिज्ञा जनता के सामने की थी उससे वह दूर भागने की कोशिश करता है।

इसलिये मैं निहायत अदब के साथ इस माननीय सदन के सदस्यों से दरख्वास्त करना चाहता हूं कि यदि वह शिक्षा में प्लानिंग करना चाहते हैं तो इस सदन में सबसे पहले गरीब भाइयों की शिक्षा के लिये व्यवस्था होनी चाहिये और यह हमें बहुत जल्दी करनी होगी। इसके अलावा अगर हम इस सूबे में बड़े बड़े शहरों में ही शिक्षा मोबलाइज करेंगे और उन्हीं को बढ़ाने का प्रयत्न करेंगे तो हम अपने उत्तरदायित्व को भूलेंगे और जनता की ओर से, उसकी जरूरतों से अपनी आंखें मूंद लेते हैं। मैं साफ तौर से बता देना चाहता हूं कि शिक्षा में हमारे कदम डगमगाते हुए चल रहे हैं और इसका कारण यह है है कि कुछ लोग स्वार्थी होकर कुछ चन्द जिलों और बस्तियों को आगे बढ़ाना चाहते हैं और वह इस लिये कि हमें डर है कि हमको आगे आने वाले समय में शायद वोट न मिले। हम वोटों के लिये जीवित नहीं हैं। हम वोटों के लिये यहां नहीं आये हैं बल्कि हम मुल्क की व्यवस्था के लिये इस सदन में दाखिल हुये हैं। मैं समझता हूं कि जिस समय हमारे दिमाग में वोटों की बात दाखिल होकर काम करती है और जिस समय इस भावना से हम सरकारी काम करते हैं, तो उस समय मैं बताना चाहता हूं कि.....

श्री अध्यक्ष--आप कृपा करके संकल्प पर और संशोधन पर आ जायं।

श्री चन्द्रसिंह रावत--अध्यक्ष महोदय, यह संकल्प जो है यह विकल्प के रूप में उपस्थित है इसलिये मैं बताना चाहता हूं कि उस विकल्प की भावना को आप दूर कर दीजिये। आप सिर्फ वोटों के मजबूत करने की कोशिश न कीजिये, आप मुल्क को मजबूत करने के की कोशिश कीजिये, आप मुल्क की शिक्षा-दीक्षा की व्यवस्था ठीक करने की सदन में कोशिश

[श्री चन्द्रसिंह रावत]

कीजिये। अगर आप आने वाले समय में मुल्क को ऊंचा उठाना चाहते हैं तो इन व्यक्तिगत बातों को अपने दिमाग से बाहर निकाल दीजिये। आपको, हमको कोई अधिकार नहीं कि हम इसे पब्लिक के रुपये को अपनी मनमौज से स्वेंडअप करें। हम इसकी आपको इजाजत नहीं देंगे। हमें अधिकार है कि हम उसको रोकें। और साथ ही हमें अधिकार है कि हम इसके पब्लिक एकत्रचेकर रुपये के एक-एक पैसे का हिसाब, लेखा इस सरकार से ले लें। म इस सरकार से कहना चाहता हूं कि जिस जनता का वह रुपया है उसकी भलाई में ही उस को सब से पहले खर्च किया जाना चाहिये। क्या आप समझते हैं कि आप देश को ऊंचा उठाने में सही और सच्चे हैं? क्या हमारी नियत साफ है और हम ईमानदारी से अपना काम कर रहे हैं? मुझे इसमें कतई संदेह है और मैं बराबर कहता चला आया हूं कि सत्यता की आवाज के लिए इस सदन में एक स्थान होगा। अपने देश में, इस सदन में जब हम गांधी जी की सिद्धांतों की घोषणा करते हैं, जब हम उनके सिद्धान्तों की दुहाई देते हैं उसी के साथ में हम उन सिद्धांतों को कुचलते भी हैं और हम अपने मुल्क की आवाज को मिटाते हैं।

श्री उमाशंकर (जिला आजमगढ़)---मैं प्वाइंट आफ आर्डर उठाना चाहता हूं। मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य जो भाषण दे रहे हैं वह बिलकुल विषय से दूर है और विषयान्तर बोल रहे हैं।

श्री अध्यक्ष---मैं भी समझता हूं कि आप इसमें विषयान्तर कर रहे हैं। यह बजट का भाषण नहीं है। अब आप संकल्प पर ही आ जायं।

श्री चन्द्रसिंह रावत---माननीय अध्यक्ष ने जो रूलिंग दी हमें वह शिरोधार्य है। किन्तु मैं यह बतलाना चाहता हूं कि यह संकल्प जो इस सदन में पेश हुआ है जब मैं उसको देखता हूं तो यह मालूम होता है कि न तो वह सदन के अनुरूप है और न वह जनता की इच्छा का प्रतीक है और न उस संकल्प के लिये जिस वातावरण की जरूरत है उसको अभी पैदा किया गया है और न उसकी व्यवस्था की गयी है क्योंकि हर जिले में डिगरी कालेज खोलना संभव नहीं हो सकता है। जब तक हमारे यहां हर जिले में प्राइमरी शिक्षा ही नहीं हुई है तो यह कैसे हो सकता है कि हर जिले में डिगरी कालेज खोल दिया जाय। मैं यह सवाल पूछना चाहता हूं कि जब यह कंडीशन ही पैदा नहीं हुई है तो एक दम उनको आप डिगरी कालेज में कैसे भेज सकते हैं। अगर आप विकास करना चाहते हैं तो जब तक पहले प्राइमरी शिक्षा नहीं होगी तब तक डिगरी कालेज का क्या लाभ हो सकता है। जब उनके लिये प्राइमरी शिक्षा नहीं है तो सेकेन्डरी हायर स्कूल, डिगरी कालेज, या यूनिवर्सिटी उनके लिये खोलने का कोई मायने नहीं रखता है। मैं आप से यह कहना चाहता हूं कि आपको इस तरह से यह रुपया वेस्ट नहीं करना चाहिये। मैं उसका कारण आपको बतलाना चाहता हूं कि जिस प्रकार से आज लिखाई पढ़ाई होती है और डिगरी कालेज और यूनिवर्सिटी में पढ़ाई होती है उसको और बेहतर बनाना चाहिये। वहां पर स्टाफ बढ़ाना चाहिये और वहां के एजूकेशन को ठीक करना चाहिये क्योंकि आप अलग से उनको खोलना चाहते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी के पास एक डिगरी कालेज खोल कर आपने क्या अच्छा काम किया है। यह क्या मायने रखता है? क्या हिन्दू यूनिवर्सिटी के अन्दर ही इसकी व्यवस्था नहीं की जा सकती थी। क्या विद्यार्थी वहां पर पढ़ने नहीं जा सकते थे? इसलिये प्रस्ताव की जो स्प्रिट है मैं उससे सहमत हूं लेकिन डिगरी कालेज और यूनिवर्सिटी अलग से खोली जायं मैं इससे सहमत नहीं हूं। उन डिग्री कालेज और यूनिवर्सिटीज को जो आजकल काम कर रही हैं उनको क्यों नहीं एक्सपेंड किया जाता। इसमें अधिक खर्च नहीं होगा। अगर हम डिगरी कालेज जिलों के अन्दर खोलना चाहते हैं तो जितना उनका खर्चा होगा उसका तखमीना आप को पहले लेना होगा। इसलिये इस संकल्प के पीछे न कोई तर्क है और न कोई व्यवस्था है और न जनता की भावना ही है।

जिसमें हमारी जनता की श्रद्धा नहीं है तो फिर वह काम कैसे सफल हो सकता है। वह चीज कार्य रूप में परिणत नहीं हो सकती है।

इसलिये मैं अपनी सरकार से निवेदन करूंगा कि अपने देश के प्रत्येक जिले में डिगरी कालेज उस समय खोले जायं जब कि गरीबों के लिये शिक्षा दीक्षा की पहल व्यवस्था हो जाय जब वह पहले लिख पढ़ ले तब उनके लिये डिगरी कालेज की जरूरत होगी। तब वह डिगरी कालेज को ज्वाइन कर सकते हैं और वह शिक्षा उन कालेज में प्राप्त कर सकते हैं। हमारे देश में बहुत से ऐसे लोग हैं जो शिक्षा दीक्षा के लिये अपने बच्चों को फ़ारेन कन्ट्री में भेजते हैं क्योंकि उनके पास बहुत पैसा है। वह ज्यादा पैसा खर्च कर सकते हैं। यदि आप अपने देश में विकास करना चाहते हैं तो पहले गरीबों के लिये एजूकेशन का प्रबन्ध कीजिये तब वह जाकर बड़े कालेज में पढ़ सकते हैं। इससे देश में शिक्षा का प्रसार होगा और गरीबों को भी लाभ पहुंचेगा। अगर ऐसा आप नहीं करते हैं तो फिर डिगरी कालेज से कोई लाभ होने वाला नहीं है और इस प्रकार से खोलने पर मैं उसका विरोध करता हूं।

कार्यक्रम में परिवर्तन

श्री अध्यक्ष--मैं एक सूचना देना चाहता हूं। मुझे मुख्य सचेतक ने एक सूचना यह दी है कि विरोधी दल के नेता और नियोजन मंत्री की बातचीत हुई कल जैसा तय हुआ था कि नियोजन मंत्री आज शाम को लोहा और सीमेन्ट की कटौती के संबंध में वक्तव्य देंगे और उसके ऊपर वादविवाद होगा। लेकिन वह अब चाहते हैं कि आज वादविवाद न हो बल्कि किसी दूसरे रोज इस वादविवाद का समय रक्खा जाय जो सदन को शीघ्र ही बता दिया जायगा। मैं समझता हूं कि सदन की इसमें अनुमति होगी जो बात दोनों की सलाह से स्वीकार की गयी है कि आज वह बहस न हो किसी दूसरे दिन हो। मैं समझता हूं इसमें किसी को कोई आपत्ति न होगी।

(किसी ने कोई आपत्ति नहीं की)

अब इसके अतिरिक्त जो दूसरा कार्यक्रम है यदि सदन यह अनुमति देगा कि वह ५ बजे के बाद ५-७ मिनट बैठे तब वह पांच बजे के बाद लिया जा सकता है।

सहकारिता उपमंत्री (श्री मंगला प्रसाद)--मैं प्रस्ताव करता हूं कि ५ बजे के बाद यह सदन १५ मिनट के लिये बैठे और जो विधेयक गोरखपुर विश्वविद्यालय विधेयक और बिक्रीकर विधेयक जो पेश होने वाले हैं उनके लिये अनुमति प्रदान करे।

श्री अध्यक्ष--क्या सदन की अनुमति है कि ५ बजे के बाद लोहा और सीमेन्ट के कोटा के संबंध में जो कार्यक्रम है उसको छोड़कर दूसरे कार्यक्रम के लिये अधिक समय दिया जाय जो आवश्यक हो।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

आगामी कार्यक्रम के संबंध में जानकारी

श्री जगन्नाथ मल्ल (जिला देवरिया)--श्रीमन् मैं एक जानकारी चाहता हूं कि सोमवार का क्या कार्यक्रम रहेगा? कोई चेंज तो नहीं होगी? सोमवार को कौन सा बिल लिया जायगा।

श्री अध्यक्ष---अभी तो यह भूमि व्यवस्था बिल चल रहा है वही लिया जायगा या कोई और ?

श्री मंगला प्रसाद---यह शाम तक बतला दिया जायगा ।

श्री अध्यक्ष---यह पांच बजे से पहल ही बता दीजिये ।

श्री मंगला प्रसाद---जी हां ।

(इस समय १ बजकर १७ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बजकर २३ मिनट पर उपाध्यक्ष श्री हरगोविन्द पन्त की अध्यक्षता में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई ।)

प्रत्येक जिले में एक डिग्री कालेज तथा प्रत्येक तहसील में एक हायर सेकेंडरी स्कूल खोलने के सम्बन्ध में संकल्प (क्रमागत)

श्री नौरंगलाल (जिला बरेली)---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह जो प्रस्ताव आज सदन के सामने है उसकी प्रशंसा तो हम करते हैं लेकिन इसके अर्थ यह नहीं है कि अगर उस में कोई गलती हो तो उस को प्रगट न करें । मेरा निजी ख्याल है कि यह प्रस्ताव जो पैश हुआ है उस में एक भूल है और जिस के कारण से यह इस समय सदन के सामने नहीं आना चाहिए था । उस भूल का श्री बलवन्त सिंह के संशोधन ने कुछ सुधार किया है उस से भी मुझे सन्तुष्टि नहीं होती । वह भूल यह है कि जिसको कि श्री बलवन्त सिंह ने सुधारने की कोशिश की है कि ऐसा भी हो सकता है जैसा कि प्रस्ताव बतलाता है कि किसी क्षेत्र में प्रारम्भिक शिक्षा ही शून्य के बराबर हो । तो ऐसी सूरत में जिस क्षेत्र में प्रारम्भिक शिक्षा ही शून्य के बराबर हो वहां अगर आप डिग्री कालेज या हायर सेकेन्डरी स्कूल खोलेंगे तो उससे कोई लाभ न होगा और वह एक मजाक सा हो जायगा । तो इस चीज का खयाल रखते हुए श्री बलवन्त सिंह जी ने जो प्रस्ताव रखा है उसमें उन्होंने एक महत्वपूर्ण चीज बढ़ायी कि इससे पहले कि किसी जिले में हायर सेकेन्डरी स्कूल या डिग्री कालेज खोले जांय हर एक ग्राम में एक प्रारम्भिक पाठशाला होनी चाहिये । इससे वह दिक्कत तो दूर हो जायगी जो कि मूल प्रस्ताव में थी और शून्य इलाकों में जहां प्रारम्भिक शिक्षा नहीं है वहां डिग्री कालेज या हायर सेकेन्डरी स्कूल हो जांय तो वह मजाक की चीज हो जायगी और इस मजाक को उन्होंने बहुत कुछ हटाया है लेकिन जिस शिक्षा को हम इतना बुरा बतलाते हैं और इतना खराब कहते हैं उस शिक्षा को हम आज लागू करते हैं तो उससे देश का भला नहीं हो सकता । इसलिये मूल प्रस्ताव में और श्री बलवन्त सिंह के खुद अपने प्रस्ताव में यह आना चाहिए था कि शिक्षा में सुधार हो और जिस वक्त कि जैसा कि वह सुधार चाहते हैं वह सुधार पर्याप्त हो जाय उसके बाद जिस तरह से वह डिग्री और हायर सेकेन्डरी शिक्षा वह चाहते हैं वह रायज कर दी जाय लेकिन बिना उसमें सुधार का प्रस्ताव लाए हुए उसको हम अगर वैसे ही लागू करेंगे उसके माने होंगे कि वही खराब दवा मरीज को दी जाय जिससे कि वह मर जाय । अगर आप खुद समझकर मरीज को खराब दवा देते हैं तो उस को आप कैसे बचा सकते हैं। एजूकेशन के सम्बन्ध में मेरा एक नजरिया है और मैं समझता हूं कि एजूकेशन के सम्बन्ध में भी हम को गुस्से नहीं होना चाहिए एक सबब श्री बलवन्त सिंह जी ने दिया और वह यह कि जितनी हायर सर्विसेज हैं उनमें कालेज के ही ग्रेजुएट्स पहुंचते हैं और बहुत से क्षेत्र ऐसे हैं जहां के लोग अफसर नहीं बन पायेंगे क्योंकि वहां पर डिग्री कालेज ही नहीं हैं ।

स बात में सेन्स जरूर है लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अगर हर जगह कालेज खोले जांय तो जो मौजूदा प्रणाली एजूकेशन की है और जो केरियर और स्टूडेंट्स जिस तरह के हम वहां पैदा करते हैं उस की तरफ हमें ध्यान देना होगा।

तो वह तो चाहें हम किसी भी जगह कालेज खोल दें, वह पैदा होते रहेंगे तो न उस इलाके का भला कर पायेंगे जहां से आये हैं न किसी एरिया को अच्छा बना सकते हैं। इस तरीके से कुछ सर्विसेज, कुछ जाब्स भले ही और निकल आयें जो किसी एरिया को मिल जायं लेकिन जाब्स के पीछे हम नही हैं। जहां तक शिक्षा का सम्बन्ध है सीरियसनेस के साथ सोचना पड़ेगा कि कोई प्रस्ताव पास करते हैं तो उससे देश पर क्या असर पड़ता है। सबसे पहला प्रश्न है चूंकि प्रस्ताव में यह कहा गया है कि इस तरह के स्कूल खुलने चाहिये सेकेंडरी हाईस्कूल और डिग्री कालेज भी, तो इसका अर्थ यह हो जाता है कि एक्सचेकर का भार सरकार पर पड़ेगा। रुपया जो आयेगा वह सरकारी खजाने से आयेगा। जिस वक्त कि सरकारी खजाने से रुपया आता है उस वक्त जरा सोचना पड़ता है और इन आल सीरियसनेस हमको इस बात को सोचना पड़ेगा कि जो रुपया कि हम डिग्री कालेजेज और हायर सैकेंडरी स्कूल्स पर खर्च करेंगे क्या उस रुपये की कहीं और जगह तो इससे ज्यादा जरूरत नहीं है? अगर इसकी जरूरत किसी और जगह पर इससे अधिक है तो हमको वह रुपया पहले वहां लगाना पड़ेगा। यों तो अर्थ शास्त्र का एक प्रिन्सिपल लागू होता है वह हर शख्स मानेगा और वह यह कि सबसे पहले नेसेसरीज में से है। पर रुपया जाना चाहिये, उसके बाद कम्फर्टस पर और आखिर में लक्जरीज पर। मैं शिक्षा सम्बन्धी नीति में इन तीनों बातों की इस तरह तुलना देखता हूं कि प्राइमरी एजूकेशन जो है वह नेसेसरी है और हायर सेकेंडरी एजूकेशन जो है वह कंफर्ट्स की तुलना में आती है और डिग्री कालेज की जो एजूकेशन है वह लक्जरी में हम शामिल करते हैं। तो इस तरीके से सबसे पहले हमको नेसेसरीज की ओर ध्यान देना होगा। जब तक कि हम प्राइमरी शिक्षा को कम्पलसरी और फ्री नहीं कर देते तब तक हमें कोई ध्यान देना ही नहीं चाहिये। सबसे पहला प्रस्ताव यह होना चाहिये कि कम्पलसरी और फ्री एजूकेशन प्राइमरी होनी चाहिये।

इसके बाद हमें कालेज और हायर सेकेन्डरी शिक्षा को देखना चाहिये। हम तो उपाध्यक्ष महोदय, सोशलिस्ट पेटर्न आफ सोसाइटी बनाना चाहते हैं। ऐसा हम कभी भी नहीं कर सकते और न हमें सोचना चाहिये कि जो रुपया हमारा है उससे कुछ लोग तो शिक्षित हों और कुछ लोग इतनी हायर एजूकेशन पा जांय कि हमारा संतुलन बिगड़ जाय। इसलिये जरूरी है कि सबसे हमें अपने देश को शिक्षित करना चाहिये और जिस वक्त हम सारे देश में शिक्षा को फ्री और कम्पलसरी कर दें इसके बाद जो रुपया बचे तो कोई हर्ज नहीं होगा कि हम डिग्री कालेज हायर सेकेंडरी स्कूल, कल्चर, म्यूजिक, एनी थिंग यु वांट, उसे हम अपने देश में इंट्रोडूयूस कर सकें लकिन जब तक प्राथमिक शिक्षा को फ्री एंड कम्पलसरी नहीं करते हमारा एक-एक पैसा इधर-उधर नहीं जाना चाहिये। जितना हमारा खर्च हो रहा है उतना ही पर्याप्त है लेकिन हम देखते हैं कि अपने देश के अन्दर अब भी जो प्रतिशत हमारी एजूकेशनल स्टेटिस्टिक्स का है वह बहुत ही कम है और प्राथमिक शिक्षा को हमें बहुत तरक्की देनी है। डिग्री कालेज और हायर सैकेंडरी स्कूल जितने बन गये हैं जब से स्वाराज्य प्राप्त हुआ है तब से उतने प्राइमरी स्कूल नहीं बढ सके। इसलिये हमारा जो रुपया है जो भार सरकार के ऊपर पड़ता है वह

[श्री नौरंगलाल]

प्रारम्भिक शिक्षा पर पड़ना चाहिये । अगर रुपया इस पर खर्च नहीं करते तो यह गलत होगा और सोशलिस्ट पैटर्न आफ सोसाइटी के विरुद्ध होगा । मैं सोशलिस्ट भाइयों से निवेदन करना चाहता हूं कि उनके दृष्टिकोण से भी यह अत्यन्त आवश्यक है कि जितना रुपया भी सरकार हायर सेकेंडरी एजूकेशन पर खर्च करना चाहती है वह सबसे पहले प्राइमरी एजूकेशन पर होना चाहिये। यह सोशलिस्ट पेटर्न आफ सोसाइटी को बनाने का तरीका है । अगर ऐसा नहीं करते तो शिक्षा अधूरी रह जाती है । इस तरीके से इक्वेटी के हिसाब से, जस्टिस के हिसाब से जितना रुपया भी हम उधर खर्च करना चाहते हैं वह प्राइमरी एजूकेशन पर होना चाहिये । उसको प्रायरिटी मिलनी चाहिये । लेकिन उनके प्रस्ताव में प्राइमरी एजूकेशन का कोई जिक्र नहीं है सिर्फ डिग्री कालेज और हायर सेकेंडरी एजूकेशन का जिक्र है । यह डिफेक्टिव है और मैं समझता हूं कि इसका रूप कुछ और हो जाता कि सरकार पहले फ्री एंड कम्पलसरी एजूकेशन कर दे उसके बाद शायद माननीय सदन को यह मंजूर हो जाता लेकिन उसको इगनोर कर दिया गया और डिग्री कालेज और हायर सेकेंडरी स्कूल पर जोर देना यह जरा गलत है । इसलिये मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करने से मजबूर हूं ।

इसके अलावा उपाध्यक्ष महोदय, एक बात और भी है जिसके कारण हमें इसमें सोचना पड़ेगा कि जो रुपया सरकार खर्च करे डिग्री कालेज के ऊपर और हायर सेकेंडरी स्कूल पर वह ठीक है या नहीं । उसका कारण यह है कि अभी हम शिक्षा की प्रणाली को बदलना चाहते हैं और यह कि जो प्रेजेन्ट प्रोसीडयोर है एजूकेशन का वह डिफेक्टिव है । इसमें चार चीजों की बड़ी कमी है। वह कमी यह है कि इस वक्त हम सिर्फ इंटेलेक्चुअल ट्रेनिंग अपने नौजवानों को देते हैं चाहे कालेज की ट्रेनिंग हो या हायर सेकेन्डरी स्कूल की ट्रेनिंग हो, हम केवल मेन्टल ट्रेनिंग, इंटेलेक्चुअल ट्रेनिंग देते हैं। लेकिन केवल इंटेलेक्चुअल और मेन्टल ट्रेनिंग से ही काम नहीं चल सकता है । और अगर केवल इंटेलेक्चुअल ट्रेनिंग देते हैं तो उसका लाजमी नतीजा यह होता है कि जो विद्यार्थी इन शिक्षा संस्थाओं से निकलते है वह कैरियरिस्टिक भावना से प्रेरित होते हैं। क्योंकि उन्होंने दिमाग से काम लिया है, उनकी और साइड्स डेवलप नहीं की गयी है ।

इसके साथ-साथ तीन चीजें और डेवलप होनी चाहिये शिक्षा में और वह हैं एके बाद दीगरे—दूसरी चीज जो डेवलप करनी है वह है मारल ट्रेनिंग, तीसरी चीज जो डेवलप करनी है वोकेशनल ट्रेनिंग और चौथी चीज जो डेवलप करनी है वह है कल्चरल ट्रेनिंग । यह तीन चीजें जब तक मेन्टल ट्रेनिंग के साथ नहीं मिलती चाहे वह हायर सेकेन्डरी स्कूल हो या कालेज हो तब तक यह शिक्षा बिल्कुल कैरियरिस्टिक भावना से प्रेरित रहेगी वह आयेगें नौकरी तलाश करेंगे और नहीं मिलेगी तो बेचैनी होगी, गदर होगा एक तरह की परेशानी होगी स्टेट और सरकार तथा पब्लिक के लिये । इसलिए सब से पहले जितना सरकार का रुपया इसमें खर्च हो यह मेरा अपना विचार है कि शिक्षा प्रणाली को बदलने में होना चाहिये और जब तक यह मौजूदा प्रणाली नहीं बदलती तब तक किसी संस्था को बढ़ाने का प्रयत्न नहीं करना चाहिये। काफी रुपया इस शिक्षा प्रणाली को बदलने में खर्च करना पड़ेगा । सरकार इस पर सोच रही है कि शिक्षा प्रणाली को परिवर्तन किया जाय। इसलिये मैं यह मुनासिब समझता हूं कि मौजूद डिग्री कालेज और हायर सेकेन्डरी स्कूलों को जिस रफ्तार से बढ़ाते चले जा रहे हैं, जिस रफ्तार से वहां से विद्यार्थी निकल रहे हैं जो उनका स्टेटस और क्वालिफिकेशंस हैं और जो उनकी भावनाएं,

उनको देख कर हम यह नहीं कह सकते कि जो हमारी शिक्षा है पर्याप्त अच्छी है और उस शिक्षा से हम अपने देश का भला कर सकते हैं। मैंने आप को डिफेक्ट बतलाये। जब तक यह डिफेक्ट पूरे नहीं होते इस प्रणाली में, तब तक यह प्रस्ताव जो आया हुआ है वह देश का भला नहीं कर सकता और न देश की उन्नति की तरफ ले जा सकता है। इसलिये सरकार पर जल्दी से जल्दी प्रेशर डाला जाय कि अब हमारा देश आजाद है और इस देश की तरक्की न नहरों से कर सकते है, न फैक्टरियों से कर सकते हैं, न हीरों और जवाहरातों से कर सकते हैं। अगर कोई देश उन्नति की तरफ जाना चाहता है तो यह देखना होगा कि वहां के रहने वालों में जलाल है, सुर्खी है, वहां का कैरेक्टर कैसा है, वहां के लोगों की हैल्थ कैसी है, वहां के रहने वाले कैसे हैं। अगर रहने वालों में कमियां हैं तो इस दौलत का कायम करना यह तो मिट्टी है, पत्थर है। हमें इंसानों को देखना चाहिये, वहां की दौलत को नहीं देखना चाहिये। उपाध्यक्ष महोदय, इसलिये जिस शिक्षा में हम पत्थर और मिट्टी पैदा करें उसमें हम कैरियरिस्ट भावना का सिद्धान्त पाते हैं। हमें ऐसी शिक्षा प्रणाली कायम करना चाहिये जिस में हम इंसान पैदा कर सकें, जिसमें वह बिलकुल कम्पलीट हो और वह तभी होगा जब इंटेलेक्चुअल मारल कल्चरल और एजूकेशनल चारों साइड्स डेवलपमेन्ट हों तभी कम्पलीट एजूकेशन हो सकती है वरना वह इनकम्पलीट रह जायगी। इसलिये उस प्रणाली को देश में लागू कर देना जो केवल इंटेलेक्चुअल ट्रेनिंग देती हो हानिकार होगा। इस ख्याल से भी मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करने से मजबूर हूं। एक आखिरी बात रह गयी।

श्री जोरावर वर्मा—उपाध्यक्ष महोदय, क्वाइट आफ आर्डर एक कोरम नहीं है।

(कोरम के लिये घंटी बजायी गई और कोरम पूरा होने पर पुनः कार्यवाही प्रारम्भ हुई।)

श्री नौरंग लाल—मैंने जो दो रीजन्स दिये छोटे से मैं उस स्प्रिट के खिलाफ नहीं हूं। माननीय सदस्य ने जिस भावना से प्रेरित हो कर यह प्रस्ताव रखा, मैंने प्रोसीजर में मिस्टेक बतायी और इसलिये निवेदन किया कि इस प्रस्ताव का इस समय आना ठीक नहीं है। यह किसी वक्त में आवेगा तो उसको सपोर्ट करेंगे। लेकिन इस वक्त रुपये की दूसरे कामों में जरूरत है इसलिये मैं इस समय इस प्रस्ताव के स्वीकार करने में मजबूर हूं। माननीय सदस्य उम्मीद है कि मुझे माफ करेंगे।

श्री वीरेन्द्रपति यादव (जिला मैनपुरी)—मैं प्रस्ताव करता हूं कि अब प्रश्न उपस्थित किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि प्रश्न उपस्थित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री ब्रजविहारी मिश्र (जिला आजमगढ़)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, . .

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य (जिला जौनपुर)—आन ए क्वाइंट आफ आर्डर। नियमावली में यह है कि स्पीकर जिसका नाम ले ले उसी को अधिकार होता है बोलने का, आपने पहले श्री ब्रजभूषण मिश्र का नाम लिया है। तो एक बार जिसका नाम ले लें फिर उसका नाम हटाया नहीं जाना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष—मैं समझता हूं कि स्पीकर भी कभी-कभी गलती कर सकता है। अपनी गलती को दुरुस्त करने का उन्हें अधिकार है।

श्री व्रजविहारी मिश्र (जिला आजमगढ़)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने इस प्रस्ताव को बड़े गौर से पढ़ा है और इस पर जो संशोधन उपस्थित किये गये हैं उनको भी मैंने बड़े ध्यान से सुना है। माननीय बलवन्त सिंह जी का जो संशोधन है उसका मैं समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। उनका क्रम संख्या ५ में जो संशोधन है वह इस प्रकार है --

"इस सदन का यह भी निश्चित मत है कि आगामी पंचवर्षीय योजना की अवधि में स्त्री जाति के लिये, स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिये राज्य के प्रत्येक जिले में कम से कम एक हायर सेकेन्डरी स्कूल सुसज्जित छात्रावास सहित तथा प्रत्येक तहसील में एक जूनियर हाई स्कूल सुसज्जित छात्रावास सहित अब अवश्य खोल दिये जायं।"

मैं इसका समर्थन करता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, अगर आप आज्ञा दें तो मैं इसमें एक संशोधन और बढ़ाना चाहता हूं वह इस प्रकार है कि--

"तथा प्रत्येक पंचायत क्षेत्र में कन्यायों के लिये एक-एक प्राइमरी स्कूल अवश्य खोल दिया जावे।"

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो मूल प्रस्ताव है माननीय रणंजय सिंह का कि हर एक जिले में एक-एक डिग्री कालेज खोला जावे और हर एक तहसील में एक हायर सेकेंडरी स्कूल खोल दिया जावे, इससे तो सब सम्मानित सदस्य सहमत हैं। कई माननीय सदस्यों ने सदन का ध्यान आकर्षित किया कि इस बात पर ज्यादा जोर दिया जाना चाहिये। परन्तु प्रारंभिक शिक्षा की तरफ ध्यान देना हमारा प्रथम कर्तव्य है क्योंकि डिग्री कालेजेज और हायर सेकेंडरी स्कूलों की आज क्या स्थिति है, हम सब जानते हैं। इनमें हम बेकारों की संख्या बढ़ा रहे हैं, जितने आदमी इन संस्थाओं से निकलते हैं, जितने विद्यार्थी निकलते हैं, आज की जो दूषित शिक्षा प्रणाली है उसका फल यह होता है कि सब के सब नौकरियों की तलाश करते हैं, कितने लोग हम लोगों के पास दिन रात दौड़ लगाते हैं। वह चाहते हैं कि सबको स्थान मिल जाय, अधिकारियों के पास स्थान के लिये वे दौड़ लगाते हैं ताकि कहीं न कहीं उनको कोई जगह मिल जाय। लेकिन ऐसा होना असम्भव है। हमारी शिक्षा पद्धति जो इस समय प्रचलित है वह हम मानते हैं, हर एक देश-वासी मानता है कि वह दूषित है। जो प्रणाली, जो पद्धति हम चला रहे हैं अपने स्कूलों और कालेजों में उसका नतीजा यह हो रहा है कि बेकारों की संख्या काफी बढ़ती चली जा रही है। यह प्रश्न गम्भीर है और इस पर हमको गम्भीरता से विचार करना है कि कौन सा रास्ता हम अख्तियार करें, किस रास्ते से चलें, शिक्षा की कौन सी पद्धति हम अपने स्कूलों में लागू करें। अभी हमारे शिक्षा शास्त्री भी इस नतीजे पर नहीं पहुंच सके हैं कि क्या किया जाय। इसलिये यही पद्धति पुरानी जो चली आती है चल रही है। इसमें हमारे जो कालेजेज के प्रबन्धक हैं तथा उनकी जो प्रबन्धक समितियां हैं, जिनसे हमारा भी सम्बन्ध है सब कठिनाई में पड़े हुए हैं। हम अनुभव करते हैं कि कितनी कठिनाइयां हमार रास्ते म डाली जाती ह। इंस्पेक्टर आफ स्कूल्स -- मुझे खेद है कि माननीय शिक्षा मन्त्री जी यहां, इस समय उपस्थि नहीं हैं अच्छा हुआ वे आ गए। मैं यह बताना चाहता हूं आप के द्वारा माननीय शिक्षा मन्त्री जी को खास तौर पर कि जितने इन्स्पेक्टर आफ स्कूल्स हैं उनसे जब कभी हम अपनी प्रबन्ध समितियों की बातें करते हैं और जब कभी उनसे कोई सहायता चाहते हैं तो हम देखते हैं कि वे सहानुभूति पूर्वक हमारी कठिनाइयों को हल करने की तरफ ध्यान नहीं देते हैं बल्कि हम तो यह कहने के लिये वाध्य हैं कि वे कठिनाइयों पर कठिनाइयां उपस्थित करते हैं। आर्थिक कठिनाइयां तो हमारे सामने आती ही हैं परन्तु वे महाशय और भी कठिनाई उपस्थित करते हैं।

माननीय रणंजय सिंह जी ने यह प्रस्ताव किया है कि हर तहसील में कम से कम एक सेकेंडरी स्कूल खोल दिया जाय और हर जिले में एक डिग्री कालेज खोल दिया जाय। मैं तो अपनी तरफ की बात बतलाना चाहता हूं कि आज हमारे यहां तो करीब-करीब तीन-तीन, चार-चार मील पर हायर सेकेन्डरी स्कूल हैं। एक तहसील में एक हायर सेकेन्डरी स्कूल आप चाहते हैं, यहां पांच-पांच, सात-सात, आठ-आठ हायर सेकेंड्री स्कूल एक-एक तहसील में हैं और डिग्री कालेज भी हमारी तरफ हैं।

श्री रणंजय सिंह---एक स्पष्टीकरण कर देना चाहता हूं। मूल संकल्प का अभिप्राय यह नहीं है कि केवल एक हो अपितु यह ह कि कम से कम एक हो।

श्री वृजविहारी मिश्र---यह मैं अपनी तरफ की स्थिति बता रहा था कि हमारे यहां इतने स्कूल हैं। स्कूलों की हालत यह है कि जो स्कूल चल रहे हैं वह सभी आर्थिक कठिनाइयों से परेशान हैं। जो उनके व्यवस्थापक हैं या जो उनकी प्रबन्ध समितियों के सदस्य हैं वह सब जानते हैं कि बराबर उनके सामने आर्थिक कठिनाइयां पड़ती हैं। जनता से जो सहायता उनको मिला करती थी वह उन्हें मिल रही है। हमारे लिये ना ना प्रकार की कठिनाइयां पड़ रही हैं और अगर हम चाहते हैं कि उन कठिनाइयों का दूर करें और उसके लिये जिला विद्यालय निरीक्षक के पास जाते हैं तो वह हमारी कठिनाइयों का हाल बताने के स्थान पर और कठिनाइयां उपस्थित करते हैं। रिकग्नीशन की हालत यह है कि इतने अड़ंगे लगते हैं, माननीय परिपूर्णानन्द जी यहां बैठे हुए हैं, और इंस्पेक्टर आफ स्कूल्स वहां बैठे हुये हैं वे दोनों वहाँ और कठिनाइयां ही उपस्थित करते हैं। मुझे प्रसन्नता है कि माननीय परिपूर्णानन्द जी यहां सदन में इस समय बैठे हैं। वे हमारी कठिनाइयों को सब समझते हैं। हमारी परेशानी तो यह होती है कि किसी तरह से हम स्कूल चलाना चाहते हैं। किसी तरह से हम चाहते हैं कि रिकग्नीशन मिल जाय परन्तु होता क्या है? रिकग्नीशन के लिये जब आते हैं तो इतना दौड़ना पड़ता है कि दौड़ते-दौड़ते इलाहाबाद और लखनऊ का रास्ता घिस जाता है। हालत तो यह है कि बजाय इसके कि गवर्नमेंट स्वयं स्कूल खोले, बजाय इसके कि गवर्नमेंट स्कूलों को स्वयं चलावे, बजाय इसके कि गवर्नमेंट उन स्कूलों को आर्थिक सहायता देकर के उन स्कूलों के स्तर को ऊंचा बना द, सरकारी कर्मचारी हमारे रास्ते में कठिनाइयां उपस्थित करते हैं। बेचारे देहात वाले निर्धन व्यक्ति जो किसी तरह से जोड़ बटोर कर स्कूल चलाते हैं और चाहते हैं कि शिक्षा का प्रचार करें तो उसमें बजाय इसके कि उनको कुछ सहायता मिले हमारे रास्ते में रोड़े अटकाये जाते हैं। खैर, वह प्रश्न तो अलग है। सब से महत्वपूर्ण प्रश्न जिसकी तरफ हमारा ध्यान जाना चाहिए, जिसकी तरफ मैं आपके द्वारा माननीय मन्त्री जी से विशेष अनुरोध करना चाहता हूं वह है हमारी प्रारंभिक शिक्षा का प्रचार। हम जानते हैं कि इन सेकेन्डरी स्कूलों में जब तक यह आधुनिक शिक्षा प्रणाली जारी है उससे कोई विशेष लाभ देश और प्रदेश को होने वाला नहीं है। प्रारंभिक शिक्षा की देहातों में कमी है और हमको प्रसन्नता इस बात की है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में सरकार ने बहुत से स्कूल खोलने की प्रतिज्ञा की है।

एक बात की तरफ मैंने अपने वक्तव्य के शुरू में ही इशारा किया था और वह है कन्याओं की शिक्षा के सम्बन्ध में। कन्याओं की शिक्षा की कमी सारे प्रान्त में है और यह बहुत बड़ी कमी है। मैं सह-शिक्षा का विरोधी हूं, चाहे यह बात बहुत से लोगों को कड़वी लगे, लेकिन मैं चाहता हूं कि बालक-बालिकाओं की शिक्षा कुछ दर्जे तक तो भले ही एक साथ चले, जैसे कि प्रारम्भिक श्रेणी तक, लेकिन जूनियर स्कूलों में और हाई स्कूल में कदापि सह-शिक्षा नहीं होनी चाहिये। कई माननीय सदस्य कहते हैं कि होनी चाहिये, लेकिन मुझे भी अधिकार है कि मैं अपने विचार आप के सामने रख सकूं। मैं इसका विरोधी हूं और कारण क्या है? बताने की आवश्यकता भी नहीं, सब लोग समझते हैं और जानते हैं। हमारे लिये यह उचित नहीं, हमारी सामाजिक स्थिति ऐसी नहीं है कि सह-शिक्षा हायर क्लासेज में हम रखें। प्रारंभिक स्टेज में प्रायमरी स्टेज तक आप चाहें तो बालक-बालिकाओं की शिक्षा एक साथ रखें, लेकिन उसके बाद जूनियर स्कूल में भी मैं चाहूंगा कि शिक्षा अलग-अलग कर देनी चाहिये। मेरा अनुरोध माननीय शिक्षा मन्त्री से है कि कन्याओं की शिक्षा की तरफ विशेष ध्यान देना चाहिये।

श्री जगन्नाथ मल्ल---यह हाउस पर भी लागू होगा?

श्री बृज विहारी मिश्र---हाउस की बात आप जानते ही हैं, अपना विचार आप के सामने रखने का अधिकार तो आप मुझे देते ही हैं। हम तो अपनी तरफ का हाल बताते हैं कि हायर सेकेन्डरी स्कूल तो हर तहसील में पांच-पांच, छः-छः और जूनियर हाई स्कूल दो-दो हैं, पर कन्या पाठशालाओं का बिल्कुल अभाव है। हम चाहते हैं कि जिला बोर्ड को आप सहायता दीजिये और विशेष तौर पर कन्याओं की शिक्षा के लिये सहायता दीजिये। मेरे क्षेत्र में ऐसे स्थान हैं, जैसे एक स्थान अतरौलिया है जहां एक अहाते को घेर दिया गया है और उसमें कन्यायें जू० हा० स्कूल तक की शिक्षा पा रही हैं। वहां जूनियर हाई स्कूल की इमारत पहले से बनी हुई थी, अब भी बन रही है, लड़कों के लिये प्राइमरी स्कूल की इमारत है ही पर कन्याओं के लिये पाठशाले की इमारत नहीं है। तो हमें इस ओर अवश्य ध्यान देना है अन्यथा हमारा राष्ट्र उन्नति नहीं कर सकता। इस ओर ध्यान न देकर हम अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर पा रहे हैं। मैं बलवन्त सिंह जी के संशोधन का समर्थन करता हूं और आशा करता हूं कि जहां तक हो सके अपनी पूरी शक्ति लगा कर कन्याओं की शिक्षा की ओर विशेष ध्यान दिया जायगा। डिग्री कालेज के लिए तो मैं नहीं कहता, पर मैं आप से प्रार्थना करूंगा कि कन्याओं की शिक्षा की ओर विशेष रूप से ध्यान देने की कृपा करें ताकि हमारी बालिकायें शिक्षित हो सकें।

***श्री बंशीदास धनगर** (जिला मैनपुरी)---उपाध्यक्ष जी, जो हमारे सामने यह मूल प्रस्ताव है मैं उसका तहेदिल से समर्थन करता हूं। इसके विरोध में बोलते हुए कुछ माननीय सदस्यों ने जो लचर दलीलें पेश की हैं पहले मैं उनका जवाब देना चाहता हूं। मुझसे पहले बोलने वाले दो माननीय सदस्यों ने कहा कि यह हमारी शिक्षा प्रणाली चूंकि दूषित है इसलिये हम लोगों को हर जिले में डिग्री कालेज नहीं स्थापित करना चाहिये। बहुत सी चीजें ऐसी हमारी हैं, ऐसी प्रणाली है जो खराब हैं, उन प्रणालियों में जब सुधार हो जायगा तब उन कालेजेज में भी सुधार हो जायगा। प्रश्न इस समय यह है कि हर जिले में कम से कम एक डिग्री कालेज होना चाहिये, इसकी आवश्यकता है या नहीं, इस विषय पर मैं तो यह समझता हूं कि जब हमारी सरकार यह दावा करती है कि हम अपने समाज का निर्माण समाजवादी ढांचे पर करेंगे और समाजवादी ढांचे पर समाज को संगठित करने में विशेष बात यही होता है कि जितनी जनता है सब को एक सा फायदा पहुंचे। इस लिहाज से यह बात बहुत ही उपयुक्त और ठीक है। आज क्या व्यवस्था है? आज हम देखते हैं कि किसी-किसी शहर में या किसी जिले में बहुत से डिग्री कालेज हैं और बहुत से शहरों में, बहुत से जिलों में या जिला समूहों में कोई डिग्री कालेज नहीं हैं। तो हम इन तमाम बातों पर विचार करते हुये शिक्षा का वितरण समान हो और सभी को उसकी उपयोगिता एकसां मिल सके इसके लिये निहायत जरूरी है कि हर एक जिले में एक डिग्री कालेज कम से कम जरूर होना चाहिये। अगर प्रणाली का प्रश्न है तो हमारी राज्यपार्टी जो आज की है उसकी बहुत सी व्यवस्था प्रणालियां गलत हैं लेकिन जब इस पार्टी के हाथ में राज्य की व्यवस्था है तब तक हम लोगों को उसी पर चलना पड़ेगा। दोबारा चुनाव हों, उसमें हम देखते हैं कि यह व्यवस्था खराब है और यदि पब्लिक उसे स्वीकार कर लेती है तो हम इस पार्टी की सरकार को बदल कर अपनी व्यवस्थायें लायेंगे। अगर व्यवस्थायें खराब हैं, ढांचा खराब है लेकिन जैसी भी है उसी के हिसाब से वितरण हमें एक हर जिले में ऐसा करना चाहिये जिससे लोगों को एक सा फायदा पहुंचे। उसके लिहाज से यह बहुत ही उपयुक्त प्रस्ताव है।

इस प्रस्ताव के लिये बिला वजह जो सरकार के पंचवर्षीय योजना की दुहाई दी गई लेकिन मैं तो यह कहता हूं कि इस सरकार को थोड़ा सा यश लूटने का मौका है। ज्यादातर जो स्कूल्स, कालेजेज, और डिग्री कालेजेज पब्लिक की मदद के बल पर चल रहे हैं, सरकार उन स्कूल्स को और कालेजेज को थोड़ी सी मदद देगी। तो इस प्रस्ताव में यह जो कहा गया है कि पंचवर्षीय योजना की बात है वह नहीं है, इसमें तो सरकार को यश लूटने

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

का प्रश्न है। अभी हर एक जिले में ऐसे स्कूल्स हैं जो हायर सेकेन्डरी तक चल रहे हैं और चाहते हैं कि हमारे स्कूल्स डिग्री कालेज तक कर दिये जायं। सरकार का बहुत थोड़ा सा खर्चा है और थोड़ी सी मदद उनको देने की जरूरत है और इस लिहाज से मैं समझता हूं कि बहुत ही उपयुक्त प्रस्ताव है। जहां तक किसानों, मजदूरों और सामान्यवर्ग के लड़कों की शिक्षा का प्रश्न है तो वह जो बहुत ही साधारण स्थिति के लोग हैं --उनके लड़के आज डिग्री कालजेज से फायदा नहीं उठा सकते इसलिये कि डिग्री कालेजेज कानपुर, लखनऊ, बनारस, और आगरा जैसे बड़े-बड़े शहरों में हैं और वे अपने लड़कों को वहां शिक्षा नहीं दे सकते हैं। यदि उनके जिलों में डिग्री कालेजेज हों तो साधारण जनता भी उनसे बहुत आसानी के साथ मुस्तफीद हो सकती है। इसलिये इस न्याय दृष्टि से और समाजवादीकरण की दृष्टि से भी यह बहुत उपयुक्त है कि हर जिले में एक डिग्री कालेज हो। साथ ही साथ कोई गैर मुनासिब बात जो इस प्रस्ताव में चाही गयी है वह भी नहीं है, वह भी बहुत सही बात है कि हर तहसील में एक हायर सेकेन्डरी स्कूल हो। ऐसा होने से उस तहसील के जो साधारण स्थिति के किसानों, मजदूरों और गरीब तबके के लोगों के लड़के हैं वे आसानी से किसी न किसी प्रकार से वहां का खर्चा उठा कर तालीम पा सकते हैं और डिग्री कालेज की शिक्षा अपने जिले में पा सकते हैं। क्या जरूरत है उनको कि वे बनारस, लखनऊ, आगरा और अन्य बड़े-बड़े केन्द्रीय स्थानों पर जायं, जहां का जीवन स्तर बहुत ऊंचा है। और इस सब का नतीजा यह होता है कि बहुत से साधारण स्थिति के लोग हैं, जिनके लिये हर सरकार वास्तव में संगठित होती है--- कोई दूसरे तरह की सरकार तो कुछ दिनों तक अपना काम चलाती है, लेकिन जहां तक वास्तविकता का सम्बन्ध है यह बहुत जरूरी है कि हर सरकार को सोचना चाहिये कि जितनी जनता हो सब को एकसां फायदा पहुंचे।

मैं समझता हूं कि हर एक जिले में एक डिग्री कालेज होना बहुत ही जरूरी है और सरकार को भी मैं राय देता हूं कि वह जो बहुत सी फिजूल खर्चियां कर रही है और जिन पर विरोधी दल का कंट्रोल नहीं है क्योंकि इस वक्त हमारी राज्य पार्टी को ऐसा जोम है, हमारा इतना भारी बहुमत है कि अगर आज चाहे कि मिनिस्टरों की तनख्वाह ५ हजार हो जाय तो बड़ी आसानी से पास करवा सकते हैं। उनको बन्द कर दे और अगर केन्द्रीय स्थानों पर एक आध डिग्री कालेज बन्द भी करने पड़ें तो उनको बन्द कर के हर जिले में एक डिग्री कालेज और हर तहसील में एक हायर सेकेन्डरी स्कूल खोले। अब अगर सरकार यह नहीं कर सकती है और कहती है कि जो फिजूलखर्ची हम करना चाहें वह करें तो ऐसी हालत में हम सरकार को जैसी वह संगठित है यह राय देना चाहते हैं कि वह कम से कम इतना जरूर करे कि वह अगर अपने खजाने का पैसा इस न्यायकारी काम में नहीं दे सकती है तो जो जनता द्वारा, जनता के प्रबन्ध से, उस की मेहनत से इंस्टीट्यूशन्स कायम किये गये हैं उनको रेकग्नीशन दे, उनको डिग्री कालेज तक हर एक जिले में रेकग्नीशन दे और थोड़ी सी जैसी मदद देती है वह मदद भी दे तो यह भी एक मुनासिब बात हो सकती है। अगर यह सरकार इतना ही कर दे तो मैं समझता हूं कि इस प्रस्ताव की जो मूल भावना है उसको बहुत फायदा पहुंच सकता है और हमारी जनता को जिसके लिये यहां पर हम बहुत लम्बी-चौड़ी दुहाइयां देते हैं उसका बहुत कुछ काम पूरा हो सकता है। हमारे माननीय सदस्य मूल चीज को कुछ अजीब तरीके से विषयान्तर करने की कोशिश करते हैं। कहीं कहते हैं कि प्रणाली खराब है, कहीं कहते हैं कि यह बात है, कहीं कहते हैं कि वह बात है तो जैसी चीजों को ऐसी जगह लाने की जरूरत नहीं है क्योंकि यदि प्रणाली खराब है तो हमारे बस की बात नहीं है और जो शिक्षा चल रही है उसको समूल नष्ट कर सकें तो वह हम कर नहीं सकते हैं तो जैसी तालीम है उसी के लिये हम यह कर सकते हैं कि वह हर जिले में दी जा सके। अमीर के लड़कों के लिये तो यह है कि यदि टेक्नीकल कालेज आगरे में अच्छा नहीं है तो वह बनारस चले जायेंगे। लेकिन गरीबों के लड़कों को सोचने का मौका नहीं है। बल्कि यह आवश्यक है कि जहां जैसी तालीम सम्भव है,

[श्री वंशीदास धनगर]

चाहे इटावा में हो, उन्नाव में हो या मैनपुरी में हो, वह तो अपने जिले में ही तालीम पा सकते हैं और बाहर जा कर तालीम हासिल करना उनके इमकान से बाहर की बात है। हमारी सरकार के पास इन सही चीजों के लिये पैसा नहीं है।

हमारे मिनिस्टर साहब ऐसी बातों को नहीं सोचते हैं और अपनी तनख्वाह बढ़ाने के लिये अंडर हैंड पालिसी काम में ला सकते हैं और पार्टी के सदस्यों से प्रस्ताव लिवा ला सकते हैं। अगर कोई आर्डीनेन्स आ गया तो उसका प्रचार करेंगे और कांग्रेसी सदस्य बोलना भी चाहें तो उनकी व्यक्तिगत भावनाओं पर कुठाराघात कर के हमारे मिनिस्टर साहब और पार्टी के सदस्य यह करेंगे कि उनकी स्वतंत्र व्यक्तिगत भावनाओं को दबाकर उनका प्रकाशन न करें बल्कि गलत चीज का प्रकाशन करें। जहां ऐसी चीज हो, ऐसे वातावरण में जो चीज सम्भव है वहां मैं जोरदार तौर पर यह बात कहूंगा कि यदि सरकार के पास पैसा नहीं है तो इतना ही करे कि जो संस्थायें रिकगनीशन चाहती हैं उनको दे दिया जाय और हर जिले में एक डिग्री कालेज खोल दिया जाय।

श्री वीरेन्द्रपति यादव (जिला मैनपुरी)—उपाध्यक्ष महोदय, मैं शिक्षा प्रेमी होते हुए भी देखता हूं कि मुझे इस प्रस्ताव का विरोध करना पड़ रहा है और मैं समझता हूं कि यह जनहित में है। विशेषतौर से ऐसी परिस्थितियों में जहां हम देखते हैं कि हमारी ग्रामीण जनता या बालक बालिकायें आज निरक्षरता के अंधेरे में फलफूल रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, जहां तक इस प्रस्ताव का प्रश्न है मैं कुछ वैधानिक कठिनाई समझता हूं। जहां तक डिग्री कालेज का उल्लेख किया गया है, मैं समझता हूं कि सरकार की नीति है कि डिग्री कालेजेज का यूनिवर्सिटी ऐक्ट के अन्तर्गत प्रसार किया जाय। सरकार की यह आम पालिसी है कि जितने डिग्री कालेजेज खोले जायं, वहां पर जो क्षेत्रीय यूनिवर्सिटीज हैं, उनका कार्यक्रम है, और वही उस पर विचार करेंगे कि वहां कालेज की स्थापना की जाय। जहां तक सरकार की नीति है वह यह है कि प्रदेश में गवर्नमेंट कालेज की स्थापना नहीं होनी चाहिये, और मैं समझता हूं कि सरकार निकट भविष्य में विचार कर रही है कि जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन्स हैं उनको चालू रखा जाय या नहीं। जैसे कि गवर्नमेंट की तरफ से इकोनोमिक कमेटी की सिफारिशों में कहा गया था कि सरकार को अगर पब्लिक इंटरेस्ट में कुछ रुपया बचाना है तो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन्स को जैसे कि डिग्री कालेजेज हैं जो सरकार की तरफ़ से चलते हैं या इंटर कालेजज हैं वह बन्द कर दिये जायं। मैं समझता हूं कि डिग्री कालेजेज सरकार की तरफ से खोलना उचित नहीं है।

जहां तक सेकेन्डरी स्कूलों का प्रश्न है मैं समझता हूं कि हमारे कुंवर साहब जिन्होंने प्रस्ताव पेश किया है वह सरकार को पीछे लिये जा रहे हैं न कि आगे, आपके प्रस्ताव में कहा गया है कि प्रत्येक जिले की किसी तहसील का हेडक्वार्टर ऐसा न हो कि जहां कम से कम एक सेकेन्डरी स्कूल न हो, लेकिन अगर आज आप औसत निकालें तो मालूम होगा कि हमारे यहां ज्यादा स्कूल हैं। उदाहरण के लिये हम लें कि एक जिले में ५ तहसीलें हैं और इस तरह से पूरे सूबे में २५० या ३०० से ज्यादा तहसीलें नहीं आती हैं तो आप का कहना अगर मान लिया जाय तो हमारे सूबे में कम से कम २५०, ३०० सेकेण्डरी स्कूल होने चाहिये। लेकिन अगर मैं भूलता नहीं हूं तो हमारे प्रदेश में २,००० से ऊपर सेकेन्डरी स्कूल्स हैं। यह जरूर है कि किसी-किसी तहसील में सेकेण्डरी स्कूल न होंगे लेकिन वहां पर ऐसी परिस्थिति होगी कि जिसके कारण वहां स्कूल नहीं हो सकते होंगे, वहां पर कोई इमारत न होगी, वहां की जनता नहीं चाहती होगी या और दूसरी सुविधायें वहां प्राप्त न होंगी। तो इस तरह से जहां तक सेकेण्डरी शिक्षा का सवाल है, उस के लिये सरकार ने काफी किया है लेकिन मैं साथ ही साथ यह भी कहना चाहता हूं कि आज हमें उच्च शिक्षा की तरफ ध्यान नहीं देना है। यूनिवर्सिटीज की तरफ, डिग्री कालेजेज की तरफ ध्यान नहीं देना है बल्कि हमें प्राइमरी शिक्षा की तरफ ध्यान देना है। आज हमारी इस उच्च शिक्षा से आम जनता के बालक

और बालिकायें लाभ नहीं उठा सकती हैं। मैं अपने साथियों के विचारों से पूर्ण सहमत हूं जो उन्होंने अभी इस सदन में प्रकट किये। मैं समझता हूं कि जब तक हमारे प्रदेश के कोने-कोने में शिक्षा नहीं हो जाती, हमारे बालक-बालिकाओं को पूरे तौर से पढ़ने की सुविधा नहीं हो जाती तब तक सरकार को उच्च शिक्षा की तरफ ध्यान नहीं देना चाहिये।

आज सरकार इस प्रदेश में बहुत सी युनिवर्सिटियां खोलने जा रही है। गोरखपुर विश्वविद्यालय का बिल हमारे सामने आ चुका है, मेरठ में भी सरकार यूनिवर्सिटी खोलना चाहेगी, कानपुर के लिये भी उसको शीघ्र विचार करना होगा, तो मैं ऐसे समय में सरकार से जनहित में यह नम्र निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार यूनिवर्सिटी के लिये जो रुपया खर्च करना चाहती है उसे अगर वह वहां न खर्च कर के ग्रामों में छोटे-छोटे स्कूलों को खोलने में खर्च करे तो बहुत अच्छा होगा। मैं अपने शिक्षा मन्त्री को यह भी याद दिलाना चाहता हूं कि संविधान की बात जाने दीजिये, सरकार की नीति की बात जाने दीजिये, अभी हाउस में एक प्रस्ताव पास हुआ था और वह यह था कि हमारे संविधान में जो व्यवस्था की गयी है, कि प्रदेश में शीघ्र से शीघ्र प्रारंभिक शिक्षा को अनिवार्य करना चाहिये, निःशुल्क करना चाहिये, हम चाहते हैं कि वह उसकी ओर पहले ध्यान दें। हम देखते हैं कि हमारी नगरपालिकाओं ने प्रारम्भिक शिक्षा को अनिवार्य किया है। कहा जाता है कि १२६ म्युनिसिपैलिटियों ने शिक्षा को अनिवार्य किया है, लेकिन दुःख यह है कि सरकार को जहां ध्यान देना चाहिये वहां वह ध्यान नहीं देती और जहां ध्यान नहीं देना चाहिये उस बात पर वह खूब ध्यान देती है। आज प्रदेश की आवाज है कि सरकार गांव के आदमी को ऊपर उठाये। यह ठीक है कि हमें शहरों की जनता से कोई बुग्ज नहीं करना चाहिये, न है ही, लेकिन जहां तक बड़ी-बड़ी यूनिवर्सिटीज का तालुक़ है, डिग्री कालेजों का ताल्लुक़ है या शिक्षा के क्षेत्र में और भी चीजों का ताल्लुक़ है वह सब शहरों में ही होती हैं। हमारी सरकार की तरफ से शिक्षा सप्ताह शहरों में ही मनाया जाता है। मैं माननीय शिक्षा मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि यह शिक्षा सप्ताह कितने गांवों में मनाया जाता है? तो जिस चीज का प्रचार जहां किया जाना चाहिये वहां वह नहीं किया जा रहा है।

अध्यक्ष महोदय, मैं इस सम्बन्ध में यह कहना चाहता हूं कि अगर डेमोक्रेसी को दृढ़ करना है तो, जैसा कि रावत जी ने कहा, सरकार को प्रारंभिक शिक्षा की तरफ ध्यान देना होगा और इसके लिये यूनिवर्सिटी के लिये जो खर्च की बात है उसको बन्द कर के इसको पूरा करना होगा। यूनिवर्सिटीज पर जो खर्च हो रहा है वह बन्द कर दिया जाय। हमारे यहां जो और यूनिवर्सिटीज खुलने जा रही हैं उनको भी आप बन्द कर दें। जो रुपया उनमें आप खर्च करने जा रहे हैं वह ग्रामीण जनता के ऊपर आप लगा दें। आज हम देखते हैं कि हमारे प्रदेश में गरीब जनता के पास इतना भी पैसा नहीं है कि वह अच्छे तरीके से अपने बालकों को प्रारम्भिक शिक्षा दे सकें। इस बात की खुशी है कि सरकार ने हाल ही में आगामी जुलाई से प्रारम्भिक शिक्षा की फीस आधी करने का एलान किया है। सम्भव है एक साल के बाद पूरी तरह से कम कर दी जाय। लेकिन जो कुछ सरकार ने किया वह सन्तोषजनक नहीं है। हम यह देखते हैं कि दूसरे प्रदेशों में हमारे यहां से शिक्षा की व्यवस्था बहुत अच्छी है। वैसे कहने के लिये कह सकते हैं कि जितनी यूनिवर्सिटीज हमारे प्रदेश में हैं उतनी किसी प्रदेश में नहीं हैं। लेकिन प्रारम्भिक शिक्षा की तरफ जो ध्यान दिया गया है दूसरे प्रदेशों के मुकाबले में वह शून्य के बराबर है। जहां तक हमको दूसरे प्रदेशों में शिक्षा की व्यवस्था को देखने का अवसर मिला है हमने इस युग में वहां पर देखा कि शिक्षा की व्यवस्था वहां पर बहुत अच्छी है। लेकिन हम देखते हैं कि हमारे यहां जो वजीफे या छात्रवृत्ति दी जाती है वह यहां की संख्या को देखते हुये हम समझते हैं कि बहुत अपूर्ण है। उसकी संख्या काफी बढ़नी चाहिये। वैसे शिक्षा का विषय ऐसा है कि उसके विषय में कुछ कहना एक उपहास समझा जाता है। जिम्मेदार लोग जनहित में गरीब जनता के हित में जहां हम अपने प्रजातंत्र के पैरों को मजबूत करना चाहते हैं वहां पर यह कहने के लिये तैयार हैं कि अगर आपको

[श्री वीरेन्द्रपति यादव]

कदम उठाना है और प्रदेश को आगे बढ़ाना है तो सब से पहले आप को अपनी ग्रामीण जनता और ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा का प्रसार करना होगा और अच्छा है कि शीघ्र से शीघ्र जो व्यवस्था हमारे संविधान में प्रारम्भिक शिक्षा के सम्बन्ध में की गयी है उसको कार्य रूप में परिणत करें। अगर यह नहीं होता है तो इन यूनिवर्सिटीज के खोलने से कोई अधिक लाभ नहीं होगा और जहां पर हमारी गरीब जनता है वह वहीं पर रहेगी। उसका नतीजा यह होगा कि जो आप ने डेमोक्रेसी गांव-गांव में चालू की है और जहां से इस भवन में प्रतिनिधि बन कर आये हैं उस गांव की जनता को और उनक बालकों को आपको कम से कम इस १० साल या १५ साल के अन्दर इस योग्य कर देना है कि जिससे वह यह समझ सकें कि डिमोक्रेसी क्या चीज है और हम लोग जो इस सदन में आते हैं उनके लिये क्या करते हैं। जब तक हम उनको नहीं उठाते हैं हम समझते है कि प्रदेश का सुधार नहीं हो सकता है। इस सम्बन्ध में मैं अधिक नहीं कहना चाहता हूं केवल वही शब्द पुनः दोहराना चाहता हूं कि आप को ऊंची शिक्षा की तरफ, यूनिवर्सिटी और डिगरी कालेज की तरफ कम ध्यान देना चाहिये और ग्रामीण क्षेत्रों की तरफ अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। अगर आपने कुछ ग्रामीण क्षेत्रों के लिये किया और उनको आगे बढ़ाया तो मैं समझता हूं कि उससे आपका कल्याण होगा और प्रदेश का कल्याण होगा और देश का कल्याण होगा। बगैर उनको उठाये हुये हम लोग उठ नहीं सकते हैं और हमारी डेमोक्रेसी भी पनप नहीं सकती है। मैं समझता हूं कि जो कुछ मैंने कहा है उस पर माननीय शिक्षा मंत्री जी, जो योग्य व्यक्ति हैं और गांवों के व्यक्तियों से उनका सम्बन्ध है, ग्रामीण क्षेत्रों की तरफ अधिक ध्यान देने की कृपा करेंगे।

श्री टीकाराम (जिला बदायूं)—उपाध्यक्ष महोदय, आज यह शिक्षा का विषय चल रहा है। अच्छा विषय है। मैं भी शिक्षक रहा हूं और मैंने भी पढ़ाया है इसलिये मैं जानता हूं कि शिक्षा क्या है। आजकल के प्राइमरी स्कूलों में शिक्षा ऐसी होती है कि ३, ४ वर्ष तक लड़का पढ़ता रहे लेकिन उस को १, २ लिखना नहीं आता है। मुदर्रिस आकर बैठ गये, साल भर में रुपया ले लिया और लड़के को ऊपर चढ़ा दिया। मेरे भी दो बच्चे पढ़ते हैं मैंने उनसे पूछा कि पूरब किसे कहते हैं तो वह पूरब नहीं बता सके कि किसको कहते हैं। पहले प्रारम्भिक शिक्षा को दुरुस्त करना चाहिये। डिप्टी इंसपेक्टर और सब-डिप्टी इन्सपेक्टर और अध्यापक शिक्षा की ओर बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं। हमने मास्टरों से कहा, तो उत्तर मिला कि हमारे मुआयने देख लीजिये और स्कूल की तस्वीरें देख लीजिये। परन्तु उन्हें कोई जरूरत यह देखने की नहीं है कि बच्चा पढ़ा है या नहीं और उसे पहाड़े याद हैं या नहीं। मदरसा सजा देना और डिप्टी इंस्पेक्टरों को खुश करना मास्टरों का मियार रह गया है। कोई लड़का जब तक टियुटर नहीं लगाता है तब तक पास नहीं हो सकता है। अब बतलाइये कि देहात का लड़का कहां से ट्यूशन के लिये रूपया लावे। किताबों का बोझ इतना बढ़ा दिया है कि गधे पर लाद लीजिये। फीस भी बढ़ा दी है, फिर ट्यूशन के लिये रुपया कहां से लावें? अगर यही हालत रही तो शिक्षा पर जो खर्चा हो रहा है वह सब व्यर्थ है। मैं देखता हूं कि लड़का ७९ नहीं लिख सकता और पहाड़ा तो जानता ही नहीं है। मैं मंत्री जी से कहता हूं कि जरा नीचे भी मास्टरों और डिप्टी इंस्पेक्टरों की भी निगरानी कीजिये। मदरसा सजा देने से और मुआयना अच्छा होने से ही शिक्षा नहीं हो सकती। इम्तहान में सब लड़कों को तरक्की दे दी जाती है और चाहे कोई पास करने लायक़ हो या न हो। पार साल जूनियर हाई स्कूल में सातवें दर्जे के लड़कों की कापियां मैंने देखी, इमले में मास्टर लोग कमरा बन्द कर के नक़ल करा रहे थे। मैंने डिप्टी इन्सपेक्टर के यहां यह बात पेश की और फिर इम्तहान हुआ मुदर्रिस स्कूल में आते हैं और चाहे श्रमदान करें या श्रमदान करें लेकिन जब पूछा जाता है तो कहते हैं कि लड़का तख्ती नहीं लाया और फीस ले लेते हैं।

श्री शिवनारायण (जिला बस्ती)---हमारे सामने एजेन्डा में डिग्री कालेजेज का जिक्र है, प्राइमरी शिक्षा का कोई जिक्र नहीं है। इसलिये वह डिग्री कालेजेज की बात करें।

श्री उपाध्यक्ष---माननीय सदस्य प्राइमरी एजूकेशन पर ज्यादा जोर देना चाहते हैं।

श्री टीकाराम---मैं कम पढ़ा हूं, गांव का आदमी हूं, मुझे माफ करेंगे। यह हालत तो हमारे स्कूल की है जो मैंने अभी बताई थी। प्राइमरी शिक्षा ही आपकी जड़ है और जब बुनियाद ही कमजोर है तो बालू की भीत नहीं बन सकती है। नीचे ही बच्चा कुछ नहीं जानता तो फिर हायर स्कूल में और कालेज में जा कर फेल होता है। तो मैं प्रार्थना करूंगा माननीय मन्त्री जी से कि इस कमी को दूर करें।

*श्री देवकी नन्दन विभव (जिला आगरा)---उपाध्यक्ष महोदय, जो संकल्प सदन के सामने प्रस्तुत है उस संबंध में मैं यह पहले ही स्पष्ट कर दूं कि मैं उच्चत्तर शिक्षा के विरोध में नहीं हूं। परन्तु आज इस प्रश्न के सदन में उपस्थित होने पर मौलिक प्रश्न हमारे सामने आते हैं और उन पर विचार करना हमारे लिये बहुत आवश्यक है। इस विषय पर विस्तार के साथ कह कर मैं सदन का अधिक समय नहीं लेना चाहता हूं। परन्तु मेरा विश्वास है कि इन ७,८ वर्षों में हमारी सरकार ने जो संख्या उच्चतर विद्यालयों और कालेजों को बढ़ाने का प्रयत्न किया है और छात्रों की संख्या में जो वृद्धि हुई है, उसे देखते हुये कोई सरकार को दोष नहीं दे सकता कि उसने इस संख्या की ओर ध्यान नहीं दिया है। परन्तु मेरा ख्याल है कि आज हमारे प्रदेश में शिक्षा के लिये कोई योजना नहीं है। आज तक कभी हमने इस बात पर विचार नहीं किया कि हम रोज-रोज उच्चतर शिक्षालय और कालेज खोलते जाते हैं और उनसे जो विद्यार्थी निकलते हैं उनका क्या उपयोग समाज के लिये होता है और क्या हम अपने देश और प्रदेश के लिये कर रहे हैं। मुझे अफसोस है और मेरा निजी अनुभव है कि जहां हमारे विद्यालयों की संख्या बढ़ी है वहां उनका स्तर नीचे गिरा है। आज जो विद्यार्थी निकलते हैं पढ़कर, आज हमारे प्रगतिशील समाज के लिये जैसे विद्यार्थियों की जरूरत है, जैसे युवकों की आवश्यकता है, वैसे नहीं निकलते हैं, वैसे युवक हमारे विद्यालय नहीं पैदा कर रहे हैं। तो हम यह संकल्प पास करना चाहते हैं तो मौलिक प्रश्न आता है कि क्या हम इन विद्यालयों की संख्या बढ़ाते जावें और उनके स्तर की ओर ध्यान न दें? मैं समझता हूं कि विद्यालय खोलने पर सरकार का कर्त्तव्य हो जाता है कि यह देखे कि इनसे निकले विद्यार्थियों का समाज के लिये क्या उपयोग हो रहा है। यदि वे बेकार हैं और भट्टी में छोड़ दिये जाते हैं तो हम अपना कर्त्तव्य पालन नहीं करते हैं। आज प्रश्नों के समय इसकी चर्चा थी, तो मैं कहना चाहता था कि सरकार का यह कर्त्तव्य होना चाहिये, हर स्कूल और विश्व विद्यालय का कर्त्तव्य होना चाहिये, कि वह इस बात का लेखा रखे कि उसके निकले विद्यार्थी का उपयोग क्या हुआ, वह आज समाज के लिये कहां क्या कर रहा है। मैं शिक्षा मंत्री से निवेदन करूंगा कि वह इस बात का निर्णय और प्रबन्ध करें कि प्रत्येक शिक्षालय इस बात का लेखाजोखा रखे कि उसके विद्यार्थियों का क्या उपयोग किया जा सकता है और क्या हो रहा है। तो इस तरह से कालेजेज और विद्यालय खोलते चले जाते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि उनसे आप चाहते क्या हैं? मैं जानता हूं कि मेरे जिले में शायद ही ऐसी कोई तहसील हो जहां कम से कम एक उच्चतर विद्यालय न हो। कुछ जिले ऐसे हो सकते हैं जहां ऐसे विद्यालय नहीं हैं मुझे वहां खोले जाने में कोई विरोध नहीं है। जहां आवश्यकता हो वहां अवश्य खोले

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री देवकी नन्दन विभव]

जाने चाहिये। लेकिन इस समय जो मौलिक प्रश्न हमारे सामने है हमें उस पर अवश्य विचार करना चाहिये। हम पहले यह निर्णय कर लें उस शिक्षा की पद्धति और प्रणाली से या जो विद्यार्थी वहां से पढ़ कर निकाले जाते हैं वह किस स्तर के निकलते हैं। आज जो उच्चतर विद्यालय खुल रहे हैं उनमें जो विद्यार्थी पढ़ते हैं उनमें पहले ही एक भावना पैदा हो जाती है कि अपने ग्रामों को छोड़ कर शहरों में चलेंगे, शहरों की आबादी को बढ़ायेंगे।

अगर इस प्रस्ताव में संशोधन की गुंजाइश हो तो मैं इस प्रस्ताव में यह संशोधन रखूंगा कि पहले यह निर्णय होना चाहिये कि प्रत्येक ग्राम में हम प्रारम्भिक स्कूल खोलें। मैं समझता हूं कि सरकार का सबसे पहला कर्तव्य और सब से पहला ध्यान इस तरफ होना चाहिये कि प्रारम्भिक शिक्षा का अधिक से अधिक विस्तार हम कर सकें। गांवों और देहात में कोई ऐसा व्यक्ति न छोड़ें जो शिक्षा से शून्य हो। अधिक मैं क्या कहूं आज आवश्यकता इस बात की है कि आज हमारे देश में जिस शिक्षा की जरूरत है, बहुत से हमारे क्षेत्र हैं, उसकी शिक्षा हमें देनी चाहिये। मैं जानता हूं कि आज हमारे देश में औद्योगीकरण की आवश्यकता है, हमें उसके लिये व्यक्ति चाहिये लेकिन जो आज शिक्षालयों में शिक्षा दी जा रही है वह शिक्षा बिल्कुल अनुपयुक्त है। टेक्नीकल क्षेत्रों के लिये जो विशेषज्ञ हमें चाहिये वह अभी नहीं मिलते हैं। मैं यह भी जानता हूं कि समाज में ज्ञान की वृद्धि के लिये साधारण ज्ञान की भी आवश्यकता होती है। सारे लोग विशेषज्ञ भी नहीं बनाये जा सकते लेकिन वह भी ज्ञान सामूहिक और ठोस होना चाहिये। लेकिन लोग आज बी० ए० कर लेते हैं, ला कर लेते हैं लेकिन बाद में समझ में नहीं आता कि वे क्या करें। अनायास ही ला और एम० ए० की क्लास ज्वाइन कर लेते हैं। मुझे ऐसे विद्यार्थी मिले हैं जो कहते हैं कि हमारा मार्ग प्रदर्शन नहीं किया गया और हमने गलती से विषय ले लिये, अब हमारे लिये कोई रास्ता ही नहीं है। इसलिये जब हम शिक्षा का विस्तार करें तो हमारी प्रापर प्लानिंग होनी चाहिये। शिक्षा में प्लानिंग की बहुत आवश्यकता है। मैं सरकार से कहूंगा कि पेश्तर इसके कि डिग्री कालेजेज का विस्तार करे, उच्चतर विद्यालयों की संख्या को बढ़ायें, उसकी प्रापर प्लानिंग होनी चाहिये। उसको यह मालूम होना चाहिये कि किस क्षेत्र के लिये कितने विद्यार्थियों की आवश्यकता है और उस क्षेत्र के लिये उतने ही विद्यार्थियों को लेना चाहिये। मैं अब केवल इतना ही कहूंगा कि हम शिक्षा के दृष्टिकोण को समझें और शिक्षा के क्षेत्र की आवश्यकताओं पर ध्यान दें।

श्री शिवनारायण---उपाध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा मैं माननीय रणंजय सिंह जी के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। इस मूल प्रस्ताव का जो लक्ष्य है उसको देख कर मुझे प्रसन्नता होती है। आज अपने देश में हमें उत्थान करना है। किसी भी सभ्य सरकार और सभ्य देश का सब से प्रथम कर्तव्य यह है कि वह अपने देश की जनता को शिक्षित करे। अभी हमारे देश में शिक्षा की कमी है, आज हमारे देश में संस्कृत के प्रचार की जरूरत है, हमारे देश का जो मारल स्टेंडर्ड है वह बहुत नीचा है और अगर हर जिले में डिग्री कालेज होंगे तो हर जिले के लड़के वहीं बी० ए० पास कर लेंगे और बस्ती में हमारा बच्चा बी० ए० पास कर सकता है और वह लखनऊ या बनारस में आकर चक्कर नहीं लगायेगा वह वहीं घर पर कुरता धोती पहन कर साधारण जीवन रख कर विद्या प्राप्त कर सकेगा और ग्रेजुएट हो जायगा और अगर वह फर्स्ट डिवीजनर हुआ तो पोस्ट ग्रेजुएट के लिए और ला के लिए वह लखनऊ या बनारस आ सकता है। मेरे एक दोस्त ने अभी कहा, कि हमारे देश के विद्वानों ने शिक्षा के सम्बन्ध में अभी तक कोई स्कीम नहीं बनाई। मैं उनको बताना चाहता हूं कि हमारे बुजुर्ग आचार्य नरेन्द्रदेव जी की रिपोर्ट मौजूद है और हमारे यहां श्री राधाकृष्णन् जैसे लोग मौजूद हैं जिनको बुद्धि

का खजाना कह सकते हैं। इसलिए मैं कहूंगा कि कोई यह न समझे कि हमारे देश में विद्वान नहीं हैं, रत्न नहीं हैं। लेकिन जरूरत इस बात की है इस वक्त कि हमको आपको अपनी जिम्मेदारी महसूस करनी चाहिये।

एक माननीय सदस्य ने कहा कि प्राइमरी एजूकेशन के टीचर्स कुछ नहीं करते। मैं पूछता हूं कि आपके बच्चे १८ घंटे आप के पास रहते हैं, आप कभी अपने बच्चे से पूछते हैं कि क्या पढ़ा और क्या कभी कोई टीचर से मिल कर पूछता है कि वह क्या कर रहा है? साल भर बीत जाता है कोई टीचर के दर्शन नहीं करता, आप जायें और टीचर से सहयोग स्थापित करें। आज हम देखते हैं कि गुरु का कोई स्थान नहीं रह गया है और गुरु की इज्जत द्रोणाचार्य जैसी इज्जत नहीं है और अगर आप गुरुओं को गुरु द्रोणाचार्य जैसी इज्जत नहीं देते तो मैं कहना चाहता हूं कि तुम्हारे यह कालेज चपरासी पैदा करेंगे और यही कारण है कि वहां निकम्मे पैदा होते हैं जो सड़कों पर नारे लगाते हैं। हमारे जो बुजुर्ग यहां बैठे हैं और जो पंडित नेहरू से नीचे तक के नेता हैं वह सब भी इसी देश की यूनीवर्सिटी में पढ़े हैं, वह भी इसी देश के लाल रहे हैं। इसमें सब जिम्मेदारी टीचर्स की ही नहीं है, कुछ गार्जियन्स की भी जिम्मेदारी है। मैं कहना चाहता हूं कि आप डिग्री कालेज जरूर खोलें, सब तरफ से जो लड़के लखनऊ, बनारस में जमा हो जाते हैं और वह यहां आकर पालिटिक्स में इन्टर्फियर करते हैं, कालेजों में पालिटिक्स बैन करना चाहिये। इंगलैण्ड की यूनिवर्सिटी में ऐसी व्यवस्था है। हमारे देश के आश्रमों में ही शिक्षा का यह स्तर था कि चाणक्य जैसे राजनीतिज्ञ पैदा हुए। इस लिए यह शिक्षा केन्द्र गांवों में ही होने चाहिए, वह सिनेमा के वायुमण्डल से दूर रहें। जो तपस्वी लोगों के स्थान हरिद्वार आदि हैं वहां ऐसे आश्रम होने चाहिये। शहरों में बिजली मोटर हर चीज है लेकिन जिन गांवों का हमें उत्थान करना है जिनकी बदौलत हम पलते हैं वहां भी वह प्रकाश पहुंचना चाहिए, जब वहां विद्वान पहुंचेंगे और गांव-गांव शिक्षा पहुंचेगी और हर जिले में डिग्री कालेज होंगे तो वहां के लोगों को लाभ होगा। एक सज्जन ने कहा कि वर्मा जी रिकग्नीशन नहीं दिलाना चाहते हैं लेकिन शायद उनको पता नहीं है कि जो डायरेक्टर महोदय हैं वह इसमें रोड़े अटकाया करते हैं। हम सब यह कहते हैं कि गवर्नमेंट क्या कर रही है लेकिन जरूरत है कि हर आदमी अपनी जगह पर अपना कर्तव्य पालन करें। इसलिये हर जिले में डिग्री कालेज जरूर खोले जायं। गोरखपुर में यूनिवर्सिटी खुल रही है तो मैं शिक्षा मंत्री जी का ध्यान दिलाऊंगा कि वह आसपास के जिलों में डिग्री कालेजों का प्रबन्ध करें वर्ना वहां यूनिवर्सिटी की आबादी बहुत बढ़ जायगी और हर लड़का गोरखपुर पहुंचेगा और वहां भी खाने और रहने की दिक्कत हो जायगी। जिले में होगा तो आसानी से आपरेशन होगा।

एक बात जरूर है मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि सारी शिक्षा को सरकार अपने हाथ में ले ले। यह जो प्राइवेट बिजनेस करते हैं वे शिकायत करते हैं कि हमको रिकग्नीशन नहीं मिलता। मैं जानता हूं कि रिकग्नीशन नहीं मिलता लेकिन आपने वह अनर्थ नहीं देखा। "बुरा जो देखन मैं चला, मों सों बुरा न कोय"। एक मकान खड़ा कर दिया, थोड़ा सा फर्नीचर डाल दिया और दो चार मास्टर रख लिये और लगे मांगने रिकग्नीशन। मैं स्वयं शिक्षक हूं। क्या-क्या वहां होता है मैं उसको नहीं कहना चाहता लेकिन मैं समाज के व्यक्ति के नाते, एक मेम्बर होने के नाते पुनः सरकार से कहना चाहता हूं कि सरकार सारी शिक्षा की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ले। जो पैसा इधर उधर उड़ रहा है वह बच जायगा। सरकार अगर अपने हाथ में ले लेगी तो जो इनडिसिप्लिन है वह खत्म हो सकती है। आप देखेंगे कि किसी भी गवर्नमेंट कालेज में इनडिसिप्लिन नहीं है, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में बदमाशी है, गुंडागीरी है लेकिन किसी गवर्नमेंट इंस्टी-

[श्री शिवनारायण]

टयूशन में आपने ऐसी गुंडागीरी का नाम न सुना होगा जो कि प्राइवेट इंसटीटयूशंस में होती है और जो गड़बड़ियां वहां होती हैं। तो गवर्नमेंट को चाहिये कि वह चेक करे और डिग्री कालेज खोल दे। हमारा जो सिद्धान्त है, जो नारा है, हमने सोशलिस्ट पेटर्न आफ सोसाइटी का ऐलान किया है वह सही है, गलत नहीं है। हम उसी लक्ष्य पर चलेंगे। पंडित नेहरू ने कहा था कि हमको बहुत लेबर करनी चाहिये। हमको आगे बढ़ना है, बहुत काम करना है। हर एक आदमी और हर बच्चे का आज यह कर्तव्य है कि वह मेहनत करे। आज सोने का समय नहीं है। आने वाली संतानों को ही आराम मिलेगा। हम लोग उस युग में पैदा हुए हैं जो गांधी और नेहरू का युग रहा है। हम पंत मिनिस्ट्री और डा० सम्पूर्णानन्द के जमाने के सदस्य हैं। इन महान् नेताओं के नेतृत्व में देश के उत्थान के लिये हम यहां मेम्बर हैं और इस देश को बनाने का भाग्य हमारे हाथ में है। मेहनत से हमें आज काम करना है।

हमारे कुछ मित्रों ने कहा कि डिग्री कालेजेज की जरूरत नहीं है। मैं उनसे कहूंगा कि जरा अपनी बुद्धि की आंखों पर से परदा हटा दें। अपने बाप दादाओं के कारनामों को देखें। हमारी क्या संस्कृति थी। इसी देश के अन्दर नालन्दा और तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालय मौजूद थे जहां पर दुनिया से लोग शिक्षा प्राप्त करने आते थे। आज २,५०० वीं बुद्ध जयन्ती मनाई जा रही है पड़ोस के देश में, जहां बुद्ध भगवान् के अनुयायी आने वाले हैं। उस नालन्दा विश्वविद्यालय में विदेशों से, चीन वगैरह दूर-दूर देशों से लोग शिक्षा प्राप्त करने वाले आते थे और हमारे मित्र कहते हैं कि उसकी आज जरूरत नहीं है। मैं तो कहता हूं कि आज जिले-जिले के कोने-कोने में शिक्षा का प्रचार होना चाहिये। जो लोग यह कहते हैं कि सरकार नहीं करना चाहती वह गलत कहते हैं। सरकार तो शिक्षा को बढ़ाना चाहती है। हमको भी हर जिले में डिग्री कालेजेज की डिमांड करनी चाहिये। क्योंकि गरीब घरों के जो बच्चे हैं, हमारे जो हरिजन बच्चे हैं उनके पास इतने पैसे नहीं हैं कि लखनऊ में आकर ठहरें, बनारस जाकर या आगरा जाकर पढ़ें। उसके लिये उनको परेशान होना पड़ता है। सरकार को भी परेशानी होती है। अगर हर जिले में डिग्री कालेजेज हो जायंगे तो हमारे बच्चे एक-एक, दो-दो मील गांव से चल कर बस्ती से पास होकर चले जायंगे। सरकार को आसानी होगी। मैं तो कहना चाहता हूं कि शिक्षा बढ़े ताकि समाज का उत्थान हो, कल्याण हो।

हमारे एक पूज्य वयोवृद्ध नेता ने कहा कि सहशिक्षा नहीं होनी चाहिये। मैं उनके समर्थन में हूं। लड़कियों की शिक्षा अलग होनी चाहिये। उनके कालेज और यूनिवर्सिटीज अलग हों। मैं नहीं कहता कि उनको पढ़ाया न जाय। उनको जरूर पढ़ाया जाय लेकिन दोनों को साथ रखने से काम नहीं चल सकता। बड़े-बड़े अंग्रेजों ने माना है कि एक साथ दोनों की शिक्षा से लाभ नहीं है। उनमें डिस्टरबेंस क्रिएट होता है। इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इसको लक्ष्य में रख कर हमें अपने देश की संस्कृति को बनाना है।

"सुखार्थिनः कुतो विद्या, विद्यार्थिनः कुतो सुखम्।"

इस तरह के विद्यार्थी हम बनाना चाहते हैं जो सुखार्थी न हों, त्यागी हों, तपस्वी हों, तभी हम गांधी और नेहरू पैदा कर सकते हैं। इस देश को राम लक्ष्मण, प्रताप जैसे त्यागी पैदा करने की आवश्यकता है। हम अपनी शिक्षा को ऐसी ऊंची उठाएं जिससे कि जैसा गुरुदेव ने कहा है कि संसार भर में मैत्री स्थापित करने के लिए शान्तिनिकेतन हमारे देश में स्थापित है। वह एक आदर्श है, वह एक प्रकाश है जो संसार को प्रकाश दे रहा है। इस देश का देशवासी चाहे वह दक्षिण का हो, पश्चिम का हो, पूर्व का हो उसका कर्तव्य है कि वह देश के उत्थान के लिए शिक्षा को ऊंची से ऊंची उठाने की कोशिश करे। मुझे

बड़ा दुःख होता है जब लोग कहते हैं कि इन डिग्री कालेजों को खोल कर क्या होगा? मैं आपके द्वारा निवेदन करना चाहता हूं कि देश का कल्याण इसी में है, समाज का कल्याण इसी में है, हमारा कल्याण इसी में है। आज उत्तर प्रदेश ने पंचशील की देन दी है। आज पं० जवाहरलाल नेहरू ने पंचशील को दुनिया को दिया है। भारत का अगुआ है तो उत्तर प्रदेश। इसलिए मैं उत्तर प्रदेश की सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि हर जिले में शिक्षा का प्रचार कराया जाय। हर जिले में डिग्री कालेज अवश्य खोला जाय। इसका मैं समर्थन करता हूं।

श्री उमाशंकर मिश्र (जिला बाराबंकी)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस सदन में शिक्षा सम्बन्धी प्रस्ताव माननीय रणंजय सिंह ने रखा है उसका मैं हृदय से स्वागत करता हूं। विद्या मनुष्य का भूषण कहा गया है और विद्या का भूषण विवेक कहा जाता है। विवेक उत्पन्न होता है सत्संग और सोसाइटी से। भगवान रामचन्द्र जी जब राजसिंहासन पर आरूढ़ हुए तो सब से पहले उन्होंने यही कार्य किया और अपने समाज में जिस रामराज्य को पूज्य महात्मा गांधी चाहते थे, आजादी मिलने के बाद कि हम इस भारतवर्ष में रामराज्य स्थापित करेंगे। उस रामराज्य की, उस समय की परिस्थिति को देखते हुए मुझे दृढ़ विश्वास है कि हम उसी शैली पर चल कर वास्तव में इस भारतवर्ष में और प्रदेश में रामराज्य स्थापित कर सकते हैं। भगवान् राम के गद्दी पर बैठते ही क्या हुआ—

राम राज बैठे त्रैलोका, हर्षित भयउ गयउ, सब शोका।
जिन्हें शोक ते कहौं बखानी, प्रथम अविद्या निशा नसानी॥

अविद्या अंधकार में ले जाती है। तो चलना है प्रकाश की ओर। भगवान की दया से अपना देश स्वतन्त्र हो गया है। स्वतन्त्रता के पश्चात् हमें रामराज्य की उस शैली पर चलना है। मैं हृदय से मानता हूं और अपनी सरकार को इसके लिये बधाई देता हूं कि सरकार ने शिक्षा के सम्बन्ध में बहुत सुन्दर कदम उठाया है। काफी प्रगति की है जिसका उदाहरण अब हमारे सम्मुख है। १९४५-४६ में २ करोड़ ५७ लाख ४६ हजार का बजट था और १९५६-५७ में १२ करोड़ ८१ लाख, १४ हजार ४ सौ रु० का बजट शिक्षा के सम्बन्ध में रखा गया है। १९४५-४६ में कुल शिक्षा संस्थाएं २४,७९३ थीं, १९५४-५५ में ३८,४७९ हो गयी हैं। छात्रों की संख्या १९४५-४६ में १९,५४,४८५ थी और १९५४-५५ में ३८,८४,७४९ हो गयी है। इस तरह से मानना पड़ेगा कि हमारे प्रदेश की सरकार ने शिक्षा में काफी उन्नति की है। मुझे शिक्षा प्रणाली के सम्बन्ध में जरूर यह कहना है कि हमारी शिक्षा प्रणाली जिस ढंग पर होनी चाहिए वह वास्तव में नहीं है। इसलिए हम उस रामराज्य को स्थापित करने में असमर्थ हो रहे हैं। भगवान रामचन्द्र जी के बाल्यकाल में उनके पढ़ने की प्रणाली देखिये—

गुरु गृह गये पढ़न रघुराई।
अल्पकाल विद्या सब आई॥

थोड़े ही समय में शिक्षा प्राप्त कर ली और गुरु के गृह में पढ़ने जाते थे। चक्रवर्ती महाराजा दशरथ के लड़के होते हुए भी श्री राम विद्या पढ़ने के लिये गुरू के घर जाते थे। आज मैं देखता हूं कि हमारे यहां विद्यार्थियों को गुरुजन पढ़ाने जाते हैं उनके घरों पर, लेकिन फिर भी वह शिक्षा अधूरी है। पहले हमारे यहां शिक्षा का क्या स्तर था और अब क्या है। जैसा मैंने पहले कहा कि विद्या मनुष्य का भूषण है, अगर पहिनना न जाने तो उससे हानि भी हो जाती है। विद्या रूपी भूषण को पहिनने के लिये यह आवश्यक है कि हम उस शैली पर चलें जिससे उस भूषण को पहिन कर मानव हो सकें, समाज को बनायें और भारत की उन्नति करें। मुझे इस बात का गर्व है कि हमारा वह भारतवर्ष है जहां पर दुनिया

[श्री उमाशंकर]

के कोने-कोने से लोग आकर शिक्षा लेते थे और अपने मुल्क में जाकर उन्नति करते थे। यहां गुरुजन का कितना आदर तथा सम्मान होता था गोस्वामी जी के उन शब्दों में :

यह भरत खंड समीप सुरसरि, थल भलो संगति भली,
तरी कुमति कायर, कल्प-व्रल्ली चाहत है विषफल फली।

कुमति कायर क्या है ? हमारी शिक्षा की शैली सुन्दर नहीं है, हमारी शिक्षा शैली सुन्दर न होने से हम पीछे हैं। इसलिये मेरा सरकार से करबद्ध अनुरोध है कि हमारी शिक्षा शैली भारतीय संस्कृति के अनुकूल होनी चाहिये जिससे हम वास्तव में दुनिया को दिखा दें कि आजादी के बाद हम महात्मा जी के स्वप्न को पूर्ण रूप से आगे बढ़ाने के लिये कदम उठा रहे हैं।

आजकल के विद्यार्थी पितृभक्त नहीं होते जब कि गुरु के घर जाकर पढ़ने वाले राम का क्या जीवन था--

प्रात काल उठिकै रघुनाथा, मात पिता गुरु नावहिं माथा।
आयसु मांगि करहिं पुर काजा, देख चरित हरषइ मन राजा।।

जेहि विधि सुखी होंहि पुर लोगा।
करहिं कृपानिधि सोइ संजोगा।।

जिससे समाज और देश के रहने वाले सुखी हों उस कार्य को सम्पादन करते थे। लेकिन आज मैं देखता हूं हमारे विद्यार्थियों का जीवन इसके विपरीत है। मानव अमानुषिक कार्यों की तरफ अपना कदम बढ़ा रहा है। क्योंकि एक मर्तबा मैं अयोध्या गया, वहां सतसंग हो रहा था। एक महात्मा ने कहा कि हमारे भारतवर्ष की वह विद्या है जहां दुनिया की विद्या का अन्त होता है वहां पर से हमारी विद्या का श्रीगणेश होता है। वह कौन सी विद्या है ? वह थी आध्यात्म विद्या जिस विद्या को ले करके हम लोग अपने कार्य किया करते थे। आज हमारी अध्यात्म विद्या दूर हो गई है इसलिये हम अपने लक्ष्य से दूर होते जा रहे हैं। मैं देखता हूं कि अयोध्या में जब मैं बाल्यकाल में शिक्षा प्राप्त कर रहा था एक ईसाई महिला दो पैसे की पुस्तक बांट रही थी। उसको मैंने देखा और पढ़ा उसकी दो बातें मुझको तत्काल याद हो गयीं। आजकल की वही शैली विद्यार्थियों के चरित्र और हमारे देश के समाज की है। उसमें लिखा हुआ था :

जियत पिता नहिं पूछे बात, मरे पिता को दाल और भात।
जियत पिता सों दंगम दंगा, मरे पिता पहुंचावा गंगा।।

उस जमाने की शिक्षा में ऐसी बात नहीं थी। माता, पिता, गुरु की आज्ञा मानना प्रथम कतव्य समझा जाता था। महाराज शिवा जी महाराज रामदास के शिष्य थे। गुरु शिष्य का यह भाव था, वह कहते थे कि यह सारी सम्पत्ति आपकी है। गुरु कहते थे नहीं राजन यह तुम्हें भोगनी होगी। शिष्य के अधिक बल देने पर गुरु ने कहा अच्छा मैं स्वीकार करता हूं लेकिन मैं अपनी तरफ से तुम्हें आदेश देता हूं कि तुम राज का संचालन करो। यह हमारा आदर था। आज क्या है, उसके विपरीत देखा जाता है। हम अध्यात्म विद्या से दूर हो गये हैं।

हमें साथ ही प्रारम्भिक शिक्षा के सम्बन्ध में यह मानना पड़ेगा कि प्रारम्भिक शिक्षा को हमें ठीक करना है। आजकल देहाती स्कूलों की दशा जो है वह ज्यादा खराब हो गई है। मेरे बाराबंकी जिले में ८० प्रतिशत स्कूल नष्ट-भ्रष्ट हो गए हैं वृष्टि के कारण। बैठने की जगह नहीं है, पढ़ने की जगह नहीं है, स्कूल की इमारत नहीं है। हमें प्रारम्भिक शिक्षा को सुधारना है और प्रारम्भिक स्कूलों के बच्चों को सुधारना है क्योंकि अगर बाल्यकाल में ही वह नहीं सीखेंगे तो डिग्री कालेजों में क्या पढ़ेंगे? न उन्हें उठने की तमीज होगी, न बैठने की तमीज होगी, न लघुशंका करने की तमीज होगी, न दीर्घशंका करने की तमीज होगी।

आज यह लघुशंका करते हैं तो खड़े खड़े करते हैं। अंग्रेज चले गये लेकिन अंग्रेजियत नहीं गयी। लघुशंका करने का ढंग नहीं जानते हैं, उठने, बैठने का ढंग नहीं जानते हैं तो फिर समाज का कल्याण, व्यक्ति का कल्याण और देश का कल्याण कैसे हो सकता है? समाज को ऊंचा उठाने के लिए हमें यह भी सिखाना होगा कि हमें कैसे बैठना चाहिए, कैसे उठना चाहिए, कैसे अपने गुरुजनों के साथ पेश आना चाहिए। इन चीजों की शिक्षा देने की भी हमें आवश्यकता है। तो मैं यह कह रहा था कि बाल्यकाल की शिक्षा और प्रारम्भिक शिक्षा के सम्बन्ध में हमारे माननीय बलवन्त सिंह जी ने यह सुझाव दिया कि तीन पंचायत क्षेत्रों को मिला कर के एक जूनियर हाई स्कूल होना चाहिए और प्रारम्भिक स्कूलों की संख्या भी बढ़नी चाहिए। मैं उसका हृदय से स्वागत करता हूं और उसका समर्थन करता हूं। अवश्य ही गांव गांव में इस तरह के स्कूल होने चाहिए जिससे कि गांव गांव सब होंहि अनन्दू। देखि भानु कुल कैरव चन्दू॥ हमें भानुकुल कैरव चन्दू के आदर्श को देख कर उसी तरह की शिक्षा का प्रबन्ध अपने स्कूलों में करना चाहिए, क्योंकि जब जब भगवान् और सन्तों के अवतार होते हैं तो वह मानव समाज को रास्ता दिखलाने के लिए होते हैं।

एक बात और रह गई, जिसके बिना कहे मुझसे रहा नहीं जाता है। वह यह है कि शिक्षा के सम्बन्ध में बालक और बालिकाओं को एक साथ पढ़ाने की बात। यह बहुत ही असंगत सी बात है। मैं तो जब से इस विधान सभा में आया हूं, जब-जब शिक्षा के सम्बन्ध में बोलने का अवसर मुझे मिला है, मैंने इसका घोर विरोध किया है और अब भी इसका घोर विरोध करता हूं। बालिकाओं के स्कूल खोलने के सम्बन्ध में भी उन्होंने संशोधन रखा है क्योंकि सन्तों की यह बाणी है कि——

तीन लजावत देश को सती, सन्त औ शूर।
तीन लजावत देश को कपटी, कायर, क्रूर॥

देश को हमेशा सती, सन्तों और शूरों ने उठाया है। हमारे भारतवर्ष में इसके दृष्टान्त मिलते हैं। सती महारानी सीता, सती अनुसुइया आदि के दृष्टान्त हमारे यहां भरे पड़े हैं। अनुसुइया जी ने महारानी सीता को कितना सुन्दर उपदेश दिया है, लोक लाहु परलोक निबाहू का उपदेश दिया है। हमारे पूज्य नेता जवाहरलाल नेहरू की बहिन माननीया श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित समस्त संयुक्त राष्ट्र की सभापति रही हैं।

(इस समय ३ बजकर ५६ मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

तो मैं यह कह रहा हूं कि शिक्षा पद्धति बालक-बालिकाओं की एक सी होनी चाहिए जिससे कि देश समाज और व्यक्ति का कल्याण कर सकें। परन्तु उनको एक साथ पढ़ाना उचित नहीं, क्योंकि सन्तों की यह बिल्कुल अटल वाणी है, अग्नि और तृण को पास-पास रख कर आप लाभ की आशा नहीं कर सकते। इसी तरह बालक और बालिकाओं को एकत्र रख कर आप उनसे यह उम्मीद मत रखिए कि वह मानवता का वातावरण रख सकेंगे। सन्तों की बात कभी गलत नहीं हो सकती है। इसलिए मैं इसका घोर विरोध करता हूं। बालकों और बालिकाओं की शिक्षा बिल्कुल अलग-अलग होनी चाहिए।

डिग्री कालेजों के सम्बन्ध में मेरे साथी कर रहे हैं कि उसके बारे में मैं अपनी राय दूं। मेरा यह विचार है कि शिक्षा की पद्धति को नीचे से ऊपर तक एक सही ढांचे में ढाला जाय तभी वास्तव में पूज्य बापू जी के रामराज्य को लाने में आप और हम समर्थ हो सकेंगे। डिग्री कालेजों के सम्बन्ध में मेरा कोई विरोध नहीं है। मैं उसका हृदय से समर्थन करता हूं। अन्त में मेरी सरकार से यही प्रार्थना है कि शिक्षा पद्धति ऐसी हो जिससे देश में फिर रामराज्य आये।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)---माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मूल प्रस्ताव के साथ-साथ माननीय बलवन्त सिंह जी ने जो संशोधन रखा है उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं।

श्री अध्यक्ष---बलवन्त सिंह जी के दोनों?

श्री रामसुन्दर पांडेय---जी हां। माननीय बलवन्त सिंह जी ने प्रथम संशोधन में यह कहा है कि तीन अदालती पंचायतों के क्षेत्र में कम से कम एक जूनियर हाई स्कूल और हर गांव सभा के बीच एक प्राइमरी स्कूल हो और दूसरा संशोधन है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में हर एक जिले में स्त्री जाति की शिक्षा के लिये एक हायर सेकेंड्री स्कूल खोला जाय जिसमें छात्रावास की भी योजना निहित हो। श्रीमन्, इस प्रस्ताव का समर्थन करते हुये मैं आपके द्वारा सदन से निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे भारत का जो संविधान है उसकी ओर जब ख्याल करते हैं, इस प्रदेश में जो शिक्षा की योजना है उसका ख्याल करते हैं तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि हमारे प्रदेश में सारे लोग शिक्षित नहीं हो पायेंगे। जहां सन् १९६१ में पूरे प्रदेश को शिक्षित बना देने का भारत संविधान का हुक्म है और जो हमारी प्रगति शिक्षा की है इसमें बहुत बड़ा अन्तर है। श्रीमन्, बजट के सिलसिले में बताया गया था कि हमारा प्रदेश ऐसा है कि सारे प्रदेशों से कम हमारे यहां शिक्षा में खर्च होता है। छोटे-छोटे प्रदेश हैं, मैसूर है, ट्रावंकोर है, हैदराबाद है जहां की आमदनी हमारे प्रदेश के मुकाबिले में कम कही जा सकती है, वहां पर ६० फीसदी, ७० फीसदी, ७५ फीसदी बजट शिक्षा पर खर्च वहां की सरकार करती है और हमारे प्रदेश की सरकार जिसका बजट दिन पर दिन बढ़ता चला जा रहा है वह शिक्षा पर बहुत ही कम खर्च करती है और मैं कहना चाहता हूं कि जो गति आज शिक्षा की है, अगर उसका सही माने में सिंहावलोकन किया जाय तो यह कहना पड़ेगा कि सरकार शिक्षा की ओर बिलकुल ध्यान नहीं देती है। मैं इस चीज का कायल हूं श्रीमन्, कि ऐसी व्यवस्था प्रदेश में होनी चाहिये कि शीघ्रातिशीघ्र लोग काफी तादाद में पढ़-लिख सकें।

जहां तक विश्वविद्यालयों का संबंध है वह भी आवश्यक है कि विश्वविद्यालयों से ऐसे स्नातक तैयार किये जा सकें जो हमारे प्रदेश और देश के उच्च कोटि के विद्वान शासक और शिक्षाविद् हो सकें, स्थान को ग्रहण कर सकें। लेकिन जब हम अनुपात लगाते हैं कि जिस तरह से अपर प्रायमरी शिक्षा पर, जूनियर हाई स्कूल पर और माध्यमिक विद्यालयों में और विश्वविद्यालयों में जो खर्चा हो रहा है तो उसके मुकाबिले में वह नीचे जो हमारी सीढ़ी है, जिसके जरिये हम अपने प्रदेश की सारी जनता को शिक्षित कर सकते हैं उस पर हम बहुत कम खर्च करते हैं। श्रीमन्, आपको याद होगा जब हमारे प्रदेश के आज के मुख्य मंत्री शिक्षा मंत्री थे तो उन्होंने सारे प्रदेश के गांवों में प्रायमरी स्कूल खोलने की एक बाढ़ सी ला दी थी। कुछ दिनों के बाद सारे के सारे स्कूल बोर्ड के सुपुर्द कर दिये गये और श्रीमन्, यह कहा गया था कि जो स्कूल हम बोर्ड के सुपुर्द कर रहे हैं उनकी सारी जिम्मेदारी तनख्वाह और भवन निर्माण की सरकार अपने ऊपर लेती है। लेकिन मैं यह जानना चाहता हूं कि आपके जरिये माननीय शिक्षा मंत्री से कि वह फैसला जो आपके जरिये दिया गया था वह आज लागू है या नहीं लागू है? मैं जानता हूं कि सरकार उस पर बिलकुल ध्यान नहीं देती है और वहां की हालत इतनी खराब है, लड़कों की हालत यह है कि बैठने की जगह शायद ही कहीं स्कूल में हो। ब्लैकबोर्ड स्कूलों में नहीं है, जमीनों पर बैठते हैं, लड़कों के लिये कुर्सियां नहीं हैं। आज कितने स्कूल पेड़ों के तले हैं जहां अध्यापक पढ़ाते हैं लेकिन सरकार ने जो वादा किया था उसकी वादाखिलाफी करके काम करती है। माननीय नागेश्वर जी द्विवेदी का आज ही सवाल था कि जो शर्त १ हजार की तय रही उस शर्त का बिलकुल उल्लंघन किया गया और सरकार के जो सारे स्कूल थे उनमें ८० प्रतिशत स्कूल ऐसे हैं जहां भवन नहीं हैं, कुर्सियां नहीं हैं, पढ़ने के लिये सरोसामान नहीं है। माननीय उमाशंकर जी अभी कह रहे थे कि हमारी सरकार ने बहुत ज्यादा स्कूल खुलवाये, लड़कों की तादाद बहुत ज्यादा बढ़ी, तो इसमें सरकार का क्या अहसान है। आजादी

होने के बाद, गुलामी की बेड़ियां छूटने के बाद एक लहर आयी देश में कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा शिक्षित करो। उसमें सरकार का कोई अहसान नहीं है। सरकार का अहसान तब होता जब जो स्कूल सरकार ने वापस किये, उन स्कूलों को सरकार भवन देती तब सरकार का अहसान होता। श्रीमन्, हमारे देश में प्राइमरी स्कूलों के अध्यापकों की जो गति है वह किसी भी देश में ऐसी गति प्राइमरी स्कूलों के अध्यापकों की नहीं है। आज हमारे प्रदेश के प्राइमरी स्कूल का शिक्षक ४५ और ४० रुपया पाता है, चपरासियों से बदतर हालत राजकीय प्राइमरी स्कूलों के अध्यापकों की है। श्रीमन्, जो स्कूल बोर्डों को सुपुर्द किये गये हैं उनमें बहुत कम बोर्ड ऐसे हैं जो उंगलियों पर गिने जा सकते हैं जो हर महीनों में अध्यापकों को चालीस पैंतालीस रुपये सुपुर्द कर देते हों। जब हाई स्कूल पास, इंटर पास, मिडिल पास, जे० टी० सी० और नार्मल शिक्षा पाये अध्यापक तक अपने घरों से बीस बीस और और दस दस मील की दूरी पर रहते हैं और दो महीने के बाद ४५ रुपये तनख्वाह उनको मिलती है तब उसके बाद अगर यह सरकार और जनता सोचे कि अध्यापक ठीक से पढ़ाये और पढ़ाई लिखाई का स्तर नीचा हो गया तो श्रीमन्, पहले अपने को देखना चाहिये। श्रीमन्, आप को मालूम है सरकार हम लोगों के लिये, सदस्यों के लिये सुविधायें बढ़ाती चली जा रही है, हमारी तनख्वाहों में तरक्की होती चली जा रही है, बड़े बड़े जो सरकारी नौकर हैं उनकी तनख्वाह बढ़ाती जा रही है, डिप्टी कलेक्टर की तनख्वाह बढ़ाई जायेगी, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट की तनख्वाह बढ़ाई जायेगी, डिप्टी सुपरिन्टेंडेंट पुलिस की तनख्वाह बढ़ाई जायेगी, लेकिन जहां पर प्राइमरी स्कूलों के अध्यापकों की तनख्वाह की बात आती है वहां सरकार की ओर से कहा जाता है कि धन नहीं है। तो श्रीमन्, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय शिक्षा मंत्री जी और उनकी सरकार जो अपने आपको महात्मा गांधी के रास्ते पर चलने वाला कहती है उसको सबसे पहले अपने लिये महात्मा गांधी का रास्ता अख्तियार करना चाहिये। लेकिन यह उस तरफ बिलकुल ख्याल नहीं करती है।

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं कि विषय से यह बाहर है, यह तनख्वाह का विषय नहीं है?

श्री रामसुन्दर पांडेय—श्रीमन्, प्राइमरी स्कूलों के अध्यापकों की जो बदतर हालत है....

श्री अध्यक्ष—ठीक है आपने उस तरफ इशारा कर दिया लेकिन तनख्वाह के बढ़ाने का विषय यहां नहीं है।

श्री रामसुन्दर पांडेय—तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि प्राइमरी स्कूलों में लड़कों को शिक्षित कराने के लिये दो बातों को करना आवश्यक होगा। सबसे पहले आवश्यक होगा कि हमने जो इस प्रदेश में लोकतंत्र कायम करने का फैसला किया है तो सारी दुनिया में जहां भी प्रजातांत्रिक सरकारें कायम हैं तो सबसे पहला हमारा कर्तव्य है कि हमने यह फैसला किया था कि हम लोकतंत्र के रास्ते पर चलकर इस प्रकार की हुकूमत कायम करेंगे जिसमें शिक्षा का प्रसार हो। मैं समझता हूं कि लोकतंत्र की सबसे बड़ी रीढ़ हुआ करती है शिक्षा और दूसरी रीढ़ हुआ करती है आर्थिक विषमता का खात्मा। लेकिन मैं समझता हूं कि यह सरकार दोनों में नाकामयाब होती चली जा रही है। शिक्षा की उन्नति तो होती नहीं है चाहे स्कूल भले ही बढ़ जायं। शिक्षा के विषय में सरकार के खर्च में कमी होती चली जा रही है। जिस अनुपात से बजट बढ़ता चला जा रहा है उस अनुपात से शिक्षा पर खर्चा नहीं होता है।

जहां तक हर गांव सभा में प्राइमरी स्कूल खोलने की बात है मैं समझता हूं कि जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना है उसके मुताबिक भी जो माननीय बलवन्त सिंह का संशोधन है उसकी पूर्ति नहीं हो सकेगी। कोई गांव ऐसा नहीं है जहां पर एक हजार, पांच सौ या दो सौ से आबादी कम हो और हर आदमी चाहता है कि अपने लड़के को पढ़ायें। लेकिन साधनहीन आदमी अपने लड़के को नहीं पढ़ा सकता है। हमारे प्रदेश में पिछड़ी जातियों और अछूत

[श्री रामसुन्दर पांडेय]

जातियों की संख्या बहुत ज्यादा है। हरिजन चाहता है कि हमारा लड़का पढ़े। वह स्कूल जाता है लेकिन उसके बाद भी उसके पास साधन नहीं होते हैं, न पटरी है, न दवात है न किताबें हैं। और फीस माफी की बात आप से क्या कहूं सरकार ढोल पीटती है कि हम हरिजनों की फीस माफ कर रहे हैं। लेकिन श्रीमन्, मैं सबूत दे सकता हूं इस प्रदेश में इसी लखनऊ में जो इंजीनियरिंग कालेज हैं वहां दो दो साल से जो लड़के पढ़ते हैं उनकी फीस सरकार माफ नहीं कर सकी। तो मैं यह कहने के लिये तैयार नहीं हूं कि सरकार जो कर रही है उस गति से गांवों में प्राइमरी स्कूल और हर जिले में डिग्री कालेज की स्थापना हो सकेगी। जिस तरह से हम यूनिवर्सिटी खोलते हैं उसी तरह से आवश्यक है कि हर जिले में ऐसे डिग्री कालेजों की स्थापना करें जहां से ऐसे लोग निकलें जो स्वावलम्बी जीवन व्यतीत कर सकें। आज शिक्षा स्वावलम्बी बनाने की नहीं है। आज की शिक्षा सिर्फ क्लर्क पैदा करने वाली है। महात्मा गांधी ने कहा था कि हमारे देश की शिक्षा ऐसी होनी चाहिये जिससे लोग अपनी रोजी का मामला अपने आप हल कर सकें। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि इस सरकार के स्थापित होने के बाद कितने ऐसे स्कूल और डिग्री कालेज खुले जिनसे लोगों ने निकल कर स्वावलम्बी जीवन व्यतीत करने का फैसला किया। आज हर जिले में डिग्री कालेज नहीं है। सरकार का प्रतिबन्ध है इसके लिये जो लोग इतना रुपया बैंक में जमा करेंगे, इस तरह की इमारत होगी, वहां डिग्री कालेज खोला जा सकेगा। गाजीपुर जिले में डिग्री कालेज नहीं है। वहां के कलेक्टर ने बहुत प्रयास किया। श्रीमन्, एक माननीय सदस्य के सवाल के उत्तर में मंत्री जी ने कहा कि डिग्री कालेज खोलने के लिये हमको सहायता देने की जरूरत नहीं है। कई जिले ऐसे हैं जहां पर डिग्री कालेज नहीं हैं और वहां लाखों की आबादी है। आज आप जब शिक्षा का प्रसार करना चाहते हैं लोकतंत्र को स्थापित करना चाहते है तो एक जिले में जहां पर २० लाख की आबादी हो और एक भी कालेज न हो तो मैं नहीं समझता कि कैसे लोकतंत्र पनप सकेगा। इसके अलावा मैं कहना चाहता हूं कि शिक्षा के संबंध में हर तीन गांवों में एक जूनियर हाई स्कूल को खोलने का जो प्रस्ताव है और स्त्री जाति की शिक्षा के लिये माननीय बलवन्त सिंह का जो सुझाव है उसका मैं समर्थन करता हूं। कई जिलों में स्त्री जाति के इंटर कालेज नहीं है। आजमगढ़ में एक हायर सेकेंड्री स्कूल गवर्नमेंट का है जिसकी चहारदीवारी भी खत्म हो चुकी है। वहां कोई डिग्री कालेज नहीं खोला गया। वहां हरिजनों के वजीफे के संबंध में मैं कुछ कहना चाहता हूं। डिग्री कालेज में वजीफे कम दिये जाते हैं। हमारे आचार्य नरेंद्रदेव जी ने एक मर्तबा लेख लिखते हुये लिखा था कि इंगलैन्ड में यूनिवरसिटी में पढ़ने वालों विद्यार्थियों को ७० फी सदी वजीफा दिया जाता है। इस प्रदेश में ५०, ५५ फी सदी नम्बर पाने वाले विद्यार्थियों को भी सरकार वजीफा देने में असमर्थ हो जाती है। तो मैं कहना चाहूंगा कि सरकार हर जिले में एक डिग्री कालेज खोले और साथ ही साथ स्त्री जाति की शिक्षा को बढाने के लिये हर जिले में एक इन्टर कालेज खोले। और हर गांव सभा में एक प्राइमरी स्कूल और तीन गांव सभाओं के बीच एक जूनियर हाई स्कूल खोलने की सरकार चेष्टा करे।

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य---अध्यक्ष महोदय मैं प्रस्ताव करता हूं कि अब प्रश्न उपस्थित किया जाय।

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि अब प्रश्न उपस्थित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री रणंजय सिंह---माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने जो संकल्प प्रस्तुत किया है उसको प्रस्तुत करते समय सोच रहा था कि यह बहुत सीधा सादा सा संकल्प है और इसके स्वीकृत होने में अधिक समय नहीं लगेगा और इस पर अधिक विवाद की आवश्यकता होनी होगी परन्तु जब मैंने माननीय सदस्यों के भाषण सुने तब सज्जनों ने तो बलपूर्वक इसका समर्थन

और कुछ ने विरोध किया, कहीं कहा गया कि आवश्यकता नहीं है, कहीं कहा गया कि आवश्यकता है। मुझे यह प्रतीत हो रहा था कि अंत में शिक्षा मंत्री जी अपने विचार प्रगट करेंगे तदुपरांत उसे सुनकर मुझे उत्तर देने का अवसर मिलेगा, परन्तु बिना उनके विचार सुने हुये जो कुछ भी अन्य सदस्यों के विचार सुने हैं उन पर विचार करके थोड़े से शब्दों में निवेदन करना चाहूंगा। यह एक ऐसा विषय है कि शिक्षा कैसी हो कैसी न हो, यह सरकार के हाथ में है और मैं स्वयं इस बात का मानने वाला हूं कि वर्तमान शिक्षा प्रणाली में आमूल परिवर्तन की अनिवार्य आवश्यकता है और साथ ही साथ प्राचीन पठन-पाठन पद्धति को फिर से लाने की आवश्यकता है। जब तक हम इस ओर ध्यान देते हुये इस ओर आगे नहीं जाते हैं जब तक हम अपने विद्यार्थियों में सात्विक गुण नहीं लायेंगे और वह नगरों की चमक-दमक में पड़े हुये हैं उनसे न निकाला जायगा तब तक हमारे देश का कल्याण नहीं हो सकता है अपितु हानि ही होगी।

डिग्री कलेज के खोलने से क्या होगा, क्या नहीं होगा। मैं समझता हूं कि इस शिक्षा प्रणाली को या तो व्यर्थ समझकर एकदम से मिटा दिया जाय और इस शिक्षा प्रणाली को बदल कर ठीक शिक्षा का प्रबन्ध किया जाय, किन्तु यदि यह नहीं होता है तो जो कुछ भी हो ऐसा प्रबन्ध हो कि एक शृंखला जो चलती है वह बीच में टूटने न पाये। जब हमारे प्रांत में विश्वविद्यालयों की स्थापना की जा रही है तब डिग्री कालेज के संबंध में ऐसे विचारों की कि कोई उनकी आवश्यकता नहीं मैं समझता हूं कि बड़े आश्चर्य की बात है डिग्री कालेज की आवश्यकता है और उनमें थोड़ा सा सुधार करने से लाभ हो सकता है। मैं समझता हूं कि ब्रह्मचर्य की शिक्षा के साथ-साथ लड़के लड़कियों की शिक्षा, मेरा मतलब को एजूकेशन से नहीं है बल्कि उनको अलग अलग पढ़ने का अवसर मिलना चाहिये और जैसा कि श्री बलन्त सिंह जी ने कहा था कि उसका समर्थन करने के लिये तैयार हूं कि यहां ऐसी ही शिक्षा होनी चाहिये लेकिन जब तक यह शिक्षा प्रणाली जारी है तब तक इसका ऐसा प्रसार होना चाहिये कि हमारे बालक बालिका जो ग्रामों में रहते हैं उनके लिये प्रबन्ध होना चाहिये और प्रत्येक जिले में हाई स्कूलों को इंटर कालेजेज में परिणत किया जाय या हायर सेकेंड्री स्कूलों में वृद्धि न की जाय तो मैं समझता हूं कि जिस देहाती जनता से बड़े-बड़े कर लिये जा रहे हैं उसके लिये यह कहना कि धन नहीं है, धनाभाव है, उसके लिये एक अच्छी बात न मानी जायगी। तो इसलिये यह सोचते हुये कि यह देहाती जनता का पैसा है हमें उसकी कठिनाइयां दूर करना है और हमें सोचसमझ कर आगे चलना है।

अगर हम यह कहें कि डिग्री कालेजों से बेकार लोग निकल रहे हैं तो मैं इसको नहीं मानता कि शिक्षा के कारण बेकारी बढ़ रही है। लार्ड मैकाले की जो नीति है उस पर चलने से तो हमारे देश की अवनति ही होती, लेकिन क्या किया जाय कि जब वह अब भी किसी न किसी रूप में चल रही है। यह ठीक है कि उसमें पहले से बहुत परिवर्तन हो गया है और हमारे यहां जो किताबें पढ़ाई जाती हैं उनमें भी सुधार हो रहा है। पहले हम जिन नेताओं को देशद्रोही समझते थे आज वह हमारे देश के भाग्य विधाता माने जाते हैं और उनके चरित्र पढ़ाये जाते हैं। तो उसमें परिवर्तन हो रहा है। अब यह रहा कि वे डिग्री कालेज से निकले या नहीं, तो मैं कह सकता हूं बहुत से सुधारक अंग्रेजी शासन काल में भी डिग्री कालेजों से नहीं निकले। ऋषि दयानन्द किसी डिग्री कालेज में नहीं पढ़े, लेकिन साथ ही साथ यह भी मानना पड़ेगा कि लोकमान्य तिलक, महामना मालवीय जी, लाला लाजपतराय तथा नेहरू प्रभृति देश के बड़े-बड़े नेता, हमारे वर्तमान मंत्रीगण तथा और कितने ही महानुभाव जो यहां उपस्थित हैं, डिग्री कालेजों में शिक्षा प्राप्त किये हुये हैं। तो ऐसा नहीं है कि डिग्री कालेज से अच्छे ही या बुरे ही लोग निकलते हों। यह तो संस्कार की बात होती है। जिसको बचपन से जैसे शिक्षा मिलती है उसी प्रकार की उसकी शिक्षा दीक्षा होती है, उसी प्रकार के उसके संस्कार बन जाते हैं और आगे चल कर वैसा ही आदमी वह निकलता है। इसलिये अगर हम यह समझ लें कि डिग्री कालेज में पढ़ना बुरा है या अच्छा है तो यह ठीक नहीं है। अगर बुरा है तो उनको बन्द किया जाय क्या यह भी ठीक नहीं? तो इसलिये हमको चाहिये कि जनता के धन का

[श्री रणंजय सिंह]

हम सदुपयोग करें। आज हमारे ग्राम के बालक मारे मारे फिर रहे हैं। परीक्षा देकर वह लड़के हमारे यहां पहुंचते हैं और कहते है कि हमारे यहां डिग्री कालेज खुलेगा या नहीं। नगर के वातावरण में वह अपने को खपा नहीं पाते। अगर जाते भी हैं तो वहां नाच, संगीत या और दूसरी बातों की इतनी अधिकता रहती है कि जिसमें वह बह जाते हैं। संगीत ठीक है, होना चाहिये। लेकिन उस सब की चकाचौंध में वह अपने को संभाल नहीं पाते और दूसरी ओर खिंच जाते हैं और उसके बाद उनके लिये देहात में लौट कर कार्य करना मुश्किल हो जाता है। देहात में कार्य करने के लिये बड़े बड़े आन्दोलन किये जाते हैं लेकिन अधिकतर लोग यही चाहते है कि नगर में ही जाकर बसें क्योंकि वहां की जो चमकदमक होती है, जो शिक्षा-दीक्षा होती है, वह सब उन्हें मोह लेती है और उन्हें देहात में अच्छा नहीं लगता। यदि उन जनपदों में डिग्री कालेज खोल दिये जायेंगे और प्रत्येक तहसील में एक हायर सेकेंड्री स्कूल खोल दिया जायेगा तो उन्हें वहीं शिक्षा मिल सकेगी और वह वहीं रह कर अपना मार्ग निर्धारित कर सकेंगे कुछ लोगों ने यह भी कहा कि जहां कई डिग्री कालेज हैं, कई सेकेंड्री स्कूल हैं लेकिन उनका प्रबन्ध ठीक नहीं है। तो यह तो प्रबन्ध की बात है। देहातों में ऐसे स्कूल भी हैं कि जिनका प्रबन्ध अच्छा है। यह मैं समझता हूं कि प्रबन्ध की बात है और इससे शिक्षा का कोई संबंध नहीं है। इन शब्दों में मैं अधिक बात न कह कर समय व्यतीत नहीं करना चाहता, क्योंकि वैसा करने से बहुत लम्बी बहस छिड़ जायगी। लेकिन मैं यह जानता हूं कि जैसे देहातों में शिक्षा प्रणाली के संबंध में बातें होती है और जैसे विश्वविद्यालयों के प्रबन्धकों के बारे में बातें होती हैं कि प्रबन्धकों के कैसे विचार हैं और किस भावना से वह काम करते हैं तब तो यह बात ठीक है। वहां पर कहा जा सकता है कि अच्छी भावना रखने वाले प्रबन्धकों ने अच्छा प्रबन्ध नहीं किया या किसी सेकेंडरी स्कूल से पढ़कर अच्छे लड़के नहीं निकल पाये, लेकिन मैं उदाहरण के लिये यह निवेदन करना चाहता हूं कि एक ही जिले को देखा जाय वहां पर कितने ही वकील होते हैं। सैकड़ों की तादाद में या सहस्रों की तादाद में होते हैं किन्तु वह सब योग्यता में बराबर नहीं होते हैं कोई बी० ए० और कोई एम० ए० होते हैं लेकिन कहीं पर बी० ए० की योग्यता अधिक होती है और वे कई एम० ए० वालों से अधिक बुद्धिमान होते हैं और प्रतिभा तीव्र होती है। तो जैसी उनकी बुद्धि है उसके अनुसार उनकी योग्यता अधिक वा कम होती जाती है। किसी कालेज में पढ़ने से उसकी योग्यता पर प्रभाव नहीं पड़ता है। एक साथ पढ़ने वाले और एक ही कालेज में पढ़ने वाले लड़की में महान् अन्तर पाया जाता है। डिगरी प्राप्त करने के पश्चात् कोई अधिक बुद्धिमान् निकलता है और कोई कम बुद्धिमान निकलता है।

इसलिये मेरा निवेदन यह है कि इससे शिक्षा प्रणाली दूषित नहीं हो सकती है और न इससे किसी खास डिग्री कालेज का संबंध हो सकता है कि उनसे अच्छे निकलते हैं और उससे अच्छे नहीं निकलते हैं। मैं इस बात को मानने के लिये तैयार नहीं हूं इसमें किसी डिग्री कालेज का दोष नहीं हो सकता है। यह बात अवश्य है कि सरकार के सामने कठिनाई आ सकती है। मैंने इस संबंध में एक संशोधन रखा था और उसमें कुछ परिवर्तन किया था। जहां पर कुछ सुविधा प्राप्त हो सकती है वहां पर डिग्री कालेज खोला जा सकता है। इसके अतिरिक्त मैं यह भी निवेदन करूंगा कि जो पंचवर्षीय योजना में शब्द आये है और जिनको बजट में दोहराया गया है तो फिर उसमें इसको ही क्यों छोड़ दिया गया है। जब पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत सब तरह से सुधार किया जा रहा है तो क्या कारण है कि शिक्षा जो सर्वोपरि है उसके ऊपर विशेष ध्यान न दिया जाय। जब भौतिक उन्नति के ऊपर पंचवर्षीय योजना के अन्दर ध्यान दिया गया है तो फिर क्या कारण है कि आध्यात्मिक उन्नति के लिये ध्यान न दिया जाय उसके लिये भी यह बातें होनी चाहिये। अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर किसी प्रकार से आत्मिक शांति प्राप्त होने वाली नहीं है। इसलिये इस पंचवर्षीय योजना के अन्दर इसके लिये भी साथ-साथ प्रयत्न किया जाय। और अगर सरकार इसको स्वीकार नहीं करती है तो मेरा निवेदन यह है कि दूसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि के भीतर कम से कम प्रत्येक जिले में एक डिग्री कालेज की तो स्थापना अवश्य कर दे और तहसील में कम से कम एक हायर सेकेंड्री स्कूल की स्थापना भी अवश्य कर दे। इसलिये मैं यह समझता

हूं कि हमारे माननीय सदस्य जिन्होंने अपने विचार प्रकट किये हैं, मैं उनको धन्यवाद देता हूं और जिस प्रकार के विचार उन्होंने मुझे बतलाये हैं और आवश्यक और अनावश्यक बात समझायी हैं उसके लिये भी मैं उनको धन्यवाद देता हूं। मैं तो आज से नहीं पहले से ही पुरातन शिक्षा प्रणाली को मानने वाला हूं। जब तक उस पुरातन पद्धति का प्रसार नहीं होगा तब तक हमारे प्रदेश, देश और संसार का भला नहीं हो सकता है और संसार शांति प्राप्त नहीं कर सकता है। पंचशील आज हमारे देश की ही देन है जिसकी चर्चा आज चारों ओर संसार में सुनाई देती है। जो ऐसे देश हैं जिनकी शक्ति संसार मानता है और जिनके सामने संसार के देश झुकते हैं वे देश भी पंचशील का नाम लेकर इधर आ रहे हैं। हमारे देश की सभ्यता सर्वोपरि है हम संसार को भी उस ओर ले जाना चाहते हैं। इसलिये प्रत्येक स्थान पर आज शिक्षा के लिये पाठशाला की आवश्यकता है और इस बात की आवश्यकता है कि शिक्षा का प्रसार किया जाय जिसके द्वारा लोग शिक्षित हों। इसलिये मैं यह समझता हूं कि माननीय शिक्षा मंत्री जी को इसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये और इसको स्वीकार करना चाहिये। निःशुल्क शिक्षा के लिये कहा गया। उसका संकल्प पारित हो चुका है और श्री बलवन्त सिंह जी के संशोधन के साथ मेरा संकल्प २ अप्रैल, १९५४ को पारित हो चुका है। जब सरकार के पास साधन होंगे तो उसको वह कार्यान्वित करेगी और उसके लिये प्रयास करेगी। अब इस बात का प्रयास सरकार को करना चाहिये कि हर एक जिले में या कम से कम २, ३ जिलों में एक डिग्री कालेज और प्रत्येक तहसील में कम से कम एक हायर सेकेंड्री स्कूल हो और तब शिक्षा का पूर्ण रूप से प्रचार हो सकेगा।

श्री हरगोविन्द सिंह—श्रीमन्, प्रस्तुत संकल्प पर जो वाद विवाद हुआ उसमें यह तो सन्तोष की बात रही कि शिक्षा का कोई क्षेत्र शायद ऐसा नहीं रहा जो इस विवाद में न आया हो लेकिन यदि प्रस्ताव के शब्दों को देखा जाय तो वह कुछ मेरी समझ में कम आया। जो प्रस्ताव पेश हुआ उसकी भाषा यह थी "इस सदन का यह निश्चित मत है कि आगामी द्वितीय पंचवर्षीय योजना की अवधि में राज्य के प्रत्येक जिले में कम से कम एक डिग्री कालेज तथा प्रत्येक तहसील में कम से कम एक हायर सेकेन्डरी स्कूल अवश्यमेव खोल दिये जायं।" तो मुझे यह स्पष्ट नहीं हुआ कि प्रस्तावक महोदय का अभिप्राय केवल यह था कि प्रत्येक तहसील में एक हायर सेकेन्डरी स्कूल और प्रत्येक जिले में एक डिग्री कालेज होना चाहिये या सरकार द्वारा खोला जाना चाहिये। इससे मुझे कुछ ऐसी गलतफहमी सी भी हुई कि जहां किसी जिले में डिग्री कालेज है वहां भी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत यह खोला जाय, और जिस तहसील में माध्यमिक स्कूल है वहां भी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत एक अवश्य खोल दिया जाय, ऐसा भी इसका अर्थ निकलता है। यदि ऐसा अभिप्राय है तो मैं समझता हूं कि जिस अभिप्राय से यह प्रस्ताव लाया गया है हम उस अभिप्राय को आगे न ले जाकर पीछे ढकेल रहे हैं। आखिर शिक्षा की जब तक हमें कोई परिभाषा न मिल जाय तब तक मैंने यही देखा कि जितने सदस्यों ने अपने विचार आज व्यक्त किये, उनमें किसी ने तो यह कहा कि प्रणाली ठीक है, किसी ने यह कहा कि प्रणाली गलत है, लेकिन किसी ने यह नहीं बताया कि प्रणाली होनी क्या चाहिये। मैं समझता हूं कि आपस में कोई मतैक्य है भी नहीं। यह अवश्य है कि एक परम्परा सी बन गई है कि जब हम उठते हैं तो यह कह देते हैं कि शिक्षा की प्रणाली बड़ी खराब है और इसमें कोई बड़ा मूल परिवर्तन होना चाहिये। लेकिन यह समझने में मैं अभी तक तो असमर्थ ही रहा हूं, इस भवन में ही नहीं बल्कि बाहर भी कि जान सकूं कि आखिर शिक्षा की वह प्रणाली होगी क्या। उसमें स्कूल होगा या नहीं, भवन होगा या नहीं, मास्टर होगा या नहीं और किताब होगी या नहीं। उसके क्या अंग होंगे और क्या आवश्यकतायें होंगी, यह किसी महानुभाव ने न यहां और न बाहर स्पष्ट किया है। मैं समझता हूं कि शिक्षा की प्रणाली ठीक है या नहीं, इसका निर्णय देश की आवश्यकताओं से होता है। जिस चीज की देश में आवश्यकता है, जैसे मनुष्यों की

[श्री हरगोविन्द सिंह]

आवश्यकता देश को है वैसे ही मनुष्यों का निर्माण जिस प्रणाली के द्वारा हो वही शिक्षा प्रणाली उपयुक्त है । समाज से परे, समाज से विपरीति, समाज की आवश्यकताओं को न देखते हुए जो शिक्षा की प्रणाली अपनायी जाती है उसमें चाहे पढ़ाने की पद्धति कितनी ही अच्छी क्यों न हो वह गलत भी हो सकती है और सही भी । हमारे देश में जिस प्रकार के नागरिकों की आवश्यकता है वैसे ही नागरिकों का निर्माण हमारे इन विश्वविद्यालयों में, और पाठशालाओं में होना चाहिये और यदि उसकी पूर्ति इन शिक्षा संस्थाओं से होती है तो वह शिक्षा प्रणाली उपयुक्त कही जानी चाहिये । यदि उस शिक्षा प्रणाली से उसकी पूर्ति नहीं होती है तो वह अनुपयुक्त है । जैसा कि पहले मैंने ही कहा कि शिक्षा की परिभाषा के बारे में हमारे दिमाग साफ होने चाहिये । शिक्षा क्या है यह एक ऐसा सीधा साधा शब्द है जिसकी परिभाषा आज तक दुनिया में कोई नहीं दे सका कि शिक्षा क्या है, किस चीज को शिक्षा कहा जाय । ऐसी अवस्था में जब प्रश्न इतना गंभीर है उसकी कोई परिधि नहीं है, हम नहीं जानते कि वास्तव में शिक्षा क्या है । जब से मनुष्यों का प्रादुर्भाव हुआ होगा तब से वह आज तक शिक्षा की प्राप्ति करता जा रहा है फिर भी आज तक दुनिया मतैक्य नहीं है कि शिक्षा क्या है, किस चीज को शिक्षा की संज्ञा दें, इस पर हमारा दिमाग साफ नहीं है । तो मैं समझता हूं कि हमारे और आपके लिये यह संतोष की बात नहीं हो सकती कि हम और आप सभी यह उठ कर कह दें कि वह शिक्षा संतोषजनक है और यह असंतोषजनक । यह ठीक है कि शिक्षा से प्रत्येक मनुष्य का संबंध है, चाहे वह स्वयं शिक्षित हो या न हो लेकिन उसका संबंध शिक्षा से जरूर होता है, इसलिये उसके बारे में हर एक की अपनी कुछ राय होनी चाहिये, लेकिन निर्णय इतनी जल्दी नहीं दे देना चाहिये जितनी जल्दी कि प्रथा के अनुसार इस गूढ़ प्रश्न पर राय दी जा रही है । आपका यह प्रस्ताव देखने में बड़ा सुन्दर है, मधुर भी है, अच्छे विचारों से लाया गया है, इसके पीछे एक अच्छी प्रेरणा है लेकिन हमें देखना यह चाहिये कि हमारे देश को इस समय किस की आवश्यकता है । अगर देश की आवश्यकता यह हो कि हमारे इन स्कूल्स की और कालेजेज की संख्या में कमी है और अपनी संख्या को देखते हुए हम यह नहीं कह सकते कि संख्या संतोषजनक है तो हमें यह सोचना होगा कि उसमें कितनी वृद्धि की जाय और वह वृद्धि हमारे देश के लिये हितकर होगी या नहीं? यह तो कहना आवश्यक नहीं है कि किसी देश के निर्माण में शिक्षा का एक बड़ा ऊंचा स्थान रहता है लेकिन आप देश में हर एक चीज के लिए सामग्री उपस्थित कर दें और शिक्षा के लिए सामग्री उपस्थित न करें और लोगों को पर्याप्त संख्या में शिक्षा न मिले तो इससे देश की उन्नति में बाधा पड़ती है । उच्च शिक्षा की बात तो दूसरी है लेकिन एक स्तर तक तो सब को शिक्षा मिलनी ही चाहिए । अनिवार्य रूप से उतनी शिक्षा तो देनी ही है । ऐसी दुनिया में धारणा है और उसी के अन्तर्गत हमारे संविधान में रखा गया है कि थोड़े समय तक ऐसा प्रयत्न होना चाहिए कि हम १४ वर्ष तक के प्रत्येक बच्चे को अपने देश में प्राइमरी शिक्षा या १४ वर्ष तक की शिक्षा अनिवार्य रूप में दे दें । इस नियम के अन्तर्गत यह चीज रखी गई है तो जैसा मैंने कहा किसी देश के निर्माण की सूची में यदि आप हर चीज का स्थान ढूंढेंगे तो शिक्षा का ऊंचा स्थान होगा, कोई भी निर्माण कार्य जनता को अशिक्षित रख कर सफलता पूर्वक नहीं चलाया जा सकता इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती ।

लेकिन हमारे सामने प्रश्न इस समय यह है कि क्या हमको इन डिग्री कालेजेज या स्कूलों की संख्या में वृद्धि करके ही सन्तोष हो जायगा कि हमने यहां शिक्षा का काफी प्रचार कर दिया है ? मैं अभाग्यवश उन व्यक्तियों में हूं जो यह विश्वास करते हैं कि सामग्री उपस्थित होने के पश्चात् ही उच्च शिक्षा देनी चाहिए । अगर किसी डिग्री कालेज या विश्वविद्यालय में समुचित और आवश्यक सामग्री नहीं है, वह वातावरण नहीं है । तो उन संस्थाओं में लड़कों को भेज कर किसी प्रकार से एक डिग्री प्राप्त कर लेना मैं समझता हूं कि देश के लिए हितकर न होगा, अहितकर ही होगा और इसीलिये मैं बावजूद इसके कि देखने में, जैसा

मैंने कहा कि यह प्रस्ताव बड़ा मधुर है, बड़ा लाभदायक भी कहा जा सकता है, डिग्री कालेज खोलने की बात से कौन इन्कार कर सकता है लेकिन शायद ही भवन का कोई सदस्य जो डिग्री कालेज खोलने का हामी है, वह जब डिग्री कालेज की बात करते हैं तो वह अपने जिले के डिग्री कालेज की बात छोड़ कर यह जरूर कहते हैं कि अब डिग्री कालेज नहीं बढ़ाने चाहिए, हमारे जिले में तो हो जाय वह तो ठीक है लेकिन और कहीं अब नहीं होने चाहिए। यह देख कर मुझे यह खयाल आया कि कम से कम हम अब यह तो सोचने लग गये है कि ऐसे डिग्री कालेजों को बढ़ाकर हम देश का निर्माण नहीं करते है बल्कि राष्ट्र का अहित करते है और उसका नतीजा यह होता है कि आपने अभी थोड़े दिन पहले देखा होगा कि आस्ट्रलिया जैसे मुल्क ने यहां के प्रधान मंत्री को यह लिखा कि कृपया आप अपने देश के विद्यार्थियों को हमारे विद्यालयों में न भेजें क्योंकि हमारे विश्वविद्यालय का स्तर आपके यहां के लड़कों के कारण नीचा होता जा रहा है। तो यह एक गंभीर प्रश्न है। आपको पढ़े लिखे बेकारों की आवश्यकता अगर हो तो इन डिग्री कालेजों की संख्या में आप दिन दूनी रात चौगुनी बृद्धि कीजिये। किसी को कोई एतराज नहीं होगा लेकिन अगर आप सचमुच में यह चाहते हैं कि आप अपने इन विश्वविद्यालयों और डिग्री कालेजों से ऐसे स्नातक निकाले जो अपनी बुद्धि से देश को कुछ दे सकें, देश की किसी समस्या का हल निकाल सकें तो अवश्य हमें उस दिशा में चलना चाहिये।

लेकिन आज मुझे दुख है और मैं समझता हूं कि डिग्री कालेजेज की जो मांग है आज कल वह अधिकतर इस लिये नहीं है कि हमारे जिले, क्षेत्र या हमारी तहसील में डिग्री कालेज न होने की वजह से जो बड़े-बड़े बहुत से विद्वान् वहां पैदा होते वे प्रकाश में नहीं आ रहे हैं बल्कि यह है कि प्रत्येक जो इंटरमीडियेट कालेज है, मुझको हर जगह जाने का अवसर मिलता है, चाहे फूस के झोपड़े में ही उसकी इमारत हो, चाहे ट्यूब और बीकर के चित्र ही साइंस विभाग के नाम पर टंगे हो लेकिन मान पत्र में डिग्री कालेज होने के स्वप्न अवश्य देखते है और जितने डिग्री कालेजेज है वे यूनिवर्सिटियां बनना चाहते है। जो जूनियर हाई स्कूल हैं वह हाई स्कूल, जो हाई स्कूल हैं वह इंटरमीडियेट और जो इंटरमीडियेट है वह डिग्री कालेज और जो डिग्री कालेज है वह यूनिवर्सिटी बनना चाहता है। यह एक बड़ी दौड़ सी हो गई है और जैसा कि मैंने स्वयं कहा उस गूढ़ विषय पर हम स्वयं नहीं सोच सके है, निश्चय नहीं कर पा रहे है कि आया इन डिग्री कालेजेज में जो वृद्धि है वह वांछनीय है या नहीं। हम स्वयं यह नहीं जानते और शायद बहुत कारणों से हमें साहस नहीं होता कि हम अपने विचारों को प्रकट कर दें। तो इसलिये यह एक दौड़ सी चल पड़ी है और उसका मुकाबिला करना जरा मुश्किल है। तो जहां तक आप जानते है आपके प्रान्त में इतने विश्वविद्यालय तो हैं ही। एक गोरखपुर का विश्वविद्यालय खुलने जा रहा है, एक संस्कृत विश्वविद्यालय भी खुलने जा रहा है। अखबारों में निकला है कि गोरखपुर और संस्कृत विश्वविद्यालय बन रहे हैं तो मेरठ में क्यों न बने, कानपुर में क्यों न बने, बरेली भी कहने लगा कि हमको भी वह अधिकार होना चाहिये। लेकिन हमको आपको सोचना है कि सचमुच में क्या गली-गली में यूनिवर्सिटीज बना कर हम शिक्षा की कुछ सेवा कर सकेंगे। यह एक बड़ा वैसा प्रश्न है जिसको हमें बड़ी गम्भीरता-पूर्वक, उसमें कोई संकीर्णता न हो, विचार करना चाहिये। यह देश का प्रश्न है। हमारे आपका व्यक्तिगत प्रश्न नहीं है, हमारा आपका कौटुम्बिक प्रश्न नहीं है, इससे सम्बन्धित है हमारी सम्पूर्ण जनता और उसका भविष्य। इसलिये यह एक ऐसा विषय है कि जिस पर हमको गंभीरतापूर्वक विचार करके अपने निर्णय को देना चाहिये। यदि शिक्षा की पद्धति खराब है, यदि शिक्षा की प्रणाली खराब है, यदि हम अपनी संस्कृति को भूल रहे हैं, यदि ऐसी शिक्षा के द्वारा हम अपने नवयुवकों को बिगाड़ रहे है तो सबसे सुलभ रास्ता तो यही होता है कि इसकी वृद्धि को रोका जाय। लेकिन आप वृद्धि भी करते चलें, संख्या भी बढ़ाते चलें।

इस प्रदेश में यूनिवर्सिटियों को छोड़कर ६६ डिग्री कालेज हैं। इस प्रस्ताव के अनुसार ५२ और बढ़ायें और फिर हम यह कहें कि नहीं साहब हमारी संस्कृति का तो हनन हो रहा है

[श्री हरगोविन्द सिंह]

और इसमें हमको पता नहीं कि कैसे नवयुवक पैदा कर रहे हैं। हम तो ऐसे नागरिकों का निर्माण कर रहे हैं जो देश के लिए खतरा हो सकते हैं। तो यह दोनों चीजें साथ मेरी समझ में नहीं आतीं। एक बड़ा भारी प्रश्न है। रुपये की बात तो छोड़ दीजिये। मुझे हंसी आती थी देख कर जबकि हमारे विरोधी दल के जितने लोग उठे हर एक ने कहा कि हर जिले में डिग्री कालेज होना चाहिये, हर गांव में प्राइमरी स्कूल होना चाहिए, हर जगह जूनियर हाई स्कूल होना चाहिए। जो पंचवर्षीय योजना में पांच हजार प्राइमरी स्कूल रखे गये हैं और पांच सौ जो सीनियर बेसिक रखे गये है बहुत कम है। यह सब कुछ ठीक है और सरकार बड़ी निकम्मी है जो इसको पूरा नहीं कर देती और उससे बढ़ कर उसका निकम्मापन यह है कि जो कहती है कि इसके लिए दाम चाहिए। तो इस तरह से किसी देश का शिक्षण नहीं हो सकता। इस तरह से देश को बिगाड़ा तो जा सकता है, उसको ढहाया नहीं जा सकता है, बल्कि उसका खात्मा किया जा सकता है।

एक साहब ने कहा कि यहां युनिवर्सिटी वोट के लिए खोली जा रही है। मेरी समझ में नहीं आता कि यूनिवर्सिटी से वोट कैसे मिलेगा। मैं समझता हूं कि अगर यूनिवर्सिटीज में वोट लिया जाय और शिक्षा मंत्री को उस हल्के से आना हो तो मैं तो नहीं आ सकता। अगर मुझे उन्हें वोट देना पड़े तो शायद मैं तो उनसे निर्वाचित नहीं हो सकता। यह यूनिवर्सिटी खोलने का नतीजा मिल रहा है। मैं आपसे यह कह रहा था कि इन चीजों में भावुकता नहीं आनी चाहिए। हमको ठीक सोच करके अपने स्थान को, अपने मार्ग को स्थिर करना चाहिए। कौन चाहता है दुनिया में कोई राष्ट्र ऐसा होगा जो यह नहीं चाहे कि उसके प्रत्येक आदमी को पूर्ण अवसर हो कि वह ऊंची से ऊंची शिक्षा प्राप्त कर सके। आखिर देश की उन्नति और देश का कल्याण वहां के लोगों से ही होता है न कि सोने और चांदी से। अपनी जनता और लोग अगर मजबूत है, उनमें साहस है, उत्साह है, तो वह देश बड़ा होगा इसको कोई रोक नहीं सकता। चाहे उसका क्षेत्रफल कितना ही छोटा ही क्यों न हो। लेकिन अगर हम उत्साहहीन हों हम अपने रास्ते को जानते नहीं, हम अपने रास्ते पर डगमगा रहे है, हम नहीं जानते कि कौन मार्ग हमारे लिए सुखकर होगा, किस मार्ग से हमारा देश बढ़ सकेगा और हम हर एक चीज को एक दूसरी दृष्टि से विश्लेषण करेंगे, निरीक्षण करेंगे.....

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य--आन ए प्वाइंट आफ आर्डर।

श्री अध्यक्ष--(शिक्षा मंत्री से) आप जरा कृपा करके बैठ जायं।

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य--रेजोल्यूशन के लिए माननीय मंत्री महोदय को २५ मिनट का समय जो नियम से दिया हुआ है वह २५ मिनट पूरा हुआ। इसलिए.....

श्री अध्यक्ष--२५ मिनट अभी पूरे नहीं हुए। साढ़े चार बजे उन्होंने शुरू किया था। अभी तीन मिनट बाकी है।

माननीय मंत्री जी आप जारी रखें।

श्री हरगोविन्द सिंह--अभी चेयर पर काम करने की आदत पड़ी है। पुरानी आदत है। शायद भूल नहीं रही है।

मैं यह कह रहा था कि इसलिये इन चीजों पर हमको इस प्रकार से विचार करना चाहिए कि देश के लिए जैसा मैंने कहा हर एक व्यक्ति चाहता है कि ऊंची से ऊंची शिक्षा का अवसर सबको मिले। यह भी देखते हुए कि देश में साधन भी उपस्थित हो जायं और देश में यह शिक्षा सबको उपलब्ध हो जाय। तो मैंने सुबह ही कुंवर साहब से कहा कि यदि आप उचित समझें तो इस प्रस्ताव को वापस ले लें। लेकिन हमारे लिए यह बिलकुल नामुमकिन बात है। आर्थिक दृष्टि से भी कि हम पंचवर्षीय योजना के अन्दर ५२ कालेज और तीन सौ के करीब तहसीलें हैं जिनमें सब इंटरमीडियेट कालेज खोल दें। न इतना धन है न इतने आदमी मिलेंगे। मैं इस प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

श्री अध्यक्ष—मैं एक एक संशोधन लिये लेता हूं। मूल संकल्प यह है "इस सदन का यह निश्चित मत है कि आगामी पंचवर्षीय योजना की अवधि में राज्य के प्रत्येक जिला में कम से कम एक डिग्री कालेज, तथा प्रत्येक तहसील में कम से कम एक हायर सेकेंड्री स्कूल अवश्यमेव खोल दिये जायं।"

इसमें दूसरा और आखिरी संशोधन श्री बलवन्त सिंह जी का है। दोनों मैं एक साथ लिए लेता हूं और फिर उनके ऊपर राय लूंगा।

प्रश्न यह है कि संकल्प की पंक्ति ३ में शब्द "स्कूल" तथा "अवश्यमेव" के बीच में निम्नलिखत शब्द जोड़ दिये जायं:—

"तथा प्रत्येक निकट की मिली हुई तीन अदालती पंचायतों के क्षेत्र के बीच में कम से कम एक जूनियर हाई स्कूल तथा प्रत्येक गांव सभा क्षेत्र में एक प्राइमरी स्कूल"

संकल्प के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाय:—

"इस सदन का यह भी निश्चित मत है कि आगामी पंचवर्षीय योजना की अवधि में स्त्री जाति की उन्नति के लिये स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिये राज्य के प्रत्येक जिले में कम से कम एक हायर सेकेंड्री स्कूल सुसज्जित छात्रावास सहित तथा प्रत्येक तहसील में एक जूनियर हाई स्कूल सुसज्जित छात्रावास सहित अवश्य खोल दिये जायं"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—अब श्री रामेश्वरलाल का संशोधन है। वह इस प्रकार है:—

प्रश्न यह है कि संकल्प की पंक्ति ३ के शब्द "तहसील" और शब्द "में" के बीच में शब्द "के उपेक्षित ग्रामीण क्षेत्रों" रख दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—अब मैं मूल संकल्प उपस्थित करता हूं।

प्रश्न यह है कि इस सदन का यह निश्चित मत है कि आगामी पंचवर्षीय योजना की अवधि में राज्य के प्रत्येक जिला में कम से कम एक डिग्री कालेज तथा प्रत्येक तहसील में कम से कम एक हायर सेकेंड्री स्कूल अवश्यमेव खोल दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

हरिजन संरक्षण (सेवा) विधेयक, १९५४

श्री रामसुमेर (जिला फैजाबाद)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि हरिजन संरक्षण (सेवा) विधेयक, १९५४, को एक प्रवर समिति को निर्दिष्ट किया जाय जो अपना प्रतिवेदन एक मास के भीतर दे दे। प्रवर समिति के सदस्यों की सूची बाद में प्रस्तुत की जायगी।

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य (जिला जौनपुर)—मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय एक घंटे के लिये बढ़ा दिया जाय ताकि हम इस पर विचार कर सकें।

श्री अध्यक्ष—इसमें कुछ आपत्ति है?

प्रश्न यह है कि सदन का समय एक घंटे के लिये बढ़ा दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री राम सुमेर---श्रीमन्, मैं तो शीघ्र इसको समाप्त कर देना चाहता हूं। यह तो सदन को ज्ञात ही है कि इस विधेयक के बारे में जनमत आ चुका है और सदन में वितरित भी हो चुका है। उसमें कुछ ऐसी बातें है जिसके लिये आवश्यक है कि प्रवर समिति को सुपुर्द कर दिया जाय। इसलिये मैं यह समझता हूं कि यह सदन सर्वसम्मति से मेरे प्रस्ताव को स्वीकार करेगा।

श्री जोरावर वर्मा (जिला हमीरपुर)---अध्यक्ष महोदय, माननीय रामसुमेर जी ने जो अपना प्रस्ताव रक्खा है मैं उसका समर्थन करता हूं।

शिक्षा मंत्री (श्री हरगोविन्द सिंह)---मान्यवर, प्वाइन्ट आफ आर्डर, इन दोनों घड़ियों में बड़ा फर्क है।

श्री अध्यक्ष---मैं उसी घड़ी से चल रहा हूं।

(कुछ ठहर कर)

प्रश्न यह है कि हरिजन संरक्षण (सेवा) विधेयक, १९५४, को एक प्रवर समिति को निर्दिष्ट किया जाय जो अपना प्रतिवेदन एक मास के भीतर दे दे। (प्रवर समिति के सदस्यों की नामावली बाद में प्रस्तुत की जायगी।)

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष---(माननीय रामसुमेर जी से) अब आप इसके लिये नाम बाद में उपस्थित करेंगे। अच्छा नामावली आपने भेज दी। नाम यह हैं---

१---श्री मोहनलाल गौतम, २---श्री चन्द्र सिंह रावत, ३---श्री श्रीचन्द्र, ४---श्री इस्तिफा हुसैन, ५---श्री द्वारका प्रसाद मौर्य, ६---श्री रामचन्द्र विकल, ७---श्री रामवचन यादव, ८---श्री जयराम वर्मा, ९---श्री खुशीराम, १०---श्री वीरसेन, ११---श्री श्रीनाथ, १२---श्री तुलाराम, १३---श्री जयपाल सिंह, १४---श्री गेंदा सिंह, १५---श्री कृष्णदत्त पालीवाल, १६---श्री रामनारायण त्रिपाठी, १७---श्री तेजप्रताप सिंह, १८---श्री जोरावर वर्मा और १९---श्री नारायणदत्त तिवारी।

अब कोई और नाम देना चाहें इस संबंध में तो वह उपस्थित कर सकते हैं। मिनिस्टर के बारे में कहने की जरूरत नहीं है।

श्री रामबली मिश्र (जिला सुल्तानपुर)---श्रीमन्, मैं हरि सिंह जी के नाम को पेश करता हूं।

श्री रामलखन मिश्र (जिला बस्ती)---मान्यवर, मैं भृगुनाथ चतुर्वेदी जी का नाम प्रस्तुत करता हूं।

एक सदस्य---श्रीमान, मैं श्री शिवनारायण जी का नाम प्रस्तुत करता हूं।

श्री अध्यक्ष---अब उसके लिये कार्यवाही बाद में होगी। जो असरकारी दिन दूसरा होगा उस रोज होगा।

यू० पी० पंचायतराज नियमों में कृत संशोधन

स्वशासन उपमंत्री (श्री कैलाश प्रकाश)---श्रीमन्, पंचायत राज विभाग की विज्ञप्तियां संख्या ३२/३३ व ५४६/३३ व ७७/३३ व ६०१६/३३ व १३०२/३३-१४९-५६ तथा ११६८/३३ क्रमशः दिनांक ४ जनवरी, १९५६, २३ जनवरी, १९५६, ५ मार्च, १९५६, ७ दिसम्बर, १९५५, १४ मार्च, १९५६ और १५ मार्च, १९५६ जिनसे यू० पी० पंचायत राज नियमों में संशोधन किये गये है, सदन की मेज पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश बिक्री कर (संशोधन) विधेयक, १९५६

शिक्षा मंत्री (श्री हरगोविन्द सिंह)—श्रीमन्, मैं उत्तर प्रदेश बिक्री कर (संशोधन) विधेयक, १९५६ पुरःस्थापित करता हूं।

(देखिये नत्थी 'छ' आगे पृष्ठ ४९७-५०५ पर)

गोरखपुर विश्वविद्यालय विधेयक, १९५६

शिक्षा मंत्री (श्री हरगोविन्द सिंह)—श्रीमन्, मैं गोरखपुर विश्वविद्यालय विधेयक, १९५६ पर संयुक्त प्रवर समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

(देखिये नत्थी 'ज' आगे पृष्ठ ५०६-५४० पर)

आगामी कार्यक्रम की सूचना

श्री अध्यक्ष—अब मैं दो एक सूचना माननीय सदन को दे देना चाहता हूं। एक तो सबेरे यह पूछा गया था कि सोमवार के लिये कार्यक्रम क्या होगा, किस विधेयक के ऊपर वादविवाद होगा तो पहले भूमि व्यवस्था विधेयक जो जारी है वही जारी रहेगा, उसके बाद कृषि आयकर आवेगा उसके बाद गन्ना उपकर विधेयक और फिर चौथा होगा बिक्री कर का जो कि अभी उपस्थित हुआ है।

वित्त समिति, प्राक्कलन समिति तथा परामर्शदात्री समितियों के निर्वाचन कार्यक्रम में परिवर्त्तन

श्री अध्यक्ष—दूसरी सूचना इस प्रकार है। श्री मंगला प्रसाद जी मुख्य सचेतक ने मुझे यह लिखा है कि मंत्रियों के लिये परामर्शदात्री समितियों और और भी दो एक समितियों प्राक्कलन समिति और वित्त समिति, इनके लिये जो निर्माण करने के लिये नामजदगी की तिथि ३० अप्रैल रखी थी क्योंकि इस समय विधान परिषद का अधिवेशन भी नहीं हो रहा है और अभी तो विधान परिषद के बाईनियल एलेक्शन भी हो रहे हैं जो ५ मई को पूर्ण होंगे इसलिये वह चाहते हैं कि ३० अप्रैल, को जो नामजदगी रखी है वह नामजदगी का समय बढ़ा दिया जाय। तो मैं समझता हूं कि यह उचित ही है उनका कथन इसलिये अब मैं नया कार्यक्रम इस प्रकार निश्चित करता हूं कि ८ मई को १ बजे तक अंतिम तिथि और समय नाम निर्देशन पत्रों की प्राप्ति के लिये होगा और नाम निर्देशन पत्रों की सूक्ष्म परीक्षा की तिथि तथा समय ८ मई को ही ३ बजे होगा, सचिव विधान सभा के कमरे में। नामों की वापसी की तिथि ९ मई को यानी दूसरे रोज सायंकाल ३ बजे तक होगा और मैं समझता हूं कि उसके बाद उसी दिन यह बता दिया जायगा कि फलां-फलां जो हैं, नामजद रहे। निर्वाचन की तिथि तथा समय आवश्यकता होने पर बाद में सूचित किया जायगा। इसके संबंध में मैं इतना तो कह ही देता हूं कि शायद १० तारीख को सदन की बैठक खत्म होगी। इसलिये चुनाव की आवश्यकता पड़ी तो मैं यह कोशिश करूंगा कि १० को ही चुनाव हो जायं।

(इसके बाद सदन ५ बजकर ६ मिनट पर सोमवार, ३० अप्रैल, १९५६ के ११ बजे दिन तक के लिये स्थगित हो गया।)

लखनऊ,
२७ अप्रैल, १९५६।

मिटठन लाल,
सचिव, विधान मंडल,
उत्तर प्रदेश।

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न १० का उत्तर पीछे पृष्ठ ४२५ पर)

आचार्य जुगल किशोर जी की अध्यक्षता में यू० पी० लेबर इन्क्वायरी कमेटी की कुछ मुख्य सिफारिशें:—

(१) सचिव, श्रम विभाग, तथा श्रमायुक्त, उत्तर प्रदेश, के पद अलग-अलग होना चाहिये।

(२) श्रमायुक्त का हेडक्वार्टर कानपुर में होना चाहिये।

(३) चीफ इन्सपेक्टर आफ फैक्टरीज का कार्यालय श्रमायुक्त से अलग कर देना चाहिये और उसे स्वाधीनतापूर्वक काम करना चाहिये।

(४) फैक्टरियों के निरीक्षण के लिये फैक्टरी इन्सपेक्टोरेट को क्षेत्रों में बांटा जाय।

(५) चीफ इन्सपेक्टर आफ व्यायलर्स श्रमायुक्त के अधीन न होकर स्वतंत्रता पूर्वक कार्य करे (इन्सपेक्टर आफ ब्यायलर्स चीफ इन्सपेक्टर आफ फैक्टरीज) जिन्हें चीफ इन्सपेक्टर आफ ब्यायलर्स का भी पद दिया जाये, के अधीन कार्य करें।

(६) मजदूरों के लिये सहकारी ऋण समितियां खोली जाय जिससे उन्हें आवश्यकता पड़ने पर उचित दर पर ऋण मिल सके।

(७) सरकारी तथा अन्य प्रकार के हितकारी संघों को चाहिये कि वे मजदूर हातों में सस्ती सहकारी दूकानें खोलकर मजदूरों की मितव्ययता की भावना जाग्रत करें।

(८) जब भी संभव हो मजदूरों की स्त्रियों के लिए पार्ट टाइम काम खोजे जायें ताकि वे अपने पतियों की आय में वृद्धि कर सकें।

(९) कस्बे के भिन्न वार्डों में एक गैर सरकारी हितकारी बोर्ड के द्वारा हैल्थ विजिटरों की नियुक्ति की जाय।

(१०) हितकारी कार्यों को सम्पूर्णतया एक गैर सरकारी बोर्ड के अधीन होना चाहिये जिससे कि जनता का सहयोग उसे मिल सके। अतएव एक गैर सरकारी बोर्ड जैसा कि नीचे दिया गया है स्थापित किया जाये।

अध्यक्ष—गैर सरकारी सरकार द्वारा निर्देशित।

उपाध्यक्ष—२(एक मजदूरों का और दूसरा सेवायोजकों का प्रतिनिधि)

सदस्यगण—१ प्रतिनिधि जन-स्वास्थ्य विभाग का।
१ प्रतिनिधि डेवलपमेंट बोर्ड का।
१ ,, म्युनिसिपल बोर्ड का।
१ ,, श्रम विभाग का।
१ ,, ट्रेड यूनियन का।
१ ,, सेवा योजकों का।
३ ,, कानपुर के बाहर के सेवा योजकों तथा मजदूरों के।
३ ,, राज्य के विख्यात सामाजिक कार्यकर्ता जिसमें एक महिला भी सम्मिलित हो।

(११) एक एडवाइजरी कमेटी की नियुक्ति की जाये जो कि हितकारी बोर्ड तथा गृह बोर्ड के कार्यों में सम्पर्क स्थापित करे।

(१२) हितकारी बोर्ड का मुख्य कार्यालय कानपुर में होना चाहिये और उसकी शाखायें राज्य के विभिन्न जिलों में हो।

(१३) हितकारी बोर्ड को खेल-कूद, पिकनिक, इत्यादि का आयोजन करना चाहिए।

(१४) सरकार को मजदूरों के लिए राज्य में २५ साल में २,००,००० मकान का निर्माण इस प्रकार से करना चाहिये कि ५ साल में ४०,००० मकान तैयार हों या १ साल में ८,०००।

(१५) गृह बोर्ड की स्थापना।

सत्यमेव जयते

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न १७ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४३४ पर)

संख्या	पाठशाला का नाम	आवर्त्तक अनुदान सन् १६५५-५६
		रु०
१—मुरादाबाद सनातन धर्म विद्यालय चंदौसी	..	१,५८४
२—ऋषिकुल महाविद्यालय, कटघर ..	..	१,०६२
३—रघुनाथ ब्रह्मचर्याश्रम, चंदौसी ..	..	१,७७६
४—श्री रामकुमार संस्कृत विद्यालय, कांठ ..	..	६६६
५—श्री सनातन धर्म संस्कृत विद्यालय, बहजोई	..	७२०
६—श्री सनातन धर्म संस्कृत विद्यालय, गजरौला	..	६००

सत्यमेव जयते

नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न २४ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४३६ पर)

कंसिलिएशन बोर्ड, गोरखपुर द्वारा सन् १६५५ में श्रमायुक्त, उत्तर प्रदेश को निर्णय हेतु भेजे गये केसों का विवरण

क्रम-संख्या	मिल का नाम	कुल निर्णय के लिए भेजे गए विवाद	अभिनिर्णय में भेजे गये विवादों की संख्या
१	लक्ष्मीदेवी शुगर मिल्स, छितौनी, देवरिया ..	८	१
२	आनन्द शुगर मिल्स, खलीलाबाद	१०	३
३	पिपराईच शुगर मिल, गोरखपुर	३	३
४	यू० पी० शुगर कं० एग्रीकल्चर फार्म, सिवराही, देवरिया	३	१
५	यू० पी० शुगर कं० लिमि०, शिवराही, देवरिया ..	११	८
६	देवरिया शुगर मिल्स लिमि०, देवरिया ..	११	४
७	सरया शुगर फैक्टरी, सरदारनगर, गोरखपुर ..	१	..
८	पडरौना राजकृष्णा शुगर मिल्स, पडरौना ..	६	४
६	विष्णु प्रताप शुगर वर्क्स खड्डा देवरिया ..	३	३
१०	माधो महेश शुगर मिल्स, मुंडेरवा, बस्ती ..	५	३
११	बलरामपुर शुगर कं० बलरामपुर, गोंडा ..	६	२
१२	बलरामपुर शुगर कं०, तुलसीपुर, गोंडा ..	३	१
१३	पंजाब शुगर मिल्स, घुघली, गोरखपुर. . ..	३	१
१४	कानपुर शुगर कं०, गौरीबाजार	१	..
१५	बस्ती शुगर मिल्स, वाल्टरगंज, बस्ती. . ..	१	..
१६	महावीर शुगर मिल्स, सिसवा बाजार ..	८	२
१७	आर० बी० लक्ष्मणदास शुगर एण्ड जन० मिल्स, बहराइच	२	१
१८	जगदीश शुगर मिल्स, कठकुइया	६	१
१६	डाइमंड शुगर मिल्स, पिपराइच	१	१
२०	नवाबगंज शुगर मिल्स, नवाबगंज, गोंडा ..	११	१
२१	परतावपुर शुगर फैक्टरी, मेरवा	६	३
२२	शंकर शुगर मिल्स, कप्तानगंज	५	२
२३	गनेश शुगर मिल्स आनन्दनगर, गोरखपुर ..	३	२
२४	महेश्वरी खेतान शुगर मिल्स, रामकोला ..	४	१
२५	रामकोला शुगर मिल्स, रामकोला	३	..
२६	श्री सीताराम शुगर मिल्स, बेतालपुर ..	७	३
२७	ईश्वरी खेतान शुगर मिल्स, लक्ष्मीगंज ..	१	१
२८	झांसी इलेक्ट्रिक सप्लाई कम्पनी, गोरखपुर ..	२	२
२६	शंकर डिस्टेलरी एण्ड कैमिकल वर्क्स, कैप्टेनगंज ..	६	१
३०	नारंग इन्डस्ट्रीज नवाबगंज, गोंडा ..	३	..
३१	महावीर जूट मिल्स, सहजनवां	१	..
३२	वीनस पिक्चर पैलेस, गोरखपुर	४	१
३३	यूनाइटेड टाकीज गोलघर गोरखपुर ..	२	१

क्रम-संख्या	मिल का नाम	कुल निर्णय के लिए भेजे गये विवाद	अभिनिर्णय में भेजे गये विवादों की संख्या
३४	विजय पिक्चर पैलेस, गोरखपुर	५	३
३५	जुबली टाकीज़ बक्सीपुर, गोरखपुर	१	..
३६	ओंकार टाकीज़, बहाराइच	१	१
३७	हरी टाकीज, बहराइच	१	१
३८	सिलवर टाकीज़ गोंडा	१	..
३९	गीताप्रेस, गोरखपुर	३	..
४०	राजवंशी कुखुन्डु ठेकेदार देवरिया	१	..
४१	रेवती राम भावन्त गोलघर, गोरखपुर ..	१	..
४२	कोल्ड फील्ड रिकरूटिंग संस्था, भागा मानभूम ..	१	..
४३	गनेश लाल एन्ड कं० रेलवे ठेकेदार ..	१	१
४४	मथुरा प्रसाद एन्ड सन्स, गोरखपुर ..	१	..
४५	बच्चा शंकर लाइट हाउस, गोरखपुर . ..	१	..
४६	हरी राम आनन्दराम ग्रेन मर्चेन्ट, सहजनवां ..	१	..
	कुल योग ..	१६९	६३

नत्थी 'घ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ३० का उत्तर पीछे पृष्ठ ४३७ पर)

तालिका—भूतपूर्व राजकीय प्राइमरी पाठशाला, जौनपुर जिले की मछलीशहर तहसील के अन्तर्गत जिन्हे १-३-५६ तक कोई अनुदान भवन निर्माण के हेतु नहीं मिला है।

१—उकनी
२—नारीपुर
३—बरपुर
४—हिसामुद्दीनपुर
५—जमालपुर (मुंगरा)
६—कादनपुर
७—मुस्तफाबाद
८—करौर
९—कांधापुर
१०—खरुआंवा
११—मीरगंज (कन्या)
१२—बाहरपुर
१३—रापुरकलां
१४—सोंहासा
१५—सहनी
१६—सराय चौहान
१७—पराहित
१८—उचडीह
१९—रामपुर सहिजद
२०—भसोट

प्रतापगढ़ से हस्तान्तरित

२१—कुशरिया
२२—अगहुआ बाजार
२३—चरिआही
२४—कल्यानपुर
२५—कोल
२६—तुरकौली
२७—मुंहकुचा

नत्थी 'ङ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ३४ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४४० पर)

तालिका (क)

जिसका उल्लेख प्रश्न संख्या ३४ के उत्तर में किया गया है।

जिला परिषद्, बुलन्दशहर के कन्याओं के जूनियर हाई स्कूल्स।

१—स्याना
२—डनकौर
३—शिकारपुर

जिला परिषद्, बुलन्दशहर के कन्याओं के प्राइमरी स्कूल्स

४—जैवर
५—जहांगीराबाद
६—जहांगीरपुर
७—पारसौल
८—करौरा
९—पहासू
१०—छतारी
११—थोरा
१२—ककोड़
१३—बनैल
१४—बेलोन
१५—बांहपुर
१६—गैसूपुर
१७—दौलतपुर
१८—अहमदगढ़
१९—हरचना
२०—सठला

जिला परिषदों को किसी स्कूल विशेष के हेतु पृथक रूप से अनुदान नहीं प्रदान किया जाता, वरन् हिन्दुस्तानी शिक्षा के हेतु शासन द्वारा कन्ट्रैक्ट अनुदान दिया जाता है जिसकी सहायता से वे परिषद् के तथा परिषद् द्वारा सहायता प्राप्त बालक तथा बालिकाओं के समस्त प्राइमरी तथा जूनियर हाई स्कूलों का संचालन करते हैं। इस प्रकार १९५४–५५ में जिला परिषद्, बुलन्दशहर को उपर्युक्त स्कूलों के अनुपालन-हेतु निर्धारित न्यूनतम व्यय का ६५ प्रतिशत कन्ट्रैक्ट आवर्त्तक राजकीय अनुदान दिया गया था।

जिला परिषद द्वारा इमदादी कन्या पाठशालाएं

१—नेथैला	१६ रु०	मासिक बोर्ड से	बाकी पब्लिक के चन्दे से।	
२—बेराफिरोजपुर	१३ रु०	,,	,,	,,
३—रबूपुरा	१३ रु०	,,	,,	,,
४—बिलासपुर	१३ रु०	,,	,,	,,

तालिका (ख) जिसका उल्लेख प्रश्न सं० ३४ के उत्तर में किया गया है ।

सरकार और जनता से संचालित बुलन्दशहर जिला के कन्या विद्यालय के नाम	१९५४–५५ में स्वीकृत अनुदान		
	अनुपालन अनुदान	पूरक अनुपालन अनुदान	काष्ठोपकरण तथा सज्जा अनुदान
उच्चतर माध्यमिक विद्यालय—			
१—राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, बुलन्दशहर ..	पूरा व्यय सरकार वहन करती है ।		
२—आर्यकन्या पाठशाला, खुर्जा ..	११,०७६	२,०००	..
३—कन्या हायर सेकेंडरी स्कूल, दिवाई ..	३,६४८	७३०	२००
४—स्वामी दयाल पुत्री पाठशाला, सिकन्दराबाद	५,२०८	१३०	..
पूर्व माध्यमिक विद्यालय—			
५—राजकीय कन्या जूनियर हाई स्कूल, भौ० बहादुरनगर ..	पूरा व्यय सरकार वहन करती है ।		
६—आर्य कन्या पाठशाला, गुलौठी ..	२,०००	४००	..
७—रामप्यारी कन्या पाठशाला, दिवाई ..	३,६४८	..	..
८—आर्य कन्या पाठशाला, अनूपशहर ..	२,६५२	..	..
९—आर्य कन्या पाठशाला, बुलन्दशहर ..	४,००८	१००	..
१०—कन्या शिक्षा सदन, बुलन्दशहर ..	३,७५६	७५०	..
११—वैदिक कन्या पाठशाला, दादरी ..	१,४४०	..	..
१२—गांधी नगर कन्या पाठशाला, गुलौठी ..	..	..	..
१३—कबाड़ी जूनियर हाई स्कूल, सिकन्दराबाद ..	..	..	..

नत्थी 'च'

(देखिये तारांकित प्रश्न ४७ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४४३ पर)

गीता प्रेस गोरखपुर की मजदूर यूनियन द्वारा की गई मुख्य-मुख्य शिकायतों की तालिका

(१) गीता प्रेस के कर्मचारियों को प्रदेश के सभी प्रेसों और जिले के सभी उद्योगों से बहुत कम वेतन मिलता है।

(२) गीता प्रेस में तरक्की का कोई नियम नहीं है। कर्मचारियों की नौकरी का कोई ठिकाना नहीं है। मालिक जब चाहते हैं बिना खता बिना चार्जशीट और नोटिस के नौकरी से अलग कर देते हैं।

(३) फैक्टरी ऐक्ट, शाप्स ऐक्ट, स्टैन्डिंग आर्डर ऐक्ट और ट्रेड डिस्प्यूट्स ऐक्ट गीताप्रेस पर लागू हैं पर उनकी सभी सुविधाओं से मजदूर वंचित हैं।

(४) ठेकेदारी प्रथा द्वारा सैकड़ों आदमियों और नाबालिग बच्चों से काम लिया जाता है और उन्हें कम भुगतान किया जाता है।

(५) गीता प्रेस में वर्णभेद, जातिभेद, पक्षपात और सामाजिक अत्याचारों से मजदूर पीड़ित हैं।

नत्थी 'घ'

(देखिये आगे पृष्ठ ४८७ पर)

उत्तर प्रदेश बिक्री कर (संशोधन) विधेयक, १९५६

संयुक्त प्रान्तीय बिक्री कर ऐक्ट, १९४८ ई० को संशोधित करने का विधेयक

यू० पी० ऐक्ट १५, १९४८।

कुछ प्रयोजनों के लिये संयुक्त प्रान्तीय बिक्री कर ऐक्ट, १९४८ ई० को उत्तर प्रदेश बिक्री कर (संशोधन) अध्यादेश, १९५६ द्वारा संशोधित किया गया था,

यू० पी० ऐक्ट १५, १९४८। उत्तर प्रदेश अध्यादेश ९, १९५६।

और संयुक्त प्रान्तीय बिक्री कर ऐक्ट, १९४८ ई० को संशोधित करना तथा उक्त अध्यादेश के स्थान पर विधान मण्डल के अधिनियम की व्यवस्था करना आवश्यक है,

यू० पी० ऐक्ट १५, १९४८। उत्तर प्रदेश अध्यादेश ९, १९५६।

अतएव भारतीय गणतंत्र के सातवें वर्ष में एतद्द्वारा निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:

संक्षिप्त शीर्षनाम, विस्तार तथा प्रारम्भ।

१—(१) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश बिक्री कर (संशोधन) अधिनियम १९५६ कहलायेगा।

(२) यह धारा तथा संयुक्त प्रान्तीय बिक्री कर ऐक्ट, १९४८ (जिसे एतत्पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) में धारा २ से ले कर धारा ९ तक तथा ११ से लेकर १५ तक के द्वारा किये गये संशोधन, यहां की गई व्यवस्था के अधीन रहते हुये, १ अप्रैल, १९५६ को तथा से प्रभावी होंगे, और प्रभावी हुये समझें जायंगे तथा धाराएं १० तथा १६ ऐसे दिनांक से प्रभावी होंगी जिसे राज्य सरकार सरकारी गजट में विज्ञप्ति द्वारा नियत करे:

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि धारा १२ तथा १५ द्वारा किये गये संशोधन दिनांक १ अप्रैल, १९५६ से पहिले के किसी भी वर्ष के कर-निर्धारणों (assessments) के सम्बन्ध में भी प्रवृत होंगे, चाहे वे निर्धारण किसी भी चरण (stage) तक पूरे हो गये हैं, या नहीं हो गये हैं, अथवा पूरे हो गये थे या पूरे नहीं हो गये थे।

यू०पी० ऐक्ट १५, १९४८ की धारा २ का संशोधन।

२—संयुक्त प्रान्तीय बिक्री कर ऐक्ट, १९४८ की धारा २ के खंड (ञ) के उपखंड (२) को निकाल दिया जाय।

यू०पी० ऐक्ट १५, १९४८ की धारा ३ का संशोधन।

३—(१) मूल अधिनियम की धारा ३ की उपधारा (१) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय—

"(१) इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, प्रत्येक व्यापारी, प्रत्येक कर-निर्धारण वर्ष के लिये, उक्त वर्ष के अपने विक्रय-धन (turnover) पर, जो ऐसी रीति से निश्चित किया जायगा जो निर्धारित की जाय, तीन पाई प्रति रुपये की दर से कर देगा।

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि व्यापारी पर, धारा १८ में अन्यथा उपबन्धित अवस्था को छोड़कर, कर भुगतान करने का दायित्व न होगा यदि कर-निर्धारण वर्ष में उसका विक्रय-धन १२,००० रु० अथवा ऐसी अधिक बड़ी धनराशि से, जो इस सम्बन्ध में निर्धारित की जाय, कम हो, जब तक कि उसने उत्तर प्रदेश के बाहर से अपने द्वारा आयात किये गये किसी माल को, जिसके बिक्रय-धन पर धारा ३-क की उपधारा (१) के अधीन कर लगाया जा सकता हो, न बेचा हो और ऐसी दशा में इस प्रतिबन्धात्मक खंड में बिक्रय-धन की निम्नतम धनराशि के सम्बन्ध में किसी भी बात के होते हुये भी, उसे ऐसे माल के विक्रय-धन पर उक्त धारा की उपधारा (२) में उल्लिखित दर के अनुसार कर अदा करना होगा।

प्रतिबन्ध यह भी है कि राज्य सरकार सरकारी गजट में विज्ञप्ति द्वारा किसी माल अथवा माल के वर्गों के सम्बन्ध में विक्रय-धन पर कर की दर में इस प्रकार वृद्धि कर सकती है कि दर ६ पाई प्रति रुपये से अधिक न बढ़ने पाये, और इसी प्रकार वह उसे घटा सकती है और तत्पश्चात् कर सम्बद्ध विक्रय-धन पर, बढ़ायी हुई अथवा घटायी हुई दर से, जो भी लागू होती हो, देय होगा।

और प्रतिबन्ध यह भी है कि यदि पहले प्रतिबन्धात्मक खंड में निर्धारित धनराशि किसी कर निर्धारण-वर्ष के दौरान में कम कर दी जाय, तो व्यापारी द्वारा पूर्वोक्त प्रकार से देय कर का हिसाब निम्नलिखित ढंग से लगाया जायगा, अर्थात्—

(क) धनराशि में कमी किये जाने से पूर्व की अवधि के विक्रय-धन पर—उस हिसाब से, मानो धनराशि में कोई कमी नहीं की गई है, और

(ख) शेष धनराशि पर—उस हिसाब से मानो कम की हुई धनराशि सभी सारवान् दिनांकों (Material dates) पर प्रवृत्त (inforce) रही हो।"

(२) मूल अधिनियम की धारा ३ की उपधारा (२) निकाल दी जाय।

(३) वित्तविभाग की दिनांक २१ अगस्त, १९४८ की विज्ञप्ति संख्या एस० टी०-९२६/१० के अधीन दिनांक २६ अगस्त, १९४८ के असाधारण गजट में प्रकाशित संयुक्त प्रान्तीय बिक्री कर नियम, १९४८ का नियम ७ निकाल दिया जायगा और एतद्द्वारा निकाला जाता है।

यू० पी० ऐक्ट १५, १९४८ की धारा ३-क का संशोधन।

४—मूल अधिनियम की धारा ३-क की उपधारा (२) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय —

"(२) यदि राज्य सरकार उपधारा (१) के अधीन कोई घोषणा करती है तो वह यह भी घोषणा कर सकती है कि ऐसे माल के सम्बन्ध में विक्रय-धन पर ऐसी दर से कर लगाया जायगा, जो निर्दिष्ट की जाय, किन्तु वह १ आना प्रति रुपया से अधिक न होगा।"

(३) इस धारा के अधीन प्रत्येक विज्ञप्ति अपने निर्माण के पश्चात् यथाशीघ्र राज्य विधानसभा के समक्ष प्रस्तुत की जायगी, और यदि उस सत्र में, जिसमें कि वह प्रस्तुत की गई हो उसको संशोधित अथवा परिष्कृत करने का कोई संकल्प पारित हो जाय तो वह, संकल्प पारित होने के दिनांक से, तदनुसार संशोधित अथवा परिष्कृत कर दी जायगी, किन्तु किसी पूर्वकृत कार्य, या उपगत किसी दायित्व अथवा किये गये कर-निर्धारण की वैधता पर इसका कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़ेगा।

५--मूल अधिनियम की धारा ३-क के पश्चात् नई धारा ३-कक के रूप में निम्नलिखित बढ़ा दिया जाय:

निर्दिष्ट वस्तुओं पर कर।

३-कक--धारा ३ या ३-क में किसी बात के रहते हुये भी, कोयला, लोहा तथा इस्पात, कच्चा जूट, रुई, तिलहन, कच्ची खालें और चमड़े (raw hides and skins) के विक्रय-धन पर, व्यापारी द्वारा उपभोक्ता के हाथ बिक्री को छोड़ कर, बिक्री-कर नहीं लगेगा तथा कर की दर ३ पाई प्रति रुपये से अधिक न होगी। जब तक व्यापारी अन्यथा सिद्ध न कर दे, तब तक प्रत्येक बिक्री उपभोक्ता के हाथ की गई बिक्री समझी जायेगी।

यू० पी० ऐक्ट १५, १९४८ की धारा ४ का संशोधन।

६--(१) मूल अधिनियम की धारा ४ की उपधारा (१) के खंड (क) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय --

"(क) पानी, दूध, नमक, समाचार-पत्र और मोटर स्प्रिट की, जिसकी परिभाषा यू० पी० सेल आफ मोटर स्प्रिट (टैक्सेशन) ऐक्ट, १९३९ में की गई है, तथा अन्य किसी माल की बिक्री पर, जिसे राज्य सरकार सरकारी गजट में विज्ञप्ति द्वारा कर-मुक्त करे।"

(२) उक्त उपधारा (१) के खंड (ख) में शब्द "एक हजार रुपया" के स्थान पर शब्द "चार हजार रुपया" रख दिये जायं।

यू० पी० ऐक्ट १५ १९४८, की धारा ७ का संशोधन

७--मूल अधिनियम की धारा ७ की उपधारा (१) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय--

"(१) प्रत्येक व्यापारी जिस पर इस अधिनियम के अधीन कर लगाया जा सकता हो ऐसे कालान्तरों (intervals) पर, ऐसी कालावधि के भीतर तथा ऐसे आकार में, अपने विक्रय-धन का या के विवरण-पत्र प्रस्तुत करेगा, तथा उन्हें ऐसे ढंग से प्रमाणित करेगा जो निर्धारिग किये जायं, किन्तु कर-निर्धारक-अधिकारी स्वविवेकानुसार, कारणों को अभिलिखित करके, किसी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के वर्ग द्वारा विवरग-पत्र प्रस्तुत किये जाने का दिनांक बढ़ा सकता है।"

यू० पी० ऐक्ट १५, १९४८ की धारा ७-क का संशोधन।

८--मूल अधिनियम की धारा ७-क के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय--

"(१) राज्य सरकार किसी व्यापारी को कर-निर्धारण-वर्ष के किसी भाग के विक्रय-धन का विवरग-पत्र प्रस्तुत करने के लिये आदेश दे सकती है, और कर-निर्धारक अधिकारी, धारा ७ के उपबंधों पर बिना प्रतिकूल प्रभाव डाले हुये, कर-निर्धारण-वर्ष के उस भाग के सम्बन्ध में इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार, जहां तक कि वे लागू होते हों, अस्थायी रूप से कर-निर्धारण (Provisional assessment) कर सकता है।

(२) यदि कर-निर्धारक अधिकारी ने उपधारा (१) के अधीन अस्थायी रूप से कर निर्धारित किया हो तो इस प्रकार कर-निर्धारण किये जाने के कारण उसे पूरे वर्ष का कर निर्धारित करने तथा विक्रय-धन पुनः निश्चत करने में कोई रुकावट न होगी।"

यू०पी० ऐक्ट १५, १९४८ की धारा ७–ख का संशोधन ।

९––मूल अधिनियम की धारा ७–ख के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय––

"७––ख––जहां किसी कर-निर्धारण-वर्ष के दौरान में किसी माल या माल के वर्गों के विक्रय-धन (turnover) के कर की दर परिवर्तित की जाय अथवा उसके सम्बन्ध में छूट (exemption) स्वीकृत अथवा रद्द (cancel) की जाय तो वहाँ कर-निर्धारण, जहां तक कि उसका सम्बन्ध उक्त परिवर्तन, छूट या रद्द करने के दिनांक के पश्चात् की कालावधि के विक्रय-धन के भाग से हो, इस प्रकार परिवर्तित दर अथवा इस प्रकार स्वीकृत या रद्द की गई छूट के आधार पर किया जायगा।"

"कुछ मामलों में कर संबंधी राजीनामें ।"

१०––मूल अधिनियम की धारा ७–ग के पश्चात् नई धारा ७–घ के रूप में निम्नलिखित बढ़ा दिया जाए––

"७–घ (१) कोई को व्यापारी जिसका विक्रय-धन किसी कर-निर्धारण वर्ष में १५,००० रुपये से अधिक न हो, कर-निर्धारक-अधिकारी (Assessing Authority) को इस आशय का आवेदन-पत्र दे सकता है कि इस अधिनियम के अधीन जो कर उसे देय है उसके स्थान पर उससे कुछ धनराशि राजीनामे के रूप में (By way of composition) ले ली जाये और यदि कर-निर्धारक-अधिकारी का समाधान हो जाय कि विक्रय-धन के १५,००० रुपये से अधिक होने की सम्भावना नहीं है तो वह निम्नलिखित बातों का ध्यान रखते हुये इस धनराशि को निश्चित करेगा––

(१) व्यापारी का सम्भाव्य (Likely) विक्रय-धन,

(२) उस पर प्रवृत्त कर की दर या दरें; तथा

(३) अन्य ऐसे विषय जो नियत किये जायं ।

(२) यदि व्यापारी कर-निर्धारक-अधिकारी की उस आज्ञा से, जिसमें उसने उपधारा (१) के अधीन कोई धनराशि निश्चित की हो, ३० दिन के भीतर उस अधिकारी को यह सूचित कर दे कि वह उक्त धनराशि देने के लिये सहमत है तो ऐसे विक्रय-धन के सम्बन्ध में उस पर कर नहीं लगाया जायेगा किन्तु उसे वह धनराशि देनी होगी तथा इस अधिनियम के उपबन्ध इस सम्बन्ध में उसी प्रकार लागू होंगे मानों वह धनराशि इस अधिनियम के अधीन निर्धारित कोई कर हो ।"

यू०पी० ऐक्ट १५, १९४८ की धारा ८–क का संशोधन ।

११––(१) मूल अधिनियम की धारा ८-क की उपधारा (१) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय––

"(१) प्रत्येक व्यापारी जिस पर इस अधिनियम के अधीन कर देने का दायित्व हो, तथा

प्रत्येक व्यापारी, जिस पर––यदि इस अधिनियम के अधीन कोई छूट दी या स्वीकृत न की गई होती––इस प्रकार से दायित्व होता, ऐसी दशा में जब कर निर्धारण-वर्ष के लिये उसका विक्रय-धन १२,००० रु० अथवा उससे अधिक वह राशि हो जो धारा ३ के प्रथम प्रतिबन्धात्मक खंड में निर्धारित की जाय, कर-निर्धारक-अधिकारी को ऐसे प्रपत्र में, ऐसी रीति से तथा ऐसी अवधि के भीतर पंजीयन (registration) के लिये प्रार्थना-पत्र देगा जो निर्धारित किया जाय ।

(१)—क कर निर्धारक—अधिकारी ऐसी जांच के पश्चात्, जिसे वह आवश्यक समझे, प्रार्थना-पत्र स्वीकृत कर लेगा और व्यापारी को पंजीवद्ध कर लेगा। पंजीयन कर-निर्धारण-वर्ष में अथवा उस वर्ष के, जिसके लिये वह स्वीकृत हुआ हो, प्रव्यतीत भाग के निमित्त प्रवृत्त रहेगा, किन्तु व्यापारी द्वारा आवेदन-पत्र दिये जाने पर एक बार में एक वर्ष की अवधि के लिये नवीकृत किया जा सकता है।

पंजीयन के लिये तथा इस उपाधारा के अधीन स्वीकृत प्रत्येक नवीकरण (renewal) के लिये व्यापारी को १० रूपये शुल्क देना होगा।"

(२) मूल अधिनियम की धारा ८-क की उपधारा (४) के पश्चात् नई उपधारा (५) के रूप में निम्नलिखित बढ़ा दिया जाय—

"(५) जहां यह पता चले कि किसी व्यापारी पर, धारा ३, अथवा धारा १८ की उपधारा (१) या (२) के अधीन, या उसमें निर्दिष्ट धनराशि से उसका विक्रय-धन कम होने के कारण, कर निर्धारित नहीं किया जा सकता है, किन्तु उसने उस विक्रय-धन के सम्बन्ध में कोई कर वसूल कर लिया है तो वहां वह, इस अधिनियम में किसी बात होते हुये भी, उस धनराशि को राज्य सरकार को अदा करने के लिये उत्तरदायी होगा, तथा उसे उस आज्ञा के दिनांक से, जिसके द्वारा यह पता चला हो, कि वह उक्त प्रकार से कर वसूल करने का अधिकारी न था, तीस दिन के भीतर सरकारी खजाने में, यदि वह पहले ही उसे इस प्रकार जमा न कर चुका हो, जमा कर देगा।"

१२—(१) मूल अधिनियम की धारा १० की उपधारा (३) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय— यू०पी० ऐक्ट १५, १९४८ की धारा १० का संशोधन।

"(३)—(१) पुनरीक्षण अधिकारी (Revising Authority) अपना इस बात का समाधान करने के निमित्त कि अपील सुनने वाले अधिकारी अथवा कर-निर्धारक-अधिकारी द्वारा इस अधिनियम के अधीन दी गई आज्ञा विधि के अनुसार है, विक्री-कर-कमिश्नर अथवा विक्षुब्ध व्यक्ति (person aggrieved) के प्रार्थना-पत्र पर मुकदमे के कागजात (case) अपने पास मंगा सकता है तथा इस सम्बन्ध में ऐसी आज्ञा दे सकता है जिसे वह उचित समझे :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि ऐसा कोई भी प्रार्थना-पत्र ऐसी किसी दिशा में नहीं लिया जायगा जब कि आज्ञा के विरुद्ध अपील की जा सकती थी परन्तु की नहीं गई।

(२) राज्य सरकार संविधान के अनुच्छेद २१७ के खंड (२) के अधीन उच्च न्यायालय में न्यायाधीश (Judge) की नियुक्ति के निमित्त अर्ह (qualified) किसी भी व्यक्ति को अतिरिक्त पुनरीक्षक अधिकारी (Additional Revisory Authority) नियुक्त कर सकती है। अतिरिक्त पुनरीक्षक अधिकारी या तो किसी क्षेत्र में सामान्यतः या वादों (cases) के किसी वर्ग के सम्बन्ध में पुनरीक्षक प्राधिकारी के ऐसे अधिकारों का प्रयोग करेगा जो राज्य सरकार द्वारा नियत किए जायं या उसे सौंपे जायं।"

१३—मूल अधिनियम की धारा १४ के खंड (ङ) के पश्चात् निम्नलिखित नये खंड (च) तथा (छ) के रूप में बढ़ा दिये जायं: यू०पी० ऐक्ट १५, १९४८ की धारा १४ का संशोधन।

"(च) धारा ८-क के अधीन तथा अनुसार बिना पंजीयन (registration) कराये हुये व्यापारी के रूप में कारोबार करे, या

(छ) धारा २८ की उपधारा (२) की अपेक्षानुसार घोषणा (declaration) न प्रस्तुत करे अथवा उस उपधारा के अधीन गलत घोषणा प्रस्तुत करे या धारा २८ की उपधारा (३) के अधीन और अनुसार किसी वाहन (vehicle) को मार्ग में रोकने या उसकी तलाशी लेने (interception or search) में रुकावट पैदा करे या बाधा उपस्थित करे।"

यू० पी० ऐक्ट १५, १९४८ की धारा १८ का संशोधन।

१४--मूल अधिनियम की धारा १८ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय--

"१८-(१) कर-निर्धारण-वर्ष के दौरान में व्यापार बन्द करने वाला प्रत्येक व्यापारी, जिसका औसत मासिक विक्रय-धन, व्यापार बन्द होने वाले वर्ष के भाग की समाप्ति पर, १२,००० रु० या उससे अधिक ऐसी धनराशि, जो धारा ३ के प्रथम प्रतिबन्धात्मक खंड के अधीन निर्धारित की जाय, के बारहवें भाग से न्यून न हो या जिसने ऐसी अवधि में उत्तर प्रदेश के बाहर से अपने द्वारा आयात किया गया कोई ऐसा माल बेंचा हो जिसके विक्रय-धन पर धारा ३-क की उपधारा (१) के अधीन उस पर लगाया जा सकता हो, व्यापार बन्द होने वाले महीने की समाप्ति से तीस दिन के भीतर कर-निर्धारक-अधिकारी को इस तथ्य की सूचना देगा, तथा उसे ऐसे प्रपत्र में तथा ऐसी रीति से तसदीक करके, जो निर्धारित की जाय, अपने विक्रय-धन का एक विवरण-पत्र (statement) भी प्रस्तुत करेगा।

स्पष्टीकरण--किसी व्यापारिक संस्था (firm) का पुनस्संगठन या किसी भी व्यापारी द्वारा अपने व्यापार का हस्तान्तरण इस उपधारा के अर्थ में व्यापार का बन्द करना माना जायगा।

(२) कर-निर्धारण-वर्ष के दौरान में व्यापार आरम्भ करने वाला प्रत्येक व्यापारी, जिसका शेष (remainder) वर्ष के लिये अनुमानित औसत मासिक बिक्रय-धन १२,००० रु० या उससे अधिक ऐसी धनराशि, जो धारा ३ के प्रथम प्रतिबन्धात्मक खंड के अधीन निर्धारित की जाय, के बारहवें भाग से कम न हो, या जिसने ऐसी अवधि में उत्तर प्रदेश के बाहर से आयात किया हुआ ऐसा माल बेंचा हो जिसके विक्रय-धन के सम्बन्ध में उस पर धारा ३-क की उपधारा (१) के अधीन कर लगाया जा सकता हो, तो वह व्यापार आरम्भ किये जाने वाले महीने की समाप्ति से तीस दिन के भीतर कर-निर्धारक-अधिकारी को इस तथ्य की सूचना देगा, तथा उससे ऐसे कालान्तरों में, ऐसी अवधि के भीतर, ऐसे प्रपत्र में और ऐसी रीति से तसदीक करके, जो निर्धारित की जाय, अपने विक्रय-धन का एक विवरण-पत्र प्रस्तुत करेगा।

(३) यदि कर-निर्धारक-अधिकारी का, ऐसी जांच करने के पश्चात् जिसे वह आवश्यक समझे, समाधान हो जाय कि उपधारा (१) या (२) के अधीन प्रस्तुत विवरण-पत्र ठीक और पूर्ण है, तथा औसत मासिक विक्रय-धन यथास्थिति उपधारा (१) या (२) के अनुसार आकलित धनराशि से कम नहीं है, या व्यापारी ने उपधारा (१) या (२) में निर्दिष्ट आयात किया हुआ कोई माल बेंचा है तो वह व्यापारी पर कर-निर्धारण विवरण-पत्र या विवरण-पत्रों (returns) में दिखलाये गये कुल विक्रय-धन पर करेगा।

(४) यदि उपधारा (१) या (२) के अधीन तदर्थ निश्चित अवधि के भीतर कोई व्यापारी विवरण-पत्र प्रस्तुत न करे या यदि उसके द्वारा प्रस्तुत कोई विवरण-पत्र गलत या अपूर्ण प्रतीत हो, तो कर-निर्धारक-अधिकारी, ऐसी जांच करके ने पश्चात् जिसे वह आवश्यक समझे, अपने सुविचार से (to the best of his judgment) व्यापारी का विक्रय-धन अवधारित करेगा और देय-कर, यदि कोई हो, निर्धारित कर सकता है, किन्तु सदैव प्रतिबन्ध यह है कि यदि कर-निर्धारण-वर्ष की समाप्ति पर---उस स्थिति को छोड़कर जब कि व्यापारी ने उत्तर प्रदेश के बाहर से आयात किया हुआ कोई ऐसा माल बेचा हो, जिसके विक्रय-धन के सम्बन्ध में धारा ३-क की उपधारा (१) के अधीन उस पर कर गलाया जा सकता हो---किसी ऐसे मामले में, जो उपधारा (१) या (२) के अन्तर्गत आता हो, औसत मासिक विक्रय-धन, तदुल्लिखित राशि से कम पाया जाय, तो कर की उतनी राशि को छोड़ कर, जिसे धारा ८-क की उपधारा (४) के अधीन जमा करने का उत्तरदायित्व व्यापारी पर है, अदा किये गये कर की शेष राशि वापस कर दी जायगी ।"

यू०पी० ऐक्ट १५, १९४८ की धारा २१ का संशोधन ।

१५---मूल अधिनियम की धारा २१ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय और सदैव रखा गया समझा जाय---

"२१---(१) यदि कर-निर्धारक-अधिकारी को यह विश्वास करने का कारण हो कि किसी व्यापारी का विक्रय-धन, पूर्णतः या अंशतः किसी वर्ष में किसी भी कारण से कर-निर्धारण से रह गया है, तो वह व्यापारी को नोटिस देने के पश्चात् तथा ऐसी जांच करने के पश्चात् जिसे वह आवश्यक समझे, उस व्यापारी पर कर का निर्धारण या पुनर्निर्धारण कर सकता है ।

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि कर उसी दर से लगाया जायगा जिससे वह लगाया जाता यदि विक्रय-धन कर-निर्धारण या पूर्ण कर-निर्धारण, जैसी भी स्थिति हो, से रह न गया होता ।

स्पष्टीकरण---इस उपधारा की कोई भी बात कर-निर्धारक-अधिकारी के लिये उसके सुविचार से कर-निर्धारण करने में रुकावट पैदा करने वाली न समझी जायगी ।

(२) उपधारा (१) के अधीन या इस अधिनियम के किसी अन्य उपबन्ध के अधीन कर-निर्धारण की कोई आज्ञा किसी कर-निर्धारण-वर्ष के सम्बन्ध में उस कर-निर्धारण-वर्ष की समाप्ति के पश्चात् चार वर्ष पूरे हो जाने के बाद न दी जायगी ।

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि यदि उपधारा (१) के अधीन उक्त चार वर्ष की अवधि के भीतर नोटिस तामील कर दिया गया हो तो इस नोटिस के अनुसार ऐसा कर-निर्धारण या पुनर्निर्धारण नोटिस की तामील से एक वर्ष के भीतर किया जा सकेगा, भले ही उस प्रकार वह अवधि चार वर्ष से बढ़ जाती हो ।

और प्रतिबन्ध यह भी है कि कर-निर्धारण अथवा पुनर्निर्धारण किये जाने की अवधि सीमित करने वाली इस धारा की कोई भी बात धारा ९, १० या ११ के अधीन दी गई किसी आज्ञा में समाविष्ट किसी भी उत्पत्ति (finding) या आदेश के फलस्वरूप, या उसे प्रभावी बनाने के लिये, किये गये किसी कर-निर्धारण अथवा पुनर्निर्धारण पर लागू न होगी ।

स्पष्टीकरण--यदि किसी व्यापारी के सम्बन्ध में की गई कर-निर्धारण की कार्यवाही किसी दीवानी या अन्य सक्षम न्यायालय की आज्ञा के अधीन स्थगित रही हो (remained stayed) तो इस उपधारा के अधीन व्यवस्थित कर-निर्धारण अवधि का आकलन करते समय वह अवधि निकाल दी जायगी जिसमें कार्यवाही उक्त प्रकार से स्थगित रही हो ।"

१६--मूल अधिनियम की धारा २७ के पश्चात् निम्नलिखित एक नई धारा के रूप में रख दिया जाय--

जांच चौकियों की स्थापना ।

"२८--(१) राज्य सरकार सरकारी गजट में विज्ञप्ति प्रकाशित करके ऐसी रीति से, जो विहित की जाय, इस ऐक्ट के अधीन देय (payable) बिक्री कर तथा अन्य आदेयों (dues) की अदायगी के अपवंचन (evasion) को रोकने के निमित्त राज्य के किसी भी स्थान में जांच चौकियां (check posts) तथा नाके (barriers) स्थापित कर सकती है ।

(२) ऐसे माल का, जो विज्ञापित किया जाय, लाने, ले जाने वाला प्रत्येक व्यक्ति उपधारा (१) में निर्दिष्ट जांच चौकी या नाके पर, राज्य सरकार द्वारा एतदर्थ प्राधिकृत अधिकारी के समक्ष, ऐसे आकार में और रीति से घोषणा प्रस्तुत करेगा जो नियत की जाय ।

(३) उपधारा (२) के अधीन राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत अधिकारी अथवा अन्य कोई अधिकारी, जो एतदर्थ प्राधिकृत किया जाय, अपने इस बात के समाधान के निमित्त कि उपधारा (२) के उपबन्धों का उल्लंघन नहीं किया जा रहा है, तथा ऐसे निरोधों (restrictions) के अधीन रहते हुये, जो नियत किये जायं, ऐसे किसी भी वाहन को रोक सकता है और उसकी तालाशी ले सकता है, जिसके सम्बन्ध में यह सन्देह किया जाय कि उससे उक्त उपबन्धों का उल्लंघन हो रहा है ।"

निरसन ।

१७--उत्तर प्रदेश बिक्री कर (संशोधन) अध्यादेश, १९५६ एतद्द्वारा निरसित किया जाता है, और

य़ू० पी० ऐक्ट सं० १, १९०४ ।

य़ू० पी० जनरल क्लाजेज ऐक्ट, १९०४ की धारा ६ तथा २४ के उपबन्ध इस पर उसी प्रकार लागू होंगे मानों यह उत्तर प्रदेश के किसी अधिनियम द्वारा निरसित कोई अधिनियम हो ।

उद्देश्य तथा कारण

१९५३ में भारत सरकार द्वारा नियुक्त कर जांच-आयोग ने राज्य सरकारों द्वारा अंगीकार किये जाने के निमित्त बिक्री कर की रूप रेखा (pattern) के संबंध में कुछ सिफारिशें की थीं। इस राज्य सरकार ने आयोग की विशद सिफारिशों (broad recommendations) पर जिनमें एक स्थानीय कर (single point tax) लगाने का प्रस्ताव भी है, विचार किया है। किन्तु एक स्थानीय कर पद्धति को पूर्णरूप से प्रभावी बनाने के पूर्व यह आवश्यक है कि व्यापारियों को अनिवार्य रूप से पंजीकृत किया जाय। इस दृष्टि से कि राज्य में व्यापारियों के जीयन (registration) में कुछ समय लगेगा और साथ ही साथ राज्य को राजस्व (revenue) की भी कोई हानि न हो, यह आवश्यक समझा गया कि अधिनियम के वर्तमान ढांचे के अनुरूप कुछ अतिरिक्त राजस्व प्राप्त करने के उद्देश्य से संयुक्त प्रान्तीय बिक्री कर ऐक्ट, १९४८ को तुरन्त संशोधित किया जाय। व्यापक रूप से अधिनियम का संशोधन बाद में किया जायगा।

२--संयुक्त प्रान्तीय विक्री कर ऐक्ट, १९४८ ई० के अनुसार इस समय राज्य सरकार को कु छ वस्तुओं पर कर लगाने का अधिकार नहीं है। इस ऐक्ट में यह भी व्यवस्था है कि प्रत्येक बिक्री पर (at every point of sale) देय कर की दशा में अधिक से अधिक ३ पाई प्रति रुपया की दर से कर लगाया जा सकता है। संयुक्त प्रान्तीय बिक्री कर ऐक्ट, १९४८ ई० में उपयुक्त संशोधन करने तथा बढ़ाई गई दरों पर बिक्री कर लगाने के लिये राज्य सरकार को प्राधिकृत करने और साथ ही उन वस्तुओं पर भी, जो अब तक कर से मुक्त रही हैं, बिक्री कर लगाने का विचार है। इसी अवसर पर कर-योग्य बिक्रय-धन (taxable turnover) की सीमा को भी घटाया जा रहा है तथा कुछ ऐसी त्रुटियों को भी दूर किया जा रहा है जिनका पता ऐक्ट की कार्यान्विति के दौरान में चला था। इसके अतिरिक्त करवंचन की कतिपय गुंजाइशों (loopholes) को, जिनके कारण सरकार को राजस्व की हानि उठानी पड़ रही थी, दूर करने के लिये भी आवश्यक संशोधन किये गये हैं।

३--अतएव यह विधेयक पुरःस्थापित किया जा रहा है।

हाफिज़ मोहम्मद इब्राहीम,
वित्त मंत्री।

नत्थी 'ज'

(देखिये आगे पृष्ठ ४८७ पर)

गोरखपुर विश्वविद्यालय विधेयक, १९५६ पर संयुक्त प्रवर समिति का प्रतिवेदन

गोरखपुर विश्वविद्यालय विधेयक, १९५६, संयुक्त प्रवर समिति को विचार के लिये निर्दिष्ट किया गया था। उस पर हम लोगों ने जो समिति के सदस्य हैं और जिनके हस्ताक्षर नीचे हैं, विचार कर लिया है और अब हम अपनी रिपोर्ट संशोधित विधेयक के साथ प्रस्तुत करते हैं।

२—समिति ने अपनी बैठकें विधान वाचनालय, विधान भवन, लखनऊ में १७, १८, १९ और २५ अप्रैल, १९५६ को कीं।

३—विधेयक पर खंडशः विचार करने से पूर्व सभापति ने सदस्यों को सूचना दी कि महाराणा प्रताप कालेज, गोरखपुर, अपनी समस्त संपत्ति एवं दायित्वों के साथ विश्वविद्यालय में उसके एक घटक कालेज के रूप में सम्मिलित होने के लिये इन शर्तों पर तैयार है कि कालेज को अपना वर्तमान नाम कायम रखने दिया जाय और महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद् को, जो इस समय कालेज का संचालन कर रहा है, कार्यकारिणी परिषद् में एक स्थान दिया जाय। समिति इन शर्तों से सिद्धांत रूप में सहमत हुई और यह निश्चय किया कि विधेयक में आवश्यक संशोधन कर दिये जायं।

४—यह निश्चित हुआ कि उप-कुलपति की नियुक्ति के उपबन्ध दिल्ली विश्वविद्यालय के आदर्श पर पुनरीक्षित किये जायं। संबंधित उपबन्ध तदनुसार संशोधित कर दिये गये हैं।

५—यह निश्चय किया गया कि गोरखपुर यूनिवर्सिटी फाउन्डेशन सोसाइटी को कोर्ट में प्रथम कालावधि के लिये दो स्थान दिये जायेंगे।

६—कोर्ट तथा विद्वत् परिषद के सदस्यों की अधिकतम संख्या निर्धारित करने वाले उपबन्ध निकाल दिये गये हैं, जिससे कि आगामी विकास की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये उपबन्धों में लचीलापन रहे।

७—एकल संक्रमणीय मत द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली के अनुसार निर्वाचनों के उपबन्ध जहां जहां विधेयक में रखे गये थे वहां-वहां से हटा दिये गये हैं जिससे कि विधेयक के उपबन्धों में लचीलापन रहे और निर्वाचनों की विधि परिनियमों में विहित करने के लिये छोड़ दी गयी है।

८—समिति में यह प्रस्ताव उपस्थित किया गया और स्वीकार हुआ कि जिस सम्बद्ध डिग्री कालेज के प्रबन्धक संबंधीकरण की शर्तों का पालन न कर रहे हों, उनके कालेजों को अधिक्रांत किये जाने का उपबन्ध भी किया जाय। इस विषय की विधान विभाग से परामर्श करके चांज की जाय और यदि प्रस्तावित उपबन्ध संभव हो तो उसे विधेयक में उस समय कर दिया जाय जब विधेयक विधान मंडल के सामने विचारार्थ हो या इस विषय को परिनियमों में उपबद्ध करने के लिये छोड़ दिया जाय।

९—जिस समय सम्बद्ध कालेजों में अध्यापकों की नियुक्ति के उपबन्ध पर विचार किया जा रहा था यह निश्चय किया गया कि सम्बद्ध कालेजों के अध्यापकों की पुष्टीकरण की व्यवस्था की जाय यदि प्रबन्धक परीक्षणकाल की समाप्ति के ६ महीने के भीतर कोई आदेश देने में असफल रहें।

१०—सम्बद्ध कालेजों के अध्यापकों के लिये भी मध्यस्थ न्यायाधिकरण का उपबन्ध किया जाय।

११--समिति की यह राय थी कि प्रथम उप-कुलपति की कालावधि जो, खंड ४९ के अन्तर्गत नियुक्त किये जायेंगे पूरे पांच वर्ष की होनी चाहिये क्योंकि कम अवधि के लिये कोई उत्कृष्ट व्यक्ति आने के लिये तैयार नहीं होगा। समिति की यह भी राय थी कि यह विश्वविद्यालय के सर्वोत्तम हित में होगा कि प्रथम उप-कुलपति की नियुक्ति गोरखपुर यूनिवर्सिटी फाउन्डेशन सोसाइटी की सिफारिश प्राप्त किये बिना ही कुलपति द्वारा की जाय।

१२--संक्रमणकालीन उपबन्धों के अधीन प्रोफेसर और रीडरों की नियुक्ति का परीक्षणकाल ३ वर्ष से घटा कर २ वर्ष कर दिया गया है।

१३--विधेयक में अन्य बहुत से संशोधन करने का भी सुझाव स्वीकृत हुआ जो शाब्दिक या आनुषंगिक प्रकृति के थे। ये संशोधन भी प्रतिवेदन के साथ संलग्न विधेयक के प्रारूप में दिखाये गये हैं।

१४--विधेयक उत्तर प्रदेश सरकार के १६ जनवरी, १९५६ के असाधारण गजट में प्रकाशित हुआ था। हमारी राय यह है कि विधेयक में ऐसे परिवर्तन नहीं किये गये हैं कि इसको पुनः प्रकाशित करने की आवश्यकता हो।

हरगोविन्द सिंह
जगन्नाथ आचार्य
काशीनाथ पांडेय
निर्मलचन्द्र चतुर्वेदी
परमात्मानन्द सिंह
रामनन्दन सिंह
*ईश्वरी प्रसाद
*हृदयनारायण सिंह
सीताराम
मंगला प्रसाद
मलखान सिंह
नवल किशोर
बीरसेन
सुरेशप्रकाश सिंह
देवेंद्रप्रताप नारायण सिंह
भृगुनाथ चतुर्वेदी
श्रीनाथ राम
बालेन्दुशाह
तेजबहादुर
*प्यारेलाल श्रीवास्तव

NOTE OF DISSENT

As certain provisions in the Bill are calculated to hinder the progress of higher education in the region, create obstacles in the way of the smooth working of the colleges, deny adequate representation to the teachers and managements of the Colleges and expose the teachers of the University to the danger of arbitrary action against them, I submit this note of dissent.

1. The words "or.....such" should be deleted from sub-section (J) of section 2 as the alternative is likely to create difficulties and troubles for the colleges.

Sub-section 3 of section 5 should be altogether deleted. It is unjust and educationally unsound to stop post-graduate work in eight eastern districts only when in forty-two districts of the State, colleges get an opportunity to provide post-graduate teaching. It will kill incentive in the colleges, prevent the best men from joining the staffs of the colleges in the region, and create tremendous difficulties for the students of the colleges. Higher education in India and particularly in Uttar Pradesh has not reached a stage when the Government may take steps to discourage it. Post-graduate teaching can be done better with small groups of students than large ones. Initially, the University will not be in a position to provide post-graduate teaching in many subjects and some of the colleges with their libraries and laboratories and

*विमति टिप्पणी के अधीन।

literary and cultural traditions could very well supplement the work of the University. It is conceivable for a University to disallow post-graduate teaching in any college in the city in which it is situated, but it is inconceivable for a University to impose a ban on post-graduate teaching in a whole region.

3. From 13 (4) "and the affiliated colleges" should be deleted.

4. Sub-sections 5 to 9 of section 13 should be deleted and the sub-sections which follow may be renumbered :

The above provision is necessary to safeguard the teachers against the arbitrary action of a Vice-Chancellor.

5. Substitute two principals of affiliated colleges in place of one Principal of an affiliated college in 19(1) (V) delete 19(1) (VI) and substitute two teachers one of whom will be a teacher of the University other than Head of a Department and one belonging to an affiliated college.

6. In 19(1) (VII) four persons to be elected according to the system of proportional representation by means of the single transferable vote by the Court from among such members as are not in the service of the University, a College, a Hall or a Hostel. Out of the four, two should be represent atives of the Management Boards of the affiliated colleges.

25*th April*, 1956. HIRDAY NARAYAN SINGH.

NOTE OF DISSENT

We generally agree with the recommendations of the Select Committee. But we would suggest that in section 13 clauses from (5) to (9) should be dropped. They are bound to react unfavourably on the position of teachers and are derogatory to their prestige and position.

As regards the appointment of the first Vice-Chancellor we do not agree with the recommendation of the Select Committee. We are for the retention of section 49 as given in the original Bill. The suggested provision is an encroachment on University autonomy.

25*th April*, 1956. ISHWARI PRASAD.
P. L. SRIVASTAVA.

गोरखपुर विश्वविद्यालय विधेयक, १९५६

(जैसा कि संयुक्त प्रवर समिति द्वारा संशोधित किया गया। संयुक्त प्रवर समिति द्वारा बढ़ाया गया विषय रेखांकित है और निकाला हुआ विषय कोष्ठकों "[ ]" में है।)

यह आवश्यक है कि गोरखपुर में एक विश्वविद्यालय स्थापित और निगमित किया जाय, अतएव भारतीय गणतंत्र के छठे वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :

संक्षिप्त शीर्षन।म तथा प्रारम्भ

१--(१) यह अधिनियम गोरखपुर विश्वविद्यालय अधिनियम, १९५६ कहलायेगा।

(२) यह अधिनियम ऐसे दिनांक से प्रचलित होगा जिसे राज्य सरकार सरकारी गजट में विज्ञप्ति प्रकाशित करके निश्चित करे, तथा इस अधिनियम के विभिन्न उपबन्धों के लिये विभिन्न दिनांक निश्चित किये जा सकते हैं।

परिभाषायें।

२--विषय या संदर्भ में किसी बात के प्रतिकूल न होने पर, इस अधिनियम में:--

[(क) "कालेज" का तात्पर्य किसी ऐसी शिक्षा संस्था से है जो विश्वविद्यालय से संबद्ध (affiliated) हो तथा जिसमें विश्वविद्यालय की उपाधियों के निमित्त शिक्षा दी जाती हो;]

(क) "सम्बद्ध कालेज (Affiliated College)" का तात्पर्य ऐसी संस्था से है जो अधिनियम तथा परिनियमों के उपबन्धों के अनुसार विश्वविद्यालय से सम्बद्ध (affiliated) हो;

(कक) "घटक कालेज (Constituent College)" का तात्पर्य ऐसी संस्था से है जिसका संधारण विश्वविद्यालय या राज्य सरकार द्वारा किया जाय और जो विश्वविद्यालय की उपाधि या डिप्लोमा में प्रवेश के लिये आवश्यक अध्यापन का संचालन करने के लिये प्राधिकृत हो;

(ख) "कोर्ट" का तात्पर्य विश्वविद्यालय के कोर्ट से है;

(ग) "कार्यकारिणी परिषद् (Executive Council)" तथा "विद्वत् परिषद (Academic Council)" का तात्पर्य क्रमशः विश्वविद्यालय की कार्यकारिणी परिषद् और विद्वत् परिषद् से है;

(घ) "फैकल्टी" का तात्पर्य विश्वविद्यालय की फैकल्टी से है;

(ङ) "राज्यपाल" (Governor) का तात्पर्य उत्तर प्रदेश के राज्यपाल से है;

(च) "सरकार" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश की सरकार से है;

(छ) "हाल" का तात्पर्य छात्रों के लिये निवास (residence) को ऐसी इकाई (unit) से है, जो विश्वविद्यालय द्वारा संधारित (maintained) या अभिज्ञात (recognized) हो, और जिसमें पाठन (tutorial) तथा अन्य अनुपूरक (supplementary) शिक्षण की व्यवस्था हो;

(ज) "छात्रावास" (hostel) का तात्पर्य हाल से भिन्न विद्यार्थियों के निवास की ऐसी इकाई से है जो विश्वविद्यालय द्वारा अभिज्ञात या संधारित हो;

(झ) "प्रबन्धक" (management) का तात्पर्य ऐसी प्रबन्ध समिति (Managing Committee) या अन्य संस्था से है जिस पर किसी कालेज के कार्यों के प्रबन्ध का भार हो;

(ञ) "प्रिंसिपल" का तात्पर्य किसी कालेज के अध्यक्ष अथवा इस पद पर कार्य करने के लिये यथोचित रूप से (duly) नियुक्त व्यक्ति से है;

(ट) "नियत" (सजातीय पदों सहित) का तात्पर्य परिनियमों (Statutes) द्वारा नियत से है;

(ठ) "पंजीकृत स्नातक" (Registered Graduate) का तात्पर्य इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन पंजीकृत किसी स्नातक से है;

(ड) "परिनियमों" "अध्यादेशों" तथा "विनियमों" (Statutes, Ordinances and Regulations) का तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन निर्मित विश्वविद्यालय के क्रमशः परिनियमों, अध्यादेशों तथा विनियमों से है;

(ढ) "विश्वविद्यालय का छात्र" का तात्पर्य किसी ऐसे व्यक्ति से है जो विश्वविद्यालय में यथाविधि स्थापित (duly instituted) किसी उपाधि (degree), डिप्लोमा या शिक्षा संबंधी अन्य विशिष्टता (academic distinction) के निमित्त किसी पाठ्यक्रम के अध्ययन के प्रयोजन से भर्ती हुआ हो किन्तु इसके अन्तर्गत ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो किसी [कालेज] सम्बद्ध कालेज में भरती हुआ हो;

(ण) "अध्यापक" (teacher) का तात्पर्य विश्वविद्यालय के किसी विभाग में या किसी कालेज में अध्यापन कार्य में लगे किसी ऐस प्रोफेसर, रीडर लेक्चरर या अन्य व्यक्ति से है, जो परिनियमों द्वारा अध्यापक घोषित किया जाय;

(त) "विश्वविद्यालय का अध्यापक" का तात्पर्य विश्वविद्यालय में या उसकी ओर से अध्यापन के प्रयोजनार्थ इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त किसी अध्यापक से है;

(थ) "विश्वविद्यालय" का तात्पर्य गोरखपुर विश्वविद्यालय से है।

विश्वविद्यालय

३--(१) विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति (Chancellor) तथा प्रथम उप-कुलपति (Vice-Chancellor) तथा कोर्ट, कार्यकारिणी परिषद् तथा विद्वत् परिषद के प्रथम सदस्य, तथा वे समस्त व्यक्ति, जो एतद्पश्चात् (hereafter) ऐसे अधिकारी या सदस्य बनें, जब तक वे उक्त पद पर या सदस्य बने रहें, एतद्द्वारा (hereby) "गोरखपुर विश्वविद्यालय" के नाम से एक निगमित संस्था (body corporate) संगठित किये जाते हैं।

(२) विश्वविद्यालय का शाश्वत उत्तराधिकारी (perpetual successor) होगा और उसकी एक सामान्य मुद्रा होगी, तथा वह उक्त नाम से वाद प्रस्तुत करेगा और उसी नाम से उस पर वाद प्रस्तुत किया जायगा।

(३) अन्य प्रयोजनों के साथ-साथ अध्ययन (study) की विभिन्न शाखाओं में शिक्षण देने, मौलिक अनुसंधान कार्यों को आगे बढ़ाने तथा विश्वविद्यालय के क्षेत्र में स्थित कालेजों के कार्यों के निर्देशन एवं नियंत्रण की व्यवस्था करने के निमित्त विश्वविद्यालय निगमित समझा जायगा।

अधिकारों का क्षेत्रीय प्रयोग।

४--इस अधिनियम द्वारा, अथवा इसके अधीन की गई किसी अन्य व्यवस्था को छोड़कर, विश्वविद्यालय को प्रदत्त अधिकार इस अधिनियम के प्रारम्भ के समय गोरखपुर, देवरिया, बस्ती, आजमगढ़, बलिया, गाजीपुर, गोंडा, बहराइच तथा जौनपुर के जिलों में सम्मिलित क्षेत्र में प्रयुक्त होंगे, किन्तु राज्य सरकार सरकारी गजट में विज्ञप्ति प्रकाशित करके इसमे कोई अन्य जिला या उसका भाग बढ़ा सकती है [या घटा सकती है]:

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि एतदर्थ कोई भी विज्ञप्ति राज्य विधान मंडल के दोनों सदनों के पूर्वानुमोदन के बिना जारी नहीं की जायगी।

यू० पी० ऐक्ट सं० ८, १९२६।

५--(१) धारा ४ में उल्लिखित जिलों में स्थित समस्त कालेज, जो इस अधिनियम के प्रारम्भ के समय आगरा यूनिवर्सिटी ऐक्ट, १९२६ के अधीन आगरा यूनिवर्सिटी से संबद्ध (affiliated) हों, ऐसे दिनांक से, जिसे राज्य सरकार एतदर्थ सरकारी गजट में विज्ञप्ति प्रकाशित करके निश्चित करे, विश्वविद्यालय से संबद्ध समझे जायेंगे।

(२) विश्वविद्यालय, राज्य सरकार के अनुमोदन से, नये कालेजों को संबद्धता संबंधी विशेषाधिकारों के निमित्त स्वीकृति दे सकता है तथा परिनियमों एवं अध्यादेशों में निर्दिष्ट शर्तों के अधीन तथा अनुसार, पहले से ही संबद्ध कालेजों के विशेषाधिकारों में अभिवृद्धि कर सकता है :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि विश्वविद्यालय के कन्वोकेशन हाल से दस मील के अर्धव्यास (radius) के भीतर कोई भी नया सम्बद्ध कालेज स्थापित नहीं किया जायगा।

(३) विश्वविद्यालय के लिये यह वैध (lawful) न होगा कि वह किसी स्नातकोत्तर उपाधि (post-graduate degree) के निमित्त अध्यापन कार्य के लिये किसी कालेज को संबद्धता प्रदान करे और ऐसे किसी भी कालेज को, जो उपधारा (१) के अधीन विश्वविद्यालय से संबद्ध समझा जाय, तत्संबंधी कोई भी संबद्धता १९५५-५६ के शैक्षिक वर्ष के अन्त में समाप्त हो जायगी।

विश्वविद्यालय सभी जातियों तथा वर्गों के लिये होगा।

६--विश्वविद्यालय इस अधिनियम, परिनियमों तथा अध्यादेशों के अधीन रहते हुये, सभी व्यक्तियों के लिये होगा और उसमें जाति अथवा वर्ग के आधार पर कोई विभेद नहीं किया जायगा किन्तु इस धारा की किसी बात से यह न समझा जायगा कि विश्वविद्यालय किसी भी पाठ्यक्रम (course of study) में अध्यादेशों द्वारा निर्धारित संख्या से अधिक विद्यार्थी प्रविष्ट करने को बाध्य है।

७--विश्वविद्यालय के निम्नलिखित अधिकार होंगे:--

विश्वविद्यालय के अधिकार।

(१) विद्या (learning) की ऐसी शाखाओं में शिक्षण का प्रबन्ध करना जिन्हें विश्वविद्यालय उचित समझे तथा अनु-

संधान कार्यों और ज्ञान की अभिवृद्धि एवं प्रसार के निमित्त व्यवस्था करना;

(२) धारा ५ की उपधारा (२) तथा (३) के उपबन्धों के अधीन रहते हुये अपने अधिकार क्षेत्र में स्थित कालेजों को संबद्ध करना, तथा उनके कार्य का निर्देशन एवं नियंत्रण;

(३) उपाधियों, डिप्लोमा, तथा शिक्षा संबंधी अन्य विशिष्टताओं की स्थापना करना (institute);

(४) उपाधियों, डिप्लोमों तथा शिक्षा संबंधी अन्य विशिष्टताओं के निमित्त परीक्षाओं का आयोजन करना तथा उन्हें ऐसे व्यक्तियों को प्रदान एवं संप्रदान करना (grant and confer)—

(क) जिन्होंने विश्वविद्यालय या किसी कालेज में किसी पाठ्यक्रम का अध्ययन किया हो; या

(ख) जिन्होंने विश्वविद्यालय में या विश्वविद्यालय द्वारा तदर्थ अभिज्ञात (recognized) किसी संस्था में या स्वतंत्र रूप से परिनियमों तथा अध्यादेशों में उल्लिखित प्रतिबन्धों के अधीन अनुसंधान कार्य (research) किया हो;

(ग) जो शिक्षा संस्थाओं के ऐसे अध्यापक हों जो अध्यादेशों में एतदर्थ नियत शर्तें पूरी करते हों या जो उत्तर प्रदेश सरकार के शिक्षा विभाग में स्थायी रूप से नियोजित (employed) निरीक्षण पदाधिकारी (inspecting officer) हों और जिन्होंने परिनियमों तथा अध्यादेशों में उल्लिखित शर्तों के अधीन विश्वविद्यालय की परीक्षायें उत्तीर्ण की हों;

(घ) जो ऐसी महिलायें हैं जिन्होंने परिनियमों में विहित शर्तों के अधीन निजी अध्ययन किया है;

(ङ) जो परिनियमों में विहित शर्तों के अधीन विश्वविद्यालय के पुस्तकालय या किसी घटक अथवा सम्बद्ध कालेज के पुस्तकालय के पुस्तकाध्यक्ष हों।

(५) परिनियमों में निर्दिष्ट शर्तों तथा रीति से सम्मान्य उपाधियां अथवा अन्य विशिष्टतायें (honorary degrees or other distinctions) प्रदान करना;

(६) ऐसे व्यक्तियों को, जो विश्वविद्यालय के छात्र न हों, ऐसे डिप्लोमे प्रदान करना तथा उनके निमित्त ऐसे व्याख्यानों (lectures) तथा शिक्षण की व्यवस्था करना जिसे विश्वविद्यालय निर्धारित करे;

(७) अन्य विश्वविद्यालयों तथा प्राधिकारियों से ऐसी रीति से तथा ऐसे प्रयोजनों के निमित्त सहयोग करना जिन्हें विश्व-विद्यालय निर्धारित करे;

(८) विश्वविद्यालय द्वारा अपेक्षित अध्यापन पदों (teaching posts) की स्थापना करना तथा ऐसे पदों पर व्यक्तियों की नियुक्ति करना;

(९) कालेजों और हालों में शिक्षण देने के निमित्त अध्यापकों को अभिज्ञात करना;

(१०) कालेजों की संबद्धता संबंधी शर्तें नियत करना तथा नियतकालिक (periodical) निरीक्षणों द्वारा और अन्य प्रकार से अपना यह समाधान करना कि वे शर्तें पूरी की जा रही हैं;

(११) परिनियमों एवं अध्यादेशों के अनुसार फेलोशिप [जिसके अन्तर्गत यात्रिक फेलोशिप (travelling fellowships) भी है] छात्रवृत्तियों (scholarships.), विद्यावृत्तियों (studentships) तथा पारितोषिकों (prizes) की स्थापना करना और उन्हें प्रदान करना;

(१२) हालों तथा छात्रावासों की स्थापना एवं संधारण (maintenance) तथा विश्वविद्यालय एवं कालेजों के विद्यार्थियों के निवास के निमित्त निवास स्थानों को अभिज्ञात करना;

(१३) ऐसे शुल्क (fees) तथा अन्य परिव्यय (charges) मांगना और प्राप्त करना जो अध्यादेशों द्वारा नियत किये जायं;

(१४) विश्वविद्यालय तथा कालेजों के विद्यार्थियों के निवास का अधीक्षण (supervision) और नियंत्रण करना और उन विद्यार्थियों के अनुशासन का नियमन करना तथा उनके स्वास्थ्य को उन्नत करने का प्रबन्ध करना;

(१५) प्रशासकीय (administrative) करणिक (ministerial) तथा अन्य आवश्यक पदों का सृजन करना और उन पर नियुक्तियां करना, तथा

(१६) विश्वविद्यालय के उद्देश्यों को अग्रसर करने के लिये अपेक्षित अन्य समस्त कार्य और बातें करना चाहे वे उपर्युक्त अधिकारों से आनुषंगिक हों या न हों।

निरीक्षण

८--(१) राज्य सरकार, किसी ऐसे व्यक्ति अथवा व्यक्तियों द्वारा, जैसा वह आदेश दे, विश्वविद्यालय, उसके भवनों, प्रयोगशालाओं (laboratories) तथा साज-सज्जा (equipment) और विश्वविद्यालय द्वारा संधारित किसी संस्था का तथा विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित अथवा कृत (conducted or done) परीक्षाओं, अध्यापन कार्यों तथा अन्य कार्यों का भी निरीक्षण (inspection) करा सकती है और साथ ही विश्वविद्यालय के प्रशासन तथा वित्त से संबंधित किसी मामले के विषय में उसी प्रकार जांच (inquiry) करवा सकती है।

(२) राज्य सरकार प्रत्येक दशा में, विश्वविद्यालय को अपने इस आशय का नोटिस देगी कि वह निरीक्षण अथवा जांच करवाना चाहती है। ऐसा होने पर विश्वविद्यालय को अपना एक प्रतिनिधि नियुक्त करने का अधिकार

होगा जिसे उक्त निरीक्षण अथवा जांच के समय उपस्थित रहने अथवा सुनवाई का अधिकार प्राप्त होगा।

(३) राज्य सरकार, उक्त निरीक्षण अथवा जांच के परिणामों के संबंध में उपकुलपति को संबोधित कर सकती है तथा उप-कुलपति सरकार के विचारों को और ऐसे परामर्श (advice) को, जो राज्य सरकार की जाने वाली कार्यवाही के संबंध में दे, कार्यकारिणी परिषद को ज्ञापित (communicate) करेगा।

(४) कार्यकारिणी परिषद उपकुलपति द्वारा राज्य सरकार को ऐसी कार्यवाही के संबंध में यदि कोई हो, जिसे वह ऐसे निरीक्षण अथवा ऐसी जांच के फलस्वरूप करना चाहे, या जो उसने की हो, ज्ञापित करेगी।

(५) यदि विश्वविद्यालय प्राधिकारी उचित समय के भीतर राज्य सरकार के संतोषानुसार कार्यवाही न करे, तो राज्य सरकार उक्त प्राधिकारियों द्वारा दिये गये स्पष्टीकरण (explanation) अथवा अभ्यावेदन (representation) पर विचार करके ऐसे आदेश प्रचारित करेगी जिन्हे वह उचित समझे और विश्वविद्यालय प्राधिकारी उनका अनुपालन करने के लिये बाध्य होंगे।

संबद्ध कालेजों का निरीक्षण।

९--(१) राज्य सरकार, स्वत: अथवा विश्वविद्यालय की कार्यकारिणी परिषद की सिफारिश से, ऐसे व्यक्ति अथवा व्यक्तियों द्वारा, जैसा वह आदेश दे, किसी भी संबद्ध कालेज, उसके भवन, पुस्तकालय, प्रयोगशाला अथवा छात्रावास और उस कालेज द्वारा किये जाने वाले अध्यापन-कार्य का निरीक्षण और कालेज से संबंधित किसी विषय की समान रीति से जांच (enquiry in the like manner) करवा सकती है। राज्य सरकार प्रत्येक दशा में विश्वविद्यालय तथा संबद्ध कालेज को अपने इस आशय का नोटिस देगी कि वह निरीक्षण अथवा जांच कराना चाहती है। ऐसा होने पर विश्वविद्यालय की कार्यकारिणी परिषद् और कालेज के प्रबन्धक को अपना एक-एक प्रतिनिधि नियुक्त करने का अधिकार होगा और उन प्रतिनिधियों को उक्त निरीक्षण अथवा जांच के समय उपस्थित रहने और सुनवाई का अधिकार प्राप्त होगा। यदि राज्य सरकार चाहे तो विश्वविद्यालय का प्रतिनिधि भी उन व्यक्तियों में सम्मिलित किया जा सकता है जो निरीक्षण अथवा जांच करने के लिये नियुक्त किये गये हों।

(२) ऐसे निरीक्षण या जांच के परिणामों को राज्य सरकार प्रबन्धक (management) को ज्ञापित कर सकती है और उसे परामर्श दे सकती है कि अमुक कार्यवाही की जाय।

(३) यदि प्रबन्धक (management) उचित समय के भीतर राज्य सरकार के संतोषानुसार कार्य नहीं करता तो राज्य सरकार प्रबन्धक द्वारा दिये गये स्पष्टीकरण या अभ्यावेदन (representation) पर विचार करके, ऐसे आदेश प्रचारित कर सकती है, जिन्हें वह उचित समझे और प्रबन्धक तुरन्त ही ऐसे आदेशों का अनुपालन करेगा।

१०--विश्वविद्यालय के पदाधिकारी और प्राधिकारी निम्नलिखित होंगे :--

विश्वविद्यालय के पदाधिकारी

(१) कुलपति (Chancellor),

(२) उप-कुलपति (Vice-Chancellor),

(३) कोषाध्यक्ष (Treasurer),
(४) प्रस्रोता (Registrar),
(५) छात्र-कल्याण के डीन (Dean of Student Welfare)
(६) फैकल्टियों के डीन (Dean of Faculties); और
(७) विश्वविद्यालय की सेवा में संलग्न ऐसे अन्य व्यक्ति जो परिनियमों द्वारा विश्वविद्यालय के पदाधिकारी घोषित किये जायं।

विश्वविद्यालय के प्राधिकारी

(१) कोर्ट,
(२) कार्य-कारिणी परिषद् (Executive Council),
(३) परामर्श-समिति (Committee of Reference),
(४) विद्वत्-परिषद् (Academic Council),
(५) फैकल्टियों के बोर्ड (Boards of Faculties),
(६) अध्यापकों की नियुक्ति के लिये निर्वाचन समितियां (Selection Committees),
(७) डेलीगेसी; तथा
(८) अन्य ऐसे प्राधिकारी जो परिनियमों द्वारा विश्वविद्यालय के प्राधिकारी घोषित किये जायं।

कुलपति

११--(क) उत्तर प्रदेश का राज्यपाल विश्वविद्यालय का कुलपति होगा। वह पदेन विश्वविद्यालय का अध्यक्ष (head) तथा कोर्ट का सभापति (President) होगा और उपस्थित रहने पर वह विश्वविद्यालय के कोर्ट की और दीक्षान्त समारोह (convocation) के अधिवेशनों की अध्यक्षता करेगा।

(ख) कुलपति को ऐसे अन्य अधिकार प्राप्त होंगे जो इस अधिनियम या परिनियमों द्वारा उन्हें दिये जायं।

उप-कुलपति

१२--(१) उप-कुलपति विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक (whole-time) पदाधिकारी होगा और इस धारा में विहित रीति से कुलपति द्वारा नियुक्त किया जायगा।

(२) उप-कुलपति के पारिश्रमिक तथा सेवा की अन्य शर्तें वे होंगी जो नियत की जायं, और नियुक्ति के पश्चात् उसके हितों के प्रतिकूल उनमें कोई परिवर्तन नहीं किया जायगा।

(३) उप-कुलपति ५ वर्ष के लिये पदासीन रहेगा किन्तु [किसी भी समय] कुलपति को सबोधित लिखित त्याग-पत्र द्वारा अपना पद त्याग सकता है, सामान्यतया त्याग-पत्र उस दिनांक से जब से कि वह कार्यभार से मुक्त होना चाहता है कुलपति को कम से कम ६० दिन पूर्व दिया जायगा।

(४) कोई भी व्यक्ति, जो उपधारा (८) में अभिदिष्ट रिक्त (vacancy) से भिन्न दशा में उप-कुलपति के पद पर किसी भी समय पहले आसीन रहा हो, पुनर्नियुक्ति का पात्र न होगा।

[(५) कार्यकारिणी परिषद् उस दिनांक से, जब से उप-कुलपति का पद रिक्त होने वाला हो, यथाशक्य कम से कम ४० दिन पूर्व तथा जब कभी कुलपति ऐसी अपेक्षा करें, रिक्ति की पूर्ति के निमित्त ऐसे व्यक्ति के नाम का निर्णय करने के प्रयोजन से अधिवेशन करेगी जिसकी सिपारिश करनी हो, यदि इस अधिवेशन में कार्य-कारिणी परिषद सर्वसम्मति से किसी एक व्यक्ति के नाम का निर्णय करे तो उसके नाम की सिपारिश कुलपति से की जायगी जो उसकी नियुक्ति कर देगा, तथा यदि वह सर्वसम्मति से किसी एक व्यक्ति के नाम का निर्णय करने में असफल रहे तो परिषद अनुवर्ती (following) दस दिनों के भीतर फिर अधिवेशन करने के निमित्त स्थगित हो जायगी। यदि स्थगित अधिवेशन में, कार्यकारिणी परिषद्—

(क) सर्वसम्मति से किसी एक व्यक्ति के नाम का निर्णय करे तो कुलपति के पास उस नाम की सिपारिश की जायगी और वह उसकी नियुक्ति कर देगा;

(ख) सर्वसम्मति से किसी एक व्यक्ति के नाम का निर्णय न कर सके तो वह उसी अधिवेशन में कुलपति के पास सिपारिश करने के लिये तीन व्यक्तियों से अनधिक (not more than three) के नाम का निर्णय करेगी :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि यदि एतदर्थ तीन से अधिक नाम प्रस्तावित किये जायं तो वह उनमें से तीन नाम एकल-संक्रमणीय मत से (according to the system of proportional representation by means of the single transferable vote) आनुपातिक प्रतिनिधित्व की पद्धति द्वारा निर्वाचित कर लेगी। इस प्रकार निर्वाचित किये गये नामों की सिपारिश कुलपति से की जायगी।]

[(६) उपधारा (५) के खंड (ख) के अधीन सिपारिश प्राप्त होने पर कुलपति स्वविवेक (in his discretion) से—

(क) उन व्यक्तियों में से, जिनकी कार्यकारिणी परिषद् ने सिपारिश की हो, किसी एक को उप-कुलपति नियुक्त कर सकता है, अथवा

(ख) उन नामों को कार्यकारिणी परिषद् के पास पुनर्विचारार्थ वापस भेज सकता है।]

[(७) यदि कुलपति उपधारा (६) के खंड (ख) के अधीन पुनर्विचारार्थ नाम वापस भेजें तो कार्यकारिणी परिषद् को पूर्ण अधिकार होगा कि वह—

(क) सर्वसम्मति से निर्णीत किसी एक व्यक्ति के नाम की कुलपति से सिपारिश करे, और ऐसी दशा में कुलपति द्वारा वह व्यक्ति, नियुक्त किया जायगा जिसके नाम के संबंध में इस प्रकार निर्णय किया गया हो, अथवा

(ख) सर्वसम्मति से किसी एक व्यक्ति का नाम अनिर्णीत होने की दशा में, उन्हीं नामों की, जिनकी उसने पहले सिपारिश की थी, अथवा तीन से अनधिक ऐसे किन्हीं नामों की सिपारिश करेगी जो उपधारा (५) में वर्णित रीति से निर्णीत किये जायेंगे, और तत्पश्चात् कुलपति उन व्यक्तियों में से किसी एक को नियुक्त करेगा जिनके नामों की इस प्रकार सिपारिश की गयी हो।]

(५) उपकुलपति उपधारा (६) के अधीन निर्मित समिति द्वारा चुने हुये तीन से अन्यून व्यक्तियों की सूची में से कुलपति द्वारा नियुक्त किया जायगा।

(६) उपधारा (५) में निर्दिष्ट समिति में तीन व्यक्ति होंगे जिनमें से दो ऐसे व्यक्ति कार्यकारिणी परिषद् द्वारा नाम निर्देशित किये जायेंगे जो विश्व-विद्यालय अथवा घटक अथवा सम्बद्ध कालेज से संबंधित न हों, और १ व्यक्ति कुलपति द्वारा नाम निर्देशित किया जायगा, कुलपति तीनों व्यक्तियों में से एक को सभापति नियुक्त करेगा :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि यदि कुलपति इस प्रकार सिपारिश किये गये किसी व्यक्ति को अनुमोदित न करे तो वह नई सिपारिशें मांग सकता है।

(८) यदि छुट्टी लेने के कारण अथवा कार्यकाल की समाप्ति से भिन्न किसी अन्य कारण से उप-कुलपति के पद का स्थान रिक्त हो जाय या उसके रिक्त होने की संभावना हो, तो रजिस्ट्रार इस बात की सूचना तुरन्त कुलपति को देगा। यदि उक्त रिक्ति छः मास से अधिक की अवधि के लिये हो या उसके ऐसा होने की संभावना हो तो कुलपति [कार्यकारिणी परिषद् से अपनी सिपारिशें भेजने का अनुरोध करेगा तथा उपधारा (१), (५), (६) और (७) के उपबन्ध रिक्ति पूर्ति के संबंध में यथाशक्य लागू होंगे। अन्य दशाओं में कार्यकारिणी परिषद् कुलपति के अनुमोदन के अधीन रहते हुये, या तो उप-कुलपति नियुक्त कर सकती है या उस पद का कार्य चलाने के लिये ऐसा अन्य प्रबन्ध कर सकती है जो वह उचित समझे।] उपधारा (५) और (६) के उपबन्धों के अनुसार रिक्ति पूर्ति के लिये कार्य करेगा।

(९) जब तक कि उपधारा (८) के अधीन प्रबन्ध न हो जाय तब तक रजिस्ट्रार उप-कुलपति के पद के साम्प्रतिक कर्त्तव्यों (current duties) का पालन करेगा किन्तु वह विश्वविद्यालय प्राधिकारियों (authorities) की बैठकों का सभापतित्व नहीं करेगा।

उप-कुलपति के अधिकार और कर्त्तव्य।

१३—(१) उप-कुलपति विश्वविद्यालय का मुख्य कार्यपालक तथा शैक्षिक पदाधिकारी होगा और कुलपति की अनुपस्थिति में कोर्ट के अधिवेशनों तथा विश्वविद्यालयों के किसी भी दीक्षान्त समारोह का सभापतित्व करेगा। वह कार्यकारिणी परिषद् तथा विद्वत् परिषद् का पदेन सदस्य तथा सभापति होगा। उसे विश्वविद्यालय के अन्य किसी प्राधिकारी (authority) या संस्था के अधिवेशनों की कार्यवाहियों में बोलने तथा भाग लेने का अधिकार होगा, किन्तु केवल इस धारा के कारण उसे उस सभा में मत देने का अधिकार न होगा।

(२) उप-कुलपति का कर्त्तव्य यह होगा कि वह यह सुनिश्चित कर ले कि इस अधिनियम, परिनियमों तथा अध्यादेशों के उपबन्धों का निष्ठा के साथ पालन किया जाता है, और धारा ३१ के अधीन कुलपति के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना उसे ऐसे सब अधिकार प्राप्त रहेंगे जो तदर्थ आवश्यक हों।

(३) उप-कुलपति को कोर्ट, कार्यकारिणी परिषद् तथा विद्वत् परिषद् के अधिवेशन बुलाने का अधिकार होगा :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि वह इस अधिकार को विश्वविद्यालय के किसी अन्य पदाधिकारी को प्रतिनिधानित (delegate) कर सकता है।

(४) उप-कुलपति विश्वविद्यालय, घटक कालेजों तथा संबद्ध कालेजों के कार्यों पर सामान्य नियंत्रण रखेगा और विश्वविद्यालय में समुचित अनुशासन बनाये रखने के लिये उत्तरदायी होगा।

(५) उपकुलपति विश्वविद्यालय के किसी वैतनिक पदाधिकारी या अध्यापक के विरुद्ध अनुशासन संबंधी कार्यवाही कर सकता है और जब कभी आवश्यक हो उसे निलम्बित (suspend) भी कर सकता है। यदि उप-कुलपति द्वारा पूर्वोक्तानुसार अनुशासन संबंधी कार्यवाही आरम्भ की गई हो और मामला उसके मतानुसार--

(क) ऐसा न हो जिसके लिये पदच्युत करने, हटाने, वेतन-वृद्धि रोकने या उपलब्धियों में कमी करने का दंड (punishment by dismissal, removal, stoppage of increment or reduction in emoluments) देना आवश्यक हो, तो वह ऐसी आज्ञा दे सकता है जिसे वह उचित समझे;

(ख) ऐसा हो जिसके लिये पूर्वोक्त दंड देना आवश्यक हो तो वह दो ऐसे अन्य व्यक्ति के साथ, जो नियत रीति से नियुक्त किये जायगें, और जिनमें एक उच्च न्यायालय का जज हो या रहा हो, उसकी जांच करेगा।

(६) किसी ऐसे मामले में, जिसमें उपधारा (५) के खंड (ख) के अधीन जांच की गयी हो, उपकुलपति जांच पूरी होने पर कार्यकारिणी परिषद् को प्रतिवेदन (report) प्रस्तुत करेगा। यदि उपधारा (५) के खंड (ख) के अधीन उप-कुलपति तथा उसके साथ संयुक्त रूप से जांच करने वाले व्यक्तियों में प्रतिवेदन में की जाने वाली सिपारिशों के संबंध में कोई मतभेद हो, तो सिपारिशें बहुमत के अनुसार व्यक्त की जायंगी। कार्यकारिणी परिषद् प्रतिवेदन (report) में की गयी सिपारिशों के अनुसार--यदि वह उनसे असहमत नहीं है--आज्ञा देगी। असहमत होने की दशा में कार्यकारिणी परिषद् अपनी सिपारिशों के साथ मामले को कुलपति के पास भेज देगी और तब कुलपति ऐसी आज्ञा दे सकेगा, जिसे वह उचित और आवश्यक समझे।

(७) किसी ऐसी आकस्मिक स्थिति (emergency) में, जिसमें उप-कुलपति के मतानुसार तुरन्त कार्यवाही करना आवश्यक हो, वह ऐसी कार्यवाही करेगा जिसे वह आवश्यक समझे और की गयी कार्यवाही का प्रतिवेदन यथाशीघ्र उस पदाधिकारी, प्राधिकारी या अन्य संस्था को देगा, जिसके द्वारा उस मामले में साधारणतया कार्यवाही की जाती, किन्तु इस उपधारा की किसी बात से उप-कुलपति को कोई ऐसा व्यय करने का अधिकार दिया गया नहीं समझा जायगा जो समुचित रूप से प्राधिकृत न हो और जिसकी व्यवस्था बजट में न की गयी हो।

(८) यदि उपधारा (५) के खंड (क) या उपधारा (७) के अधीन उप-कुलपति द्वारा की गयी किसी कार्यवाही से विश्वविद्यालय की सेवा में लगे किसी व्यक्ति पर हानिप्रद प्रभाव पड़ता हो तो वह व्यक्ति उस दिनांक से, जिस पर उसे कार्यवाही की सूचना दी गयी हो [१५] ३० दिन के भीतर कार्यकारिणी परिषद् के समक्ष अपील कर सकता है।

(९) पूर्वोक्त बातों के अधीन रहते हुये, विश्वविद्यालय के पदाधिकारियों तथा अध्यापकों की नियुक्ति, निलम्बन (suspension) और पदच्युति के संबंध में कार्यकारिणी परिषद् द्वारा दी गयी आज्ञाओं को उप-कुलपति कार्यान्वित करेगा।

(१०) उप-कुलपति दीक्षान्त समारोह में ऐसे व्यक्तियों को उपाधियां प्रदान करेगा जो उन्हें प्राप्त करने के अधिकारी होंगे, किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि यदि कुलपति उपस्थित हो तो वह ही किन्हीं या समस्त उपाधियों को प्रदान करेगा।

(११) उप-कुलपति ऐसे अन्य अधिकारों का प्रयोग करेगा जो परिनियमों तथा अध्यादेशों द्वारा निर्धारित किये जायं।

कोषाध्यक्ष

१४--(१) कोषाध्यक्ष आगे दी गयी रीति से कुलपति द्वारा नियुक्त किया जायगा :--

(क) कार्यकारिणी परिषद् यथाशक्य उस दिनांक से, जब से कोषाध्यक्ष का पद रिक्त होने वाला हो, कम से कम ३० दिन पहले और जब कभी कुलपति द्वारा ऐसा करना अपेक्षित हो, कुलपति के पास कोषाध्यक्ष पद ग्रहण करने के लिये उपयुक्त तीन व्यक्तियों से अनधिक के नाम भेजेगी।

(ख) यदि ऐसे नाम या नामों की संख्या, जिसे या जिन्हें खंड (क) के अधीन कुलपति को प्रस्तुत करने के लिये कार्यकारिणी परिषद् में प्रस्तावित किया गया हो, तीन से अधिक न हो, तो परिषद् इन सभी नामों को प्रस्तुत करेगी, किन्तु यदि नामों की संख्या तीन से अधिक हो तो परिषद् इस प्रकार प्रस्तावित नामों में से तीन नाम एकल संक्रमणीय मत से आनुपातिक प्रतिनिधित्व की पद्धति द्वारा निर्वाचित करेगी।

(ग) यदि कार्यकारिणी परिषद् द्वारा केवल एक ही नाम प्रस्तुत किया गया हो तो कुलपति उस व्यक्ति को नियुक्त करेगा, जिसका नाम इस प्रकार प्रस्तुत किया गया हो। अन्य दशाओं में कुलपति उन व्यक्तियों में से एक व्यक्ति नियुक्त करेगा, जिनके नाम खंड (ख) के अधीन कार्यकारिणी परिषद् द्वारा प्रस्तुत किये गये हों।

(२) कोषाध्यक्ष ६ वर्ष की अवधि के लिये पदासीन रहेगा और उक्त अवधि के समाप्त हो जाने पर भी उस समय तक अपने पद पर कार्य करता रहेगा जब तक कि उसका उत्तराधिकारी नियुक्त न कर दिया जाय। उसे विश्वविद्यालय की निधियों में से ऐसा पारिश्रमिक (यदि कोई हो) मिलेगा, जो परिनियमों द्वारा नियत किया जाय।

(३) धारा १२ की उपधारा (२), (३), (८) तथा (९) में उल्लिखित त्यागपत्र, पारिश्रमिक से भिन्न सेवा की अन्य शर्तों, अस्थायी रिक्तियों की पूर्ति तथा साम्प्रतिक कर्त्तव्यों के सम्पादन सम्बन्धी व्यवस्थाएं, आवश्यक परिवर्तनों सहित, कोषाध्यक्ष के पद के सम्बन्ध में लागू होंगी।

(४) कोषाध्यक्ष कार्यकारिणी परिषद् का पदेन सदस्य होगा और विश्वविद्यालय की संपत्ति तथा विनियोजित धनराशियों (investments) का प्रबन्ध करेगा और उसकी वित्तीय नीति के सम्बन्ध में परामर्श देगा। वह वार्षिक तखमीनों (जिन्हें इस अधिनियम में बजट कहा गया है) तथा लेखों का विवरण प्रस्तुत करने के लिए उत्तरदायी होगा।

(५) कोषाध्यक्ष का निम्नलिखित कर्तव्य होगा--

(१) यह सुनिश्चित करना कि विश्वविद्यालय द्वारा विनियोजन (investment) के अतिरिक्त किसी अन्य रूप में कोई

ऐसा व्यय न किया जाय जो बजट में प्राधिकृत न किया गया हो, और

(२) किसी ऐसे व्यय को न होने देना जो किसी परिनियम या अध्यादेश के निबन्धनों (terms) का उल्लंघन करें, या जिसके लिये परिनियमों या अध्यादेशों द्वारा व्यवस्था अपेक्षित हो, किन्तु की न गई हो।

रजिस्ट्रार

१५--(१) रजिस्ट्रार विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक अधिकारी होगा, जिसे कार्यकारिणी परिषद् निम्नलिखित व्यक्तियों से मिल कर (consist) संगठित निर्वाचन समिति की सिफारिश पर नियुक्त करेगी :--

(१) उपकुलपति;

(२) कुलपति द्वारा नामनिर्देशित एक शिक्षाविद् (educationist); तथा

(३) उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (Public Service Commission, Uttar Pradesh) का अध्यक्ष (Chairman) या उसके द्वारा एतदर्थ नाम-निर्देशित कोई सदस्य।

(२) रजिस्ट्रार को देय वेतन और भत्ते अध्यादेशों द्वारा नियत किये जायेंगे।

(३) रजिस्ट्रार विश्वविद्यालय के अभिलेखों (records) तथा सामान्य मुद्रा की समुचित अभिरक्षा के लिए उत्तरदायी होगा। वह कोर्ट, कार्यकारिणी-परिषद्, विद्वत्परिषद्, वित्त समिति, निर्वाचन समितियों तथा परामर्श समिति (Committee of Reference) का पदेन सचिव होगा और इन प्राधिकारियों के समक्ष ऐसी समस्त सूचना रखने के लिये बाध्य होगा जो कार्य-संपादन के लिये आवश्यक हो। वह ऐसे अन्य कर्त्तव्यों का पालन करेगा, जो नियत किये जायं अथवा समय-समय पर कार्यकारिणी सभा अथवा उपकुलपति द्वारा अपेक्षित हों।

(४) वह परीक्षाओं का संचालन करेगा और एतदर्थ अन्य आवश्यक व्यवस्था करेगा और उनसे संसक्त समस्त प्रक्रियाओं (processes) के समुचित निष्पादन के लिए उत्तरदायी होगा।

(५) रजिस्ट्रार को विश्वविद्यालय में किसी कार्य के लिए ऐसे पारिश्रमिक के अतिरिक्त, जिसकी व्यवस्था परिनियमों तथा अध्यादेशों द्वारा की जाय, न तो किसी पारिश्रमिक के प्रदान का प्रस्ताव किया जायगा और न वह उसे स्वीकार ही करेगा।

कोर्ट

१६--(१) कोर्ट निम्नलिखित से मिलकर बनेगा :--

वर्ग १--पदेन सदस्य

(१) कुलपति, उपकुलपति, कोषाध्यक्ष तथा विश्वविद्यालय के अन्य अधिकारी जो नियत किये जायं;

(२) उत्तर प्रदेश सरकार के वे मंत्री जो नियत किये जायं;

[(३) राज्य सरकार के वे अधिकारी, जिनमें शिक्षा, उद्योग तथा कृषि के संचालकगण तथा पदाभिदेशन (with reference to the Offices) अन्य ऐसे व्यक्ति होंगे जो नियत किये जायं;]

(३) शिक्षा संचालक तथा राज्य सरकार के ऐसे अधिकारी और पदाभिदेशन (with reference to the offices) अन्य ऐसे व्यक्ति होंगे जो नियत किये जायं;

(४) कार्यकारिणी परिषद् के सदस्य।

वर्ग २—आजीवन सदस्य

(५) गोरखपुर यूनिवर्सिटी फाउन्डेशन सोसाइटी के प्रथम प्रेसीडेंट;

(६) ऐसे व्यक्ति जो विश्वविद्यालय एवं विद्या के प्रति की गई महती सेवाओं के आधार पर कुलपति द्वारा आजीवन सदस्य नियुक्त किये जायं;

(७) वे सभी व्यक्ति जो पूरे एक कार्यकाल (term) के लिए विश्वविद्यालय के उपकुलपति रहे हों;

(८) वे सभी व्यक्ति, जिन्होंने गोरखपूर यूनिवर्सिटी फाउन्डेशन सोसाइटी अथवा विश्वविद्यालय को उसके [विश्वविद्यालय के प्रति, अथवा] प्रयोजनों के निमित्त, ऐसी धनराशि दान में दी हो, जो एतदर्थ नियत की जाय।

वर्ग ३

(९) ऐसे अध्यापकों के प्रतिनिधि जो नियत किये जायं;

(१०) आवासिक इकाइयों (residential units) एवं बहिर्द्वार कार्यकलापों (extra-mural activities) के निरीक्षण कर्मचारिवृन्द (supervisory staff) के प्रतिनिधि;

(११) कालेजों के प्रबन्धकों के प्रतिनिधि।

वर्ग ४

(१२) पंजीकृत स्नातकों के प्रतिनिधि [ऐसे प्रतिबन्धों के अधीन] जो नियत किये जायं, [एकल संक्रमणीय मत से आनुपातिक प्रतिनिधित्व की पद्धति द्वारा निर्वाचित किये जायं।]

वर्ग ५—दानदाता एवं उनके प्रतिनिधि

(१३) वे व्यक्ति, जो विश्वविद्यालय के प्रति अपने दान के कारण निर्दिष्ट अवधि के लिये परिनियमों के अधीन सदस्य होने के अधिकारी हों;

(१४) उन व्यक्तियों, संगठनों या व्यक्ति-समुदायों (bodies of individuals) के प्रतिनिधि, जो विश्वविद्यालय के प्रति अथवा प्रयोजनों के लिए, ऐसी धनराशि का, जो नियत की जाय, दान (donations) अथवा वार्षिक अंशदान देने के उपलक्ष में परिनियमों के अधीन प्रतिनिधित्व के अधिकारी हों।

वर्ग ६

(१५) उद्योग, वाणिज्य, कृषि तथा प्रक्षेत्र (region) की विद्वत्संस्थाओं (learned bodies) तथा विद्वत् वृतियों (learned

professions) का प्रतिनिधित्व करने वाले [४] ५ से अनधिक ऐसे व्यक्ति जिन्हें राज्य सरकार नाम निर्देशित करे।

वर्ग ७--उत्तर प्रदेश विधान मंडल के प्रतिनिधि

(१६) राज्य की विधान परिषद् द्वारा चुने जाने वाले उसके दो सदस्य;

(१७) राज्य की विधान सभा द्वारा चुने जाने वाले उसके पांच सदस्य।

वर्ग ८

(१८) कुलपति के, ८ से अनधिक, नाम निर्देशित व्यक्ति।

वर्ग ९

[(१९) गोरखपुर यूनिवर्सिटी फाउन्डेशन सोसाइटी द्वारा अपने में से चुने गये व्यक्ति :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि इस अधिनियम के प्रारम्भ होने से १५ वर्ष की समाप्ति पर यह मद (item) निष्प्रभाव हो जायगी तथा तदन्तर्गत प्रतिनिधित्व उसी प्रकार उस दिनांक से समाप्त हो जायगा।]

(१९) अधिनियम की धारा २८ की उपधारा (२) तथा धारा ४७ में किसी बात के होते हुये भी गोरखपुर यूनिवर्सिटी फाउन्डेशन सोसाइटी द्वारा अपने में से निर्वाचित दो व्यक्ति जो प्रथम कालावधि तक पद धारण करेंगे।

[(२) पदेन एवं आजीवन सदस्यों को छोड़ कर सदस्यों की कुल संख्या १०० से अधिक नहीं होगी।]

(३) उन सदस्यों की संख्या जो विश्वविद्यालय, या किसी घटक अथवा सम्बद्ध कालेज, हाल या छात्रावास की सेवा में हों, सामान्यतया अन्य सदस्यों की संख्या से अधिक नहीं होगी।

(४) वर्ग १ तथा २ को छोड़ कर शेष सभी वर्गों के सदस्यों की संख्या, उनकी नियुक्ति, निर्वाचन या नामनिर्देशन की रीति तथा उनका कार्यकाल इस अधिनियम में अन्यथा की गई किसी व्यवस्था को छोड़ कर, वह होगी, जो नियत की जाय।

(५) कोर्ट, पदेन या आजीवन सदस्य से भिन्न किसी ऐसे सदस्य के स्थान को रिक्त घोषित कर सकता है, जो बिना पर्याप्त कारण के कोर्ट के लगातार तीन अधिवेशनों में अनुपस्थित रहा हो।

कोर्ट के अधिवेशन।

१७--(१) प्रत्येक वर्ष ऐसे दिनांक पर, जिसे उप-कुलपति निश्चित करेगा, कोर्ट का एक अधिवेशन होगा, जो कोर्ट का वार्षिक अधिवेशन कहलायेगा।

(२) उप-कुलपति जब भी उचित समझे कोर्ट का विशेष अधिवेशन बुला सकता है और ऐसी लिखित अधियाचना (requisition) पर, जिस पर कोर्ट के [३०] ३५ से अन्यून सदस्यों के हस्ताक्षर हों, वह कोर्ट का विशेष अधिवेशन अवश्य बुलायेगा।

१८--इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुये कोर्ट को कार्यकारिणी परिषद् तथा विद्वत् परिषद् के उन कार्यों की समीक्षा (review) करने का अधिकार होगा जो इस अधिनियम, परिनियमों अथवा अध्यादेशों के अनुकूल न हों तथा वह विश्वविद्यालय के ऐसे सभी अधिकारों का प्रयोग करेगा जिनकी इस अधिनियम अथवा परिनियमों में अन्यथा व्यवस्था न की गयी हो । विशेषतया कोर्ट निम्नलिखित अधिकारों का प्रयोग तथा कर्त्तव्यों का पालन करेगा : कोर्ट के अधिकार तथा कृत्य ।

(क) परिनियम (statutes) बनाना तथा उनका संशोधन एवं निरसन (repeal) करना;

(ख) अध्यादेशों (ordinances) पर विचार करना तथा उन्हे रद्द (cancel) करना;

(ग) वार्षिक प्रतिवेदन (annual report), वार्षिक लेख, बजट तथा विश्वविद्यालय की शिक्षा तथा प्रशासन सम्बन्धी सामान्य नीति विषयक किसी मामले पर विचार करना तथा संकल्प (resolution) पारित करना ।

१९--(१) कार्यकारिणी परिषद् विश्वविद्यालय की कार्यपालिका निकाय (Executive Body) होगी और निम्नलिखित से मिल कर बनेगी :-- कार्यकारिणी परिषद् ।

१--उप-कुलपति;

२--कोषाध्यक्ष;

३--फैकल्टियों के [चार] डीन;

४--छात्र-कल्याण के डीन (Dean of Student Welfare);

५--किसी सम्बद्ध कालेज का एक प्रिंसिपल;

६--विभागाध्यक्षों (Heads of Departments) से भिन्न विश्वविद्यालय के दो अध्यापक;

७--पाँच ऐसे व्यक्ति जो कोर्ट द्वारा अपने ऐसे सदस्यों में से, जो विश्वविद्यालय, किसी कालेज, हाल या छात्रावास की सेवा में न हों, [एकल संक्रमणीय मत से आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति द्वारा] नियत रीति से निर्वाचित किये जायेंगे;

८--महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद् गोरखपुर का एक प्रतिनिधि जो उसके सदस्यों मे से निर्वाचित किया जायगा;

९--[८] कुलपति द्वारा नाम निर्देशित तीन व्यक्ति ।

(२) शीर्षक (५) तथा (६) के अधीन [तथा फैकल्टियों के डीनों की संख्या ४ से अधिक होने पर शीर्षक (३) के अधीन] सदस्यों के चुनने की रीति नियत की जायगी ।

(३) पदेन सदस्यों से भिन्न सदस्यों का कार्यकाल तीन वर्ष का होगा ।

२०--(१) इस अधिनियम तथा परिनियमों के उपबन्धों के अधीन रहते हुये कार्यकारिणी परिषद् के अधिकार तथा कर्त्तव्य निम्नलिखित होंगे अर्थात्-- कार्यकारिणी परिषद् के अधिकार और कर्तव्य ।

(क) विश्वविद्यालय की संपत्ति तथा निधियों को अपने कब्जे में रखना, उन पर नियंत्रण रखना तथा इस सम्बन्ध में सामान्य आदेश (general directions) प्रचारित करना ;

(ख) विश्वविद्यालय की ओर से किसी चल अथवा अचल संपत्ति के हस्तान्तरण (transfer) को स्वीकार करना ;

(ग) विशिष्ट उद्देश्यों के लिये विश्वविद्यालय के अधिकार में दी गयी निधियों को प्रशासित करना (administers);

(घ) विश्वविद्यालय का बजट तैयार करना;

(ङ) परिनियमों तथा अध्यादेशों के अनुसार फेलोशिप (fellowship), छात्रवृत्तियां (scholarships), निर्धन छात्रवृत्तियां (bursaries), पदक (medals) तथा अन्य पारितोषिक (rewards) प्रदान करना;

(च) विश्वविद्यालय के अधिकारियों, अध्यापकों तथा अन्य सेवकों को नियुक्त करना, उनके कर्त्तव्यों तथा उनकी सेवा की शर्तों को निर्धारित करना तथा उनके पदों की आकस्मिक रिक्तियों की पूर्ति की व्यवस्था करना;

(छ) परीक्षक नियुक्त करना तथा परीक्षाओं के आयोजन और परीक्षाफलों के प्रकाशन का निर्देशन करना;

(ज) कुलपति की पूर्व स्वीकृति के अधीन रहते हुये, निर्दिष्ट (specified) उपाधियों के निमित्त अध्यापन कार्य के लिये किसी कालेज को संबद्ध करने की स्वीकृति देना तथा ऐसी संबद्धता (affiliation) को वापस लेना;

(झ) कालेजों, हालों तथा छात्रावासों और विद्यार्थियों के रहने के अन्य स्थानों के निरीक्षण की व्यवस्था तथा उसका निर्देशन करना;

(ञ) विश्वविद्यालय की सामान्य मुद्रा के आकार (form) तथा प्रयोग का निर्देशन करना;

(ट) इस अधिनियम, परिनियमों, तथा अध्यादेशों के अनुसार विश्वविद्यालय से संसक्त सभी मामलों का विनियमन तथा निर्धारण (to regulate and determine) तथा ऐसे अन्य अधिकारों का प्रयोग करना जो इस अधिनियम अथवा परिनियमों द्वारा उसे दिये गये अथवा उस पर आरोपित किये गये हों।

[(२) कार्यकारिणी परिषद् विश्वविद्यालय की सम्पत्ति तथा निधियों के प्रशासन से सम्बद्ध विषयों पर कार्यकारिणी परिषद् को परामर्श देने के निमित्त एक समिति नियुक्त करेगी [जो एतद्पश्चात् वित्त समिति (Finance Committee) कहलायेगी] यह समिति कोषाध्यक्ष तथा कार्यकारिणी परिषद् के ४ सदस्यों--जिनमें से दो से अधिक विश्वविद्यालय या किसी कालेज, हाल या छात्रावास की सेवा में न होंगे—से मिलकर बनेगी। कोषाध्यक्ष वित्त समिति का अध्यक्ष (Chairman) होगा।]

(३) कार्यकारिणी परिषद् प्रत्येक वित्तीय वर्ष में किये जाने वाले आवर्त्तक तथा अनावर्त्तक (recurring and non-recurring) व्ययों की उन सीमाओं से अधिक व्यय नहीं करेगी जो परामर्श समिति द्वारा निर्धारित की गयी हो।

(४) विद्वत् परिषद् तथा सम्बद्ध फैकल्टियों के बोर्ड के परामर्श पर विचार किये बिना कार्यकारिणी परिषद् अध्यापकों की संख्या, योग्यताओं एवं उपलब्धियों (emoluments) तथा परीक्षकों की नियुक्ति और परीक्षकों को देय शुल्क के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं करेगी।

(५) कार्यकारिणी परिषद् कोर्ट के संकल्पों पर यथोचित विचार करेगी, और उन पर ऐसी कार्यवाही करेगी जिसे वह उचित समझे और उनकी सूचना कोर्ट को देगी। यदि किसी दशा में कार्यकारिणी परिषद् किसी संकल्प के अनुसार कार्यवाही करने में असमर्थ हो तो वह कोर्ट को यह सूचित करेगी कि वह किन कारणों के आधार पर ऐसा करने में असमर्थ है।

(६) ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुये जो परिनियमों में निर्दिष्ट की जायेंगी, कार्यकारिणी परिषद् विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी या प्राधिकारी को अपने ऐसे अधिकार प्रतिनिधानित कर सकती है, जिन्हें वह उचित समझे।

परामर्श समिति।

२१--(१) परामर्श समिति निम्नलिखित से मिल कर बनेगी--

१--उपकुलपति;

२--कोषाध्यक्ष;

३--कोर्ट के तीन सदस्य, जो कार्यकारिणी परिषद् के सदस्य न हों और जो एकल संक्रमणीय मत से आनुपातिक प्रतिनिधित्व की पद्धति द्वारा निर्वाचित किये जायंगे और जिनमें से एक विश्वविद्यालय का अध्यापक होगा तथा अन्य दो ऐसे व्यक्ति होंगे जो विश्वविद्यालय या किसी कालेज, हाल या छात्रावास की सेवा में न हों;

४--दो व्यक्ति जिन्हें राज्य सरकार नाम निर्देशित करे।

(२) उपकुलपति समिति का सभापति (Chairman) तथा रजिस्ट्रार सचिव (Secretary) होगा।

(३) परामर्श समिति विश्वविद्यालय की आय तथा साधनों (resources) को ध्यान में रखते हुये आगामी वर्ष के लिये कुल आवर्तक (recurring) तथा अनावर्तक (non-recurring) व्ययों की सीमा निश्चित करेगी तथा ऐसे अन्य कृत्यों का पालन करेगी जो इस अधिनियम अथवा परिनियमों द्वारा नियत किये जायं।

(४) परामर्श समिति किसी विशेष कारण से वित्तीय वर्ष में उस व्यय की सीमा को पुनरीक्षित (revise) कर सकती है और जो उसने उपधारा (३) के अधीन निश्चित की हो।

विद्वत् परिषद्।

२२--(१) विद्वत् परिषद् विश्वविद्यालय की शिक्षा संस्था (Academic Body) होगी, और इस अधिनियम, परिनियमों तथा अध्यादेशों के उपबन्धों के अधीन रहते हुये, विश्वविद्यालय शिक्षण, अध्यापन तथा परीक्षा के स्तर तथा अन्वेषण (research) का नियंत्रण तथा सामान्य विनियमन करेगी और उसके रक्षण के लिये उत्तरदायी होगी, और ऐसे अन्य अधिकारों का प्रयोग तथा अन्य कर्तव्यों का पालन करेगी, जो परिनियमों द्वारा उसे प्राप्त हों या उस पर आरोपित किये जायं। उसे शिक्षा सम्बन्धी समस्त विषयों (academic matters) पर कार्यकारिणी परिषद् को परामर्श देने का अधिकार होगा।

(२) विद्वत् परिषद् का संगठन (constitution) तथा पदेन सदस्यों से भिन्न उसके सदस्यों का कार्यकाल नियत किया जायगा, [किन्तु सदस्यों की कुल संख्या ५० से अधिक न होगी।]

२३--(१) विश्वविद्यालय में वे फैकल्टियां होंगी जो नियत की जायं।

(२) प्रत्येक फैकल्टी में अध्यापन के वे विभाग होंगे जो नियत किये जायं। विभिन्न विभागों के लिये पाठ्य विषय (subjects of study) अध्यादेशों द्वारा निर्दिष्ट किये जायं।

(३) प्रत्येक फैकल्टी का एक बोर्ड होगा, जिसका संगठन और जिसके अधिकार नियत किये जायं।

(४) प्रत्येक फैकल्टी के लिये एक डीन होगा जो [फैकल्टी में पढ़ाये जाने वाले विषय के किसी विभाग का अध्यक्ष होगा, और जो ज्येष्ठता (seniority) को ध्यान में रखते हुए] ऐसी रीति से तथा ऐसी अवधि के लिये चुना जायगा जो नियत की जाय।

(५) डीन, फैकल्टी के बोर्ड का सभापति होगा और फैकल्टी से सम्बद्ध परिनियमों, अध्यादेशों तथा विनियमों के सम्यक अनुपालन के निमित्त उत्तरदायी होगा। वह फैकल्टी के विभागों में अध्यापन तथा अन्वेषण के कार्यों के संगठन और संचालन के लिये उत्तरदायी होगा।

(६) पढ़ाये जाने वाले प्रत्येक विषय के विभाग का एक अध्यक्ष होगा जो अपने विभाग में अध्यापन की व्यवस्था के लिये डीन के प्रति उत्तरदायी होगा। विभाग का सब से ज्येष्ठ (senior most) प्रोफेसर विभाग का अध्यक्ष होगा और यदि किसी विभाग में प्रोफेसर न हो तो विभाग का सब से ज्येष्ठ रीडर अध्यक्ष होगा।

(७) विभागाध्यक्षों के कर्तव्य, अधिकार और कृत्य अध्यादेशों द्वारा नियत किये जायेंगे।

(८) एक या एकाधिक पाठ्य विषयों के सम्बन्ध में पाठ्यक्रम और अध्ययन समितियों (Committes of Courses and Studies) की स्थापना की जायगी। इन समितियों का संगठन अध्यादेशों द्वारा नियत किया जायगा।

डेलीगेसी

२४--किसी हाल या छात्रावास में, अथवा उसकी देखरेख में न रहने वाले विश्वविद्यालय के छात्रों के निवास, स्वास्थ्य एवं कल्याण के प्रबन्ध का अधीक्षण करने के निमित्त एक डेलीगेसी होगी। डेलीगेसी का संगठन, अधिकार और कर्त्तव्य नियत किये जायं।

बोर्ड

२५--विश्वविद्यालय ऐसे बोर्डों का संगठन करेगा जो नियत किये जायं। बोर्डों का संगठन, अधिकार तथा कृत्य अध्यादेशों में निर्धारित किये जायंगे।

अधिकारियों तथा प्राधिकारियों के सदस्यों की नियुक्ति की रीति।

२६--(१) इस सम्बन्ध में स्पष्ट रूप से की गई किसी प्रतिकूल व्यवस्था को छोड़ कर, विश्वविद्यालय के अधिकारियों तथा प्राधिकारियों (authorities) के सदस्यों को यथाशक्य निर्वाचन से भिन्न रीतियों से चुना जायगा।

[(२) यदि इस अधिनियम में निर्वाचन की व्यवस्था की गई हो तो ऐसा निर्वाचन एकल संक्रमणीय मत से आनुपातिक प्रतिनिधित्व की पद्धति द्वारा किया जायगा तथा यदि ऐसी व्यवस्था किसी परिनियम में की गई हो तो यह निर्वाचन परिनियमों में नियत की गई रीति से किया जायगा।]

[(३)] (२) यदि इस अधिनियम का परिनियमों में बारी से (by rotation) या ज्येष्ठता (seniority) के अनुसार या अन्य किसी योग्यता के आधार पर किसी नियुक्ति की व्यवस्था की गयी हो, तो ऐसी बारी तथा ज्येष्ठता के अवधारण की रीति और अन्य योग्यतायें नियत की जायंगी।

अध्यापकों की नियुक्ति।

२७--(१) इस अधि नियम के उपबन्धों के अधीन और उपधारा [(३)] (२) में की गई व्यवस्था को छोड़कर विश्वविद्यालय के अध्यापक संबद्ध निर्वाचन समिति के परामर्श से कार्यकारिणी परिषद् द्वारा नियुक्त किये जायंगे। उपधारा (४) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, सम्बद्ध कालेजों के अध्यापक प्रबंधक द्वारा नियत रीति से नियुक्त किये जायेंगे।

(२) उपधारा (१) के अधीन नियुक्त प्रत्येक अध्यापक प्रथमतः (in the first instance) परीक्षण पर (on probation) ऐसे काल तक रहेगा जो नियत किया जाय, तथा वह तब तक अपनी नियुक्ति पर पुष्ट (confirmed) न होगा जब तक कि--

(क) विश्वविद्यालय का अध्यापक होने की दशा में, उप-कुलपति और सम्बद्ध विभाग के अध्यक्ष तथा डीन के प्रतिवेदनों (reports) पर विचार करने के पश्चात् कार्यकारिणी परिषद् इसकी आज्ञा न दे दे, तथा

(ख) संबद्ध कालेज का अध्यापक होने की दशा में, उस विषय के ज्येष्ठ अध्यापक तथा उस कालेज के प्रिंसिपल के प्रतिवेदन पर विचार करने के पश्चात् प्रबन्धक इसकी आज्ञा न दे दे [।]:

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि कोई अध्यापक जो परीक्षण पर नियुक्त किया गया है उक्त अवधि के बीत जाने के उपरान्त स्थायी समझा जायगा जब तक कि प्रबन्धक ६ महीने के भीतर स्थायी करने के लिये निवेध तथा उसके कारणों की सूचना लिखित रूप में न दे दे।

(३) कार्यकारिणी परिषद् दस मास से अनधिक अवधि के लिये किसी कर्मचारी को छुट्टी स्वीकृत किये जाने की दशा में रिक्त स्थान पर निर्वाचन समिति को बिना अभिदेश किये ही स्थानापन्न नियुक्ति (officiating appointment) कर सकती है। किन्तु वह अन्य किसी रिक्त या ऐसे पद की पूर्ति जिसके ६ मास से अधिक चलने की सम्भावना है, बिना उक्त अभिदेश के, नहीं करेगी।

(४) किसी ऐसे संबद्ध कालेज में जो केवल राज्य सरकार द्वारा ही संधारित न हो, किसी अध्यापक की प्रकृति नियुक्ति (substantive appointment) के लिये किये गये प्रत्येक निश्चय की सूचना प्रबन्धक द्वारा उस नियुक्ति के दिनांक से १५ दिन के भीतर समस्त प्रार्थना-पत्र तथा सम्बन्ध पत्रादि सहित उप-कुलपति को दी जायगी। यदि संबद्ध निर्वाचन समिति की सहमति प्राप्त करने के पश्चात् उप-कुलपति किसी नियुक्ति का अनुमोदन न करे तो प्रबन्धक द्वारा वह नियुक्ति यथा शीघ्र, किन्तु परीक्षण-काल की अवधि की समाप्ति के दिनांक के पूर्व ही समाप्त कर दी जायगी।

(५) प्रत्येक पाठ्य विषय में अध्यापकों की नियुक्ति के लिए एक निर्वाचन समिति होगी।

(६) निर्वाचन समितियों का संगठन, उनके अधिकार और कृत्य तथा नियुक्तियों के सम्बन्ध में अनुसरित की जाने वाली प्रक्रिया नियत की जायगी।

सदस्यता सम्बन्धी अनुपूरक उपबन्ध।

२८--(१) विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या निकाय के सदस्यों (पदेन सदस्यों से भिन्न) में होने वाली सभी आकस्मिक रिक्तियों (casual vacancies) की पूर्ति तथा सुविधा शीघ्र ऐसे व्यक्ति अथवा निकाय द्वारा की जायगी, जिसने उस सदस्य को, जिसका पद रिक्त हुआ हो, नियुक्त, निर्वाचित अथवा संयोजित (co-opted) किया हो, तथा आकस्मिक रिक्ति में नियुक्त, निर्वाचित अथवा संयोजित व्यक्ति उसी शेष कार्यकाल तक के लिये उक्त प्राधिकारी या निकाय का सदस्य रहेगा जब तक कि पद रिक्त करने वाला व्यक्ति उसका सदस्य रहता।

(२) यदि कोई व्यक्ति विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी का सदस्य किसी अन्य निकाय के प्रतिनिधि के रूप में हो, चाहे वह निकाय विश्वविद्यालय का हो या बाहर का, तो वह विश्वविद्यालय के उस प्राधिकारी का तभी तक सदस्य रहेगा जब तक वह उस अन्य निकाय का सदस्य बना रहे जिसके द्वारा वह नियुक्त या निर्वाचित हुआ था और तत्पश्चात् जब तक कि उसके उत्तराधिकारी की यथाविधि नियुक्ति न हो जाय।

विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों तथा निकायों की कार्यवाहियां रिक्तियों के कारण अवध न होंगी।

२९--विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या किसी अन्य निकाय का कोई कार्य या कार्यवाही केवल इसी कारण अवैध न होगी कि उसमें सदस्यों की रिक्ति या रिक्तियां विद्यमान थीं या किसी ऐसे व्यक्ति ने कार्यवाहियों में भाग लिया था, जिसके विषय में कार्यवाही के पश्चात् यह सिद्ध हो कि वह ऐसा करने का अधिकारी न था।

विश्वविद्यालय की सदस्यता से हटाया जाना।

३०--(१) कार्यकारिणी परिषद् के दो तिहाई से अन्यून (not less than) सदस्यों की सिफारिश पर कोर्ट किसी भी व्यक्ति का नाम पंजीबद्ध स्नातकों के रजिस्टर से हटा सकता है।

(२) कोर्ट किसी व्यक्ति भी को विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या बोर्ड की सदस्यता से इस आधार पर हटा सकता है कि उस व्यक्ति का ऐसा अपराध सिद्ध हुआ है जो कोर्ट के मत में नैतिक पतन समन्वित एक [गम्भीर] अपराध ([serious] offence involving moral turpitude) है या कि वह अपवादजनक दुराचार (scandalous conduct) का दोषी है, या कि उसने ऐसे ढंग से व्यवहार किया है जो विश्वविद्यालय के सदस्य के लिये अशोभनीय है, तथा इन्हीं आधारों पर वह विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त या स्वीकृत किसी व्यक्ति की उपाधि, डिप्लोमा या प्रमाण-पत्र वापस ले सकता है।

३१--यदि ऐसा कोई प्रश्न उठे कि कोई व्यक्ति विशेष विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या अन्य निकाय का यथाविधि सदस्य निर्वाचित या नियुक्त हुआ है या नहीं अथवा ऐसा सदस्य होने का अधिकारी है या नहीं, या विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी का कोई निर्णय इस अधिनियम, परिनियमों या अध्यादेशों के अनुरूप है या नहीं, तो यह विषय कुलपति को अभिदिष्ट किया जायगा, जिसका निर्णय इस सम्बन्ध में अंतिम होगा।

समितियों का संगठन।

३२--यदि इस अधिनियम या परिनियमों के अधीन विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी को समितियां नियुक्त करने का अधिकार दिया गया हो तो ये समितियां, जब तक कि इसके प्रतिकूल कोई विशेष व्यवस्था न हो, सम्बद्ध प्राधिकारी के सदस्यों [तथा अन्य ऐसे व्यक्तियों] से [(यदि कोई हो) जिन्हें प्राधिकारी प्रत्येक दशा में उपयुक्त समझें,] मिल कर बनेगी।

सम्बद्ध कालेज

३३--(१) किसी संबद्ध कालेज की सम्बद्धता की शर्तें वे होंगी जो कार्यकारिणी परिषद् द्वारा नियत [या आरोपित] की जायं और परिनियमों में इस प्रकार सबद्ध कालेजों के नाम दिये जायेंगे।

(२) किसी भी कालेज के लिये उसी स्थान पर स्थित किन्हीं अन्य कालेजों या विश्वविद्यालय से अध्यापन कार्य में सहयोग देने या प्राप्त करने की व्यवस्था करना वैध (lawful) होगा।

(३) इस अधिनियम में की गई व्यवस्था को छोड़कर, किसी भी कालेज के प्रबन्धक कालेज के कार्यों के प्रबन्ध और नियंत्रण में स्वतन्त्र होंगे तथा उसके संधारण और रखरखाव (maintenance and upkeep) के लिये उत्तरदायी प्रत्येक कालेज का प्रिंसिपल उसमें यथोचित रूप से अनुशासन बनाये रखने के लिये उत्तरदायी होगा।

(४) प्रत्येक कालेज ऐसे प्रतिवेदन, विवरण तथा अन्य ब्योरे प्रस्तुत करेगा जिन्हें कार्यकारिणी परिषद् स्वतः अथवा विद्वत् परिषद् के अनुरोध पर मांगे।

(५) कार्यकारिणी परिषद् इस सम्बन्ध में अपने द्वारा प्राधिकृत एक या एकाधिक व्यक्तियों से प्रत्येक कालेज का पांच वर्ष से अनधिक कालांतरों (intervals) में समय-समय पर निरीक्षण करवायेगी।

(६) कार्यकारिणी परिषद् उक्त प्रकार से निरीक्षित किसी भी कालेज से निर्दिष्ट अवधि के भीतर ऐसी कार्यवाही करने को कह सकती है जो उसे आवश्यक प्रतीत हो।

(७) यदि कोई कालेज कार्यकारिणी परिषद् के निर्देशों (directions) या सम्बद्धता की शर्तों का अनुपालन न करे तो परिनियमों के उपबन्धों के अनुसार उसकी सम्बद्धता रद्द की जा सकती है।

निवृत्ति वेतन (pension) अथवा भविष्य निधि (provident fund)।

३४--(१) विश्वविद्यालय अपने अधिकारियों, अध्यापकों, लिपिक वृन्द (clerical staff) तथा अन्य नियोजित व्यक्तियों के लाभार्थ ऐसी रीति से तथा ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जो नियत की जांय ऐसे निवृत्ति वेतन, बीमा तथा भविष्य की निधियों (pension, insurance and provident funds) की व्यवस्था कर सकता है, जिन्हें वह उचित समझे।

ऐक्ट १९, १९२५

(२) यदि उक्त कोई भविष्य निधि इस प्रकार स्थापित की जाय या यदि कुलपति द्वारा अनुमोदित नियमों के अधीन कोई कालेज भविष्य निधि स्थापित करे तो कुलपति यह घोषणा कर सकते हैं कि प्राविडेन्ट फन्ड्स ऐक्ट, १९२५ के उपबन्ध उस पर उसी प्रकार प्रवृत्त होंगे, मानो वह कोई गवर्नमेंट प्राविडेंट फंड हो।

सेवा की शर्तें

३५—उन दशाओं को छोड़ कर जिनकी व्यवस्था परिनियमों में की गयी हो, विश्वविद्यालय या किसी सम्बद्ध कालेज का प्रत्येक वेतन भोगी अधिकारी तथा अध्यापक लिखित संविदा (written contract) के अधीन नियुक्त किया जायगा। संविदा विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार अथवा संबंधित कालेज के प्रबन्धक के पास रखा जायगा तथा उसकी एक प्रति सम्बद्ध अधिकारी अथवा अध्यापक को दी जायगी। संविदा इस अधिनियम तथा परिनियमों और अध्यादेशों में सेवा की शर्तों से संबंधित तत्समय प्रवृत्त उपबन्धों से असंगत न होगा।

विश्वविद्यालय तथा उनके कर्मचारिवर्ग के बीच विवादों के लिये मध्यस्थ न्यायाधिकरण।

३६—विश्वविद्यालय और विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी या अध्यापक के बीच संविदा से सम्बद्ध कोई विवाद उठने की दशा में सम्बद्ध अधिकारी या अध्यापक की प्रार्थना पर मामला मध्यस्थ न्यायाधिकरण (tribunal of arbitration) के पास अभिदिष्ट किया जायगा। यह न्यायाधिकरण कार्यकारिणी परिषद् द्वारा नाम निर्देशित एक सदस्य, सम्बद्ध अध्यापक या अधिकारी द्वारा नाम निर्देशित एक सदस्य तथा कुलपति द्वारा नियुक्त एक निर्णेता (umpire) से मिलकर बनेगा। न्यायाधिकरण का निर्णय अंतिम होगा तथा न्यायाधिकरण द्वारा निर्णीत विषयों के बारे में किसी भी दीवानी न्यायालय में कोई भी वाद प्रस्तुत न किया जा सकेगा। ऐसी प्रत्येक प्रार्थना आरबीट्रेशन ऐक्ट १९४० के अर्थ में इस धारा की शर्तों के अनुसार उक्त मध्यस्थ निर्णय के लिये प्रस्तुत, की गयी प्रार्थना (submission to arbitration) समझी जायगी, तथा उस अधिनियम की धारा २ को छोड़कर उसके सब उपबन्ध तदनुसार प्रवृत्त होंगे।

सम्बद्ध कालेजों तथा उसके कर्मचारिवर्ग के बीच विवादों के लिये मध्यस्थ-न्यायाधिकरण।

३६-क—सम्बद्ध कालेज और सम्बन्द्ध कालेजों के किसी अध्यापक के बीच संविदा से सम्बद्ध कोई विवाद उठने की दशा में सम्बद्ध अध्यापक की प्रार्थना पर मामला मध्यस्थ न्यायाधिकरण (tribunal of arbitration) के पास अभिदिष्ट किया जायगा जिसमें प्रबन्धक द्वारा नाम निर्देशित एक सदस्य, सम्बद्ध अध्यापक द्वारा नाम निर्देशित एक सदस्य तथा कुलपति द्वारा नियुक्त एक निर्णेता (umpire) होंगे। न्यायाधिकरण का निर्णय अंतिम होगा तथा न्यायाधिकरण द्वारा निर्णीत विषयों के बारे में किसी भी दीवानी न्यायालय में कोई भी वाद प्रस्तुत न किया जा सकेगा। ऐसी प्रत्येक प्रार्थना आरबीट्रेशन ऐक्ट, १९४०, के अर्थ में इस धारा की शर्तों के अनुसार उक्त मध्यस्थ निर्णय के लिये प्रस्तुत की गयी प्रार्थना (submission to arbitration) समझी जायगी तथा उस अधिनियम की धारा २ को छोड़कर उसके सब उपबन्ध तदनुसार प्रवृत्त होंगे।

परिनियम

३७—इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए परिनियमों में किसी भी विषय की व्यवस्था की जा सकेगी तथा उनमें विशेषतः निम्नलिखित के लिये व्यवस्था अवश्य की जायगी—

(क) विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों का संगठन, उनके अधिकार तथा कर्त्तव्य ;

(ख) विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों के सदस्यों का, जिनके अन्तर्गत प्रथम सदस्यों का पदासीन रहना भी है, निर्वाचन, उनकी नियुक्ति तथा उनकी अपने पद पर स्थिति तथा रिक्त स्थानों की पूर्ति एवं उक्त प्राधिकारियों से सम्बद्ध ऐसे अन्य सभी विषय, जिनकी व्यवस्था करना आवश्यक या वांछनीय हो;

(ग) विश्वविद्यालय के अधिकारियों के पदनाम (designation), उनकी नियुक्ति की रीति, उनके अधिकार तथा कर्त्तव्य ;

(घ) अध्यापकों का वर्गीकरण तथा उनकी नियुक्ति की रीत;

(ङ) विश्वविद्यालय के अधिकारियों, अध्यापकों तथा अन्य कर्मचारियों के लाभ के लिये सेवा-निवृत्ति या भविष्य निधि की तथा बीमा योजना की स्थापना ;

(च) उपाधियों तथा डिप्लोमों का स्थापन;

(छ) सामान्य उपाधियों (honorary degrees) का प्रदान;

(ज) उपाधियों, डिप्लोमों, प्रमाण-पत्रों (certificates) तथा अन्य शैक्षिक विशिष्टताओं (academic distinctions) का वापस लेना;

(झ) फैकल्टियों की स्थापना, एकीकरण (amalgamation); उप-विभाजन (sub-division) तथा उनका बन्द किय जाना (abolition) ;

(ञ) फैकल्टियों में अध्यापन विभागों की स्थापना ;

(ट) विश्वविद्यालय द्वारा संचारित हालों और छात्रावासोंकी स्थापना तथा उनका बन्द किया जाना;

(ठ) शर्तें, जिनके अधीन कालेज तथा अन्य संस्थाएं विश्वविद्यालय से संबद्ध हो सकें तथा जिनके अधीन उनकी संबद्धता वापस ली जा सके;

(ड) फेलोशिप, छात्रवृत्तियों, विद्यार्थी-वृत्तियों, पदकों तथा पारितोषिकों का स्थापन;

(ढ) पंजीकृत स्नातकों के रजिस्टर का रखा जाना;

(ण) अन्य समस्त विषय जिनके लिये परिनियमों द्वारा इस अधिनियम में व्यवस्था होनी चाहिये या हो सकती है।

परिनियम कैसे बनाये जायेंगे।

३८--[(१) प्रथम परिनियम (Statutes) राज्य सरकार द्वारा बनाये जायंगे किन्तु उनका पांडुलेख (draft) राज्य विधान मंडल के दोनों सदनों के समक्ष दस दिन तक, जब तक कि सदन का सत्र हो रहा हो, रखा जायगा और वे ऐसे परिष्कारों, परिवर्तनों एवं परिवर्द्धनों के अधीन बनाये जायंगे जिनके बारे में दोनों सदन सहमत हों।]

(१) प्रथम परिनियम (statutes) राज्य सरकार द्वारा बनाये जायेंगे और उनकी प्रतिलिपि राज्य विधान मंडल के प्रत्येक सदन के समक्ष प्रस्तुत की जायगी और वे ऐसे परिवर्द्धनों एवं रूप भेदों के अधीन रहेंगे जिनके बारे में दोनों सदन सहमत हों।

(२) इस धारा में आगे दी हुई रीति से कोर्ट समय -समय पर नये या अतिरिक्त परिनियम बना सकता है तथा उन्हें संशोधित अथवा निरस्त (repeal) भी कर सकता है।

(३) कार्यकारिणी परिषद् कोर्ट के समक्ष, उसके द्वारा पारित होने के निमित्त, किसी भी परिनियम या पांडुलेख (draft) प्रस्तावित कर सकता है और ऐसे पांडुलेख पर कोर्ट की अगली बैठक में विचार किया जायगा :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि कार्यकारिणी परिषद् किसी ऐसे परिनियम का या किसी परिनियम के ऐसे संशोधन का पांडुलेख प्रस्तावित नहीं करेगी जिससे विश्वविद्यालय के किसी वर्तमान प्राधिकारी की प्रस्थिति (status), अधिकार या संगठन पर प्रभाव पड़ता हो, जब तक कि ऐसे प्राधिकारी को उस प्रस्ताव पर अपना मत प्रकट करने का अवसर न दिया जा चुका हो तथा इस प्रकार व्यक्त मत पर कोर्ट विचार करेगा।

(४) कोर्ट उपधारा (३) में अभिदिष्ट किसी भी पांडुलेख को अनुमोदित कर सकता है, तथा उस परिनियम को पारित कर सकता है, अथवा उसे कार्यकारिणी परिषद् को अंशतः या पूर्णतः पुनर्विचारार्थ ऐसे संशोधनों सहित वापस कर सकता है, जिनका वह सुझाव दे।

(५) कोर्ट का कोई सदस्य कोर्ट के समक्ष किसी परिनियम का पांडुलेख प्रस्तावित कर सकता है, तथा कोर्ट या तो इस प्रस्ताव को स्वीकार कर सकता है अथवा अस्वीकार कर सकता है या उस पांडुलेख को कार्यकारिणी परिषद् के विचारार्थ अभिदिष्ट कर सकता है। कार्यकारिणी परिषद् कोर्ट को यह प्रतिवेदन (report) दे सकती है कि वह प्रस्ताव स्वीकार नहीं करती है या वह उक्त पांडुलेख को कोर्ट के पास उस रूप (form) में प्रस्तुत कर सकती है, जिसे वह अनुमोदित करे और इस प्रकार प्रस्तुत पांडुलेख पर इस धारा के उपबन्ध उसी प्रकार प्रवृत होंगे, जैसे कि वे कार्यकारिणी परिषद् द्वारा कोर्ट के पास प्रस्तावित पांडुलेख के विषय में प्रवृत होते हैं।

(६) किसी भी नये परिनियम या परिनियमों के परिवर्द्धन पर या किसी परिनियम के संशोधन या निरसन (repeal) पर कुलपति के पूर्वानुमोदन की आवश्यकता होगी। कुलपति उसे स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं अथवा उसे और विचार के निमित्त वापस भेज सकते हैं।

अध्यादेश

३९—(१) इस अधिनियम तथा परिनियमों के उपबन्धों के अधीन रहते हुये अध्यादेशों में किसी ऐसे विषय की, जिसके लिये अध्यादेशों द्वारा व्यवस्था किये जाने की अनुज्ञा इस अधिनियम अथवा परिनियमों में दी गई हो, तथा किसी अन्य विषय की जिसके लिये कार्यकारिणी परिषद् अध्यादेशों द्वारा व्यवस्था करना उचित समझे, व्यवस्था की जा सकती है।

(२) उपधारा (१) के अधीन प्राप्त अधिकारों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, अध्यादेशों में निम्नलिखित विषयों की व्यवस्था की जा सकती है, अर्थात्—

(क) विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों का प्रवेश तथा नामांकन (enrolment) और उनका इस प्रकार बना रहना ;

(ख) विश्वविद्यालय की सभी उपाधियों तथा डिप्लोमों के लिये निर्धारित किये जाने वाले पाठ्यक्रम;

(ग) शर्तें जिनके अधीन उपाधियों (degrees) डिप्लोमों तथा अन्य पाठ्यक्रमों और विश्वविद्यालय की परीक्षाओं में छात्र प्रविष्ट किये जायंगे, तथा वे उपाधियां और डिप्लोमा प्राप्त करने के पात्र होंगे।

(घ) विश्वविद्यालय के छात्रों के आवास की शर्तें तथा विश्वविद्यालय द्वारा संधारित छात्रावासों तथा हालों में आवास के लिये शुल्कों का लिया जाना;

(ङ) ऐसे हालों तथा छात्रावासों की अभिज्ञा (recognition) तथा प्रबन्ध जो विश्वविद्यालय द्वारा संधारित न हों;

(च) विश्वविद्यालय के अध्यापकों तथा वेतन भोगी अधिकारियों की संख्या, अर्हताएं (qalifications) उपलब्धियां (emoluments) तथा सेवा की अन्य शर्तें [जिनके अन्तर्गत सेवानिवृति का वय (age of retirement) भी है] तथा उनकी सेवा तथा कार्यकलापों (activities) के अभिलेख तैयार करना और उनका रखा जाना;

(छ) शुल्क जो विश्वविद्यालय द्वारा किसी प्रयोजन के लिये लिये जा सकें;

(ज) शर्तें, जिनके अधीन व्यक्तियों को कालेजों, हालों तथा छात्रावासों में शिक्षण के निमित्त अर्ह अभिज्ञात (recognized as qualifying) किया जाय;

(झ) परीक्षण संस्थाओं, परीक्षकों तथा परिमार्जकों (moderators) की नियुक्ति की शर्तें और रीति तथा उनके कर्त्तव्य;

(ञ) परीक्षाओं का संचालन ;

(ट) पारिश्रामिक तथा भत्ते, जिनके अन्तर्गत यात्रा भत्ते और दैनिक भत्ते भी हैं, जो उन व्यक्तियों को दिये जायेंगे, जो विश्वविद्यालय के कार्यों में नियोजित (employed) हों;

(ठ) फेलोशिप, छात्रवृत्तियां (scholarships), विद्यार्थी वृत्तियां (studentships), निर्धन छात्र-वृत्तियां (bursaries), पदक तथा पारितोषिक प्रदान किये जाने की शर्तें ;

(ड) अन्य समस्त विषय जिनकी इस अधिनियम या परिनियमों के अनुसार अध्यादेशों द्वारा व्यवस्था करना अपेक्षित हो या व्यवस्था की जाय।

अध्यादेश कैसे बनाये जायंगे।

४०—(१) उस दशा को छोड़ कर जिसकी इस धारा में कोई अन्यथा व्यवस्था की गई हो, अध्यादेश कार्यकारिणी परिषद् द्वारा बनाये जायंगे और वे उस दिनांक से प्रभावी होंगे जिसे परिषद् निर्दिष्ट करे :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि कोई ऐसा अध्यादेश नहीं बनाया जायगा, जिससे—

(क) विश्वविद्यालय की आय अथवा व्यय पर कोई प्रभाव पड़े, जब तक कि ऐसे अध्यादेश का पांडुलेख राज्य सरकार को प्रस्तुत न कर दिया गया हो और राज्य सरकार ने उस पर कोई आपत्ति न की हो;

(ख) विद्यार्थियों के प्रवेश पर प्रभाव पड़े, या जो विश्वविद्यालय की किसी उपाधि के पाठ्यक्रम (degree courses) के निमित्त प्रवेश के लिये धारा ४१ की उपधारा (१) में उल्लिखित अतिरिक्त (further) अर्हताओं को निर्धारित करे जब

तक कि ऐसे अध्यादेश का पांडुलेख विद्वत् परिषद् ने प्रस्तावित न किया हो;

(ग) परीक्षकों की नियुक्ति की शर्तों तथा रीति पर और उनके कर्तव्यो पर तथा किसी परीक्षा या पाठचक्रम के संचालन या स्तर पर प्रभाव पड़े, जब तक कि वह संबद्ध फैकल्टी या फैकल्टियों के बोर्ड के प्रस्ताव के अनुसार न हो और साथ ही जब तक कि उसका पांडुलेख नियत नीति से विद्वत् परिषद् द्वारा प्रस्तावित न हुआ हो; अथवा

(घ) विद्यार्थियों के निवास की शर्तों पर प्रभाव पड़े, जब तक कि नियत की जाने वाली शर्तों का अनुपालन न किया जाय।

(२) कार्यकारिणी परिषद् को विद्वत् परिषद् द्वारा उपधारा (१) के अधीन प्रस्तावित किसी पांडुलेख को संशोधित करने का अधिकार नहीं होगा किन्तु वह उसे अस्वीकार कर सकती है अथवा उस सम्पूर्ण पांडुलेख या उसके किसी भाग को ऐसे संशोधनों सहित, जिनका कार्यकारिणी परिषद् सुझाव दे, विद्वत् परिषद् के पास पुनर्विचार के लिये वापस कर सकती है।

(३) कार्यकारिणी परिषद् द्वारा बनाये गये समस्त अध्यादेश तुरन्त कुलपति और कोर्ट को प्रस्तुत किये जायंगे और कोर्ट उन पर अपने आगामी अधिवेशन में विचार करेगा। कोर्ट को संकल्प द्वारा, जो अधिवेशन में उपस्थित सदस्यों को दो तिहाई से अन्यून बहुमत से पारित किया गया हो, उक्त किसी भी अध्यादेश को रद्द (cancel) कर देने का अधिकार होगा और ऐसा अध्यादेश उक्त संकल्प (resolution) के दिनांक से निरर्थक (void) हो जायगा।

(४) कुलपति, कोर्ट द्वारा किसी अध्यादेश पर विचार कर लिये जाने के पश्चात् किसी भी समय कोर्ट तथा कार्यकारिणी परिषद् को यह सूचना दे सकता है कि उसने उक्त अध्यादेश की अनुज्ञा नहीं दी है और कार्यकारिणी परिषद् द्वारा उक्त अनुज्ञा के निषेध (disallowance) की सूचना (intimation) प्राप्त होने के दिनांक से उक्त अध्यादेश निरर्थक हो जायगा।

(५) कुलपति यह आदेश दे सकता है कि किसी अध्यादेश का प्रवर्तन (operation) उस समय तक के लिये निलंबित (suspended) रहेगा जब तक कि उसे अपने निषेधाधिकार (power of disallowance) के प्रयोग करने का अवसर न मिल जाय। इस उपधारा के अधीन निलंबन की आज्ञा ऐसी आज्ञा के दिनांक से एक मास व्यतीत होने पर या कोर्ट द्वारा अध्यादेश पर विचार किये जाने के दिनांक से १५ दिन व्यतीत होने पर, इनमें से जो भी अवधि बाद को व्यतीत होती हो, निष्प्रभाव हो जायंगी।

(६) यदि कार्यकारिणी परिषद् ने विद्वत् परिषत् द्वारा प्रस्तावित किसी अध्यादेश के पांडुलेख को अस्वीकृत कर दिया हो, तो विद्वत् परिषद् कोर्ट के समक्ष अपील कर सकती है और यदि कोर्ट कार्यकारिणी परिषद् के विचार प्राप्त करने के पश्चात् पांडुलेख को अनुमोदित करे, तो वह अध्यादेश बना सकता है और उसे कुलपति को प्रस्तुत कर सकता है।

विनियम

४१—(१) विश्वविद्यालय के प्राधिकारी तथा बोर्ड इस अधिनियम, परिनियमों तथा अध्यादेशों से संगत विनियम (regulations) बना सकते हैं, जिनमें—

(क) उनके अधिवेशनों में अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया तथा गणपूर्ति (quorum) के लिये अपेक्षित सदस्य संख्या निर्धारित की जाय;

(ख) ऐसे समस्त विषयों की व्यवस्था की जाय जो इस अधिनियम, परिनियमों अथवा अध्यादेशों के अधीन विनियमों द्वारा व्यवस्थित किये जाने वाले हों; और

(ग) किन्हीं अन्य ऐसे विषयों की व्यवस्था की जाय जो केवल उक्त प्राधिकारियों या बोर्डों से सम्बन्ध रखते हों, और जिनके लिये इस अधिनियम, परिनियमों अथवा अध्यादेशों में व्यवस्था न की गई हो।

(२) विश्वविद्यालय का प्रत्येक प्राधिकारी विनियम बनाएगा जिनमें उक्त प्राधिकारी के सदस्यों को उन दिनांकों का, जिन पर अधिवेशन होंगे, और ऐसे कार्य का, जिस पर अधिवेशनों में विचार किया जायगा, नोटिस देने तथा अधिवेशनों की कार्यवाहियों का अभिलेख (record) रखने की व्यवस्था की जायगी।

(३) कार्यकारिणी परिषद् ऐसी रीति से, जिसे वह निर्दिष्ट करे कोर्ट से भिन्न विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी द्वारा इस धारा के अधीन बनाये गये किसी विनियम में संशोधन या उपधारा (१) के अधीन बनाये गये किसी विनियम के खंडन (annulment) का आदेश दे सकती है :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि विश्वविद्यालय का कोई प्राधिकारी या बोर्ड जो ऐसे आदेश से असंतुष्ट हो, कुलपति के समक्ष अपील कर सकता है। कुलपति कार्यकारिणी परिषद् के विचार प्राप्त करने के पश्चात् ऐसी आज्ञायें पारित कर सकता है जिन्हें वह उचित समझे।

(४) अध्यादेशों के उपबन्धों के अधीन रहते हुये, विद्वत् परिषद् सम्बद्ध फैकल्टी के बोर्ड से तत्सम्बन्धी पांडुलेख प्राप्त करने के पश्चात् विश्वविद्यालय की विभिन्न परीक्षाओं तथा उपाधियों के पाठ्यक्रमों की व्यवस्था करने के लिये विनियम बना सकती है।

विद्वत् परिषद् फैकल्टी के बोर्ड से प्राप्त पांडुलेख में परिवर्तन नहीं कर सकती है, किन्तु प्राप्त पांडुलेख को अस्वीकार कर सकती है, या उसे, अपने सुझावों सहित, और अधिक विचार करने के लिये बोर्ड को वापस कर सकती है।

विद्यार्थियों का प्रवेश।

४२—(१) विद्यार्थी किसी भी उपाधि के पाठ्यक्रम में उस समय तक प्रवेश पाने के पात्र न होंगे, जब तक कि उन्होंने बोर्ड आफ हाई स्कूल ऐण्ड इंटरमीडियेट एजूकेशन, उत्तर प्रदेश की या तत्समय प्रचलित किसी विधि द्वारा निगमित किसी भारतीय विश्वविद्यालय अथवा बोर्ड की इंटरमीडियेट परीक्षा, या विश्वविद्यालय द्वारा उसके समकक्ष अभिज्ञात (recognized) कोई परीक्षा पास न कर ली हो, तथा वे ऐसी अतिरिक्त अर्हताएं यदि कोई हों, न रखते हैं जो अध्यादेशों द्वारा नियत की जायं।

(२) विश्वविद्यालय, कुलपति की पूर्व स्वीकृति बिना, किसी अन्य विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त किसी भी उपाधि को अपनी उपाधि के समकक्ष, या किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा संचालित किसी परीक्षा को बोर्ड आफ हाई स्कूल

एवं इंटरमीडियेट एजूकेशन, उत्तर प्रदेश का इंटरमीडियेट परीक्षा के समकक्ष (किसी उपाधि के पाठ्यक्रम में प्रवेश के प्रयोजनों के निमित्त), अभिज्ञात न करेगा।

विद्यार्थियों की निवास-व्यवस्था।

४३---(१) हाल और छात्रावास ऐसे होंगे जिन्हें विश्वविद्यालय संधारित करे अथवा जिन्हें कार्यकारिणी परिषद् ऐसी सामान्य अथवा विशेष शर्तों पर अनुमोदित तथा अभिज्ञात करे और अध्यादेशों द्वारा नियत की जायं। विश्वविद्यालय द्वारा संधारित हालों तथा छात्रावासों का नाम परिनियमों में उल्लिखित किया जायगा।

(२) हालों और छात्रावासों के वार्डन तथा अन्य कर्मचारिवृंद अध्यादेशों द्वारा नियत रीति से नियुक्त किये जायंगे।

(३) कार्यकारिणी परिषद् को ऐसे छात्रावास या हाल की अभिज्ञा (Recognition) का निलंबित करने के या वापस लेने (suspend or withdraw) का अधिकार होगा, जो नियत शर्तों के अनुसार संचालित न किया जाय:

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि कोई ऐसी कार्यवाही उस समय तक नहीं की जायगी जब तक कि ऐसे हाल या छात्रावास के प्रबन्धक को ऐसा अभ्यावेदन प्रस्तुत करने का अवसर न दे दिया जाय, जिसे वह उचित समझे।

परीक्षाएं

४४---(१) इस अधिनियम तथा परिनियमों के उपबन्धों के अधीन रहते हुये परीक्षाओं के संचालन के समस्त प्रबन्ध विद्वत् परिषद् द्वारा ऐसी रीति से किये जायंगे जो इस अधिनियम [द्वारा या उसके अधीन] या तदन्तर्गत बने परिनियमों द्वारा निर्धारित की जाय।

(२) यदि कोई परीक्षक किसी कारण से अपना कार्य करने में असमर्थ हो तो उपकुलपति उस रिक्ति की पूर्ति के लिये परीक्षक नियुक्त करेगा। प्रत्येक ऐसी नियुक्ति का प्रतिवेदन (report) कार्यकारिणी परिषद् को दिया जायगा।

(३) किसी उपाधि के निमित्त नियत प्रत्येक विषय के लिये नियुक्त परीक्षकों का यथाशक्य आधी संख्या ऐसे व्यक्तियों की होगी, जो विश्वविद्यालय या कालेज की सेवा में न हों।

(४) प्रत्येक फैकल्टी का बोर्ड फैकल्टी को निर्दिष्ट किये गये प्रत्येक विषय के लिये एक परीक्षा समिति (Examination Committee) नियुक्त करेगा। समिति ऐसे व्यक्तियों से मिल कर बनेगी जिन्हें बोर्ड, विद्वत् परिषद् के अनुमोदन के अधीन रहते हुये अपने सदस्यों में से या बाहर से नियुक्त करे। समिति को परीक्षा के प्रश्नपत्रों का परिमार्जन करने (to moderate), परीक्षा के अभ्यर्थियों (candidates), द्वारा प्रस्तुत कार्य के गुण दोषों (qualities) की समीक्षा करने (review), साफल्य-स्तर (standard of attainment) के सम्बन्ध में प्रतिवेदन देने तथा इनमें से किसी भी विषय के सम्बन्ध में सिफारिशें करने का अधिकार होगा। समिति द्वारा की गई कोई भी समीक्षा, प्रतिवेदन या सिफारिश विद्वत् परिषद् के समक्ष विचारार्थ रखी जायगी।

वार्षिक प्रतिवेदन।

४५—विश्वविद्यालय का वार्षिक प्रतिवेदन (annual report कार्यकारिणी परिषद् के निर्देशाधीन तैयार किया जायगा, तथा कोर्ट को वार्षिक अधिवेशन के एक मास पूर्व प्रस्तुत कर दिया जायगा और कोर्ट उस पर अपने वार्षिक अधिवेशन में विचार करेगा। कोर्ट उस पर संकल्प पारित कर सकता है तथा उन्हें कार्यकारिणी परिषद् को ज्ञापित (communicate) कर सकता है।

लेखे और लेखे की परीक्षा (audit)।

४६—(१) विश्वविद्यालय का वार्षिक लेखा और पक्का चिट्ठा (Balance Sheet) कार्यकारिणी परिषद् के निर्देशाधीन तैयार किये जायंगे और किसी भी साधन से विश्वविद्यालय को प्राप्य या प्राप्त हुई (accruing to or received by) समस्त धनराशियां और ऐसी धनराशियां जिनका विवरण अथवा भुगतान किया गया हो, लेखे में दर्ज की जायंगी।

(२) लेखे और पक्के चिट्ठे की एक एक प्रतिलिपि राज्य सरकार को प्रस्तुत की जायगी, जो उत्कृष्ट कोटि के लेखा-परीक्षकों (auditors of high standing) द्वारा उसकी लेखा परीक्षा करवाएगी।

(३) लेखा परीक्षा होने के पश्चात् लेखे को मुद्रित किया जायगा और उसकी प्रतिलिपियां तथा लेखा परीक्षा के प्रतिवेदन (audit report) की प्रतिलिपियां कार्यकारिणी परिषद् द्वारा कोर्ट और राज्य सरकार को प्रस्तुत की जायंगी।

(४) राज्य सरकार के लिये यह बैध होगा कि वह किसी ऐसे व्यक्ति को जिसके विषय में यह पता चले कि उसने बजट में व्यवस्थित धनराशि से अधिक अथवा इस अधिनियम, परिनियमों या अध्यादेशों के किसी उपबन्ध की उपेक्षा करते हुये कोई धनराशि व्यय की है या ऐसा करने का अधिकार दिया है, आदेश दे कि वह इस प्रकार व्यय की गयी धनराशि को भरपाई करे (reimburse), और राज्य सरकार इस विषय में ऐसी सभी कार्यवाही कर सकती है जिसे वह आवश्यक समझे :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि राज्य सरकार किसी भी व्यक्ति को उपर्युक्त आदेश देने के पूर्व अभ्यावेदन (representation) करने का समुचित अवसर देगी।

(५) कार्यकारिणी परिषद् उस दिनांक के पूर्व, जो नियत किया जाय, आगामी वर्ष का बजट भी तैयार करेगी।

(६) नये व्यय की ऐसी प्रत्येक मद, जो नियत धनराशि के बराबर या उससे अधिक हो, और जिसे बजट में सम्मिलित करने का विचार हो, कार्यकारिणी परिषद् द्वारा परामर्श समिति (Committee of Reference) को अभिदिष्ट की जायगी, जो उसके सम्बन्ध में अपनी सिफारिशें कर सकेगी।

(७) परामर्श समिति की सिफारिशों पर, यदि कोई हों, विचार करने के पश्चात् कार्यकारिणी परिषद् बजट को अंतिम रूप से अनुमोदित करके इन सिफारिशों सहित कोर्ट को प्रस्तुत करेगी।

(८) वार्षिक लेखे और बजट पर कोर्ट अपने वार्षिक अधिवेशन में विचार करेगा, और इसके सम्बन्ध में कोर्ट संकल्प पारित कर सकेगा और उसकी सूचना कार्यकारिणी परिषद् को देगा;

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि यदि उपधारा (६) के अधीन परामर्श समिति को अभिदिष्ट व्यय की किसी मद के सम्बन्ध में कार्यकारिणी परिषद् और परामर्श समिति में मतभेद हो, तो उसके सम्बन्ध में कोर्ट का निर्णय अन्तिम होगा।

(९) उस दशा को छोड़ कर जब धारा २० की उपधारा (१) के खंड (ग) के अधीन उपलब्ध किसी निधि में से कोई व्यय किया जाय, उप-कुलपति या कार्यकारिणी परिषद् के लिये यह वैध न होगा कि वह कोई ऐसा व्यय करे, जिसकी बजट में स्वीकृति न दी गयी हो।

संक्रमणकालीन उपबन्ध

४७—(१) इस अधिनियम के प्रारम्भ से गोरखपुर यूनिवर्सिटी फाउन्डेशन सोसाइटी, गोरखपुर की समस्त चल और अचल सम्पत्ति तथा समस्त अधिकार, शक्तियां और विशेषाधिकार, जो इस अधिनियम के प्रारम्भ से तत्काल पूर्व उक्त सोसाइटी के स्वामित्व में थे, या उसमें निहित थे, विश्वविद्यालय में निहित हो जायेंगे तथा ऐसे उद्देश्यों और प्रयोजनों के लिये प्रयुक्त होंगे जिनके निमित्त यह विश्वविद्यालय निगमित किया जाता है और तत्पश्चात् सोसाइटी विघटित हो जायगी।

(२) इस अधिनियम के प्रारम्भ से, उक्त सोसाइटी के समस्त ऋण और दायित्व इस विश्वविद्यालय को हस्तांतरित और संपर्कित (attached) हो जायेंगे तथा तत्पश्चात् विश्वविद्यालय द्वारा चुकाये और निस्तारित (discharged and satisfied) किये जायंगे।

(३) इस अधिनियम के प्रारम्भ के पूर्व या पश्चात् कृत या निष्पादित किसी वसीयत (will), विलेख (deed) या अन्य लेख्य (document) का, जिसमें उक्त समिति के पक्ष में कोई रिक्तदाय (bequest) दान या न्यास हो, इस अधिनियम के प्रारम्भ होने पर, इस प्रकार अर्थ किया जायगा मानो उसमें उक्त सोसाइटी के स्थान पर विश्वविद्यालय का नाम उल्लिखित हो।

४८—इस अधिनियम, परिनियमों या अध्यादेशों में किसी बात के होते हुये भी—

(क) कालेज के किसी भी विद्यार्थी को जो इस अधिनियम के प्रारम्भ के तत्काल पूर्व आगरा यूनिवर्सिटी की किसी भी [परीक्षा] उपाधि के निमित्त अध्ययन कर रहा हो, तदर्थ तैयारी करने के लिये पाठ्यक्रम पूरा करने की अनुमति दी जायेगी, तथा विश्वविद्यालय और कालेज उस विश्वविद्यालय की अध्ययन नियमावली (prospectus of studies) के अनुसार उस विद्यार्थी के शिक्षण और परीक्षा की व्यवस्था करेगा, तथा

(ख) जब तक ऐसी परीक्षा की व्यवस्था न की जाय, तब तक ऐसा कोई विद्यार्थी आगरा यूनिवर्सिटी की परीक्षा में प्रविष्ट किया जा सकेगा तथा उसे उस यूनिवर्सिटी की वह उपाधि प्रदान की जा सकेगी जिसके लिये वह परीक्षा-फलों के आधार पर अर्हता प्राप्त करे।

४९—इस अधिनियम के पारित होने के पश्चात् किसी भी समय प्रथम उप-कुलपति की नियुक्ति की जा सकती है और उसकी नियुक्ति धारा १२ की उपधारा [(१), (२) तथा (३)] (५) तथा (६) में किसी बात के होते हुये भी, [गोरखपुर यूनिवर्सिटी फाउन्डेशन सोसाइटी की सिफारिश पर] कुलपति [२ वर्ष की अवधि के लिये] करेगा।

५०--(१) इस अधिनियम के पारित होने के पश्चात् किसी भी समय तथा उस समय तक जब तक विश्वविद्यालय प्राधिकारी यथावत् संगठित न हो जायं--

(क) कोषाध्यक्ष कुलपति द्वारा नियुक्त किया जा सकेगा,

(ख) विश्वविद्यालय के किसी भी अन्य अधिकारी की नियुक्ति कुलपति की पूर्व स्वीकृति से उपकुलपति द्वारा की जा सकेगी,

(ग) प्रत्येक विषय की मंत्रणा समिति (Advisory Committee) की सिफारिशों पर विचार करने के पश्चात् कुलपति विश्वविद्यालय के अध्यापकों की नियुक्ति कर सकेंगे। मंत्रणा समिति में उप-कुलपति तथा सम्बद्ध विषय के तीन विशेषज्ञ होंगे, जिन्हें कुलपति उन व्यक्तियों में से चुनेंगे जिनके नाम वे किन्हीं भारतीय विश्वविद्यालयों के शिक्षा निकायों (academic bodies) से प्राप्त करेंगे।

(२) उपधारा (१) के अधीन की गयी समस्त नियुक्तियां [तीन] दो वर्ष के परीक्षण (probation) पर होंगी [।] :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि प्रोफेसरों और रीडरों के लिये परीक्षण काल एक वर्ष होगा और विशेष दशाओं में कुलपति परीक्षण की अवधि को घटा सकेगा।

५१--(१) राज्य सरकार इस अधिनियम को कार्यान्वित करने के सम्बन्ध में होने वाली किन्हीं कठिनाइयों के निवारणार्थ सरकारी गजट में प्रकाशित आज्ञा द्वारा--

( ) आदेश दे सकती है कि यह अधिनियम तथा तदन्तर्गत निर्मित कोई परिनियम ऐसी अवधि में, जो उक्त आज्ञा में निर्दिष्ट की जाय, ऐसे अनुकूलनों के अधीन, चाहे वे परिष्कार, परिवर्द्धन या लोप के रूप में हों, जिन्हें वह आवश्यक और इष्टकर (expedient) समझे, प्रभावी होंगे, अथवा

(ख) आदेश दे सकती है कि इस अधिनियम के अधीन विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों द्वारा प्रयुक्त या सम्पादित किय जाने वाले कर्तव्य, शक्तियां तथा कृत्य उस समय तक जब तक कि उक्त प्राधिकारी यथोचित रूप से संगठित न हो जायं, किसके द्वारा और किस रीति से प्रयुक्त या सम्पादित किये जायेंगे।

(ग) किसी ऐसी कठिनाई के निवारणार्थ ऐसे ही अन्य अस्थायी उपबन्ध बना सकती है जिन्हें वह आवश्यक या उचित समझे :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि इस अधिनियम के प्रारम्भ के दिनांक से चौबीस मास के पश्चात् ऐसी कोई आज्ञा नहीं दी जायेगी।

(२) उपधारा (१) के अधीन दी गयी किसी भी आज्ञा पर किसी भी विधिक न्यायालय में इस आधार पर आपति न की जा सकेगी कि ऐसी कोई कठिनाई जिसका उक्त उपधारा में अभिदेश है, विद्यमान नहीं थी, या उसके निवारण की आवश्यकता नहीं थी।

उद्देश्य तथा कारण

गोरखपुर में एक विश्वविद्यालय की स्थापना की निरन्तर मांग रही है। गोरखपुर यूनिवर्सिटी फाउन्डेशन सोसाइटी, जिसमें अनेक जिलों के सदस्य सम्मिलित हैं, विश्वविद्यालय की स्थापना के उद्देश्य को अग्रसर करने के निमित्त सक्रिय रूप से कार्य करती रही है और उसने बहुत कुछ धनराशि एकत्रित कर ली है। इस सोसाइटी ने सन् १९५० में ही विधेयक का पांडुलेख प्रस्तुत किया था जो तब से सरकार के विचाराधीन रहा है। गोरखपुर में ऐसे विश्वविद्यालय की स्थापना से, जिसे समीपवर्ती क्षेत्रों के कालेजों को संबद्ध करने का अधिकार प्राप्त हो, आगरा विश्वविद्यालय का, जिसके ऊपर निस्संदेह एक विश्वविद्यालय की निर्वहन शक्ति से कहीं अधिक भार है, कार्य भार हल्का हो जायगा। इस विश्वविद्यालय को ग्रामीण स्वरूप देना अभिप्रेत था जिससे कि वह उस क्षेत्र के आर्थिक साधनों तथा समस्याओं के अनुरूप बन सके। किन्तु प्रस्तुत विधेयक में इस विषय में विश्वविद्यालय पर कोई प्रतिबन्ध नहीं लगाया गया है और उसे स्वेच्छानुसार अपने कार्यों को नियोजित करने की स्वतन्त्रता दी गयी है।

तदनुसार गोरखपुर विश्वविद्यालय विधेयक सदन के विचारार्थ प्रस्तुत किया जाता है।

हरगोविन्द सिंह,
शिक्षा मंत्री।

विधान परिषद

बी० एस० यू० पी० ए० पी०—४१ एल० ए० १९५६—७९६।